

विधि एवं समाज के मूल सिद्धान्त

(PRINCIPLES OF LAW AND SOCIETY)

एस के पुरोहित
प्राध्यापक (विधि सहाय)
जाधपुर विश्वविद्यालय

पी जी थानवी
एम ए, साहित्य रत्न

उपा पब्लिशिंग हाउस
जोधपुर - जयपुर

20/2
JIPUR

उषा थानवी
सचालिका
उषा पब्लिशिंग हाउस
नीम स्ट्रीट, धीर मोहल्ला
जोधपुर

शाखा 1
भाघो बिट्टरीजो वा बाग
स्टेशन रोड
जयपुर

वैसकगण

प्रथम संस्करण, 1975

द्वितीय संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण, 1978

मुद्रक ।
सुबोप प्रिंटर्स
जोधपुर

विधि एवं समाज के मूल सिद्धान्त
PRINCIPLES OF LAW & SOCIETY

प्रथम सस्करण की भूमिका

आधुनिक शिक्षा समाज की दिनोदिन की बढ़ती जटिलताओं एवं दैनिक जीवन की यात्रिकता की समस्याओं से शिक्षार्थी समुदाय अस्वस्थ नहीं है - यह एक अनिवार्य सत्य है। परिणामस्वरूप अध्ययन के विस्तार और घनत्व से विद्यार्थी शून्य हो जाता है और उचित मागदर्शन के अभाव में भटक कर निराश होता जाता है।

वर्तमान समाज की मानवीय स्थिति काफी उलझनपूर्ण बन रही है। समाज, मनुष्य और विधि का पारस्परिक व अनिवार्य सम्बन्ध अब विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है। समाज और विधि की पारस्परिक सम्पूरक प्रशिक्षण को देखते हुए प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो वी वी जॉन (भू पू उप कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय) की सद्प्रेरणा ने इस विषय का पठन पाठन कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। छात्रों ने भी समुचित उत्साह प्रदर्शित कर इस विषय के प्रति गम्भीर उत्तरदायित्व को प्रमाणित किया। यहाँ की बात यह रही कि किसी समीचीन व उत्कृष्ट पाठ्य-मामूनी का अभाव छात्रों को प्रायः खटकता रहा। अतएव इस क्षति की पूर्ति करने हेतु ही इस पुस्तक की सृजना हुई।

पुनश्च डॉ लक्ष्मणसिंह राठीड, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग (जोधपुर विश्वविद्यालय) के आशीर्वाचन एवं सत्परामर्श की रचनात्मक - पलाटिका की परिणति है यह कृति। 'धर्मवाद' एवं 'वृत्तज्ञता ज्ञापन' की प्रौढ चारिकता में आशीर्वाद की गरिमा को सीमित करना दुस्ताहस होगा।

आशा है पाठकों की आकांक्षा पूर्ण करने में यह रचना ममन होगी।

लेखक

द्वितीय सस्करण की भूमिका

विधि और समाज के सिद्धान्त के प्रथम सस्करण को पाठकों एवं विद्यार्थियों ने आशातीत रूप में अपनाया। इस कारण अल्पकाल में ही द्वितीय सस्करण प्रस्तुत करना पड़ा। इसके लिए हमें उदात्त है। प्रस्तुत सस्करण को भाषा एवं विषय की दृष्टि में भी और मशरूफ़ किया गया है। आशा है सशोधित रूप में पुस्तक पाठकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

जोधपुर, 26-1-78

लेखक

PRINCIPLES OF LAW AND SOCIETY

The concept of Law Meaning of law, sources of law, kinds of law, goals and uses of law, relationship between the law and the society

The purpose of Law Law as a means of progressive civilisation, law and social justice, law and morality, law and liberty, law and public opinion

The State Meaning characteristics, functions and importance, various theories about State's functions, State and Society—a study of inter relationship

Sovereignty Meaning and characteristics, Legal, political and popular sovereignty, Austin's legal theory of sovereignty and its limitations

Legislature Functions unicameral and bicameral legislatures, utility of the second chamber

Citizenship Meaning and characteristics, acquisition and loss of citizenship the ideal citizenship

Theories of Rights Various theories of rights—the rights of an individual in a democratic state, duties of an individual towards the state and society

The Society Origin and growth, the purpose of social organisation different kinds of societies

Social Change Processes of cultural change the social effects of innovation, social disorganisation—meaning and factors, society and adjustment

अनुक्रमिका

9040

अध्याय

विषय

पृष्ठ संख्या

1 विधि की अवधारणा
(The concept of Law)

471
1983

144

कानून का अभिप्राय—कानून के तत्त्व कानून का वर्गीकरण—विधि के स्रोत—विधि की उपादेयता—विधि और समाज का सम्बन्ध

2 विधि का प्रयोजन
(The purpose of law)

45-74

कानून प्रगतिशील सम्यता के साधन के रूप में—विधि और सामाजिक न्याय—विधि और स्वतंत्रता—विधि और नैतिकता—विधि और लोकमत

3 राज्य एवं उसकी प्रकृति
(The State and its nature)

75 107

राज्य की परिभाषा—राज्य के तत्व—राज्य के कार्य एवं उसका महत्व—राज्य की उत्पत्ति—राज्य एवं समाज—राज्य और राष्ट्र में अंतर—सरकार—राज्य तथा विधि में सम्बन्ध

सम्प्रभुता
(Sovereignty)

108 128

सम्प्रभुता का अभिप्राय—सम्प्रभुता की विशेषताएँ—सम्प्रभुता के प्रकार—ग्रॉस्टिन के सम्प्रभुता सम्प्र की विचार—सामण्ड का सिद्धांत—अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा प्रभुसत्ता

- 5 नागरिकता
(Citizenship) 129-144
नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता के लिए
प्रावश्यक शर्तें - नागरिकता की प्राप्ति—आदेश
नागरिकता—आदेश नागरिकता के माग में बाधाएँ
- 6 व्यवस्थापिका
(Legislature) 145-159
व्यवस्थापिका प्राच्यनिष्ठ प्रजातन्त्र में प्रतिनिधि सभा
का रूप में—व्यवस्थापिका के कार्य—विधानमण्डल का
संगठन—एक सदनात्मक पद्धति—द्विसदनात्मक पद्धति
का अभाव
- 7 अधिकार तथा कर्तव्य
(Rights & Duties) 160-191
निर्वाण अधिकार तथा कर्तव्य में सम्बन्ध—अधि-
कार की परिभाषा—अधिकारों का वर्गीकरण—
अधिकारों का सिद्धांत—कर्तव्य—अधिकार और
कर्तव्य का पारस्परिक सम्बन्ध
- 8 समाज
(The Society) 192-204
समाज की उत्पत्ति और विकास—सामाजिक संगठन—
समाज का वर्गीकरण
- 9 सामाजिक परिवर्तन
(Social change) 205-221
सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं सिद्धांत—सामा-
जिक विघटन—सामाजिक परिवर्तन के कारण—
सामाजिक परिवर्तन के परिणाम—विधि और
सामंजस्य

विधि की अवधारणा

(The Concept of Law)

“राज्य की सर्वोच्च सत्ता का आदेश ही कानून होता है ।”

ऑस्टिन¹

कानून बाह्य कार्यों से सम्बन्धित वे सामान्य नियम हैं जो राजनैतिक प्रभु-सत्तात्मक शक्ति द्वारा लागू किये जाते हैं और जिन पर आचरण करने के लिए मनुष्यों को बाध्य किया जाता है। कानून का आकार मानवीय जीवन के प्रत्येक भाग में दृष्टिगोचर होता है। कानून मांग निर्देशन करने वाला, अपराधियों को पकड़ देने वाला, ग़ायब व्यवस्था को स्थापित करने वाला होता है। कानून समाज का न केवल नियंत्रक है, बल्कि वह सयोजक भी है। कानून सांस्कृतिक तत्वों का भी सबसे बड़ा रम्भक है। कानून राजकीय प्रगति का सूचक, राज्य का आधार तथा सामाजिक सम्बन्धों का निर्णायक है। अन कानून सबव्यापी है। मकाइवर ने तो यहाँ तक कह दिया कि “कानून का शासन सबत्र है, विधि सब व्यापी है। जहाँ कहीं जीवन है वहाँ उसकी सबव्यापी विधियाँ हैं और प्रत्येक प्रकार के जीवन के अनुरूप उसकी अपनी विधियाँ भी हैं।”² इस प्रकार कानून का समस्त मानव जीवन पर सबत्र प्रभाव देखने को मिलता है।

कानून का अभिप्राय—

कानून शब्द की उत्पत्ति तथा इसके इतिहास की ओर ध्यान देते हैं तो ऐसा विदित होता है कि लगभग एक हजार ईसवी म अग्रेजों ने यह शब्द स्केडीनेविया के आक्रमणकारियों से ग्रहण किया था। कानून शब्द की उत्पत्ति ट्यूटेनिक भाषा के ‘Log’ शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य स्थिर या निश्चित होता है। इस प्रकार कानून अथवा लॉ से उस वस्तु का बोध होता है जो स्थिर एवं निश्चित हो।

1 Law is the Command of the Sovereign —Austin

2 Law in its broader significance reigns every where Where life exists there are Universal Laws of the life and for each form of life after its kind —MacIver

कानून के सामान्य निकाय के लिए लातीनी भाषा में jus¹ (विधि) शब्द मिलता है, जो कानून शब्द से अधिक व्यापक है।

कानून का अर्थ जानने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कानून का आकार उसके साथ उसका प्रयाजन उसका विकास आदि का पूरा रूप से अध्ययन किया जाय। ये सब विषय यदि कानून के प्रत्यक्ष में सम्मिलित कर दिये जाय तो परिभाषा का रूप और भी विस्तृत हो जायेगा। यद्यपि कानून इतना विवाद प्रस्त विषय रहा है कि उसकी सब सम्मति से परिभाषा देना अत्यन्त ही कठिन है। क्योंकि उनमें किसी विशेष पक्ष को उभारा जाता है। जस किसी कानून विशेषज्ञ ने कानून के आकार को महत्व दिया ता किसी ने उसके प्रयाजन को। कानून की परिभाषा को देखकर यह जाना जा सकता है कि कानून की परिभाषा देने वाले कानून विशेषज्ञ ने कौन सा अंग को महत्वपूर्ण समझा है। कानून के विद्वानों ने 'कानून क्या है यह बताने के लिए अपने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये, फिर भी इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सके। इसका मूल कारण यह है कि कानून के स्वभाव के विषय में प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं, क्योंकि कानून प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। व्यक्ति स्वयं के विचारा से प्रभावित होकर कानून के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि घोड़ा क्या है? वही कानून के बारे में भी कहा जा सकता है। मोरिस के कथानुसार, यदि आप जानना चाहें कि घोड़ा क्या है? तो उसके अर्थ बहुत से निकलते हैं। जब घोड़े का अर्थ एक प्राणी विशेषज्ञ बतायेगा तो घोड़े को एक चौपाया पशु कह कर सम्बोधित करेगा। यदि एक यात्रा से पूछने पर वह बतायेगा कि घोड़ा एक यातायात का साधन होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए घोड़ा राजाओं की शीड़ा की सामग्री है। यदि शतरज के खिलाड़ी से पूछा जाय तो उसका उत्तर होगा कि घोड़ा शतरज का एक महारा होता है जो ढाई घंटे (स्थान) चलता है'। यही उक्ति कानून के बारे में भी कही जा सकती है।

प्रो० टी एन सप्रू ने कहा था कि विधि के अर्थ के निर्धारण में सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि सभ्यता के विकास के हर स्तर पर विधिवेत्ताओं ने

1 Jus (विधि) को पालनीय अथवा बाध्य करने वाले उन नियमों का निकाय मानते हैं जिन्हें न्यायालय बाध्य मानते हैं तथा न केवल मानते हैं बल्कि उनको लागू भी करते हैं।—अर्नेस्ट बाकर

तात्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विधि के अलग अलग रूप नए जिनसे विधि के विभिन्न स्वरूप प्रकट होते हैं ।¹

पृष्ठ प्रमुख विद्वानों ने कानून की परिभाषा इस प्रकार में अभिव्यक्त की है -
कौटिल्य के अनुसार — 'कानून संप्रभु की आज्ञा है' ।

वेदों के अनुसार— 'कानून राजाओं का राजा है, उनसे ही राज्य शक्तिशाली और बढ़ता है' । विल्सन ने कानून की परिभाषा इस प्रकार की है—
"कानून, स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंग है, जिसे मान्यता के द्वारा लागू करती हो" ।

ऑस्टिन के अनुसार— "कानून उच्चतर व्यक्ति की आज्ञा के द्वारा नीचे की ओर दी गई आज्ञा है" ।²

प्रो० सालमण्ड के अनुसार— "कानून निम्नों का एक समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है" ।

ग्रोन के मतानुसार— "अधिकारों और कर्तव्यों के इन समूहों को कानून कहा जा सकता है, जिसे सरकार लागू करती है" ।³

गैटिल ने कानून की परिभाषा इस प्रकार की है— "कानून विद्यालय एवं आदतों के उस भाग को कहते हैं, जिसे राज्य के द्वारा कानून के अन्तर्गत मान्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है" ।

सेलिसबरी (Salisbury) के अनुसार— "कानून राज्य की वह शक्ति है जो शासक और शासितों दोनों में समान रूप से लागू होती है" ।

ह्यू गोकेव ने कानून के अन्वय में यह कहा है— "कानून राज्य के अन्तर्गत मान्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है" ।
इसी प्रकार की है— "कानून उन नियमों के समूह हैं जो राज्य के अन्तर्गत मान्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है" ।⁴

अरस्तु के अनुसार—“कानून ऐसा तब है जिस पर इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं होता।”

मैकमेवर के अनुसार कानून की परिभाषा इस प्रकार से है—‘कानून समाज द्वारा वे निर्देश होते हैं जिनसे मानवों के लिए बाध्य किया जाता है और जिनका उल्लंघन हो जाने पर राज्य द्वारा दण्ड दिया जाता है।’

पाउण्ड के शब्दों में—“याम के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू किये गये नियमों को ही कानून कहा जाना है”।¹

सर हेनरीमेन के अनुसार—“कानून की उत्पत्ति आदेश एवं शक्ति को ध्यान में रख कर हुई है।”

मार्टिन्स्यू के अनुसार—‘कानून मनुष्या के स्वभाव के अनुसार बने हैं। मनुष्य स्वभाव से उन नियमों का पालन करना चाहता है’। देवताओं के भी अपने नियम थे इसी प्रकार आज भी विश्व के भी अपने अपने कानून हैं। अतः मनुष्या के भी कानून का निर्माण किया है।

कुर्कनोव कानून की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि “कानून शान्ति कायम करने वाले के नियम हैं। जो व्यक्तियों एवं जातियों के बाहर पारस्परिक सम्बन्धों का स्थापित करते हैं”।

मेटन के अनुसार—‘कानून की व्याख्या आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दाशानिक, समाज शास्त्रीय, राजनीतिक एवं वकील के दृष्टिकोण से की जा सकती है’। कानून का प्रयोग लक्षणों के अनुसार ही किया जा सकता है।

लास्की के अनुसार—“कानून केवल आला ही नहीं होते हैं। उनके मतानुसार कानून का पालन इसलिए नहीं होता कि वह किसी योग्य सत्ता द्वारा बनाया गया है, अथवा इसलिए कि उसका पालन बलपूर्वक कराया जा सकता है। नतिक रूप से बंध होने के लिए कानून का जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए”।

डिग्वी के मतानुसार—“कानून वह है जो सामाजिक सुखदता स्थापित करता है, तथा जो व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ति करके उसे समृद्ध बनाता है।

1 The body of Principles recognised and enforced by public and regular tribunals in the administration of Justice — Pound

उपरोक्त विभिन्न परिभाषाओं के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि एकमत होकर किसी ऐसी परिभाषा का देना सम्भव नहीं है जो हर स्थान व हर काल की विधि के लिए उपयुक्त हो। समाज की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं तथा उसी के अनुरूप विधि के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। राजतंत्र में राजा की इच्छा कानून था तो प्रजातांत्रिक युग में प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा मानित एवं निर्धारित नियम ही कानून होंगे।

विस्तृत अर्थ में व नियम जो किसी भी राजनीतिक समाज में उनके सदस्यों के आपस के या उनके अर्थ व्यक्तियों के साथ के सम्बन्धों का संचालन करते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। कानून समाज में व्यक्तियों के बाह्य आचरणों का संचालन करने वाले नियमों के लिए निर्धारित सजा है, जिसे राजसत्ता की ओर से वैधानिक मान्यता प्राप्त हो, जिनका निर्माण समाज की ऐतिहासिक परम्पराओं की अनुकूलता को ध्यान में रखकर किया गया हो, जिनमें परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने की क्षमता हो, तथा जो समाज कल्याण के मापदण्ड पर खरे उतर सकते हों।

विधिशास्त्र के विभिन्न विचारकों में सदैव मत वैभिन्य रहा है। प्रत्येक सिद्धान्त के समर्थक अपने अपने दृष्टिकोण से कानून के स्वरूप का निरूपण करने के लिए विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादित किया जिनमें निम्नलिखित विचारधारा अत्यन्त महत्वपूर्ण है—

1) विश्लेषणात्मक विचारधारा

इस विचारधारा का सबसे प्रबल प्रतिपादक थॉमस हुब्स है। उसने अपने विचार हॉब्स (Hobbes) तथा बेंथम Bentham) से ग्रहण किये। उसका कथन है कि नियम आदेश होता है जो बड़े अधिकारी द्वारा छोटे को दिया जाता है। विधि में उल्लंघन पर दण्ड मिलता है। प्रत्येक विधि प्रयुक्तता द्वारा जारी की जाती है। इस विचारधारा के अनुसार कानून का स्वरूप राजसत्ता की मान्यता पर आधारित है। राजसत्ता की मान्यता प्राप्त होने पर कोई भी साधारण से साधारण नियम कानून हो जाता है तथा बिना उसकी मान्यता के कोई भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण नियम कानून नहीं हो सकता।

इस विचारधारा का दृष्टिकोण कानून के प्रति विकासवादी नहीं है और कानून के क्षेत्र को राजसत्ता की मान्यता पर आधारित कर देने के कारण इस विचारधारा के अनुसार इतने अतन्त्र ऐसी परम्पराओं के लिए कोई स्थान नहीं

रह जाता, जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता के आदेश न हाकर भी समाज में राजरुत्ता द्वारा मायता प्राप्त कानून की ही भांति आदर पाते हैं।

आस्टिन का यह सिद्धांत केवल कानूनी सिद्धान्त है। उसका अर्थानुसार राज्य में जो प्रभुशक्ति होती है वह एक व्यक्ति में भी हो सकती है और समुदाय में भी हो सकती है। उस प्रभुसत्ता को विधित (dejure) अधिकार है कि वह आदेश दे। उसे यह भी अधिकार है कि अपने आदेशों का विरोध की दशा में दण्ड दे। किंतु आस्टिन ने यह नहीं कहा कि अधिकाधिक अधिकार (dejure rights) और अस्तित्व अधिकार (defecto rights) एक ही है, उसने यह नहीं कहा कि किसी वस्तु के स्वरूप में और उस वस्तु में कोई भेद नहीं है। सत्य यह है कि किसी राज्य में जब वहाँ की सरकार स्वेच्छाचारी होती है, प्रभुशक्ति की सीमाएँ जनमत से प्रभावित होती हैं। प्रभुसत्ता का जनमत की या विशेष प्रभावी व्यक्ति की बात को आशिक रूप से मानना पड़ता है।

(2) ऐतिहासिक विचारधारा—

कानून विषय की दूसरी विचारधारा जिसे ऐतिहासिक (Historical) अथवा विकासवादी (Evolutionary) विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा का जन्म स्थान जर्मनी था। फ्रेडरिक वॉन सैवाइनी (Frederick Von Savigny) इसके मुख्य प्रतिपादक हुए हैं। सर हेनरी मेन भी इस विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं। इस विचारधारा के अनुसार— 'कानून का स्वरूप राजसत्ता की मायता पर आधारित न हाकर वह परिवर्तनशील, प्रगतिशील एवं दीर्घकालीन सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके परिणामस्वरूप कानून का निर्माण होता है। इस विचारधारा के अनुसार रीतिरिवाज, परम्पराओं की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कानून का रूप धारण किया जाता है।' बुडरा विल्सन के अनुसार "कानून सुस्थापित विचारधारा तथा अभ्यास का वह भाग है जो शासन की सत्ता की शक्ति द्वारा समयानुसार प्रमाणित करके औपचारिक मायता प्राप्त कर लेता है।"¹ इसी प्रकार जेन (Zane) ने अपनी पुस्तक 'The Story of Law' में कहा है कि 'विधि का शासन इसलिए प्रचलित हुआ कि उसका प्रति प्रायः सर्वसम्मति

1 Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rule backed by the authority and power of Government —Woodrow Wilson

मीन सी हा रही है। जब बहुमत किसी के विरुद्ध रहता है तो विधि का शासन निरंतर टिक नहीं सकता। ऐसा स्थिति विश्व के अनेक देशों में हाल ही में घटित हुई है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि कौसा भी शासन, जिसकी जड़े गत तक पहुँच गई हो उसको भी जनमत के आग भुजना पड़ता है।

ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक यह मानते हैं कि विधियाँ स्वयं अधि-नियमित हुईं और स्वयं प्रकट हुईं। कानून बनाना राज्य का काम नहीं है, उसका काम कानून को यथाथ रूप में लागू करना है। कोई भी स्वेच्छाचारी व्यवस्था-पिका सत्ता परम्परागत विधियाँ को न तो तोड़ सकेगी और न बदल सकेगी। किन्तु ऐतिहासिक एवं विवासवादी विचारक यहाँ भयानक भूल कर बैठे हैं कि शासक वगैरह अपनी इच्छाओं को शासिता की इच्छाओं के अनुसूप बना लेते हैं और केवल आदेश देते हैं।

(3) समाजशास्त्रीय विचारधारा—

समाजशास्त्रीय (Sociological) विचारधारा जिसके अग्रणी ड्यूग्बी (Duguit) क्राब (Krabbe) तथा लास्की (Laski) हैं। इनने मतानुसार कानून का निर्माण वास्तव में किसी साठिन समुदाय द्वारा नहीं किया गया समाज में ऐसी विशेष अभिकरण (Agencies) है जो नियम करके आशाएँ निकालती हैं, जिनकी आज्ञाएँ समाज का माननी पड़ती हैं। ड्यूग्बी के अनुसार समाज में रहने वाले लोगों के आचरण के लिए निमित्त नियमों का कानून कहते हैं। उनका पालन इसलिए नहीं किया जाता कि वे आनाएँ हैं या उनके साथ दण्ड भी लगा है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐम नियमों का पालन करे जिनसे सामाजिक जीवन में श्रद्धता मिलती है और ऐस कारणों से दूर रहे जो उसके विकास में बाधने हैं। क्राब न कानून की स्याख्या मूल स्रोत के आधार पर की है। कानून उन साधारण या असाधारण नियमों का, लिखित या अलिखित कूल जोड़ है जो मनुष्यों के भावों या याय भावना के अनुभव से उत्पन्न होते हैं।¹ उनके अनुसार कानून वास्तव में राज्य से ऊँचा और स्वतन्त्र है।

लास्की के अनुसार—कानून का स्रोत है व्यक्ति का स्वीकृति देने वाला मन। लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनकी इच्छाओं की

1 Law is the sum total of all those rules, general or particular, written or unwritten, which spring from man's feelings of sense of right —Krabbe

पूति करता है। इस प्रकार कानून का स्रोत व्यक्ति का अनुमति दाता मन, जो वास्तविक अर्थों में स्रोत बहा जाना चाहिये, निश्चित किया है। कानून का समाज से बड़ा पनिकट सम्बन्ध होना है और कानून का उद्देश्य सामाजिक हित माधन होना है, व्यक्ति के आचरण का कोई नियम जनता के नैतिक विश्वास के कारण तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल होने के कारण कानून का रूप धारण करता है, राजसत्ता का आदेश होने के कारण नहीं। इस प्रकार यदि कोई कानून जनता के नैतिक विश्वास के अनुकूल नहीं है अथवा सामाजिक वातावरण में ठीक नहीं बैठता तो उसे कानून की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। लॉस्की ने यहाँ तक कहा है कि "एक अच्छा कानून वही है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की इच्छाओं का अधिक से अधिक सन्तुष्टिकरण हो सके। अच्छे कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून का पालन औपचारिक रूप से भले ही हो जाय, वास्तविक रूप से वह पालन करने योग्य नहीं हो सकता।"¹

कानून क्या होता है अथवा उसका स्वरूप क्या है? उपरोक्त विचार धाराओं के अन्तर्गत कानून के स्वरूप के विषय में अवधारणा या भाष्यता एकांगी ही रही है। उनमें से कोई पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, उनमें सत्य का अंश अवश्य ही स्पष्ट होता है। ये कानून की विभिन्न विशेषताओं को प्रकट करती हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार कानून के पीछे राजसत्ता की भाष्यता होना आवश्यक है। ऐतिहासिक व विवादात्मक विचारधारा के अनुसार, कानून का रूप स्यायी अथवा अप्रगतिशील नहीं हो सकता। समाजशास्त्रीय विचारधारा के अन्तर्गत राज्य को कानून की भाष्यता उन्हीं कानूनों को देनी चाहिए जिनमें सामाजिक हितों की रक्षा होती हो। अतः हम कह सकते हैं कि कानून समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के बाह्य आचरण के ऐसे नियमों के निकाय को कहते हैं जिन्हें राजसत्ता की ओर से सर्वव्यापी भाष्यता प्राप्त हो, जिनका निर्माण समाज की ऐतिहासिक परम्पराओं की अनुकूलता को ध्यान में रखकर किया गया हो, जिनमें परिस्थितियों के अनुकूल विवक्षित होने की क्षमता हो तथा समाज कल्याण के मापदण्ड पर धर उतर सकते हो।

1 A good Law is a law which has as its results the maximum possible satisfaction of desires and no Law save a good Law is, except in a formal sense, entitled to Obedience as such

कानून के तत्व—कानून की परिभाषाएँ एवं विचारधाराओं के विश्लेषण वरन से स्पष्ट होता है कि कानून के प्रमुख निम्नतत्व होते हैं

(1) कानून के लिए नागरिक समाज का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि समाज ही एक सुव्यवस्थित सगठन है और इस सगठन को मुचरू रूप से सचालन हेतु ही नियमा की आवश्यकता होती है।

(2) कानूनो के निर्माण तथा उनकी क्रियाविति के लिए एक सम्प्रभुत्व पूरा सत्ता का अस्तित्व होना आवश्यक है।

(3) कानून का सम्बन्ध व्यक्ति के बाह्य आचरण से होता है, उनकी आंतरिक भावनाओं से नहीं।

(4) नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है, और कानून का उल्लंघन करने पर वे राज्य द्वारा दण्ड के भागी हाने हैं।

(5) कानून ऐसा होना चाहिए, जिनका पालन न केवल दण्ड के भय से बरन् सामाजिक हित की भावना में किया जाय।

इस प्रकार कानून एक निश्चित तथा उच्चतर मानव का आदेश मान नहीं होता, और न ही इसे स्थिर और मानव जीवन की आवश्यकताओं से पृथक ही किया जा सकता है। कानून की एक धारणा के अंतगत यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीतिक शासक की सत्ता कानून का अधानिक मायता प्रदान करती है परन्तु उसका यथाथ स्वरूप देश के ऐतिहासिक वातावरण तथा समाज की नतिकता का परिणाम होता है। कानून प्रगतिशील होता है और अपने आपको जनता के नैतिक आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टिकरण के अनुकूल बना लेता है। कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और उस क्रियावित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यही कानून की सबसे बड़ी विशेषता है। परन्तु वास्तव में, कानून का मुख्य पालन उसकी अनिवार्यता नहीं है, बरन् लोग कानून का पालन स्वेच्छा से ही किया करते हैं।

लास्की के अनुसार—कानून ही सामाजिक शांति का मूल उद्गम है। स्वतंत्रता का मूल्य कानून द्वारा सुरक्षा है। कानून की अनुपस्थिति में राज्य बहुत ही कम समय तक जीवित रह सकता है। कानून न बिना समाज में अराजकता फैल जाती है। कानून समाज का न केवल नियमक है बल्कि वह संयोजक भी है। इसके द्वारा अधिकार और कर्तव्या में समन्वय स्थापित होता है। सावजनिक कल्याण प्राप्त करने का कानून महत्वपूर्ण साधन है। कानून राजकीय प्रगति का

सूचक, राज्य का आधार तथा सामाजिक सम्बन्धों का निर्णायक है। आधुनिक समाज की विपमताओं के कारण कानून की आवश्यकता और भी अधिक अनुभव होने लगी है”।

कानून की पृष्ठभूमि के अलावा कानून का अर्थात् अध्ययन नहीं हो सकता बहुत से लोग सैद्धान्तिक उद्देश्य के नाम पर, विवेक के नाम पर, समानता और स्वतंत्रता के नाम पर, समाज कल्याण के नाम पर, व्यावहारिक कानून के द्वारा हमारी परम्परा को बदलना चाहते हैं। कानून को लोक चेतना के स्तर से निकालना चाहते हैं। उसका स्वाभाविक रूप नष्ट कर उसे एक कृत्रिम रूप देना चाहते हैं, उसे हमारे राष्ट्र, समाज, रहन सहन आदि से विच्छेद करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सतक रहना चाहिये, कहीं ऐसा ना हो की कानून के सुधार के नाम पर कानून का अर्थ ही बदल दिया जाय। क्योंकि कानून का पालन लोग स्वेच्छा से ही किया करते हैं।

अतः में कहा जा सकता है कि, राज्य रूपी समाज अपने सदस्यों के क्रिया-कलापों के लिए जो आचार संहिता तैयार करता है, उही को कानून कहा जाता है। उक्त कानून की अवहेलना करने पर दण्ड की व्यवस्था राज्य की मशीनरी अर्थात् सरकार करती है। सरकार की शक्ति के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का बल होता है। कानून बिना किसी भेदभाव के ऊपर समान स्थिति में समान रूप से लागू होता है। अतः एक राज्य में एक ही कानून संहिता चलती है अतः कहा जा सकता है कि कोई समुदाय बिना नियमों के नहीं रह सकता।

कानून का वर्गीकरण (Classification of Law)—

कानून की विस्तृत व्याख्याएँ होने से विद्वानों ने कानून का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। कानून के विविध प्रकारों की अलग अलग व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है—

(१) **आदेशात्मक कानून**—आदेशात्मक कानून वे नियम कहलाते हैं जो किसी उच्च सत्ता द्वारा लागू किये गये हों, इसके पीछे शक्ति का प्रयोग होता है। चाहे वह शक्ति राजकीय हो या दैविक।

(२) **भौतिक और वैज्ञानिक कानून**—ये ऐसे कानून का रूप होते हैं जिनसे हमको प्रकृति की क्रियाओं का बोध होता है, जैसे—गुरुत्वाकर्षण का नियम, रसायन प्रतिक्रिया का कानून, मानवीय शारीरिक क्रिया का कानून आदि।

(३) **प्राकृतिक या नैतिक कानून**—यूनानी और रोम के विचारक

प्रकृति को भी नैतिक सनभत थे। उनके अनुसार प्राकृतिक अथवा नैतिक कानून के निम्न रूप होते हैं—

(1) **वैधिक कानून**—जिनके द्वारा समाज को नैतिक आदेश मिलते हैं जस चोरी करना पाप है।

(2) **अलिखित कानून**—ये वे कानून होते हैं जो पत्थरों पर या धातुओं पर नहीं लिखे जाते, परन्तु प्रकृति द्वारा स्वत ही इनका प्रयोग करवाया जाता है। जिस विद्व के सभी भागों में मायता प्राप्त होती है। इसे शाश्वत कानून भी कहा जाता है। प्रथाओं द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसे नैतिक कानून भी कहा जाता है।

(3) **आचार या व्यवहार का कानून**—ये वे कानून होते हैं, जिनका पालन हम अपने जीवन में आचार और व्यवहार के रूप में करते हैं। जैसे शिष्टाचार, वेशभूषा आदि।

(5) इनके अतिरिक्त राजनैतिक (Political laws) कानून की व्याख्या एव वर्गीकरण प्रो० हाल्लैंड ने कानून को दो हिस्सों में विभाजित किया है, जिन्हें व्यक्तिगत कानून (Private Laws) और सार्वजनिक कानून (Public Laws) की संज्ञा दी है। एक अन्य वर्गीकरण कानूनों को राष्ट्रीय (National) और अन्तर्राष्ट्रीय नामक दो वर्गों में विभाजित करता है। विषय के आधार पर कानूनों का वर्गीकरण सार्वधानिक (Constitutional) और साधारण (Ordinary) दो वर्गों में किया जाता है। परन्तु मैकाइवर ने अपनी पुस्तक 'The Modern State' में कानूनों का वर्गीकरण राष्ट्रीय (National), अन्तर्राष्ट्रीय (International), सार्वधानिक (Constitutional), और साधारण (Public) और सामाय वर्गों में किया है। प्रो० गिलक्राइस्ट ने (Administrative), और सामाय वर्गों में किया है। प्रो० गिलक्राइस्ट ने कानूनों का वर्गीकरण उनके उद्देश्यों के आधार पर किया है, और उन्हें सार्वधानिक (Common law), अन्तर्राष्ट्रीय कानून और प्रशासनिक वर्गों में विभाजित किया है। इस प्रकार कानून की तालिका देखने से पूरा पता होता है कि कानून को दो वर्गों में विभाजित किया गया है— राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून। सामाजिक जीवन में कानून जनमत या राज्य द्वारा निर्मित किये जाते हैं। राज्य द्वारा क्रियारहित किये गये कानून राजनैतिक कानून कहलाते हैं।

इसके अतिरिक्त कानून का वर्गीकरण सर्वोच्च अथवा इस प्रकार किया जा सकता है।

(1) **दीवानी कानून (सम्पत्तिगत कानून)**—जो व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकार और कतब्यों की रक्षा करता है। दीवानी कानून का प्रकार यह है जैसे— सविदा कानून (Law of Contract) धतिवृत्त कानून (Law of Torts) सम्पत्ति कानून, उत्तराधिकार कानून, पारिवारिक कानून आदि।

(2) **सारभूत कानून**—अपराध और दूसरे दीवानी मामलों की व्याख्या करता है और उनसे सम्बंधित उपचार के अधिकार और कतब्यों को बताता है।

(3) **अपराध कानून**—अपराध और मातृ भंग करने के लिए व्यक्तियों का राज्य की तरफ से दण्डित किया जाता है। अपराधी को दण्ड उनके दोषों के अनुसार दिया जा सकता है।

राजनैतिक कानूनों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया जा सकता है—

(1) **राष्ट्रीय विधि (National law)**—राष्ट्रीय कानून के व्यापक अर्थ में कानून को कहते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी एक राज्य की सीमा में रहने वाले निवासियों से होता है। ये कानून एक राज्य की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इनकीपालता राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय विधि को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) **साधारण विधि (Ordinary law)**—नागरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण का नियमित करने वाले कानूनों का सामान्य नियम या साधारण कानून कहा जाता है। वे व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित होते या रीति-रिवाजों और परम्पराओं पर आधारित होते हैं। साधारण कानून को भलीभांति समझने के लिए इसे सावजनिक और व्यक्तिगत कानूनों में विभाजित किया जा सकता है। साधारण नियम राज्य के साथ नागरिकों के सम्बन्धों और उनके पारस्परिक सम्बन्धों का निश्चित करता है। यायालय केवल साधारण नियमों का अनुसरण ही करते हैं। मरतार साधारण कानून के अनुसार ही अपनी आज्ञाएँ पालन कराती हैं।

(2) **सावजनिक कानून (Public law)**—सावजनिक कानून व्यक्ति और राज्य के सम्बन्धों को नियमित करता है। यह राज्य के संगठन और उसके कार्यों और नागरिकों के साथ राज्य के सम्बन्धों का वर्णन करता है। महाद्वार के अनुसार—“सावजनिक कानून समाज की उचित व्यवस्था करता है,

कानून का वर्गीकरण (Classifications of law)

कानून (Law)

राष्ट्रीय कानून
(National law)

अंतर्राष्ट्रीय कानून
(International law)

साधारण कानून
(Ordinary law)

वैधानिक कानून
(Constitutional law)

सार्वजनिक कानून
(Public law)

व्यक्तिगत कानून
(Private law)

लिखित
(Written)

अलिखित
(Unwritten)

शासन सम्बन्धी
(Administrative)

सामान्य
(General)

संसदीय कानून
(Statutes)

अध्यादेश (राज्याना)
(Ordinances)

राज्य की रक्षा करना उसका मुख्य ध्येय नहीं है। सावजनिक कानून राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति सावजनिक विधि की अवज्ञा करता है तो राज्य उसको दण्ड देता है”।

सावजनिक कानून को आगे चलकर प्रशासन सम्बन्धी कानून (Administrative law) और सामान्य कानून (General law) में बाँटा जा सकता है। प्रशासकीय नियम, राज्य कर्मचारियों के राज्य के साथ सम्बन्धों को निश्चित करता है। ये वे नियम हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निश्चित करते हैं। यह सावजनिक कानून का वह भाग है जो सगठन का ढङ्ग करता है, और राज्य के प्रबन्ध अधिकारियों की त्राच करना है, और उनके अधिकारों के भंग होने पर अग्रनाये जाने वाले व्यक्तिगत उपायों की ओर निर्देश करता है। प्रशासन सम्बन्धी कानून फ्रांसोसी न्याय व्यवस्था को एक प्रमुख यत्ना रही है। जब कोई राज्य कर्मचारी अपने अधिकारों का उत्पन्न करता है या उसका मनमाना उपयोग करता है, तब उसके विरुद्ध आदेशों की सुनवाई साधारण विधि के अन्तर्गत साधारण न्यायालयों में न होकर प्रशासनिक विधि के अन्तर्गत वहाँ के न्यायालयों में होती है।

सामान्य कानून के अन्तर्गत वे कानून आते हैं जिनका निर्माण नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार तथा उनके और राज्य के मध्य के सम्बन्धों का नियमन करने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार के हैं—संविधि (Statute), अध्यादेश (Ordinances), न्याय (Case law), प्रथागत विधि (Common law), आदि। संसदीय कानूनों का निर्माण राज्य के विधानमण्डल द्वारा व्यवस्थापन की साधारण प्रक्रिया के अनुकूल होता है। अध्यादेश उन कानूनों को कहा जाता है, जिनका निर्माण कार्यकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। यद्यपि ये कानून दीर्घायु नहीं होते, परन्तु इनका मूल्य उतना ही होता है जितना कि विधानमण्डल द्वारा बनाये गये कानून का होता है। प्रथागत कानून (Common law) ये देश में प्रचलित रीति रिवाज और परम्पराओं का ही विकसित रूप होते हैं और न्यायालय इन्हें मायता देकर कानून का रूप प्रदान करते हैं। इंग्लैंड में कानून के विकास में रीति रिवाज ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। इसलिए वहाँ कामन ला कापी प्रचलित है।

(2) संवैधानिक कानून (Constitutional laws)—संवैधानिक कानून द्वारा सरकार का ढाँचा निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विशेषण किया जाता है। संवैधानिक

मूल कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे ऐसी कोई सप्रभु शक्ति नहीं होती जो आदेश दे सक और जिसकी आज्ञा सब शिरोधार्य करते हों। इसके विपरीत ओपिन हेम (Oppenheim), फेनविक (Fenwick), ग्रिशियन (Grotius) आदि इसे पूर्ण रूप से कानून की सत्ता देते हैं। उनका अनुसार—

(i) मनुष्य केवल दण्ड के भय से कानून का पालन नहीं करता अर्थात् शक्ति ही केवल कानून का लक्षण नहीं है।

(ii) जिस प्रकार कानून की व्याख्या हम समाज के अन्तर्गत मानव आचरणों के नियमों के रूप में व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या नियमों के उस समूह के रूप में करते हैं जिनके द्वारा राष्ट्रों के आचरण का संचालन होता है।

(iii) जिस प्रकार कानून के पीछे जन स्वीकृति होती है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे जन स्वीकृति या राष्ट्रीय स्वीकृति होती है।

(iv) जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून भंग किये जा सकते हैं उसी प्रकार से राष्ट्रीय कानून भी भंग किये जा सकते हैं।

(v) राष्ट्रीय कानून को तोड़ने पर दण्ड मिलता है, उसी प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को भंग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध भी अन्य राष्ट्र कार्यवाही कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय मायालय द्वारा की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे विश्व जनमत अन्तर्राष्ट्रीय नतिकता तथा विश्व शांति की इच्छा तथा उपयोगिता आदि का प्रमुख हाथ होता है।

(1) आदेशात्मक विधि (Imperative Law)--साम्प्रदायिक अनुसारा विधि का तात्पर्य ऐसे नियम से होता है, जो लोग पर किसी ऐसी सत्ता द्वारा लागू किये जाते हैं जिसका लोग आज्ञा पालन करते हैं। अथवा शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आदेशात्मक विधि एक आदेश है या आदेश के रूप में नियम है जो कि किसी श्रेष्ठतम शक्ति (Superior Powers) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है।

आदेशात्मक विधि के निम्नलिखित भेद हैं—

(i) आदेशात्मक विधि राज्य द्वारा लागू की जाती है। इस प्रकार की विधि नागरिक विधि भी कहलाती है।

कानून साधारण कानून से भिन्न होते हैं। सार्वधानिक कानून लिखित अथवा अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। सार्वधानिक कानून ससद जैसी किसी सभा के वाद विवादों का परिणाम भी हो सकते हैं, इतिहास की उपज या विकास द्वारा उत्पन्न अथवा रीति रिवाजों तथा यायाधीशों द्वारा दिये गये निर्णयों का समूह मात्र भी हो सकते हैं।

नागरिक कानून (Municipal law)—सार्वजनिक (Public) और व्यक्तिगत (Private) कानूनों को मिलाने से नागरिक कानून कह जात है। यद्यपि ये राष्ट्रीय कानूनों की ओर निर्देश करत है। नागरिक या राष्ट्रीय विधि के विपरीत दूसरी विधिया भी है जो राज्य के आपसी सम्बन्धों का नियमन करती है। ऐसी विधि को अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता है।

(2) **अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International laws)**—विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करने वाले कानूनों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। लॉरेस ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की है—“वे नियम जो सम्पूर्ण राष्ट्रों के समुदाय के पारस्परिक व्यवहारों में उनके आचरण का निर्धारण करते हैं”।

ओपेनहेम (Oppenheim) के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा इस प्रकार से है—“अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रथाओं और परम्पराओं का वह समूह है जो सम्पूर्ण राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी सम्बन्धों में कानूनी तौर पर बाध्य समझा जाता है”।¹

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून की भाँति बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है और इनके पीछे केवल सबसे बड़ी शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय लोकमत की है। अतः कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को क्या कानून की मंशा दी जा सकती है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। ऑस्टिन वयम हॉलैंड आदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून की मंशा नहीं देते। ऑस्टिन उसे अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता (International morality) कहते हैं। हॉलैंड उसे ‘न्याय शास्त्र का विलोपविन्दू कहकर पुकारते हैं’।² लॉरेस ने भी इस सच्चा कानून नहीं माना है। इसका

1 International Law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized States in their intercourse with each other

2 International Law is the vanishing point of jurisprudence

(peacefully), (iv) एक निरन्तर चलने वाली परम्परा, (v) स्मृति के परे (since immemorial antiquity), (vi) अधिकार स्वरूप (as of right), (vii) सविधि की संगति में (In conformity with Statute Law) । इस ग्रथ में परम्परागत विधि नागरिक विधि का हिस्सा नहीं है । सामान्य ग्रथ में नागरिक विधि अलग किस्म का कानून है । उपरोक्त बातें नागरिक विधि के स्रोत हैं । सामण्ड ने कहा है कि परम्परागत विधि नागरिक विधि का अंग नहीं है बल्कि सामान्यतया यह एक भिन्न विधि है ।

(6) व्यवहारिक या तकनीकी विधि (Practical or Technical Law)—इसके अन्तर्गत वे नियम आते हैं जो किसी निश्चित ध्येय का प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिये का ज्ञान कराते हैं । इस प्रकार के नियमों में स्वास्थ्य, संगीत शैली, शिल्पकला तथा अन्य प्रकार की कला एवं व्यवसाय सम्बन्धी नियम होते हैं ।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में वे सिद्धान्त सम्मिलित किये जाते हैं जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं । ओपेनहीम (Oppenheim) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन परम्परागत तथा सप्रतिज्ञात्मक नियमों के समूह का नाम है जिसे सभ्य राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहार को चलाने के लिए वैधानिक रूप से मानने को बाध्य होते हैं । जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि नतिक्रम विधि या परम्परागत विधि या सप्रतिज्ञात्मक विधि का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में योगदान है उसी तरह आदेशात्मक विधि के योगदान का भी दावा किया जाता है लेकिन पूरा रूप से इनमें से किसी भी एक विधि का योगदान अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि दो भागों में विभाजित की जा सकती है—

- (1) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Public International Law)
- (ii) वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Private International Law)

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि सब जगह चलती है और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि कुछ राज्यों और कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में ही लागू होती है । इसलिए वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थान स्थान पर भिन्नता पाए जाती है ।

(8) नागरिक विधि (Civil Law)—सामण्ड के अनुसार नागरिक विधि राज्यों की विधि है या किसी देश की विधि है या वकीलों एवं अदालतों की

प्राकृतिक विधि यूनानी दयान से उत्पन्न हुई है। रोमवासियों ने प्राकृतिक विधि को *Jus Naturale* कहा है। इस विधि के धार भी नाम है—

(i) ऋषी विधि (*Jus divinum*)— इस मनुष्य पर लागू किया जाने वाला ईश्वर का आदेश कहा गया है,

(ii) तर्क की विधि (*Law of Reason*)— यहाँ पर तर्क से तात्पर्य है जो विश्व को नियंत्रित करता है,

(iii) अलिखित विधि (*Jus nonscriptum*)— यह विधि न तो किसी धातु की चट्टानों पर लिखी गई है और न पत्थर के स्तम्भों पर बरसू यह मनुष्य के हृदय पर प्रकृति की ऊगलियाँ द्वारा लिखी गई है

(iv) इस मनुष्य भौतिक विधि या कामन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि यह विधि सभी जगह एक जसी है

(v) इम शाश्वत विधि (*Eternal Law or Lex aeterna*) भी कहते हैं क्योंकि जब से ससार की रचना हुई है तब से आज तक इसका रूप नहीं बदला है,

(vi) नैतिक विधि (*Moral Law*) चरित्र सम्बंधी सिद्धान्तों को कायम करती है।

(4) सप्रतिज्ञात्मक विधि (*Conventional Law*)— सप्रतिज्ञात्मक विधि का तात्पर्य उन नियमों की प्रणाली से होता है जो लागू द्वारा आपस में एक दूसरे द्वारा एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को चलाने के लिए स्वीकार की जाती है। यह विधि राष्ट्रों के बीच या व्यक्तियों के बीच किये जाने वाले समझौते पर आधारित होती है।

(5) परम्परागत विधि (*Customary Law*)— सामुहिक (Salmond) के विचार से परम्परागत विधि का तात्पर्य उन नियमों से होता है जिन्हें लोग वास्तव में अमल में लाते हैं। ये मनुष्य के स्वेच्छिक कार्यों की वास्तविक एकरूपता को प्रकट करते हैं। ऐसे नियम राज्य द्वारा मनुष्य पर लागू नहीं किये जाते बल्कि अपनी स्वच्छा से ही इन नियमों की स्वीकार करता है। इस प्रकार की विधियाँ मनुष्य के व्यवहार एवं निष्पत्ता सम्बंधी नियमों से अलग हैं। परम्परागत विधि में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना आवश्यक है—

(i) तर्क पूर्ण (*Reasonable*) (ii) पीढ़ी दर पीढ़ी से अमल में लाया जाने वाला (*Unambiguous usage*), (iii) शांति रूप से

(peacefully), (iv) एक निरन्तर चलने वाली परम्परा, (v) स्मृति के परे (since immemorial antiquity), (vi) अधिकार स्वरूप (as of right), (vii) सविधि की सगति म (In conformity with Statute Law)। इस ग्रथ म परम्परागत विधि अलग किस्म का कानून है। उपरोक्त बातें सामान्य ग्रथ म नागरिक विधि अलग किस्म का कानून है। उपरोक्त बातें नागरिक विधि के स्रोत हैं। सामण्ड ने कहा है कि परम्परागत विधि नागरिक विधि का ग्रथ नहीं है बल्कि सामान्यतया यह एक भिन्न विधि है।

(6) **ध्यवहारिक या तकनीकी विधि (Practical or Technical Law)**—इसके अन्तगत व नियम आते हैं जो किसी निश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिये का ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार क नियमों मे स्वास्थ्य, संगीत शैली, शिल्पकला तथा ग्रथ प्रकार की कला एव व्य-वसाय सम्बन्धी नियम होत है।

(7) **अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law)**—अन्तर्राष्ट्रीय विधि म वे सिद्धान्त सम्मिलित किये जाते हैं जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। ओपेनहीम (Oppenheim) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन परम्परागत तथा सप्रतिपात्मक नियमों के समूह का नाम है जिनके सम्म राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहार को चलाने के लिए वधानिक रूप से मानने को बाध्य होते हैं। जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि, नतिक विधि या परम्परागत विधि या सप्रतिपात्मक विधि का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण म योगदान है उसी तरह आदेशात्मक विधि के योगदान का भी दावा किया जाता है लेकिन पूर्ण रूप से इनमें से किसी भी एक विधि का योगदान अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण म नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि दो भागों म विभाजित की जा सकती है—

- (i) सावजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Public International Law)
- (ii) वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Private International Law)

सावजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि सब जगह चलती है और व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि कुछ राज्यों और कुछ राजनीतिक शक्तों म ही लागू होती है। इनमें वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थान स्थान पर भिन्नता पायी जाती है।

(8) **नागरिक विधि (Civil Law)**—सामण्ड के अनुसार नागरिक विधि राज्यों की विधि है या किसी देश की विधि है या दलीला एव प्रामाण्यता की

विधि है। सामण्ड पुन कहते हैं कि विधि का निर्माण नागरिक विधि से ही हुआ है।

नागरिक विधि अथ विधिशास्त्र में अवश्य ही भिन्न हैं। इसको विशेष विधि (special law) भी कहते हैं। यह विशेष विधि विशेष परिस्थितियों में लागू होती है। विशेष विधि का सहारा लेकर ही अदालतों में नागरिक विधि लागू होती है। नागरिक विधि ही विधिशास्त्र की अध्ययन सामग्री है, लेकिन सामण्ड व अनुसार विशेष विधि ऐसे नियमों द्वारा बनी होती है कि वह सामान्य विधि के क्षेत्र से बिल्कुल ही परे मान्य होना है। मुस्पट विधि स्थानीय विधि (Municipal Law) एवं राष्ट्रीय विधि (National Law) का सम्बन्ध नागरिक विधि से होता है।

इस प्रकार सामण्ड ने उपरोक्त विधि के भेद स्पष्ट किये हैं। सामण्ड के अनुसार सभी भेदों में परस्पर सम्बन्ध होता है और विधि किसी भी भाग में आ सकती है।

विधि के स्रोत (Sources of Law)—

आधुनिक समाज में प्रत्येक कार्य मुख्य रूप से विधि द्वारा संचालित होता है। विधि को राज्य, न्यायालय तथा स्वयत्त शासन की विभिन्न संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। इतना ही नहीं विधि कई प्रकार की होती है। एक विधि तो व्यवस्थापिका द्वारा पारित होती है, दूसरी न्यायालयों के निर्णयों से पतनती है, तीसरी समाज में प्रचलित स्रोतों से व्यक्त होती है और चौथी मनुष्य की अपनी तार्किक शक्ति पर आधारित रहती है। इस प्रकार विधि के विभिन्न स्रोत होते हैं।

विधि के स्रोत का अर्थ (Meaning of the Sources of Law)—

विचारकों ने विधि के स्रोत के विषय में भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। यदि कोई इसका तात्पर्य उन संस्थाओं (Authorities) से लगाता है जिनसे विधि की उत्पत्ति हुई है तो दूसरा इसका अर्थ उन कारणों से लगाता है जिनके कारण विधि का निर्माण किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ लोग इसका तात्पर्य विधि के विभिन्न रूप समझते हैं तो दूसरे विधि को लागू करने वाली विभिन्न संस्थाओं का। यदि बिनोब्रेडाफ विधि के स्रोत का अर्थ विधि के विकास की प्रिया मानते हैं तो ओपनहीम इसे ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं। हिंदू शास्त्र के विद्वान् इसका तात्पर्य विधि ज्ञान के स्रोत से लेते हैं।

ऑस्टिन के विचार से विधि राज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रबान की आज्ञा होती है। एलेन, ऑस्टिन के इन विचार से अपनी असहमति दिखाते हुए कहते हैं कि परम्परागत विधिया यद्यपि प्रबान की आज्ञा नहीं होती, फिर भी पूर्णरूप से विधियाँ ही होती हैं। उनके विचार से कामन विधि परम्परागत विधि, यायिक निष्पत्ति की विधि समान मात्रा में भी विधियाँ ही हैं।

ऑस्टिन के अनुसार विधि के स्रोत

(Sources of Law according to Austin)—

ऑस्टिन न विधि के स्रोत के तीन ग्रथ लगाए हैं—

(1) प्रत्यक्ष निर्माता (Direct or Immediate Author)—इस दृष्टि से विधि का स्रोत व व्यक्ति हात हैं जिनसे विधि निकलती है। इस प्रकार की विधि चार प्रकार के स्रोतों से निकलती है—

- (i) व्यवस्थापिका या यायपालिका के रूप में कार्य करने वाले प्रधान से।
- (ii) व्यवस्थापिका या यायपालिका के रूप में कार्य करने वाले राजनीतिक अधीनस्थ से।
- (iii) उन व्यक्तियों से जिनके व्यवहार से प्रथाएँ बनती हैं।
- (iv) समझौता द्वारा एक दूसरे के प्रति काम करने की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्तियों से।

ऑस्टिन के अनुसार, इस रूप में विधि, निर्माता से ही निकलती है। ये समस्त विधियाँ राज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रबान से निकलती हैं। परन्तु उपर्युक्त चार प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसी प्रधान से विधि-सर्जन का अधिकार प्राप्त करते हैं। अतएव ये व्यक्ति विधि के निमाण के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ऑस्टिन इन अधीनस्थ व्यक्तियों को आलंकारिक रूप में विधि का स्रोत मानते हैं। वह इन लोगों की तुलना पानी को सुरक्षित रखने वाले तालाबों से करते हैं जो अपना जल तो किसी प्रमुख जल स्रोत से प्राप्त करते हैं परन्तु निकालते हैं अपने कोष से।

(2) ऐतिहासिक साक्ष्य (Historical Documents) इस दृष्टि से विधि के स्रोत व ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं, जिनमें विधि निकलती है। इस प्रकार के साक्ष्यों में जस्टीनियम का रामन विधि का संग्रह तथा ब्रैक्टन (Bracton), कोक (Coke) एवं लिटिल्टन (Littleton) के लेख इत्यादि

घाते हैं जिनसे इंग्लैंड की विधि विकसित हुई है। सामण्ड इस प्रकार के स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं।

(3) कारण (Causes) इस दृष्टि से विधि का स्रोत कुछ ऐसे होते हैं जिनसे विधि निकलती है। ये कारण विधान, निरणय, प्रथाएँ, धर्म तथा समयानुसार आदि हो सकते हैं।

हालण्ड के अनुसार विधि के स्रोत (Sources of Law according to Holland)

हालण्ड के विचार से विधि के चार स्रोत होते हैं

(1) इसका तात्पर्य उन क्षेत्रों से होता है जिनसे हम अपने विधि-सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करते हैं जैसे विधि की पुस्तकें, व्याख्याएँ तथा आलोचनाएँ आदि।

(2) इसका तात्पर्य उन सत्ताओं से भी होता है जो विधि का शक्ति प्रदान करती हैं, जैसे राज्य इत्यादि।

(3) इसका तात्पर्य उन कारणों से भी होता है जिनके कारण विधि का निर्माण किया गया है, जैसे प्रथाएँ, धर्म आदि।

(4) इसका तात्पर्य उन सभ्यताओं से भी होता है जिनके द्वारा या तो राज्य स्वयं पहले से ही प्रचलित अधिकांश नियमों को मान्यता प्रदान करता है या नई विधि का निर्माण करता है जैसे निरणय, समयानुसार तथा विधान इत्यादि।

सामण्ड के विचार से विधि के स्रोत (Sources of Law according to Salmond)

सामण्ड के विचार से विधि के दो स्रोत हैं—

- (1) औपचारिक स्रोत (Formal Sources)
- (2) भौतिक स्रोत (Material Sources)

(1) औपचारिक स्रोत (Formal Sources)—ये वे स्रोत होते हैं जिनसे विधि अपनी शक्ति या बंधनिकता प्राप्त करती है। इसका तात्पर्य राज्य की इच्छा या शक्ति से होता है जो राज्य के न्यायनियों द्वारा शक्ति होती है। राज्य की इच्छा तथा शक्ति के अनुसार न्यायालय जिस विधि को लागू करते हैं वे विधियाँ ही वास्तविक विधि होती हैं। सामण्ड यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि किसी नियम को विधि होने के लिये यह आवश्यक है कि पहले नियम न्यायनियों द्वारा स्वीकार किया जाय। परन्तु अन्य लक्षकों ने सामण्ड के इस विचार की

विधि की अवधारणा]

411
1983

आलोचना करते हुए कहा है कि यदि कोई नियम सदन द्वारा विधि बना दिया जाता है तो उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया जाय। यहाँ पर ऐसा आभास होता है कि सामण्ड ने विधि के स्रोतों का अर्थ विधि की अनुशास्ति (Sanction) से लगाया है।

(2) भौतिक स्रोत (Material Sources)—इस प्रकार के स्रोतों से विधि केवल अपनी बधानिकता ही नहीं प्राप्त करती बल्कि उन पदार्थों को भी प्राप्त करती है जिनसे इसका निर्माण होता है। इस प्रकार के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—ऐतिहासिक स्रोत तथा बधानिक स्रोत।

(i) ऐतिहासिक स्रोत (Historical Sources)—ऐतिहासिक स्रोतों के पीछे कोई बधानिक मायता नहीं होती। इस प्रकार के स्रोत अप्रत्यक्ष रूप से विधि के स्रोत के रूप में काम करते हैं। न्यायालय द्वारा दिये गए नियम इसी प्रकार के स्रोत होते हैं। उनमें विधि के लेखकों के ग्रन्थ भी सम्मिलित होते हैं। ये स्रोत बधानिक विकास को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार विधि निर्माण के लिए सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ये स्रोत बधानिक स्रोतों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं।

(ii) बधानिक स्रोत (Legal Sources)—यह स्रोत राज्य की सत्ता से निस्सृत होते हैं और इनको न्यायालय द्वारा मायता भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार के स्रोतों के बारे में सामण्ड लिखते हैं कि बधानिक स्रोत ही ऐसे स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से नये सिद्धान्त प्रवेश करके विधि का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इनमें चार प्रकार के स्रोत सम्मिलित हैं—

(i) विधान (Legislation)—इस प्रकार की विधियाँ राजनीतिक समाज की उस सत्ता-सम्पन्न शक्ति द्वारा घोषित की जाती हैं, जिसे न्यायालय विधि का स्रोत मानते हैं।

(ii) पूर्वोक्तियाँ (Precedents)—ये विधियाँ न्यायालय द्वारा निष्पन्न दैते समय स्वीकार की जाती हैं।

(iii) परम्परागत विधियाँ (Customary Law)—इस प्रकार की विधियाँ उन प्रथाओं से उत्पन्न होती हैं जो कि विधि व्यवहार के नियम के रूप में स्वीकार की जाती हैं।

(iv) सप्रतिज्ञात्मक विधि (Conventional Law)—इस प्रकार की विधियाँ लोगों द्वारा आपस में किये गये समझौते से निकलती हैं।

9040

इस प्रकार सामण्ड के विचार से उपर्युक्त चार प्रकार की विधियाँ ही विधि का प्रमुख स्रोत होती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की विधियाँ विधि का स्रोत तो प्रवक्ष्य होती हैं परन्तु वे न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त करती। अतएव उन्हें विधि के स्रोत के रूप में नहीं लिया जा सकता।

कीटन के अनुसार विधि के स्रोत

(Sources of law according to Keeton)

कीटन पहले तो सामण्ड के विभाजन की आलोचना करते हैं और तदुपरान्त अपने विचार से विधि का विभाजन करते हैं। उनका कहना है कि सामण्ड का वह विभाजन कि विधि के स्रोत औपचारिक ही होते हैं, पूर्णतया गलत है। कीटन के मतानुसार आधुनिक समुदायों में विधि का औपचारिक स्रोत केवल राज्य होता है। राज्य ही केवल विधि का नाम करता है विधि का वास्तविक स्रोत नहीं होता। इसके अतिरिक्त सामण्ड 'विधि के माहिल्यिक स्रोत' की भी आलोचना करते हुए कीटन ने बतलाया है कि वे स्रोत वास्तव में विधि का ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। वे न तो विधि को जन्म देते हैं और न विधि इनसे प्रारम्भ ही होती है। कीटन के अनुसार विधि के निम्नलिखित स्रोत हैं—

(1) बन्धनकारी स्रोत (Binding Sources)—इस प्रकार के स्रोत न्यायाधीशों को अपनी स्वेच्छाचारिता का प्रयोग करने से रोक देते हैं। इनकी सख्ता तो बहुत निश्चित होती है परन्तु फिर भी वे बन्धन-सदृश एवं निश्चित होते हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(i) परम्परागत विधियाँ (Customary Law)

(ii) विधान (Legislation)

(iii) न्यायिक पूर्वोक्तियाँ (Judicial precedents)

(2) प्रभावकारी स्रोत (Persuasive Sources)—इस प्रकार के स्रोत नतिकता तथा परिस्थितियों की विलक्षणता पर आधारित होते हैं। न्यायालय ऐसे स्रोतों का उसी समय मान्यता प्रदान करते हैं वह उनके विरोध में कोई बन्धनकारी स्रोत उपलब्ध नहीं होता इस प्रकार के स्रोतों में वे स्रोत भी सम्मिलित होते हैं जिनमें बन्धनकारी स्रोतों के निर्माण के लिये पृष्ठभूमि तैयार की है। इनमें प्रमुख रूप से दो प्रकार के स्रोत होते हैं—

(i) नतिकता या समन्वय सम्बन्धी सिद्धांत।

(ii) व्यावसायिक अभिप्रेतियाँ (Professional opinions)

विधि के अन्य स्रोत (Other Sources of Law)

उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त विधि के कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं। ऐतिहासिक विधिशास्त्रियों के अनुसार इन स्रोतों में प्रमुख समाज में प्रचलित प्रथाएँ होती हैं। इन प्रथाओं से ही विधि के विभिन्न स्रोतों की उत्पत्ति होती है। इनका कहना है कि प्राधुनिक समाज में प्राप्त समस्त विधान उही परम्परागत सिद्धान्तों से निकले हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रियों का भी कहना है कि आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक तत्वों के प्रभाव से ही विधि की उत्पत्ति होती है। अतएव ये विभिन्न तत्व ही विधि के प्रमुख स्रोत होते हैं। अर्थशास्त्री विधिशास्त्रियों का कहना है कि विधि का स्रोत मनुष्य की तार्किक वृद्धि होती है। कुछ लोग इसे ईश्वर की कृति भी मानते हैं, परन्तु ये सब विचार अब बहुत ही प्रादिकालीन विचार माने जाते हैं, और विधि का स्रोत किसी एक वस्तु को न मानकर विभिन्न वस्तुओं को माना जाता है।

प्रथाएँ विधि के स्रोतों के रूप में

(Customs as a source of law)

“प्रचलन और लोकरीतियों के रूप में नियमों का विकास निश्चये विधि के निर्माण की सबसे प्राचीन प्रणाली रही है। यह नैतिकता और विधि के बीच सम्बन्ध है। नैतिकता तथा उसका पालन करवाने वाली राजकीय संगठन की शक्ति से प्रथागत विधि का निर्माण होता है।¹ वर्तमान समाज में प्रथाएँ विधि के अनेक कार्यों को करती हैं। समाज के प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में विधि का निर्माण सम्भव नहीं है। अतः विधि के अनेक कार्यों को प्रथा द्वारा किया जाता है। प्रथाओं को भी विधि की भाँति मान्यता प्राप्त रहती है। इससे अनेक विधियाँ भी प्रथाओं पर आधारित होती हैं, जिन्हें प्रथागत विधि कहा जाता है।

1 Holland Usage, or rather the spontaneous evolution by the popular mind of rules the existence and the general acceptance of which is proved by their customary observance is no doubt the oldest form of law making. It marks the transition between morality and law. Morality plus a state organization enforcing part of it is customary law.”

रीतिरिवाज कानून का प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति-रिवाजों का निर्माण नहीं होता, बल्कि उनका धीरे-धीरे विकास होता है। ये समाज के वे प्रचलित नियम होते हैं, जिन्हें समाज के सभी लोग लम्बे समय से मानते चले आ रहे हैं। इन रीतिरिवाजों के पीछे सामाजिक संगठन का नियन्त्रण तथा समाज का नैतिक बल रहता है। जब ये समाज में अधिक प्रचलित हो जाते हैं, तब राज्य द्वारा उन्हें कानून का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार समाज के प्रचलित रीतिरिवाज कानून का रूप धारण कर लेते हैं, और उन्हें प्रयागत कानून कहा जान लगता है। इंग्लैंड जन्म प्रगतिशील राष्ट्र में तो संविधान का आधार ही रीतिरिवाज है। रोम में ट्वेल्फ टबुल्स (Twelve Tables) और भारत में वेदों को कानूनों का प्रथम स्रोत माना जाता है। मनु के अनुसार—“श्रुति, स्मृति और सदाचार के साथ साथ आत्म प्रेरणा या आत्मतुष्टि भी कानून का स्रोत है।” राज्य की वैधानिक व्यवस्था में रीतिरिवाजों का महत्व स्पष्ट करते हुए महाश्वर ने लिखा है कि, कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य के बल कुछ ही नये वाक्य लिखता है और वही-वही एकाध पुराने वाक्य काट देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भागों की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं रहा है, फिर भी राज्य स्वयं इस सम्पूर्ण ग्रंथ से मर्यादित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून का बहुत सा भाग प्रथाओं और परम्पराओं के आधार पर निर्मित हो गया है। अतः परम्पराएँ ही कानून के स्रोतों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

यदि अस्टिन प्रथा को विधि का स्रोत न मानकर केवल विधि निर्माण का कारण मानते हैं, तो एलेन इसे विधि का प्रमुख स्रोत ही मानते हैं। इसी प्रकार के मतभेदों के कारण इस विषय से सम्बंधित तीन सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं—

(1) कुछ लोगों के विचार से प्रथा विधि का प्रमुख स्रोत होती है।

(2) अन्य लोगों के विचार से प्रथा न्यायालयों द्वारा कानून की जान वाली समस्त विधियों का—जैसे विधान, न्यायिक पूर्वोक्तियाँ तथा प्रयागत विधि का स्रोत है, क्योंकि सारी विधियाँ सावजनिक चेतना तथा विश्वास से निकलती हैं और प्रथा पूर्णतया उसी पर आधारित होती है।

(3) कुछ अन्य लोगों के विचार से प्रथा विधि की स्रोत नहीं होती। यह कानून विधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन या विधि के अस्तित्व को प्रयोजित करने के लिए साध्य ही होता है। यह विचार जर्मनी में प्रचलित है।

प्रयागत विधि की मान्यता के कारण

(Reasons for the reception of customary)

प्रयागत विधि को मानने के निम्न कारण हैं—

(1) प्रया राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करने वाले सिद्धान्तों का साकार रूप होती है। अतएव यह सावजनिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। सार्वजनिक चेतना याय तथा उपयोगिता के सिद्धान्त पर आधारित होती है। इसको व्यक्त करने वाली प्रया भी याय, उपयोगिता तथा श्रौचित्य को ही परिलक्षित करती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय भी याय, श्रौचित्य तथा उपयोगिता सम्बन्धी सावजनिक विचारों को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं अतएव वे प्रया का पालन करना आवश्यक समझते हैं। सामण्ड इसी कारण कहते हैं कि जो महत्व विधि का राज्य के लिये है, वही प्रया का समाज के लिए। दोनों श्रौचित्य तथा याय को ही व्यक्त करते हैं। जब राज्य न्याय की स्थापना करना चाहता है तो वह समाज में प्रचलित श्रौचित्य सम्बन्धी नियमों का ही जो प्रया का आधार है, सत्य एवं वैधानिक मानकर लागू करता है।

(ii) प्रया को न्यायालय इस कारण भी मान्यता प्रदान करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह भविष्य में भी बनी रहगी। सामण्ड के विचार से प्रया चाहे आन्तरिक यायसंगत तथा तत्संगत न भी हो, या चाहे यह प्रमाणित किया जा सके कि इसे स्थापित करने में राष्ट्रीय चेतना न गलती की है, या चाहे न्यायालय उस प्रया की अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों को भी प्रतिपादित कर सकें, फिर भी न्यायालय के लिए यही उचित है कि वे इसे स्वीकार करें और इस प्रकार निरंतर चली आने वाली परम्परा पर अपनी आशयों आधारित रखने वाले व्यक्तियों को निराश न करें।

(iii) प्रया को इस कारण भी माना जाता है क्योंकि यह समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में पालन की जाती है। जैसे विनिमय पत्रों (Bills of Exchange) पर लोग तीन दिनों की छूट (Grace) देते हैं, अतएव यह प्रया अब विधि सी बन गई है।

(iv) प्रया का आधारभूत यह सिद्धान्त होता है कि लोग पहले ही प्रचलित प्रया को उचित समझते हैं। यह धारणा इतनी गहरी बन जाती है कि लोग किसी विरोधी विधान के अभाव से हानिकर प्रया का भी मानते रहते हैं।

(v) प्रथा इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह बहुत दिनों से समाज में प्रचलित रहती है। लागू की यह धारणा बन जाती है कि जो कुछ बहुत दिनों से होता चला आ रहा है वह विधि ही है और संकटों वपों से मानी जान बली प्रथा का उल्लंघन विधि का उल्लंघन है। इस आधार पर भी प्रथा का मायता प्राप्त होती है।

धर्म विधि के स्रोत के रूप में

(Religion as a source of Law)

कानून के विकास में धर्म का स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। धर्म ने प्रत्यक्ष रूप से भी कानून को जन्म दिया है। प्राचीन समय में ईश्वर को ही समस्त सत्ता और कानून का उद्गम माना जाता था। प्राचीन समाज में धर्म तथा कानून इतने घुले मिले थे कि जीवन के सभी नियमों के पीछे धार्मिक मान्यता का बल पाया जाता था। विल्सन के अनुसार—'रोम की प्रारम्भिक विधि शास्त्रगत धार्मिक नियमों के समूह अथवा धार्मिक सिद्धान्तों के उचित पालन द्वारा धार्मिक अधिकार प्राप्त करने की साधना की व्यवस्था के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं थी।' आज भी हिन्दुओं की विधि मनु की व्यवस्था के आधार पर तथा इस्लामी विधि शरीयत के आधार पर टिकी हुई है। गिलशाइस्ट ने लिखा है कि 'विधि की प्रवृत्ति पश्चिम में राजनीतिक रूप धारण करने की ओर पूर्व में धार्मिक रूप ग्रहण करने की रही है।'

न्यायिक पूर्वोक्तियाँ (Judicial Precedents)—न्यायिक पूर्वोक्तियाँ भी विधि के स्रोत की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रायः विभिन्न देशों के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों द्वारा विभिन्न नियमों का विवेचन तथा प्रतिस्थापन किया जाता है। यह विवेचन तथा प्रतिस्थापन, उन न्यायालयों द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले निणयों तथा अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले निणयों के लिए बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। ये नियम धीरे-धीरे न्यायिक पूर्वोक्तियों का रूप धारण कर लेते हैं और न्यायालयों के लिए विधानों की भाँति ही माय होत हैं।

आज भी न्यायिक निणय कानून के विकास में पर्याप्त-सहायक होते हैं। न्यायाधीश विधि की व्याख्या करते समय जान अनजान में नये कानून के निर्माण का कार्य करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपनी व्याख्या की शक्ति द्वारा संविधान में पर्याप्त परिवर्तन कर दिये हैं। जस्टिस

होलमस (Holmes) के अनुसार, "न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है।" अलिखित सविधानों में तो न्यायिक नियम ही कानून के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। न्यायालयों की व्याख्याएँ (Inter-pretations) एवं उसकी व्यवस्थाएँ (Ruling) अधिकारपूर्ण मानी जाती हैं। उनका प्रयोग कानून की ही तरह होता है। न्यायाधीशों द्वारा बनाए गये कानूनों को Case Law अथवा Judicial Precedents के नाम से पुकारते हैं।

न्यायिक पूर्वोक्तियों का अर्थ (Meaning of Judicial Precedents)—पूर्वोक्ति का अभिप्राय एक काल तथा कथन से है, जिसके द्वारा वाद में दिया जाना वाला व्यवहार निर्धारित होता है। अतः न्यायिक पूर्वोक्तियों का अभिप्राय न्यायालयों द्वारा दिए गए उन नियमों से है जो कि एक ही प्रकार की घटनाओं में तदनुकूल नियम देने के लिए बंधनकारी प्रभाव रखती हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विधिशास्त्रियों का विवेचन उल्लेखनीय है—

(1) सामण्ड (Salmond)—के विचार से "न्यायिक पूर्वोक्ति न्यायालय का नियम होती है जिसमें एक सिद्धांत निहित होता है। नियम में इस प्रकार निहित होने वाला सिद्धान्त, जो कि नियम का बंधनकारी तत्त्व होता है, नियमाधार (Ratio decidendi) कहलाता है। नियम दोनों दलों के बीच बंधनकारी प्रभाव रखता है, परन्तु इस नियम का नियमाधार (Ratio decidendi) स्वतः समस्त मसालों के लिए विधि की शक्ति रखता है।" ¹ इस प्रकार न्यायिक पूर्वोक्तियाँ न्यायालयों द्वारा निर्धारित वे सिद्धांत होती हैं जो वाद में अन्य अभियोगों में लागू होती हैं। न्यायिक नियम केवल उसी समय पूर्वोक्ति का महत्त्व रखते हैं जब वे किसी नये नियम का निर्माण करते हैं अन्यथा वे दो दलों के बीच लागू होने वाले नियम ही रहते हैं। इस प्रकार निर्मित नियमों को वेथम 'न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम' (Judge made Law) कहते हैं, परन्तु वेथम के इस विचार की लोगों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि वेथम का

1 "A precedent is a judicial decision which contains in itself a principle. The underlying principle which thus forms its authoritative elements is often termed the ratio decidendi. The concrete decision is binding between the parties to it, but it is the abstract ratio decidendi which alone has the force of law as regards the words at large."

यह शब्द विधि का निर्माण करने वाले व्यक्ति पर विधि निर्माण की प्रणाली को स्पष्टाकृत अधिक जोर देता है। इसके प्रतिरिक्त यह राज्या के उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों में विधानों को भी जोड़ देता है। मार्टिन इस प्रकार नियमों के लिए "व्यवस्थापिका के नियम" (Judiciary Law) का प्रयोग करते हैं।

(2) कीटन (Keeton)—कीटन (Keeton) का कहना है कि "न्यायिक पूर्वोक्तियाँ न्यायालय द्वारा दिये गये निष्पत्तियाँ हैं जिनके साथ कुछ बहुत सत्ता जोड़ दी जाती है।"¹ ऐसा प्रमुख रूप से इस कारण होता है क्योंकि न्यायाधीशों को राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों में ऊँचा स्थान प्राप्त होता है और अतः इस कारण ही न्यायाधीश विवादों का निपटारा करते हैं।

गटेल के अनुसार, "राज्य की प्रावश्यकता विधि निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि रीतिरिवाजों की ध्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वाले के रूप में हुई।"² मिलक्राइस्ट के अनुसार—"प्रसक्त नज़र (Judicial Precedent) पहले मौखिक होते थे, फिर वे परम्परा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने लगे और अंत में उन्हें लिखा जाना शुरू हो गया।"

न्यायिक पूर्वोक्तियाँ विधि के स्रोत के रूप में

(Judicial Precedents as a Source of Law)

विधि समुदाय की सामान्य चेतना का स्थूल रूप होती है। समुदाय अपनी सामान्य चेतना को अपने न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निष्पत्तियों में व्यक्त करता है। इन न्यायाधीशों द्वारा दिये गये निष्पत्तियों विवादों को निपटारने के साथ ही साथ कुछ सामान्य सिद्धांतों को भी परिलक्षित करता है। ये परिलक्षित सिद्धांत न्यायालयों के लिए विधि का कार्य करते हैं। न्यायालयों की इस प्रथा को न्यायिक पूर्वोक्ति (Judicial precedent) कहते हैं। न्यायालय के निष्पत्तियों विधान के स्रोत होते हैं या नहीं, इस विषय में प्रमुख रूप से दो सिद्धांत प्रचलित हैं—

1 "A judicial precedent is a judicial decision to which authority in some measure has been attracted" —Keeton

2 The State arose not as the creator of law but as the interpreter or enforcer of customs —Gettle

(1) पहले सिद्धांत के प्रतिपादको का कहना है कि न्यायालय के नियम उन अभावों की पूर्ति करते हैं जो विधानों एवं विधि संहिताओं की धाराओं के बीच झूट जाते हैं।

(2) दूसरे सिद्धांत के समर्थका का कहना है कि जब विधान विधि के समस्त क्षेत्र को सम्मिलित नहीं कर पाते तो इस आवश्यकता की पूर्ति न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक पूर्वोक्तियाँ करती हैं।

इन दोनों सिद्धांतों में भेद यह है कि पहला सिद्धांत न्यायिक पूर्वोक्तियों को विधानों का पूरक मानता है, और दूसरा सिद्धांत उन्हें विधानों का सहचर मानता है।

न्यायिक पूर्वोक्तियाँ आज से ही नहीं, बल्कि धार्मिककाल से ही विधि की प्रमुख स्रोत रही हैं। बेबीलोन में हम्मूराबी के शासन काल के पूर्व ही न्यायिक नियमों को भविष्य के नियमों के लिए विधान का महत्व प्रदान किया जाता था। इसी प्रकार चीन में भी न्यायिक नियमों को वैधानिक महत्व प्रदान किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में तो न्यायिक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंग्लैंड तथा अमरीका में न्यायिक नियमों को पूरकतया विधि का ही स्थान प्राप्त है। सामण्ड कहते हैं कि इंग्लैंड की कामन विधि का निर्माण न्यायाधीशों के नियमों से हुआ है।

न्यायिक निर्णयों की प्रणालियाँ (Methods of Judicial Decisions)—एलेन के अनुसार नियम देने के लिए न्यायालय निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक विधि को अपना सकते हैं—

(1) **आगमन विधि (Deductive Method)**—इस विधि के अनुसार न्यायालय विशिष्ट अभियोगों पर सामान्य सिद्धांतों को लागू करके नियम देते हैं। इसको सिद्धान्तों के अनुसार नियम (*Justice according to law*) कहा जा सकता है। इसमें न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत इच्छा का प्रयोग नहीं करते। इस विधि को ज्यामितीय विधि (*Geometrical Method*) भी कहा जाता है।

(2) **निगमन विधि (Inductive Method)**—इस विधि के अनुसार न्यायाधीश विशिष्ट तथ्यों का विश्लेषण करके कुछ ऐसे सामान्य नियमों को निकालते हैं जिनके आधार पर भविष्य में अन्य अभियोगों पर नियम दिया

जा सकता है। इस प्रकार की विधि म विशिष्ट से सामान्य को प्राप्त किया जाता है।

न्यायिक पूर्वोक्ति का महत्त्व (Importance of Judicial Precedents)—न्यायिक पूर्वोक्ति का महत्त्व प्रत्येक देश म धलन धलन होता है। इङ्गलैण्ड मे प्रत्येक छोटा न्यायालय अपने उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है। पहला न्यायालय (Court of Appeal) के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है, और (Court of Appeal House of Lords) के निर्णय को मानने के लिये बाध्य होता है। इसक प्रतिरिक्त House of Lords तथा Court of Appeal अपना ही निर्णय मानने के लिये बाध्य होते हैं।

इसी प्रकार भारतवर्ष म स्वतन्त्रता के बाद से सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके निर्णय को भारत के अन्य सभी न्यायालय तथा उच्च न्यायालय (High Courts) मानने के लिए बाध्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय इङ्गलैण्ड की Privy Council के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं। यह चाहे तो Privy Council के निर्णयों को अनुचित तक घोषित कर सकता है। भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय उस राज्य के अन्य सभी न्यायालयों पर भी बंधकारी रूप में लागू होते हैं। एक राज्य का उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं, परन्तु यह उसे अनुयात्मकरूप में स्वीकार कर सकता है।

कानूनी टीकाएँ विधि के स्रोत के रूप में

(Commentaries as a source of Law)

1 - (1)

प्रत्येक देश म कानून क प्रसिद्ध ज्ञाता कानून की व्याख्या करते हुए ग्रन्थ की रचना करते हैं, जिन्हें कानूनी टीकाएँ कहा जाता है। न्यायशास्त्रियों और विधि विचारदो की ये टीकाएँ भा कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। न्यायशास्त्री अपने विचार टीकाओं द्वारा प्रकट करते हैं, जब ये विचार स्वीकार कर लिए जाते हैं तब उन्हें निर्णयों के समान मान लिया जाता है। ब्रिटेन म एडवर्ड क्रोक, ब्लेक स्टान, लिटिलटन, (Littleton) केन्ट (Kent) घाटि की सम्मति का बहुत पादर किया जाता है। भारत म भी हिन्दू कानून तथा मुस्लिम कानून से सम्बंधित मिताक्षरा (Mitakshara), दयाभाग (Dayabhaga) तथा फतवा-ए-फजलमगरी (Fatwa-i Alamgiri) आदि इसी प्रकार का पुस्तकें हैं।

साम्यनीति या औचित्य विधि के स्रोत के रूप में
(Equity as a source of Law)

गिलफ्राइस्ट ने साम्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है— साम्य सब के साथ समान व्यवहार और स्वाभाविक निष्पक्षता (equality of treatment and intrinsic fairness) के आधार पर नई विधियों को बनाने और पुरानी विधियों में सशोधन करने का अनौपचारिक तरीका है।" मन के अनुसार— "साम्य वे नियम हैं जिनका अस्तित्व समाज में दीवानी विधि (Civil Law) के साथ साथ रहता है। ये नियम कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित रहते हैं।"

यायाधीशा के समक्ष कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिनके सम्बन्ध में कानून कोई प्रकाश नहीं डालता। ऐसी स्थिति में यायाधीश अपने विवेक (Discretion) न्यायशास्त्र के अनुभव और न्याय को साधारण मायताओं के आधार पर निरणय देते हैं और य निरणय ही औचित्यपूर्ण निरणय कहलाते हैं। इंग्लैंड में तो सविधान और कानून के विकास में औचित्यपूर्ण निरणयों का बहुत अधिक योग रहा है। सर हैनरी मेन ने तो इसके महत्व के विषय में यहाँ तक कहा है कि, "इन सिद्धांतों की उच्चता के कारण जिनके आधार पर इनका निर्माण होता है, कभी कभी तो ये साधारण नागरिक कानून से उच्चतर हो जाते हैं, क्योंकि उनके विवाहों का निरणय इनके द्वारा सहज में हो जाता है जिनका निरणय करने के लिए साधारण कानून अपने को असमर्थ पाते हैं।"

विधायन (व्यवस्थापन) विधि के स्रोत के रूप में
(Legislation as a source of Law)

व्यवस्थापन कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। लाकतात्रिक देग में यह अभिव्यक्ति जनता द्वारा चुनी गई विधायिकाओं द्वारा होती है। गिलफ्राइस्ट का शब्द— "व्यवस्थापन कानून का प्रमुख स्रोत है। प्रथमा और औचित्य का स्थान बहुत कुछ सीमा तक विधायी कानूनों ने ले लिया है। कानून के सहित वृद्ध होने से कानून के स्रोत के रूप में न्यायिक निरणयों का क्षेत्र सीमित हो गया है और कानूनी टीकाओं का उपयोग तो केवल विचार विमर्श के लिए ही किया जाता है।"

वर्तमान विश्व में विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित नियमों को वैधानिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार

विधिया की रचना की जा रही है। अतः इस प्रकार का विधायन भी विधि के स्रोतों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

विधायन की परिभाषा (Definition of Legislation)—
‘विधायन’ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषाओं का उल्लेख आवश्यक है—

(1) **सामण्ड (Salmond)**—सामण्ड के मतानुसार “विधायन विधि का स्रोत होता है जिसके द्वारा सभ्य सत्ता अधिनियमों की घोषणा करती है। यह सिद्धान्तों की ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि इससे उनको विधान की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धान्तों की ऐसी घोषणा होती है जिससे राज्य के भावी न्यायालय उसकी मायता के लिए अधिनियमों का आधार रखते हैं।”¹ सामण्ड की यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है। यह विधान (Legislation) शब्द का स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता। इसमें सक्षम सत्ता का तात्पर्य केवल व्यवस्थापिका ही नहीं, न्यायाधीश भी हो सकता है।

(2) **ग्रे (Gray)**—ग्रे महोदय विधायन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि “यह समाज के व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा होती है।” ग्रे की परिभाषा बहुत कुछ उचित एवं स्पष्ट है, क्योंकि उनको परिभाषा में “औपचारिक घोषणा” तथा “व्यवस्थापकीय अंग” विधायन को विधि के अन्वय स्रोतों से भिन्न प्रमाणित करते हैं।

(3) **हालड (Holland)**—हालड इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि “हमारे न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए सामान्य आदेश भी सरकार द्वारा विधान की भाँति ही सत्य होते हैं।” परन्तु विधायन की परिभाषा इसके सकीर्ण अर्थों में ही की जाती है।

इस प्रकार विधायन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से राज्य की सर्वोच्च शक्ति अपनी इच्छा को विधि का रूप प्रदान करती है। परन्तु विधायन केवल

1 Legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. It is such an enunciation of promulgation of principles as confers upon them the force of law. It is such a declaration of principles as constitute legal ground for their recognition as law for the future by the tribunal of the State. —Salmond

मात्र उन्ही विकसित देशों में प्रमुख रूप से अपनाया जाता है जिसमें विधि प्रथाओं तथा रूढ़ियों का ढेर नहीं होती, बल्कि एक वैधानिक रूप धारण कर लेती है। विधायन अभी कुछ शताब्दियों से ही विकसित हुआ है। विधायन की सामग्री प्रथाएँ ही होती हैं और जैसे-जैसे समाज विकसित होता है वे प्रथाएँ विधियों का रूप धारण करती जाती हैं। रोमवासी विधायन द्वारा निर्मित विधियों को लिखित विधि (Jus Scriptum) तथा अन्य प्रकार की विधियों को अलिखित विधि (Jus Non-Scriptum) कहते थे। विधायन सामाजिक तथा वैधानिक सुधार का एक शक्तिशाली अस्त्र होता है।

विधि के स्रोतों की विवेचना वुड्रो विल्सन ने बड़ी विद्वता से इस प्रकार की है, "रीतिरिवाज ही विधि का सब प्रथम स्रोत है, पर धर्म भी उसी का समकालीन, उतना ही सफल और राष्ट्र विकास में लगभग बँसा ही स्रोत है। न्याय नियम का जन्म ही एक सत्ता के रूप में होता है और न्याय बहुत पुराने समय से साम्य के साथ साथ विधि के विकास में भाग लेते आये हैं। रीति-रिवाज, धर्म, न्याय और साम्य इन चारों के आधार पर जब समाज में विधि का काफी विकास हो चुका होता है। केवल व्यवस्थापन, जो कानून का विचारपूर्ण और चेतन समूह है, और वैज्ञानिक व्याख्या जो कानून के नियमों का विकास है, राजनीतिक समाज में उन्नत पद पर पहुँचने की प्रतीक्षा में है, ताकि वह विधि निर्माण में प्रबल प्रभाव डाल सके।" कानून के प्रारम्भिक स्रोतों का महत्त्व यद्यपि आज कम हो गया है, किन्तु आज भी वे व्यवस्थापन की शक्ति पर अकुश रखने का कार्य करते हैं।"

विधि की उपादेयता (Uses of law)

आदिम समाज से ही विधि की आवश्यकता को माना गया है। यह बात दूसरी है कि उस काल में विधि इतनी विकसित और परिपक्व अवस्था में नहीं थी परन्तु किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित थी। चार्ल्स हावर्ड तथा राबर्ट समस (Charles G Howard and Robert S Summers) ने अपने ग्रंथ 'Law its nature, functions and limits' में विधि की उपादेयता के निम्न कारण बतलाए हैं—

(1) विधि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है (Law provides social security)

हावर्ड तथा समस के अनुसार, व्यक्ति स्वभाव से दूसरों की वस्तुओं

प्राप्त करने के लिए लालाचिन्त (Acquisitive) तथा आक्रामकता (Aggressive) हाता है। ऐसी स्थिति में बलशाली व्यक्ति ही अपनी भौतिक सम्पत्ति को सुरक्षित रख सकता है, कमजोर व्यक्ति को तो किसी वस्तु की प्राप्ति ही नहीं सकती। इन विद्वानों का यह भी मत है कि व्यक्ति में हिंसा, नष्ट करने की प्रवृत्ति एवं चोरी की आदत होती है। ऐसी स्थिति में विधि ही एक मात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को जीवन सम्पत्ति व हिंसा से सुरक्षा दिला सकता है।¹ यद्यपि व्यक्ति के स्वभाव का यह चित्रण एक पक्षीय है परन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विधि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

(2) विधि सामाजिक नीति के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण साधन है (Law is the most significant means of implementing social policy)

विधि एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की सामाजिक नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है। सरकार के द्वारा राज्य की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे विधि के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं। उदाहरणार्थ भारत में काफी वर्षों से बंधक प्रथा (Bondage system) प्रचलित थी जिसके अनुसार समृद्धिशाली व्यक्ति निम्न पुरुषों एवं महिलाओं को अपने बंधन में रखकर शोषण करते थे। सरकार ने विधि के माध्यम से इस प्रथा का अन्त घोंपित कर लगभग 90 हजार व्यक्तियों को इस शोषण से मुक्ति दिलाई। दहेज प्रथा के उन्मूलन, परिवार नियोजन के प्रोत्साहन, दलित वर्ग के उत्थान सम्बन्धित कानूनों से देश के सामाजिक स्तर को ऊँचा करने में सहयोग दिया है।

(3) विधि व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सुधारता है (Law provides for the improvement of the quality of life in society)

विधि समाज में व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारता है। सरकार द्वारा जो

1 Man is by nature acquisitive and aggressive. Men are by nature prone to violence, destruction and theft. Because of his nature man needs laws protecting from theft and violence and needs laws protecting his property from theft.

—Charles G Howard & Robert S Summers Law its nature functions and limits

कानून बनाये जाते हैं उनके माध्यम से व्यक्ति अपने गुणात्मक जीवन स्तर को ऊँचा कर सकता है जैसे कोई व्यक्ति दम घण्टे से अधिक कारखाने में काम नहीं कर सकता, उचित अवकाश का प्रबंध, सेवा विवृत्त होने पर उसके लिए पेंशन की व्यवस्था, भूमि के अधिकतम सामा का निर्धारण (ceiling of landed property), सम्पत्ति के एकाधिकार (property monopoly) की समाप्ति आदि।

(4) विधि सामाजिक नियंत्रण का साधन है (Law is a means of social control)

विधि व्यक्ति की मनमानी तथा अवायव्य गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विधि व्यक्तियों में सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित करता है। विधि के अभाव में समाज में भ्रष्ट व्यवस्था फैल जाएगी बलशाली व्यक्ति निबल व्यक्ति को दबाए रखेंगे, अपराधी बग बिना किसी भय के अपराध काय करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रथम तो समाज गठित नहीं हो पाएगा और यदि गठित भी हो गया तो उसका अस्तित्व सदैव खतरे में रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि के द्वारा जो परिस्थिति व वातावरण उत्पन्न किया जाता है उसी में समाज अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यद्यपि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथापि वह झगडालू प्रवृत्ति का भी है, अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहता है।

अतः सामाजिक हित के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो। यह नियंत्रण विधि द्वारा स्थापित न्याय-व्यवस्था के द्वारा ही किया जा सकता है। विधि सामाजिक मतभेदों को दूर करता है तथा सामाजिक समागम को सुलभ बनाता है। यह सामाजिक सम्बंधों को भी संचालित करता है। अतः विधि सामाजिक नियंत्रण का साधन है। वह समाज के सदस्यों के आपसी हितों में सन्तुलन, सामंजस्य एवं सुव्यवस्था बनाये रखता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता कोहन (Cohen) ने उक्ति ही कहा कि विधि सामाजिक सामंजस्य का विज्ञान है।¹ वही बात रॉस्को पउंड (Roscoe Pound) ने कही "विधि का काम सामाजिक अभियंत्रण क्रिया है जिमसे उसका अभिप्राय समाज में परस्पर विरोधी हितों में सन्तुलन स्थापित करना है।"²

1 Law is the science of social adjustment —Cohen

2 The task of law is social engineering by which it means the balancing of conflicting interest in society —Roscoe P

फोस्टर, जफरी तथा डेविस के मतानुसार "विधि सामाजिक नियंत्रण का वह औपचारिक साधन है जिसमें नियमों का प्रयोग होता है जिनकी व्याख्या की जाती है और जिसे एक राजनतिक समुदाय के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है।"¹

(5) विधि समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण रखता है (Law controls anti social elements)

विधि समाज विरोधी गतिविधियाँ एवं काय-कलापों पर भी नियंत्रण रखता है। अपराधिक विधि (Criminal Law) का उद्देश्य नागरिकों को अपराध नहीं करने से रोकना है। इसके प्रतिरिक्त विधि आदतन अपराधियों (Habitual offenders) को भी नियंत्रित करता है।

(6) विधि न्याय प्राप्ति का साधन है (Law is a means of securing justice)

नागरिकों को अन्याय से मुक्ति तथा न्याय की प्राप्ति विधि द्वारा ही सम्भव है। यह कमजोर वर्ग का बहुत बड़ा सहारा है। विधि की उपादेयता एवं आवश्यकता के विषय में हावर्ड तथा समर्स का मत है "विधि न्याय प्राप्त कराता है, सामाजिक गतिरोधों का निराकरण करता है, समाज का निर्देशन व संचालन करता है, सामाजिक समागम रूपी यंत्र को सुव्यवस्थित करता है, हितों का संरक्षण करता है तथा सामाजिक सम्बन्धों को भी नियंत्रित करता है।"²

(7) मनोवैज्ञानिक महत्त्व (Psychological importance)

विधि और व्यवस्था (Law and order) सभ्य समाज की आधारशिला

1 Law is the formal means of social control that involves the use of rules that are interpreted and are enforceable by the courts of a political community

—Foster, Jeffery & Davis (Society and the law, p 41)

2 Law secures justice resolves social conflict orders society oils the machinery of social intercourse protects interests controls social relations

—Charles G Howard & Robert S Summers (Law its nature, functions and limits p 37)

है। विधि और व्यवस्था के कारण व्यक्ति मानसिक दृष्टि से जब सुरक्षित महसूस करता है तभी वह कुछ रचनात्मक कार्य करने की स्थिति में होता है अन्यथा असुरक्षा के वातावरण में असंतुष्ट एवं अशान्त रहता है।¹

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली वाले राज्यों में तो विधि का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि उस प्रणाली के मुख्य आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व होते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति विधि व्यवस्था और शांति की स्थिति में ही हो सकती है।

(8) विधि सम्पत्ति की सुरक्षा करता है (Law ensures security of property)

विधि सावजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय करने, सम्पत्ति को अर्जित करने के अधिकार को नियंत्रित करता है। कोई भी व्यक्ति अनैतिक तरीके से सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकता। सावजनिक हितों में विधि द्वारा लगाए गये प्रतिबंधों के अंतर्गत ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक हित है। इसके अतिरिक्त सावजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी विधि के सामाजिक हित के अंतर्गत ही आती है।

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विधि की समाज में कितनी उपादेयता है। वर्तमान में समाज के प्रतिमानों एवं विधि में तीव्र परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल विद्यार्थी वरन् सामान्य नागरिक उन परिवर्तनों का समुचित अध्ययन करें जो उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

- 1 It is only the fact that the law and order exist which is vital but also the psychological feeling that they do, is equally relevant. The sense of security among the people is the main spring of constructive activity and advance in society.

—Chaturvedi, T N Emerging perspectives in law and order A fact of administrative change (A change in India (ed) Ramesh K Arora)

विधि और समाज का सम्बन्ध (Relations between Law & Society)

मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसकी प्रवृत्ति एक समाज के निर्माण और पुनर्निर्माण करते में व्यक्त होती, जो उसके व्यवहार का नियम एक मार्ग दर्शन करता है। यह समाज समाज है जो मनुष्य की क्रियाओं को स्वतंत्र और सीमित करता है। जहाँ एक और समाज में मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित एवं सीमित करना है वहाँ वह उसकी प्रगति व विवास के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य समाज से बाहर नहीं रह सकता और अगर रहता है तो अस्तित्व के अनुसार वह व्यक्ति या तो पशु है अथवा देवता तुल्य। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकडवर् (MacIver) का तो यहाँ तक कहना है कि जब कोई सामाजिक मानव समाज को त्याग देता है तो वह प्रकृति अथवा 'ईश्वर' के समीप दूसरा समाज पाने की कल्पना करता है अथवा वह एक प्रकार के आत्मदण्ड के उद्वेग से प्रेरित हो समाज से दूर भागता है। अतः सामाजिक मानवता में जीवन तभी जीने योग्य है जब उसमें सामाजिक सम्बन्ध होते हैं।

समाज के बारे में सभी सामाजिक विद्वानों ने अध्ययन किया है परन्तु उनके दृष्टिकोणों में भिन्नता है। राजनीतिशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है अथवा समाज को आर्थिक क्रियाएँ करने वाले समूह के रूप में देखता है जबकि मानवशास्त्र (Anthropology) आदिम समुदायों को ही वास्तविक समाज मानता है। इन सबसे भिन्न समाजशास्त्र सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। यह समाज को सामाजिक सम्बन्धों की एक अमूर्त (Abstract) और जटिल (Complex) व्यवस्था मानते हैं। समाज जितना जटिल है उतना ही प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। मतदाता का अभ्यर्थी से, माता का सन्तान से, कमचारी का नियोक्ता से मित्र का मित्र से आदि अनेक सम्बन्धों में ही कुछ सम्बन्ध हैं। सामाजिक शब्द की व्यापकता हम तब प्रकट होती है जबकि हम एक ही व्यक्ति के अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों को देखते हैं। एक व्यक्ति के अपने परिवार, मित्र, धार्मिक संस्थाएँ, कार्यालय, राज्य से अनेक रूपों के सम्बन्ध होते हैं। उनमें से हम कुछ को राजनतिक, कुछ को धार्मिक, कुछ को आर्थिक कुछ को व्यक्तिगत, कुछ को मित्रतापूर्ण तो कुछ को शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों का नाम देते हैं। इसीलिए तो समाज को सामाजिक सम्बन्धों का जाल (Web of social relationship) कहा जाता है।

साम्यनीति या औचित्य विधि के स्रोत के रूप में (Equity as a source of Law)

गिलक्राइस्ट ने साम्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है "साम्य सब के साथ समान व्यवहार और स्वाभाविक निष्पक्षता (equality of treatment and intrinsic fairness) के आधार पर नई विधियों को बनाने और पुरानी विधियाँ मसुदा करने का अनौपचारिक तरीका है।" मेन के अनुसार— "साम्य वे नियम हैं जिनका अस्तित्व समाज में दीवानी विधि (Civil Law) के साथ साथ रहता है। ये नियम कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों पर आधारित रहते हैं।"

यायाधीशों के समक्ष कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिनके सम्बन्ध में कानून कोई प्रकाश नहीं डालता। ऐसी स्थिति में यायाधीश अपने विवेक (Discretion) न्यायशास्त्र के अनुभव और न्याय को साधारण मान्यताओं के आधार पर निर्णय देते हैं और ये निर्णय ही औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। इंग्लैंड में तो संविधान और कानून के विकास में औचित्यपूर्ण निर्णयों का बहुत अधिक योग रहा है। सर हैनरी मेन ने तो इसके महत्व के विषय में यहाँ तक कहा है कि, "इन सिद्धांतों की उच्चता के कारण जिनके आधार पर इनका निर्माण होता है कभी कभी तो ये साधारण नागरिक कानून से उच्चतर हो जाते हैं, क्योंकि उनके विवादों का निर्णय इनके द्वारा सहज में हो जाता है, जिनका निर्णय करने के लिए साधारण कानून अपने को असमर्थ पाते हैं।"

विधायन (व्यवस्थापन) विधि के स्रोत के रूप में (Legislation as a source of Law)

व्यवस्थापन कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। लोकनायक देशों में यह अभिव्यक्ति जनता द्वारा चुनी गई विधायिकाओं द्वारा होती है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में— 'व्यवस्थापन कानून का प्रमुख स्रोत है। प्रथाओं और औचित्य का स्थान बहुत कुछ सीमा तक विधायी कानूनों ने ले लिया है। कानून के सहित वृद्धि होने से कानून के स्रोत के रूप में यायिक निर्णयों का क्षेत्र सीमित हो गया है और कानूनी टोकाशा का उपयोग तो के ल विचार विमर्श के लिए ही किया जाता है।"

वर्तमान विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित नियमों को वैधानिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नवीन

विधियों की रचना की जा रही है। अतः इस प्रकार का विधायन भी विधि के स्रोतों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

विधायन की परिभाषा (Definition of Legislation)—विधायन' के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषाओं का उल्लेख आवश्यक है—

(1) **सामण्ड (Salmond)**—सामण्ड के मतानुसार "विधायन विधि का स्रोत हाता है जिसके द्वारा सक्षम सत्ता अधिनियमों की घोषणा करती है। यह सिद्धान्तों की ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि इससे उनको विधान की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धान्तों की ऐसी घोषणा होती है जिससे राज्य के भावी "यायालय उसकी भावना के लिए अधिनियमों का आधार रखते हैं।"¹ सामण्ड की यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है। यह विधान (Legislation) शब्द का स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करती। इसमें सक्षम सत्ता का तात्पर्य केवल व्यवस्थापिका ही नहीं, "यायाधीश भी हो सकता है।

(2) **ग्रे (Gray)**—ग्रे महोदय विधायन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि "यह समाज के व्यवस्थापिकीय अंग की औपचारिक घोषणा होता है। ग्रे की परिभाषा बहुत कुछ उचित एवं स्पष्ट है, क्योंकि उनकी परिभाषा में "औपचारिक घोषणा तथा व्यवस्थापिकीय अंग" विधायन को विधि के अन्य स्रोतों से भिन्न प्रमाणित करते हैं।

(3) **हालड (Holland)**—हालड इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हमारे "यायाधीशों द्वारा बनाए गए सामान्य आदेश भी सरकार द्वारा विधान की भाँति ही सत्य होते हैं।" परन्तु विधायन की परिभाषा इसके सही अर्थों में ही की जाती है।

इस प्रकार विधायन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से राज्य की सर्वोच्च शक्ति अपनी इच्छा को विधि का रूप प्रदान करती है। परन्तु विधायन केवल

1 Legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. It is such an enunciation of promulgation of principles as confers upon them the force of law. It is such a declaration of principles as constitute legal ground for their recognition as law for the future by the tribunal of the State. —Salmond

मात्र उही विकसित देशों में प्रमुख रूप से अपनाया जाता है जिसमें विधि प्रथाओं तथा रूढ़ियों का ढेर नहीं होती, वरन् एक वैधानिक रूप धारण कर लेती है। विधायन अभी कुछ शताब्दियों से ही विकसित हुआ है। विधायन की सामग्री प्रथाएँ ही होती हैं और जैसे जैसे समाज विकसित होता है ये प्रथाएँ विधियों का रूप धारण करती जाती हैं। रोमवासी विधायन द्वारा निर्मित विधियों को लिखित विधि (Jus Scriptum) तथा अन्य प्रकार की विधियों को अलिखित विधि (Jus Non-Scriptum) कहते थे। विधायन सामाजिक तथा वैधानिक सुधार का एक शक्तिशाली अस्त्र होता है।

विधि के स्रोतों की विवेचना वुड्रो विल्सन ने बड़ी विद्वता से इस प्रकार की है, “रीतिरिवाज ही विधि का सब प्रथम स्रोत है पर धर्म भी उसी का समकालीन, उतना ही सफल और राष्ट्र विकास में लगभग वैसा ही स्रोत है। न्याय निणय का उदय ही एक सत्ता के रूप में होता है, और न्याय निणय बहुत पुराने समय से साम्य के साथ साथ विधि के विकास में भाग लेते आये हैं। रीति रिवाज, धर्म, न्याय और साम्य इन चारों के आधार पर जब समाज में विधि का काफी विकास हो चुका होता है। केवल व्यवस्थापन, जो कानून का विचारपूर्ण और चेतन सगठन है और वैज्ञानिक व्याख्या जो कानून के नियमों का विकास है, राजनीतिक समाज में उन्नत पद पर पहुँचने की प्रतीक्षा में है, ताकि वह विधि निर्माण में प्रबल प्रभाव डाल सके।” कानून के प्रारम्भिक स्रोतों का महत्व यद्यपि आज कम हो गया है, किन्तु आज भी वे व्यवस्थापन की अति पर अकुश रखने का काय करते हैं।”

विधि की उपादेयता (Uses of law)

आदिम समाज से ही विधि की आवश्यकता को माना गया है। यह बात दूसरी है कि उस काल में विधि इतनी विकसित और परिपक्व अवस्था में नहीं थी परन्तु किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित थी। चार्ल्स हावर्ड तथा रॉबर्ट समस (Charles G Howard and Robert S Summers) ने अपने ग्रंथ ‘Law its nature, functions and limits’ में विधि की उपादेयता के निम्न कारण बतलाए हैं—

- (1) विधि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है (Law provides social security)

हावर्ड तथा समस के अनुसार, व्यक्ति स्वभाव से दूसरों की

कानून बनाय जाते हैं उनके माध्यम से व्यक्ति अपने गुणात्मक जीवन स्तर को ऊँचा कर सकता है जिस कोई व्यक्ति दम घण्टे से अधिक कारखाने में काम नहीं कर सकता, उचित अवकाश का प्रबंध, सेवा विवृत्त होने पर उसके लिए पेंशन की व्यवस्था, भूमि के अधिकतम सीमा का निर्धारण (ceiling of landed property), सम्पत्ति के एकाधिकार (property monopoly) की समाप्ति आदि।

(4) विधि सामाजिक नियंत्रण का साधन है (Law is a means of social control)

विधि व्यक्ति की मनमानी तथा अवायवपूर्ण गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विधि व्यवहारों में सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित करता है। विधि के अभाव में समाज में मत्स्य व्यवस्था फैल जाएगी, बलशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को दबाए रखेंगे, अपराधी बग बिना किसी भय के अपराध काय करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रथम तो समाज गठित नहीं हो पाएगा और यदि गठित भी हो गया तो उसका अस्तित्व सदैव खतरे में रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि के द्वारा जो परिस्थिति व वातावरण उत्पन्न किया जाता है उसी में समाज अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यद्यपि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथापि वह झगडाचू प्रवृत्ति का भी है, अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहता है।

अतः सामाजिक हित के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो। यह नियंत्रण विधि द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था के द्वारा ही किया जा सकता है। विधि सामाजिक मतभेदों को दूर करता है तथा सामाजिक समागम को सुलभ बनाता है। यह सामाजिक सम्बन्धों को भी संचालित करता है। अतः विधि सामाजिक नियंत्रण का साधन है। वह समाज के सदस्यों व आपसी हितों में सन्तुलन, सामंजस्य एवं सुव्यवस्था बनाये रखता है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता कोहन (Cohen) ने उक्ति ही कहा कि 'विधि सामाजिक सामंजस्य का विज्ञान है।' यही बात रॉस्को पाउंड (Roscoe Pound) ने भी 'विधि का कार्य सामाजिक अभिप्राय को क्रिया में लाना है जिससे उसका अभिप्राय समाज में परस्पर विरोधी हितों में सन्तुलन स्थापित करना है।'²

1 Law is the science of social adjustment

—Cohen

2 The task of law is social engineering by which it means the balancing of competing interest in society —Roscoe Pound

फोस्टर, जफरी तथा डेविस के मतानुसार ' विधि सामाजिक नियन्त्रण का वह औपचारिक साधन है जिसमें नियमों का प्रयोग होता है, जिनकी व्याख्या की जाती है और जि हे एक राजनतिक समुदाय के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है ।'¹

(5) विधि समाज विरोधी तत्वों पर नियन्त्रण रखता है (Law controls anti social elements)

विधि समाज विरोधी गतिविधियाँ एवं काय कलापों पर भी नियन्त्रण रखता है। अपराधिक विधि (Criminal Law) का उद्देश्य नागरिक को अपराध नहीं कर देने से रोकना है। इसके अतिरिक्त विधि आदतन अपराधियों (Habitual offenders) को भी नियन्त्रित करता है।

(6) विधि न्याय प्राप्ति का साधन है (Law is a means of securing justice)

नागरिक को अन्याय से मुक्ति तथा न्याय की प्राप्ति विधि द्वारा ही सम्भव है। यह कमजोर वग का बहुत बड़ा सहारा है। विधि की उपादेयता एवं आवश्यकता के विषय में हावर्ड तथा समस का मत है ' विधि न्याय प्राप्त कराता है, सामाजिक गतिरोधों का निराकरण करता है, समाज का निर्देशन व संचालन करता है, सामाजिक समागम रूपी यंत्र को सुभ्यवस्थित करता है, हितों का संरक्षण करता है तथा सामाजिक सम्बन्धों को भी नियन्त्रित करता है ।'²

(7) मनोवैज्ञानिक महत्त्व (Psychological importance)

विधि और व्यवस्था (Law and order) सभ्य समाज की आधारशिला

1 Law is the formal means of social control that involves the use of rules that are interpreted and are enforceable by the courts of a political community

—Foster, Jeffery & Davis (Society and the law, p 41)

2 Law secures justice resolves social conflict, orders society, oils the machinery of social intercourse protects interests controls social relations

—Charles G Howard & Robert S Summers (Law its nature functions and limits p 37)

है। विधि और व्यवस्था के कारण व्यक्ति मानसिक दृष्टि से जब सुरक्षित महसूस करता है तभी वह कुछ रचनात्मक कार्य करने की स्थिति में होता है अन्यथा असुरक्षा के वातावरण में असन्तुष्ट एवं अशान्त रहता है।¹

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली वाले राज्यों में तो विधि का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि उस प्रणाली के मुख्य आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व होते हैं। इन अदर्शों की प्राप्ति विधि व्यवस्था और शांति की स्थिति में ही हो सकती है।

(8) विधि सम्पत्ति की सुरक्षा करता है (Law ensures security of property)

विधि सावजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय करने, सम्पत्ति को अर्जित करने के अधिकार को नियंत्रित करता है। कोई भी व्यक्ति अनतिक तरीके से सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकता। सावजनिक हितों में विधि द्वारा लगाए गये प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक हित है। इसके अतिरिक्त सावजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी विधि के सामाजिक हित के अन्तर्गत ही आती है।

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विधि की समाज में कितनी उपादेयता है। वर्तमान में समाज के प्रतिमानों एवं विधि में तीव्र परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल विद्यार्थी वरन् सामान्य नागरिक उन परिवर्तनों का समुचित अध्ययन करें जो उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।

1 It is only the fact that the law and order exist which is vital but also the psychological feeling that they do is equally relevant. The sense of security among the people is the main spring of constructive activity and advance in society.

—Chaturvedi, T N Emerging perspectives in law and order. A fact of administrative change (Administrative change in India (ed) Ramesh K. Arora)

फोस्टर, जफरी तथा डेविम के मतानुसार ' विधि सामाजिक नियन्त्रण का वह औपचारिक साधन है जिसमें नियमों का प्रयोग होता है जिनकी व्याख्या की जाती है और जिन्हें एक राजनतिक समुदाय के न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है ।'¹

(5) विधि समाज विरोधी तत्वों पर नियन्त्रण रखता है (Law controls anti social elements)

विधि समाज विरोधी गतिविधियाँ एवं काय-बलापा पर भी नियन्त्रण रखता है। अपराधिक विधि (Criminal Law) का उद्देश्य नागरिक को अपराध नहीं कर देने से रोकना है। इसके प्रतिरिक्त विधि आदतन अपराधियों (Habitual offenders) को भी नियन्त्रित करता है।

(6) विधि न्याय प्राप्ति का साधन है (Law is a means of securing justice)

नागरिक को अत्याय से मुक्ति तथा न्याय की प्राप्ति विधि द्वारा ही सम्भव है। यह कमजोर वग का बहुत बड़ा सहारा है। विधि की उपादेयता एवं आवश्यकता के विषय में हावर्ड तथा समस का मत है ' विधि न्याय प्राप्त करता है, सामाजिक गतिरोधों का निराकरण करता है, समाज का निर्देशन व संचालन करता है सामाजिक समागम रूपी यंत्र को सुब्यवस्थित करता है, हितों का संरक्षण करता है तथा सामाजिक सम्बन्धों को भी नियन्त्रित करता है ।'²

(7) मनोवैज्ञानिक महत्व (Psychological importance)

विधि और व्यवस्था (Law and order) सभ्य समाज की आधारशिला

1 Law is the formal means of social control that involves the use of rules that are interpreted and are enforceable by the courts of a political community

—Foster, Jeffery & Davis (Society and the law, p 41)

2 Law secures justice, resolves social conflict orders society, oils the machinery of social intercourse protects interests, controls social relations

—Charles G Howard & Robert S Summers (Law its nature functions and limits p 37)

विधि की अवधारणा]

है। विधि और व्यवस्था के कारण व्यक्ति मानसिक दृष्टि से जब सुरक्षित महसूस करता है तभी वह कुछ रचनात्मक काम करने की स्थिति में होता है अन्यथा असुरक्षा के वातावरण में असंतुष्ट एवं अज्ञान्त रहता है।¹

प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वाले राज्या में तो विधि का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि उस प्रणाली के मुख्य आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बहुल्य होते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति विधि व्यवस्था और शांति की स्थिति में ही हो सकती है।

(8) विधि सम्पत्ति की सुरक्षा करता है (Law ensures security of property)

विधि सावजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय करने, सम्पत्ति को अर्जित करने के अधिकार को नियंत्रित करता है। कोई भी व्यक्ति अनतिक तरीके से सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकता। सावजनिक हिता में विधि द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के अंतर्गत ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य आर्थिक क्षय में सामाजिक हित है। इसके अतिरिक्त सावजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी विधि के सामाजिक हित के अंतर्गत ही आती है।

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विधि को समाज में कितनी उपादेयता है। वर्तमान में समाज के प्रतिमानों एवं विधि में तीव्र परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल विद्यार्थी वरन् सामान्य नागरिक उन परिवर्तनों का समुचित अध्ययन करें जो उसके सामाजिक जीवन का प्रभावित करते हैं।

1 It is only the fact that the law and order exist which is vital, but also the psychological feeling that they do, is equally relevant. The sense of security among the people is the main spring of constructive activity and advance in society

—Chaturvedi, TN Emerging perspectives in law and order A fact of administrative change (Administrative change in India (ed) Ramesh K. Arora)

विधि और समाज का सम्बन्ध (Relations between Law & Society)

मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसकी प्रवृत्ति एक एम सगटन क निर्माण और पुनर्निमाण करते म व्यक्त हाती, जो उसक व्यवहार का नियंत्रण एव माग दशन करता है। यह सगटन समाज ह जा मनुष्य की क्रियाप्रा को स्वतंत्र और सीमित करता है। जहा एक और समाज म मनुष्य की क्रियाप्रा को नियंत्रित एव सीमित करना है वहा वह उसकी प्रगति व विवास के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य समाज से बाहर नहीं रह सकता और प्रगट रहता है तो प्रस्तु के अनुसार वह व्यक्ति या तो पशु है अथवा देवता तुल्य। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मकाइवर (MacIver) का तो यहाँ तक कहना है कि जब कोई मयासी मानव समाज को त्याग देता है तो वह प्रवृत्ति अथवा 'ईश्वर' के समीप दूसरा समाज पाने की कल्पना करता है अथवा वह एक प्रकार क आत्मदण्ड के उद्वेग से प्रेरित हा समाज से दूर भागता है। अत सामान्य मानवता म जीवन तनी जीने योग्य है जब उसम सामाजिक सम्बन्ध होते हैं।

समाज के बारे म सभी सामाजिक विद्वानों ने अध्ययन किया है परन्तु उनके दृष्टिकोणों मे भिन्नता है। राजनीतिशास्त्र म समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है अथवा समाज को आर्थिक क्रियाएँ करने वाले समूह के रूप मे देखता है जबकि मानवशास्त्र (Anthropology) आदिम समुदायों को ही वास्तविक समाज मानता है। इन सबसे भिन्न समाजशास्त्र सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। व समाज को सामाजिक सम्बन्धों की एक अमूर्त (Abstract) और जटिल (Complex) व्यवस्था मानते हैं। समाज जितना जटिल है उतने ही प्रकार क सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। मतदाता का अभ्यार्थी से, माता का सतान से, कमचारी का नियाक्ता से, मित्र का मित्र से आदि अनेक सम्बन्धो म से कुछ सम्बन्ध हैं। सामाजिक शब्द की व्यापकता हम तब प्रकट होती है जबकि हम एक ही व्यक्ति क अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्धो को देखते हैं। एक व्यक्ति के अपने परिवार, मित्र, धार्मिक सस्थाएँ, कार्यालय, राज्य से अनेक रूपों के सम्बन्ध होते हैं। उनम से हम कुछ को राजनतिक, कुछ को धार्मिक, कुछ को आर्थिक कुछ को वैयक्तिक कुछ को मित्रतापूर्ण तो कुछ को शत्रुतापूर्ण सम्बन्धो का नाम देते हैं। इसीलिए ता समाज का सामाजिक सम्बन्धों का जाल (Web of social relationship) कहा जाता है।

अनुसार - "कल्त्र आत्मा की भावना जो जीवन के तत्वों में व्यक्त होती है या उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण को व्यक्त करती है" ।

कानून द्वारा सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति—यदि कानून का सांस्कृतिक उद्देश्य के रूप में अध्ययन किया जाय तो विदित होगा कि कानून और सभ्यता का क्या सामंजस्य रहा है। पाश्चात्य यूनानी समाज की प्राग्मिक अवस्था में शांति और सुरक्षा की आवश्यकता थी। अतः उस समय कानून का उद्देश्य सामाजिक अवस्था को बनाय रखना था। युद्ध और सघर्ष से उक्तया हुआ यूनानी समाज शांति और व्यवस्था के लिए सामाजिक स्थिरता की कामना किया करता था। रामन सभ्यता में स्थिरता की मांग इतनी नहीं थी, जितनी कि उपरति की। इसी तरह मध्यकालीन यूरोप में धर्म की शक्तिशाली बनाने हेतु प्रयास किये जा गये थे। "सर्निए" वहाँ व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ किये गये। अतः कानून का उद्देश्य व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता लाना हो गया।

व्यक्ति समाज और धर्म के बंधना से जकड़ता रहा। पुनर्जागरण के युग और धार्मिक विप्लव के युग में राष्ट्रीय सगटना का उत्थान हुआ, और धर्म धर्म धर्म का प्रभाव क्षीण होने लगा, और कानून का धर्म से सम्बन्ध विच्छेद होन लगा। अतः स्थानीय कानून का अधिक महत्व दिया जाने लगा। धर्म के क्षेत्र में व्यक्तिवादी भावना ने प्रोटेस्टेंट धर्म का रूप लिया और यूरोप के धार्मिक एकत्व को भंग किया। अतः अब कानून का मूल उद्देश्य मनुष्य की स्वतंत्र दृष्टि को बनाय रखना हुआ। 17वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्ष विचारों के कारण वह आवश्यक हो गया कि मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होन लगे और सामाजिक सन्धि (social contract) की विचारधारा का उदय हुआ। कानून का उद्देश्य अब व्यक्तिगत अधिकारों को व्यक्त करना और रक्षा करना रह गया था। कानून जो प्राकृतिक समानता लाने का साधन था अब वह प्राकृतिक अधिकारों की प्राप्ति का साधन हो गया। 18वीं शताब्दी में भौतिक तौर से व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया, अतः कानून का सांस्कृतिक उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकृत करना ही गया। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। अब कानून को एक अहित कर समझा जाने लगा और कानून की भाग कम से कम का जान लगी। उसका काय बेबल निषेधात्मक होकर पुलिस काय समझा जाने लगा। स्वतंत्र सन्धि के नाम पर औद्योगिक युग में पूँजीपतियों ने और मिल मालिकों ने श्रमिकों की आवश्यकता का अनिच्छित लाभ उठाना शुरू किया और उनका शोषण करना आरम्भ

किया। अति जीविका के सिद्धांत ने अमीरों को ज्यादा अमीर और गरीबों को ज्यादा गरीब बना दिया। सामाजिक उत्तरदायित्व का अन्त होने लगा। वग सघष प्रारम्भ हुआ और समाज विघटन की ओर अग्रसर होन लगा। यह व्यक्तिवाद की ही देन थी।

ऐसे विकृत समाज के विरुद्ध क्या प्रतिक्रियाएँ हुईं। आज के युग में सांस्कृतिक उद्देश्यों द्वारा कानून का रूप उचित नहीं बतलाया जा सकता। फिर भी रॉस्कॉ पाउण्ड के अनुसार— 'व्यक्ति की अमूर्त इच्छा शक्ति से ज्यादा उसके मृत अथवा भौतिक जीवन पर बल दिया जाय। राज्य द्वारा जीवन साधना में प्रगति की जाय। व्यक्ति के प्रासंगिक नुकसान समाज द्वारा पूरे किये जाय। व्यक्ति को जाने के लिए यूनतम स्तर उपलब्ध कराया जाय'। इस तरह गुट व्यक्तिवाद के विरुद्ध सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर सांस्कृतिक क्रम चल रहा है।

कोलहर ने अपनी विधि विचारधारा को संस्कृति कहकर परिभाषित किया और आज के राष्ट्रीय उत्थान और सामाजिक योजनाओं के युग में ऐसी विचारधारा हमारे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरणादायक है। हीगल के आदर्शवाद को आधार मानकर इस विचारक ने यह समझन की कोशिश की है, कि कानून का अस्तित्व केवल एक तकनीकी विज्ञान बनने से सिद्ध नहीं होता उसके सही अस्तित्व को जानने के लिए उसका अध्ययन धार्मिक व नैतिक विचारधाराओं और हमारी परम्पराओं के सद्भ म करना आवश्यक है।

कोलहर के अनुसार—संस्कृति कानून का साध्य और साधन दोनों ही है। कानून का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि अधिकतम मात्रा में यह संस्कृति के अनुरूप हो जाय। कानून का काय केवल अधिकारों की रक्षा ही नहीं, सांस्कृतिक योजनाओं के द्वारा एक समृद्धिशीली समाज का विकास भी करना है। कोलहर ने आदर्शवाद के साथ साथ यथायवाद का भी दृष्टिकोण अपनाया है।

विधि और सामाजिक न्याय (Law & Social Justice)

न्याय तथा विधि को एक-दूसरे का पूरक कहा जाता है। यदि विधि का उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना करना नहीं होता, तो विधि वास्तव में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। ठीक इसी प्रकार न्याय उसी समय स्थापित किया जा सकता है जब इसके साथ विधि की शक्ति सन्निहित होती है।

फ्रान्सीसी दार्शनिक पैस्कल का कहना है कि "शक्ति के बिना न्याय नपुसक होता है, न्याय के बिना शक्ति निरकुश, बिना शक्ति के न्याय एक काल्पनिक धारणा ही है क्योंकि सदा बुरे व्यक्ति भी होते हैं न्याय के बिना शक्ति सदा दोषी ही मानी जाती है। अतएव हम शक्ति और न्याय को साथ ही साथ रखना चाहिए और प्रत्येक वस्तु के साथ इस धारणा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए जो कुछ न्याय सगत है वह शक्तिशाली है और जो कुछ शक्तिशाली है वह न्यायसगत भी है। यहाँ पर शक्ति से तात्पर्य विधि से ही है। बिना विधि के न्याय की सत्ता नहीं और बिना न्याय के विधि की सत्ता नहीं। कुछ लोग तो न्याय को इतनी अधिक प्राथमिकता प्रदान करते हैं कि वे न्याय को विधि की कसौटी एवं विधि का आदर्श मानते हैं। न्याय वास्तव में विधि की सत्यता है। केलसन (Kelson) न्याय को ही सामाजिक प्रसन्नता मानते हैं। सिसरो ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा कि न्याय विधि का पालन ही है। बहुत से वैधानिक वाक्यांश—जैसे विधि को लागू करने वाली संस्थाएँ न्यायालय कहलाती हैं और विधि को लागू करने वाले व्यक्ति यायाधीश—भी विधि एवं न्याय की अन्यान्य श्रितता ही व्यक्त करते हैं। स्टैमलर (Stammler) का कहना है कि समस्त सुस्पष्ट विधियाँ न्याय सगत विधि की स्थापना करने का ही प्रयत्न करती हैं। विनोग्रेडाफ के अनुसार विधि का उद्देश्य न्याय एवं औचित्य की स्थापना ही करना होता है। न्याय की स्थापना का तात्पर्य विधि का इस प्रकार प्रयोग करना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर सके। सामण्ड के विचार से न्याय का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सा प्राप्त करने की सुविधाएँ प्रदान करना है। न्याय के नियम व्यक्तिगत कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वॉशिंगटन कहते हैं कि न्याय-प्रशासन सरकार का इष्टतर स्तम्भ होता है। हिंदू धर्मशास्त्री मनु न्याय प्रशासन को धार्मिक प्रशासन बताते हैं। याज्ञवल्क्य का कहना है कि निष्पक्ष न्याय-प्रशासन से वैदिक आहुति करने की भाँति पुरस्कार प्राप्त होता है।

इस प्रकार न्याय की स्थापना विधि का प्रमुखतम उद्देश्य है। हॉइस न के अनुसार मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होता है। वह अपने ही हित को पूरा करना चाहता है जिसके कारण समाज में पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यदि हम संघर्ष पर किसी सत्ता द्वारा भय दिखाकर नियंत्रण नहीं किया जाता तो उम समाज में युद्ध की-सी स्थिति हो जाती है। ऐसे समाज में मानव जीवन कष्टमय, धार्मिक, दयनीय, एवं बबर हो जाता है। ऐसे समाज को भेङ्गना का समुदाय उपाय ही है। अतएव यह आवश्यक है कि विधि के द्वारा ही न्याय की स्थापना

निर्माण करते हैं। न्यायालयों की व्याख्याएँ (Interpretations) और उसकी व्यवस्थाएँ (Ruling) अधिकार पूर्ण मानी जाती हैं। उनका प्रयोग ही कानून की तरह होता है। यदि कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो राज्य की तरफ से उसे दण्ड की व्यवस्था होती है।

सामाजिक न्याय (Social Justice)— न्याय का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्यों को योग्यता के अनुसार जीवन सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। यदि परिस्थितियों के कारण कोई मनुष्य या सामाजिक वर्ग अपने प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाय तब न्याय ही न्यायोचित जीवन बसर करने के साधन उपलब्ध करवा सकता है। इस प्रकार न्याय से प्रेरित होकर मानवीय समाज श्रद्धा की भावना रखे हैं। सामाजिक जीवन की यह समय के अनुसार मांग होती है कि प्रत्येक मनुष्य को 'यूनतम सामाजिक और आर्थिक स्तर प्राप्त होना चाहिए जिससे कि मनुष्य समाज में सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। सामाजिक न्याय का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य का उच्चतम विकास। यदि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उस विकास में बाधक बनती हैं तो शीघ्रता से सुधार होना चाहिए। सामाजिक न्याय में समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषज्ञ अल्प-संख्यकों को शोषित वर्ग एवं पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत में सामाजिक न्याय—भारत में सामाजिक न्याय एक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी कदम रहा है। सामाजिक न्याय कोई ढकोसला नहीं, परंतु समाज कल्याण और समाज सुधार का कार्य, जिसका कि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य का होता है। भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गढ़कर ने सामाजिक सुधारों और सामाजिक बुराईयों की ओर विशेष ध्यान दिया। क्योंकि यहाँ पर समाज पूरा रूप से जाति प्रथा पर आधारित है, जिसमें दुर्भावना की भावना, साम्प्रदायिकता जतिवाद भाषा आदि के कारण सामाजिक असमानता व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। यही सामाजिक भावना कुशल नासक के लिए सकट का कारण बनी हुई है। यह तभी सम्भव है जब सामाजिक कुरीतियों का मिटाकर समूचा राष्ट्र, समाज, समानता और एकता के सूत्र में बंधकर हर नागरिक को सम्मान पूर्वक सामाजिक जीवन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करे। इस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक सुधार होने का सफला का सामना किया जा सकता है।

भारतीय विधान की प्रस्तावना में सब प्रथम सामाजिक, आर्थिक और

की जाय । सामण्ड के विचार से समाज उसी समय चल सकता है जब राज्य उसे अपनी छत्रछाया प्रदान करे और राज्य की छत्रछाया, जिसका तात्पर्य शांति, व्यवस्था तथा सभ्यता की स्थापना है, राज्य के प्रमुख तत्वों—विधि तथा न्याय—के प्रयोग से ही सम्भव है ।

कानून सामाजिक शक्तियाँ को उपज होती है । अतएव उसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होना चाहिए । समाज शास्त्रीय विचारका के अनुसार कानून की अच्छाई का निगम उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए न कि आदर्श व काल्पनिक सिद्धान्त पर ऐसे ही कानून सामाजिक उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं । ड्यूग्वी (Duguit) के अनुसार—'रचनात्मक कानून केवल व ही कहे जा सकते हैं जिनके द्वारा समाज सेवा का संगठन होता हो' । अतः कानून को नतिक रूप में बंध होने के लिए कानून को जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए । यदि कानून जनता के नतिक विश्वास के अनुकूल नहीं है, तब सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है अथवा सामाजिक वातावरण के अनुकूल नहीं हो तो उसे कानून की सजा नहीं दी जा सकती । लॉस्को ने तो यहाँ तक कह दिया कि 'एक अच्छा कानून वही है जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों की सामाजिक इच्छाओं का अधिक से अधिक सन्तुष्टिकरण हो सके । अच्छे कानून के अतिरिक्त अथ किसी कानून का पालन औपचारिक रूप में भले ही हो जाय वास्तविक रूप से वह पालन करने में योग्य हो ही नहीं सकता' ।

इस प्रकार राज्य द्वारा कानूनों की मायता उ ही विधियों को देनी चाहिए जिनसे सामाजिक हितों व सामाजिक न्याय होता हो । यदि राज्य इस प्रकार के कानूनों को मायता देन लग जो समाज के प्रयागत अथवा परम्परागत स्तर के अनुकूल न हों, तथा समाज के प्रतिफल हो, तो ऐसे कानून तो निश्चित रूप से रहेंगे ही नहीं, अथवा ऐसे कानूनों का निर्माण करने वाली सरकार भी समाप्त हो जायगी ।

कानून और न्याय एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे हैं । कानून के आधार पर ही न्याय किया जाता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जसा कानून हो वैसी ही उसकी व्याख्या न्याय शास्त्री करे । न्याय का काय तो 'दूध का दूध और पानी का पानी' करना होता है । आज न्यायिक निष्ण कानून के विकास में पर्याप्त सहायक रहे हैं । न्यायाधीश विधि की व्याख्या करते समय नये नये कानूनों का

निर्माण करते हैं। न्यायालयों की व्याख्याएँ (Interpretations) और उसकी व्यवस्थाएँ (Ruling) अधिकार पूर्ण मानी जाती हैं। उनका प्रयोग ही कानून की तरह होता है। यदि कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो राज्य की तरफ से उन्हें दण्ड की व्यवस्था हाती है।

सामाजिक न्याय (Social Justice)— न्याय का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्यों को योग्यता के अनुसार जीवन सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। यदि परिस्थितियों के कारण कोई मनुष्य या सामाजिक वर्ग अपने प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाय तब याय ही यायोचित जीवन बसर करने के साधन उपलब्ध करवा सकता है। इस प्रकार न्याय से प्रेरित होकर मानवीय समाज श्रद्धा की भावना रखे हैं। सामाजिक जीवन की यह समय के अनुसार मांग होती है कि प्रत्येक मनुष्य को 'सूततम सामाजिक और आर्थिक स्तर प्राप्त होने चाहिए जिससे कि मनुष्य समाज में सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। सामाजिक न्याय का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य का उच्चतम विकास। यदि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उस विचार में बाधक बनती हैं तो नीध्रता से सुधार हाना चाहिए। सामाजिक न्याय में समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषतः अल्प-संख्यकों, शोषित वर्ग एवं पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत में सामाजिक न्याय— भारत में सामाजिक न्याय एक प्रातिकारी और परिवर्तनकारी कदम रहा है। सामाजिक न्याय कोई ढकोसला नहीं, परन्तु समाज कल्याण और समाज सुधार का कार्य जिसका निःसम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य का होता है। भारत में भूतपूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गढ़कर ने सामाजिक सुधारों और सामाजिक बुराईयों की ओर विशेष ध्यान दिया। क्योंकि यहाँ पर समाज पूरा रूप से जाति प्रथा पर आधारित है जिसमें असमानता व्यापक साम्प्रदायिकता, जतिवाद भापा आदि के कारण सामाजिक असमानता व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। यही सामाजिक भावना कुशल काम के लिए सफ्ट का कारण बनी हुई है। यह तभी सम्भव है जब सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर समाज, राष्ट्र, समाज, समानता और एकता के मूल में बाधकर हर नागरिक को सम्मान पूर्वक सामाजिक जीवन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करे। इस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक सुधार हाने व सफ्ट का सामना किया जा सकता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नये प्रथम सामाजिक आर्थिक और

राजनतिक न्याय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये हैं जिनसे उनका (नागरिकों के) सामाजिक जीवन एवं व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। इसी कारण ये अधिकार अपने आपमें निर्पेक्ष न होकर सामाजिक न्याय के कारण सापेक्ष हैं। संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों का भी समावेश किया गया है। यद्यपि इन सिद्धान्तों को क्रियार्थक करने हेतु न्यायालय को विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में अभी तक सामाजिक और आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियाँ अभी इस योग्य नहीं हैं कि इनका कानूनी परिवर्तन हो सके। फिर भी ये न्याय-शील समाज के लिए उत्कृष्ट एवं भादवा सिद्ध हुए हैं। इनमें नागरिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी बतलाये गये हैं।

नीति निर्देशक तत्वों में वे भादवा योजनाएँ हैं जिन्हें पराने वाले समय में विधि निर्माण का रूप को प्रसरण होना है। ये प्राधुनिक संघ्य समाज की अभिधारणाएँ हैं तथा सामाजिक न्याय के विशाल स्तम्भ हैं।

भारतीय संविधान में सामाजिक अन्याय को मिटाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की अनुमति देता है। सुप्राहृत जो सामाजिक फलक है, उसको मिटाने के लिये संविधान की धारा 17 में सुप्राहृत के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अनुसूची 15 (1) के अनुसार कोई भी राज्य सरकार धर्म, जाति, पंग, लिंग, जन्म-स्थान के नाम पर विभेद या सीतेला व्यवहार नहीं कर सकता। 16(4) के अनुसार राज्य को यह शक्त हो जाय कि आतियों का प्रतिनिधित्व राज्य नियुक्तियों में ठीक से नहीं हो पाया है तो पिछड़ी जातियों के लिंग कुल नियुक्तियों को सुरक्षित कर सकता है।

इस तरह भारतीय संविधान में सामाजिक जीवन का युगयुगान्तर से चली आ रही अस्वस्थ बीमारियों को सर्वाधिक मत्स्य क्रिया द्वारा निवारण करने की अनुमति दी है जिससे सामाजिक जीवन का वातावरण दूषित न हो सके।

इसी तरह उच्च न्यायालयों ने भी सामाजिक न्याय को अधिक क्षेत्र में बताना श्रु खला, प्रवकाश, बोनस आदि विषयों पर उचित नियम देकर एक क्रान्ति-कारी कदम उठाया गया है।

विधि और स्वतन्त्रता (Law & Liberty)

स्वतन्त्रता और विधि के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। एक के अनुसार स्वतन्त्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इस ध्यन का तात्पर्य यह है

कि कानून स्वतंत्रता पर आघात करता है। व्यक्तिवादी विचारक इस मत के समर्थक हैं। वे कहते हैं कि राज्य संप्रभुत्व सम्पन्न होने के नाते ऐसे कानून बनाता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करते हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ व घनो का अभाव होता है। अराजकतावादी तो इसी कारण कानून और सरकार का अन्त ही कर देना चाहते हैं। दूसरी विचारधारा यह है कि स्वतंत्रता कानून के द्वारा ही सम्भव होती है तथा राज्य का कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जैसा लॉक ने कहा है, 'जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती।'¹ विलोबी ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है, और कहा है कि "स्वतंत्रता का अस्तित्व इसलिए है कि मर्यादा का अस्तित्व है।"² हॉकिंग्स के अनुसार, 'जितनी अधिक स्वतंत्रता व्यक्ति चाहता है उतना ही अधिक उसे प्रशासन के सम्मुख झुकना पड़ता है।'³ इसी प्रकार रिची ने कहा है कि "व्यक्तित्व के विवास के यथाय भवसर के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ कानून का निर्माण ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका अस्तित्व राज्य के काय-क्षेत्र से बाहर हो"⁴

कानूनी प्रतिबन्ध स्वतंत्रता की आत्मा छीन लेते हैं। यह बात वस्तुतः तभी कही जा सकती है, जब स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचार लगाया जाय। यह तो वस्तुतः व्यक्ति के हित में होता है कि कुछ सीमा तक स्वतंत्रता को सीमित किया जाय। जब तक कानून बाह्य बंधन के रूप में समझा जाता है तब तक उसके प्रति विरोध और असंतोष रहता है, किन्तु ज्योंही औचित्य के आधार पर अन्तरात्मा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, वह बंधन न रह कर स्वतंत्रता बन जाता है। जैसा रूसो ने कहा है, 'जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं, उसका

- 1 Where there is no law, there is no freedom
—Lock Quoted by Asirvatham (Political Theory, p 141)
- 2 Freedom exists only because there is restraint
—Willoghby
- 3 The greater the liberty a person desires the greater is the authority to which he should submit himself
—Hokings
- 4 Liberty in the sense of positive opportunity for self-development is the creation of law and not something that could exist apart from the action of the State
—Ritchie : (Natural Rights pp 139)

पालन स्वतंत्रता कहलाती है।¹ इसीको लॉस्की ने अर्थ शब्दों में या कहा है कि 'कानून बबल आज्ञा ही नहीं है, वह अनुरोध भी है।'² इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता तथा कानून का सम्बन्ध रक्षित और रक्षक का है, भक्षित और भक्षक का नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कानून स्वतंत्रता का रक्षक नहीं होता तथा कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास में, स्वतंत्रता की रक्षा में, तथा आत्मपूण्यता की प्राप्ति में बाधक होते हैं, तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं कि मौलिक रूप से कानून स्वतंत्रता का विरोधी होता है।

व्यक्तिवादियों (Individualists), अराजकतावादियों (Anarchists), सिंडिकलिस्टों (Syndicalists) और अन्य अनेक लोगों का भी यही मत है कि स्वतंत्रता तथा कानून, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। जहाँ एक का बाहुल्य है, वहाँ दूसरे की कमी होगी। राज्य की प्रभुत्व शक्ति जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है, अतः पद पद पर मनुष्य को राज्य के कानूनों की आज्ञा माननी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और उसका कार्य करने का उत्साह मारा जाता है। इसलिए व्यक्तिवादियों का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। मनुष्य का राज्य से अलग रहकर ही कल्याण होगा। राज्य को गान्धि, अमन कायम रखने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार उत्पत्ति करने में बराबर सुभवसर दे देने चाहिये। अराजकतावादी और आगे पहुँचते हैं और चाहते हैं कि समाज को राज्य के बंधनों से विमुक्त रखा जाए। इनका दावा है कि 'राज्यविहीन समाज में ही व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उत्तमिक सुभवसर प्राप्त हो सकते हैं।' इसी प्रकार सिंडिकलिस्ट (Syndicalists) भी राज्य के विरोधी हैं। दूसरी ओर, समाजवादी (Socialists) राज्य के साथ-साथ निरन्तर बढ़ाने के पक्ष में हैं। वे जनता के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व बौद्धिक विकास में राज्य के दखल को पाप सगत घोषित करते हैं।

इस प्रकार प्रभुत्व शक्ति व स्वतंत्रता में मौलिक विरोध प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता है। दोनों का एक-दूसरे से बँध प्रतीत होता है किन्तु समय विहीन स्वतंत्रता चल नहीं सकती। समय तथा बंधन विमुक्त स्वतंत्रता तो एक लाइसेंस

1 Obedience to a law which we prescribe to ourselves is liberty
—Rousseau (Social Contract p 19)

2 Law is not merely a command it is also an appeal
—Laski (Liberty in the Modern State, p 71)

लगाए गये प्रत्येक नियंत्रण से, जनता की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। यदि बंधन, आवश्यकता की सीमा को पार करके जीवन के आनंद का दिनाश करने वाला है तो निश्चय ही उसे मनुष्य की स्वतंत्रता का घातक कहना होगा। 'प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना है कि जिन वस्तुओं से उसके निजी जीवन की नतिक उन्नति में प्रेरणा मिलती है, उन्हें पाने की सुविधाएँ उभ प्राप्त हो। जो बंधन या नियंत्रण इस प्रेरणा को सीमाबद्ध बनाते हैं, उन्हें स्वाधीनता घातक कहना होगा।' यदि मनुष्य यह अनुभव करता है कि वह अपने मत को प्रकट नहीं करता और उसे अधिकारीवर्ग को अपना दृष्टिकोण समझाने के साधन प्राप्त नहीं हैं तो उम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। प्रजातन्त्रीय राज्य व्यवस्था में अपने विचारा को स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट करने की आज्ञा होती है। जिस जगह व्यक्ति की इच्छा समुदाय के दबाव में है या जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती। कम से कम ऐसे राज्य में विचारा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग के लिए न तो पूरी छूट मिल सकती है न मनमाना अधिकार मिल सकता है। ड्यूग्वी (Duguit) का कथन है कि, "उत्तरदायित्व सही स्वतंत्रता उच्छ्रंखलता बन जाती है। स्वतंत्रता सही उत्तरदायिता स्वेच्छाचारी शक्ति का रूप धारण कर लेती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व मिले, प्रत्युत प्रश्न यह है कि वे किस प्रकार मिल सकते हैं और उनसे अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। यही समस्त राजनीतिक दशन का सार है।" इस प्रकार, स्वतंत्रता का प्राण सामजस्य है।

अतः स्वतंत्रता और कानून के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार—स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इस कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि कानून स्वतंत्रता पर आघात करता है। व्यक्तिवादी विचारक इस मत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव होता है क्योंकि राज्य संप्रभुत्व सम्पन्न होने के नाते ऐसे कानून बनाता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करते हैं। अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्य और कानून का ही अन्त कर देना चाहिए। इन विचारधाराओं के कारण मनुष्य का राज्य से अलग रह कर ही कल्याण हो सकता है। अराजकतावादी विचारक यहाँ तक कहते हैं कि राज्यविहीन समाज में ही व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्नति के अवसर प्राप्त किये जा सकते हैं।

दूसरी विचारधाराओं के अनुसार, स्वतंत्रता कानून के द्वारा ही सम्भव

होती है, तथा राज्य का कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लॉक के अनुसार, "जहाँ कानून नहीं होता, वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती।"¹

कानून और नैतिकता (Law and Morality)

हमारी प्राचीन मस्कृति में कानून और नैतिकता को पृथक् नहीं समझा जाता था। प्राचीन भारत में 'धर्म' शब्द, कानून और नैतिकता दोनों के लिए उपयोगी होता था। इसी तरह यूनानी विचारधारा में भी कानून और नैतिकता को एक दूसरे से अभिन्न माना जाता था। नैतिकता कानून की प्रथम मजिल है। कानून विहीन नैतिकता उस विधवा के समान है जिसको समाज के व्यक्ति घणा की तरह देखते हैं। कानून को यदि शरीर मान लिया जाय तो नैतिकता उसकी आत्मा है। जिसके अभाव में कानून जीवित नहीं रह सकता। नैतिकता से कानून को बल मिलता है, क्योंकि उसमें सावजनिक हित की भावना होती है। नैतिकता ही कानून को पवित्रता तथा शुद्धता का मागदशन करती है। नैतिकता सगिरा हुआ कानून राज्य के हित में उचित नहीं होता, जनता भी ऐसे अनतिक कानूनों के विरुद्ध क्रान्तिकारी कदम उठा सकती है। सावजनिक तथा व्यक्तिगत हित जिस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार कानून और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं। विल्सन के अनुसार—"कानून देश की नैतिक प्रगति के दायरे में है।"

कानून और नैतिकता में भेद

(Distinction between Law & Morality)

कानून और नैतिकता दोनों ही विषय सम्बंधित होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। नैतिकता मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को उसके विचारों और उद्देश्यों को परिवेष्टित करती है। अतः नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति के बाह्य आचरण में नहीं उसका सम्बन्ध व्यक्ति के आंतरिक विचारों और उद्देश्यों से होता है जबकि कानून मनुष्य के बाह्य कार्यों से सम्बंध रखता है। उसके उद्देश्यों और कार्यों से इसका कोई सम्बंध नहीं होता। अतः नैतिकता का क्षेत्र कानून के क्षेत्र की अपेक्षा सकुचित होता है।

कानून राज्य द्वारा जारी किया जाता है और उसकी अवज्ञा होने पर दण्ड मिलता है। उसकी पीठ पर शक्ति की मायता है। दूसरी ओर, नैतिकता के

1 Where there is no law, there is no freedom

—Lock Quoted by Asirvatham (Political Theory, p 141)

नियमों को भंग करने का अर्थ शारीरिक दण्ड नहीं है, यद्यपि इसका तात्पर्य सामाजिक तिरस्कार हो सकता है उनके परिणाम शारीरिक दण्ड से वही भयकर हो सकते हैं। नैतिक निंदा, सम्भवतः, एक व्यक्ति का सामाजिक रूप में हीन कर सकती है, किन्तु इसका अर्थ शारीरिक दण्ड नहीं है, नतिकता की पीठ पर सावजनिक निंदा की स्वीकृति है। इस तरह कानून शक्ति का विषय है और नतिकता चेतना या विवेक का। कानून का स्वरूप व्यापक और सावजनिक होता है और यह सब पर समान अवस्थाओं में लागू होता है। नतिकता व्यक्तिगत है और हर आत्मा में भिन्न होती है। यह व्यक्ति के हृदय या विवेक की आज्ञा है। कानून स्पष्ट और निश्चित है, क्योंकि वह व्यापक है। नतिकता सदिग्धता और अनिश्चितता की मात्रा लिये हुए है, क्योंकि इसका निजी व्यक्तित्व है।

नतिक नियम सही या गलत, 'याय और अन्याय' के पूरा मापदण्डों की स्वीकृति देते हैं। किन्तु कानून उपयोगिता के मानदण्ड का अनुसरण करता है। कानून जिसकी मनाही करता है, वह सम्भवतः अनतिक काय न हो, बड़े शहर के तंग बाजारों में दौड़ और गाड़ी चलाना एक सामाजिक भय है, और इसलिए उसकी मनाही है, किन्तु दौड़ और गाड़ी चलाना अनतिक नहीं है यद्यपि यह कानून-विरोध है। ऐसी भी कई बातें हो सकती हैं जो अनतिक हैं किन्तु कानून विरोध नहीं हैं। घुड़दौड़ में दाव लगाना या क्लब में पोकर (एक प्रकार का जुआ) खेलना अनतिक हो सकता है, किन्तु दोनों में से कोई भी अर्थहीन नहीं है। राज्य प्रायः ऐसे कानूनों को बनाता है, जो नतिकता के मानदण्डों की अपेक्षा उपयोगिता और सुविधा पर अधिक आश्रित होते हैं। इसी प्रकार, राज्य के कानून नतिक अधिकारों की मायता नहीं अपनाते। राज्य केवल नागरिक अधिकारों के भोग की गारण्टी करता है। यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपने माता-पिता की सहायता और सेवा करूँ, क्योंकि माता-पिता के पास अपने बच्चा से इस सेवा की मांग करने का नतिक स्वत्व है। यदि मैं अपने नैतिक कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हूँ और मैं कर्तव्यहीन पुत्र साबित होता हूँ तो राज्य के कानून मुझे कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बंधन रूप में मेरा दमन नहीं किया जा सकता।

इस तरह यह स्पष्ट हो जायेगा कि कानून नतिकता के सम्पूर्ण धरातल को नहीं याच करता है और नहीं कर सकता है। समस्त नतिक दायित्व को धर्म दायित्व का रूप देने का अर्थ नतिकता को बर्बाद करना होगा। न ही राज्य नतिकता का निर्देश कर सकता है क्योंकि राज्य निर्दिष्ट नतिकता नतिकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक कानून जारी किया जाए कि प्रत्येक नागरिक हर

सवेरे मंदिर या गुरुद्वारा जाया करे। यदि कोई इस नियम का अनादर करे तो दण्ड का भागी होगा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि कोई व्यक्ति मंदिर या गुरुद्वारा जाने से नैतिक प्राणी बन जाता है। नतिवता अंतरात्मता का विषय है और इसका सम्बन्ध विश्वास से है। राज्य का कोई भी कानून इसे लागू नहीं कर सकता।

कानून और नैतिकता के बीच साम्य (Affinity between Law & Morality)—कानून और नैतिकता के बीच ऊपर कुछेक सुस्पष्ट अंतर दिए गये हैं और कोई भी इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। तिस पर भी दोनों के बीच निकट सम्बन्ध है। राज्य की स्थापना उनका नागरिकों के हृदय में हाती है और नागरिक उसके नैतिक प्रतिनिधि होते हैं। एक बुरे नागरिक का अर्थ है बुरा राज्य और फलस्वरूप, राज्य के कानून भी बुरे ही होंगे। प्लेटो (Plato) के बयानानुसार, 'सर्वोत्तम राज्य वह है, जो गुण में व्यक्ति के निकटतम है। यदि राजनीतिक सस्था का कोई अंग पीड़ित होता है, तो सम्पूर्ण शरीर को पीड़ा हाती है। यह राज्य का शारीरिक दृष्टिकोण है और इससे ग्रीक राजनीतिक दर्शन का निर्माण हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने भी इसी दृष्टिकोण और विश्वास को स्वीकार किया है कि व्यक्ति और राज्य का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य अपने ध्यवित्त को केवल राज्य के अंतर्गत विकसित कर सकता है, जो व्यक्ति के नैतिक जीवन की सर्वोच्च दशा है। राज्य व कानून नैतिकता के मापदण्ड को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार, सही और गलत विचार, जो लोगों के नीतिशास्त्र-विषयक मानदण्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य के कानूनों को भी प्रभावित करेंगे।

राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए, राज्य का नैतिकता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध दो प्रकार का है—भावात्मक और अभावात्मक। राज्य का भावात्मक या सकारात्मक कार्य (positive function) ऐसे कानूनों का बनाना है, जो सामाज्य प्रसन्नता और सुख की वृद्धि के लिए हैं, और समुदाय के महत्वपूर्ण भागों के नैतिक विश्वासों तथा भावनाओं के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए, भारत सरकार अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। केवल जम के सयोगवश आदमी और आदमी के बीच अंतर करना नैतिक पाप है। इसी तरह मद्य निषेध करना लोगों के हित की बात है। फलतः, भारत मद्य ने कई राज्यों द्वारा मद्य-निषेध (prohibition) की नीति का अनुसरण करना भावात्मक अथवा सकारात्मक कृत्य (positive function) है। किंतु जब राज्य एक बुरे कानून को हटाता है, तो वह निषेधात्मक कृत्य (negative

function) का पालन करता है। सती और टगी को अबध वाय घोषित किया गया, क्योंकि वे हमारे जीवन मापदण्ड के अनुरूप नहीं थे।

इस प्रकार, कानून और नतिकता के बीच इतनी घनिष्ठ घातमोघता है कि अबध और अनतिक के बीच का सीमान्त सदैव स्पष्ट नहीं होता। आज की अबधता कल की अनतिकता हा सकती है और इसके विपरीत भी। राज्य के विषय में हमारा विचार है कि यह खन अपन में लक्ष्य नहीं है, किन्तु लक्ष्य के लिए साधन है। हम राज्य को नतिकता की घात के रूप में मानते हैं। राज्य और कानून निरंतर सावजनिक मत और कार्यों—दोनों का प्रभावित करते हैं, इसके बदले में कानून सावजनिक मत को प्रवृत्त करता है और इस प्रकार विधि नतिक उन्नति के सूचनाक (index) के रूप में काम करती है।

कानून और नतिकता का सम्बन्ध सदा से बड़ा घनिष्ठतापूर्ण रहा है। प्रारम्भिक समाज में कानून और नतिकता प्रायः एक से होते थे। जो कुछ नतिकता कहती थी, वही कानून होता था। नतिकता और कानून का वह सम्बन्ध अब भी किसी न किसी रूप में चला ही आ रहा है यदि आधुनिक कानूनों पर विचार किया जाय तो हम देखते हैं कि उनमें उन्हीं आदर्शों और विचारों को कानूनी मायता प्रदान की जाती है जो नतिक दृष्टि से मान्य होते हैं। वस्तुतः जब कोई नतिक मान्यता बहुसंख्यक जनता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो उसी को राज्य कानून का रूप दे देता है और वही नतिक मायता राजकीय कानून हो जाती है। किसी देश का नतिक स्तर कसा है इस सम्बन्ध में हम बहुत कुछ उसके कानूनों के अध्ययन से जान सकते हैं। नतिकता और कानून का सम्बन्ध हम दो रूपों में पाते हैं। दोनों के सम्बन्ध का एक रूप यह होता है कि कानून को नतिकता की धारणा पर आधारित होना चाहिये तभी उसका पालन उन लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक और सरलतापूर्वक हो सकगा, जिनके लिये उसे बनाया जाता है। दोनों के सम्बन्ध का दूसरा रूप यह हाता है कि कानून ऐसा नही होना चाहिये, जिसे हमारी नैतिक मायता का आघात पहुंचे।

समाज—कल्याण की दृष्टि से कानून और नतिकता का महत्व प्रायः समान-स्तरीय है। दोनों प्रायः उन बातों का निषेध करते हैं जो समाज कल्याण की दृष्टि से निषिद्ध हो। उदाहरणार्थ, चोरी करने को यदि नतिकता की दृष्टि से निषिद्ध माना जाता है तो उस कानून की दृष्टि से भी निषिद्ध माना जाता है। उन भ्रमक कार्यों को जिन्हें अनतिक माना जाता है गल्पानूनी भी माना जाता है। प्रकार दोनों ही उस घात का समयन करते हैं, जो समाज—कल्याण के लिये

उपयोगी होते हैं। जिन कार्यों को नैतिकता का समयन प्राप्त होता है, उन्हें कानून भी स्वीकृति दे देता है और फिर नैतिकता की तत्सम्बन्धी मायताओं के विरुद्ध चलना दण्डनीय हो जाता है। इस प्रकार नैतिकता कानून की सहगामिनी होती है। इस सम्बन्ध में यदि और अधिक औचित्य के साथ कहा जाय तो यह कहना चाहिए कि कानून नैतिकता का अनुसरण करता है। बिना नैतिकता का सहारा लिए हुए कोई कानून नहीं चल सकता। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में मद्य-निषेध सम्बन्धी कानून सख्त पूरा सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे लोगों का नैतिक समयन प्राप्त नहीं है। बाल-विवाह सम्बन्धी शारदा एक्ट का भी यही हाल हुआ है और वह एक मृत कानून के रूप में पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी व्यवस्था के अनुकूल अभी समाज का नैतिक स्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में जो नैतिक प्रवृत्ति चल रही है उससे सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् देश का नैतिक वातावरण उसकी व्यवस्था के अनुकूल हो जाये और वह एक क्रियाशील कानून बन जाये। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिकता कानून को प्रभावकारी और क्रियाशील बनाने में सहायक होती है।

एक और यदि नैतिकता कानून की सहायता करती है, तो कानून भी नैतिक स्तर को उठाये रखने में सहायक होता है। उदाहरण के लिये, हम चोरी करने को ले सकते हैं। यदि चोरी करने का कार्य कानून द्वारा दण्डनीय न रखा जाय तो यह पूरा सम्भव है कि लोग चोरी करने लग जायेंगे और इस प्रकार कानून की सहायता के बिना देश का नैतिक स्तर गिर जायगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नैतिक जीवन कानून की उचित व्यवस्था के अन्तर्गत ही सम्भव होता है। कानून की सहायता के बिना नैतिक जीवन के स्तर को ठीक बनाय रखना असम्भव ही है।

यस्तुत कानून और नैतिकता परस्पर अयो-यायित हैं और वे सदा एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। यदि कानून का रूप नैतिक मापदण्डों के अनुकूल बदलता रहता है और इस प्रकार नैतिकता कानून को प्रभावित करती रहती है, तो कानून की व्यवस्था के अनुकूल नैतिकता का स्तर गिरता और उठता रहता है और इस प्रकार कानून नैतिकता को प्रभावित करता रहता है।

कानून और नैतिकता में अन्तर

(Difference between Law & Morality)

कानून और नैतिकता का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उन दोनों में बड़ा अन्तर है। दोनों के अन्तर का विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं।

क्षेत्र सम्बन्धी अंतर—कानून और नतिकता में क्षेत्र सम्बन्धी अंतर है। कानून के क्षेत्र में व्यक्ति के बाहरी बाय आते हैं। उसके विचारों और उद्देश्यों से इसका कोई संबंध नहीं होता। दूसरी ओर नतिकता के क्षेत्र में व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन आ जाता है। नतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति के बाह्य आचरण से ही नहीं होता। उसका सब कुछ व्यक्ति के आन्तरिक विचारों और उद्देश्यों से भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नतिकता का क्षेत्र कानून के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक और कानून का क्षेत्र नतिकता के क्षेत्र की तुलना में संकुचित है।

मायता सम्बन्धी अंतर—कानून और नतिकता में मान्यता या स्वीकृति की दृष्टि से भी अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, दोनों को प्रवर्तित करने वाली सत्ताओं में भेद है। कानून को राजसत्ता की मायता प्राप्त होती है और वे राज्य द्वारा प्रवर्तित किये जाते हैं। जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं, राज्य उन्हें दण्ड देता है। पर नतिकता के विषय में यह बात नहीं होती। इसमें सन्देह नहीं कि नतिकता सामाजिक स्तर के अनुसार होती है और किसी रूप में यह भी कहा जा सकता है कि समाज नतिकता का प्रवर्तक एवं उसे मान्यता देने वाला होता है, पर उसके उल्लंघन की दशा में समाज की ओर से उसके लिए दण्ड देने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अनतिकृत्य को करे तो वह स्वयं प्रायश्चित्त कर सकता है अथवा समाज उसे बुरा बह सकता है पर कानून के उल्लंघन जैसी निश्चित दण्ड व्यवस्था नतिकता के उल्लंघन के लिये नहीं पाई जाती।

प्रकृति सम्बन्धी अंतर—कानून और नतिकता में प्रकृति का भी अंतर होता है। दोनों की प्रकृतियाँ अलग-अलग भिन्न होती हैं। कानून नतिक सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक निश्चित होता है अर्थात् उनका निर्माण निश्चित विधिपूर्वक विधान-मण्डलों द्वारा होता है तथा उसका नियमन भी एक निश्चित विधि के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त कानून सब व्यक्तियों के लिए एकसा होता है और सभी व्यक्तियों को उसका पालन समान रूप से करना होता है अन्यथा उल्लंघनकर्ता दण्ड के भागी होते हैं। नतिकता की प्रकृति में अनिश्चितता पाई जाती है। नतिक सिद्धान्त उतने निश्चित नहीं होते जितने निश्चित कानून के नियम होते हैं। उनका निर्माण सामाजिक आचार विचार की अनिश्चित प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे होता है। इसके अतिरिक्त नतिकता कानून की तरह सब व्यक्तियों के लिए एक समान भी नहीं हो सकती और न उसका पालन सभी के लिए उस प्रकार अनिवार्य होता है जिस प्रकार कानून का पालन। नतिकता व्यक्तिगत वस्तु है और उसके प्रयोग

मे व्यक्तियों के अन्तर के साथ अंतर हो सकता है। उदाहरणार्थ, हम दान पुण्य को ले सकते हैं। यह एक और यदि कुछ लोगों के अनुसार ऐसी नैतिकता है जिस पर सभी को चलना चाहिए, तो दूसरी ओर कुछ लोगों के अनुसार ऐसी अनैतिकता है, जिसे समाज में अकमण्यता फलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून की प्रकृति यदि निश्चित और सावभौमिक है, तो नैतिकता की प्रकृति अनिश्चित एवं व्यक्तिगत है।

मापदण्ड सम्बन्धी अन्तर—कानून सामाजिक उपयोगिता पर चलता है, जबकि नैतिकता सामाजिक औचित्य पर चलती है। दूसरे शब्दों में, यह कहना चाहिए कि कानून का मापदण्ड उपयोगिता एवं नैतिकता का मापदण्ड औचित्य होता है। सभी कानून नैतिकता पर उतने आश्रित नहीं होते जितने कि वे उपयोगिता पर आश्रित होते हैं। उन सभी बातों को जिन्हें नैतिक समझा जाता है कानून द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ, दान-पुण्य करना नैतिक है पर समाज की दृष्टि से उसकी उपयोगिता विवादग्रस्त होने के कारण उसे कानून द्वारा अनिवार्य नहीं किया जाता है। इसी प्रकार उन सभी बातों का जिन्हें नैतिक दृष्टि से निषिद्ध समझा जाता है कानून द्वारा निषिद्ध और अक्राय घोषित नहीं कर दिया जाता। उदाहरणार्थ, धावमो द्वारा चलित रिश्वे पर बैठकर यात्रा करना अनैतिक है, पर उसे कानून द्वारा निषिद्ध तथा अक्राय घोषित नहीं किया जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब नैतिक बातें कानूनी नहीं तथा सब अनैतिक बातें गर कानूनी नहीं होती, और न कानूनी बातें नैतिक होती हैं तथा न सब गर कानूनी बातें अनैतिक होती हैं। कानून का मापदण्ड सामाजिक उपयोगिता और नैतिकता का मापदण्ड सामाजिक औचित्य है और इस प्रकार दोनों में मापदण्ड सम्बन्धी भिन्नता पाई जाती है।

कानूनों के पालन की समस्या—कानून का पालन हम सभी करते हैं। इस सम्बन्ध में यह विवाद बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि क्या व्यक्ति कानूनों का पालन इसलिए करता है कि ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य है अथवा वह उसका पालन स्वेच्छापूर्वक करता है। कानून के स्वरूप के सम्बन्ध में जितनी विचार-धाराएँ हैं इस सम्बन्ध में भी प्रायः उतनी ही विचारधाराएँ हैं। जो लोग कानून को राजसत्ता की आज्ञा मात्र मानते हैं, उनका विचार है कि व्यक्ति कानून का पालन दण्ड के भय से करता है। बेंथम (Bentham) तथा हॉब्स (Hobbes) इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक हुए हैं। जो विचारक कानून को ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानते हैं, उनके मतानुसार कानून का पालन व्यक्ति

इसलिए करता है कि वह उन परम्पराओं पर आधारित होता है जिनका व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार व्यक्ति कानून का पालन इसलिये करता है कि उससे उसका कल्याण होता है, और इसलिए नहीं कि उसे उसका पालन करना अनिवार्य है। जिस प्रकार कानून की प्रकृति किसी एक विचारधारा द्वारा पूर्णतः प्रतिपादित नहीं होती, उसी प्रकार कानून का पालन व्यक्ति क्यों करता है, इस प्रश्न का उत्तर किसी एक विचारधारा द्वारा पूर्णतः नहीं दिया जा सकता। वस्तुतः कानून का पालन व्यक्ति अनेक कारणों से करता है जिनका विवेचन हम आगे करेंगे।

दण्ड का भय—व्यक्ति कानून का पालन दण्ड के आधार पर करता है, दण्ड का भय होता है। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता से युक्त संस्था होती है। कानून उसके आदेश होते हैं, अतः यदि उसके कानून का पालन न किया जाय, तो वह व्यक्ति को दण्डित कर सकती है और व्यक्ति के पास उसका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होती। राज्य के उस दण्ड के भय से, जिसका प्रतिकार करने में व्यक्ति असमर्थ होता है, वह उसके कानूनों का पालन करता है। वस्तुतः व्यावहारिक जीवन में हम ऐसा ही होते देखते हैं। यदि कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था न हो, तो यह पूर्णतः सम्भव है कि अपने अनुचित स्वार्थ के लक्ष्य प्राप्त होकर अधिकतर लोग कानून की अवहेलना करना प्रारम्भ कर देंगे। ऐसा होने से चूँकि अराजकता फैल जायेगी, इसलिये राज्य की ओर से कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था होती है और उस दण्ड के भय से व्यक्ति कानून का पालन करते हैं।

अभ्यास—एक अन्य कारण जिसके आधार पर व्यक्ति कानून का पालन करता है, उसका कानून के पालन करने का अभ्यस्त होना है। व्यक्ति एक परिवार का सदस्य होता है। परिवार में बाल्यावस्था से ही वह अपने बड़ा की आज्ञा मानने का अभ्यस्त हो जाता है और आगे चलकर बड़े होने पर अपने उसी अभ्यास के कारण राज्य के कानूनों का भी पालन करने लगता है। इसके प्रतिरिक्त कानूनों के पालन करने का अभ्यास व्यक्ति को एक और प्रकार से भी होता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति अनेक सामाजिक नियमों प्रथाओं और परम्पराओं का पालन करता है और उनके पालन का वह अभ्यस्त हो जाता है। कानून भी अधिकतर वही प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होते हैं। अतः व्यक्ति अपने पूर्व अभ्यास के कारण कानूनों का पालन भी उसी प्रकार करने लगता है जिस प्रकार वह प्रथाओं और परम्पराओं का पालन करता है।

सामाजिक कल्याण - एक प्रय कारण जिसके आधार पर व्यक्ति कानून का पालन करता है, उसकी सामाजिकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका अस्तित्व समाज में ही सम्भव है। दूसरे शब्दों में, यह कहना चाहिए कि समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति को जो सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, उनके बिना उसका अस्तित्व सम्भव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार कुछ सुविधाएँ चाहता है जिसे वह अपना जीवन सुखमय बना सके। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति सुविधाएँ चाहता है, इस प्रकार की सुविधाओं की प्राप्ति की प्रक्रिया पारस्परिक हो जाती है। एक व्यक्ति अपने लिए सुविधाओं की प्राप्ति लभो कर सकता है, जब उसी प्रकार की सुविधाएँ वह अन्य व्यक्तियों को देने के लिए भी तैयार रहे। कानूनों के द्वारा चूंकि व्यक्ति की पारस्परिक सुविधाओं की व्यवस्था होती है, अतः वह अपनी सामाजिकता के कारण कानूनों का पालन करता है।

अधिकार रक्षा - एक प्रय कारण जिसके आधार पर व्यक्ति कानूनों का पालन करता है, यह है कि कानूनों के कारण उसके अधिकारों की रक्षा होती है। राजकीय व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों की व्यवस्था का संचालन कानूनों द्वारा होता है। कानून व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों और उसी प्रकार व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों का नियंत्रण करता है। अतः वह सम्भव है ठीक बन रहे और लोगों के अधिकारों की रक्षा होती रहे, इसलिए व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह उन अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों का पालन करता रहे। कानून के अन्तर्गत ये व्यवस्था फैलती है और व्यवस्था की दशा में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति कानून का पालन करता है।

विवेक - कुछ लोगों के मतानुसार व्यक्ति कानून का पालन इसलिए करता है कि वे उनके विवेक पर ध्यान देते हैं। दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था में भी इसी मत का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति कानून का पालन इसलिए करता है कि वह अपने विवेक का उपयोग करेगा, इस मत में इन कानूनों का पालन नहीं करना ही कानून का पालन इसलिये करते हैं कि वह उन कानूनों की व्यवस्था में

1 We obey law because it appears to us, and we do so because of fear of punishment which is due to us.

लास्की ने भी इसी मत का समर्थन किया है और कहा है कि 'वे (अर्थात् नागरिक) अपनी स्वीकृति प्रदान करके कानून को वैध बनाते हैं। वे अपनी स्वीकृति इतलिये देते हैं कि वह (कानून) उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अतएव अर्थात् कानून कवल वही हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप इच्छाओं वा अधिक से अधिक तुष्टीकरण हो तथा अच्छे कानून के अतिरिक्त और किसी कानून का पालन औपचारिक रूप से भले ही हो जाय, वास्तविक रूप में वह पालन करने के योग्य नहीं हो सकता।'¹ मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है और यह मानना कि वह अपने अर्थों की तरह कानून का पालन भी अपने विवेक के आधार पर करता है, असंगत नहीं है। पर इस बात को मानने में हमारे समक्ष एक यह कठिनाई आती है और वह कठिनाई अत्यंत गम्भीर है। व्यक्ति द्वारा कानूनों का पालन व्यक्तिगत विवेक के आधार पर होता है, इसके मान लेने का अर्थ है कि यदि कोई कानून किसी व्यक्ति के विवेक पर खरा नहीं उतरता तो वह उसका पालन न करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है। लास्की का मत तो इस सम्बन्ध में जहा तक है कि व्यक्तियों को यदि वास्तविक रूप से नागरिक होना है तथा समाज की उन्नति में अपना उचित योग देना है, तो उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना सीखना चाहिये। लास्की के कथन का तात्पर्य यही है कि यदि व्यक्ति के विवेक की कसौटी पर कानून खरा नहीं उतरता तो वह उसका पालन न करने के लिये ही स्वतंत्र नहीं है, अपितु वह उसका विरोध करने का भी अधिकारी है।

इस सम्बन्ध में दूसरी ओर से जो बात कही जाती है वह यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रचलित कानूनों की अच्छाई बुराई देखने का अधिकारी मान लिया जाय और यह भी मान लिया जाय कि उन कानूनों को न मानने के लिये वह स्वतंत्र है, जो उसके विवेक के अनुसार दीपपूर्ण है तो इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य और प्रत्येक कानून के विषय में भिन्न-भिन्न तरह सोच और अपनी-अपनी इच्छानुसार उसे मानें अथवा न मानें तथा इस प्रकार की अस्त-व्यस्तता के कारण समाज में अराजकता फैल जाये।

1 They make law valid by consenting to it. They consent to it as it satisfies their desires. A good law therefore is a law which has its result the maximum possible satisfaction of desires and no law save a good law is except in a formal sense entitled to obedience as such.

पहलो विचारधारा लोकमत विस्तृत अर्थ

कानून धीर लोकमत म गहरा सम्बन्ध है। कानून लोकमत के बिना नहीं रह सकता। जब लोकमत कानून के विरुद्ध हो जाये तो उसका पालन नहीं होता। लोकमत का आधार कुछ न कुछ लोगों के हित की पूर्ति करना होता है, चाहे वह हित पूर्ति भ्रामिक हो। फ्रीडमैन ने इसका दृष्टा त—नाजी जर्मनी के राज्य धीर साम्यवादी रूप के राज्यो से दिया है। नाजी राज्य प्रत्याचारी राज्य था। लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता था। उनको गुप्त पुलिस का हर वक्त डर रहता था। यहूदियों का दमन क्रिया जाता था। फिर भी जर्मन जनता नाजी कानून के समर्थन मे थी, क्योंकि वह यह समझती थी कि नाजी सरकार देश के हित के लिए कार्य कर रही है, जर्मन जाति का नाम ऊँचा कर रही है परन्तु जब नाजी कानून ने पत्नी की पति के विरुद्ध शिकायत करने वाली उसे नाजी सरकार के विरुद्ध घोषित कर उससे विवाह विच्छेद करने का अवसर दिया तो परिवारो का विघटन होने लगा तो जर्मन जनता नाजी सरकार के विरुद्ध हो गयी धीर नाजी सरकार को सदेह से देखा जाने लगा धीर अन्त म, युद्ध में नाजी सरकार की हार हुई। साम्यवादी रूप ने कानून द्वारा जनता की स्वतंत्रता के ऊपर तरह तरह के रोक लगाये परन्तु उसने जनता के दूसरे हितो की पूर्ति की। एक प्रशिक्षित समाज को शिक्षित समाज बनाया रोटी रोजी की समस्या को सुलझाने की कोशिश की। देश का गौरव बढ़ाया। लोकमत इस सरकार के विरुद्ध नहीं है।

मुस्लिम राज्यो म भी पाश्चात्य विचारो के धीर प्रयोगिक युग के प्रभाव के कारण लोकहितों म परिवर्तन हो रहा है धीर कानून धीरे धीरे धम के प्रभाव से दूर हो रहा है। अतः कानून धीर लोकमत म वहाँ एक गहरा धीर व्यापक सम्बन्ध है। लम्बे अर्थ तक कानून लोकमत के बिना नहीं रह सकता। लोकमत मूक हो सकता है अप्रत्यक्ष भी हो सकता है वह अनधिक्य हो सकता है, प्रव्यक्त हो सकता है पर होता जरूर है। उसके अस्तित्व पर सदेह नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा के नपथ्य में समाज सविद्या की विचारधारा दिखाई देती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कानून धीर राज्य दोनों समाज के रूप हैं धीर सामाजिक मत से संचालित होते हैं।

दूसरी विचारधारा लोकमत का सीमित अर्थ

डार्डनी ने लोकमत का भौतिक रूप देखा है धीर यह बताया है कि लोकमत जो कानून को प्रभावित करता है हर जगह हर समय नहीं पाया जाता है। जनता की भाषाज दबाई जा सकती है, उसका गला घोंटा जा सकता है। प्रशिक्षित

लोगों में और अधिकृत समाजों में, रीति रिवाज से चलने वाले लोगों में लोकमत नहीं हो तो वे जागरूक नहीं होते और कानून के बारे में अपना मत जाहिर नहीं करते न कानून उनके मत के द्वारा बनाया जाता है। अतः कानून के द्वारा उन पर अत्याचार भी होता है, भोषण भी होता है तो भी वे स्वीकार करते हैं और सचियों से वे अधिकारी कानूनी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। कानून बिना लोकमत के भी बनाया जा सकता है। लोकमत को प्रकट करने के लिए यथोचित साधन होने चाहिए। लोग जागरूक होने चाहिए, प्रजातन्त्रीय ढाँचा होना चाहिये, जैसे 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में था। लोकमत के तीन पक्ष होते हैं। प्रमुख मत जिसको डार्सी ने बहुसंख्यक का मत या प्रमुख या प्रबल लहर या धारा कहा है। विरोधी मत जिसको उसने विपक्षी धारा बताया और विशेष सामाजिक हितों का मत जिसको उसने रास्ता काटने वाली और अपने हितों का संरक्षण करने वाली और रियायत प्राप्त करने वाली धारा कहा है। लोकमत की रस्सी तीन डोरियों के द्वारा निर्मित होती है। अपनी आदर्श व्यवस्था लोकमत कानून का निर्माण करता है। कानून लोकमत को शिक्षित कर उसका समर्थन प्राप्त करता है। अतः हर जगह लोकमत की लहरें दृष्टिगोचर नहीं होती अतः कानून और लोकमत में व्यापक सम्बन्ध नहीं होता। डार्सी की विचारधारा 19वीं सदी द्वितीय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बल देती है क्योंकि साम्राज्यशाही में उपनिवेशों में जनता के विरुद्ध कानून घोषित जा सकता है। अतः डार्सी ने लोकमत और कानून के भौतिक रूप पर ज्यादा बल दिया है।

भारत में लोकमत (Public opinion in India)

डार्सी की तरह जूलियस स्टोन जैसे विद्वान ने भी लोकमत का भौतिक रूप देखकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि भारत में कानून को प्रभावित करने वाले लोकमत की कमी है क्योंकि—

प्रथम जो योजनाएँ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उनमें भारत के 60 करोड़ लोगों की राय नहीं ली जाती।

दूसरे, यहाँ के लोग अपना मत कानून के बारे में प्रकट नहीं करते क्योंकि अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं और शहरी सभ्यता से बिल्कुल दूर हैं।

तीसरे, वे परिवार, जाति आदि व वधियों से बंधे हुए हैं। अतः कानून के बारे में कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं रखते।

चौथे, मुस्लिम और अंग्रेज शासकों ने भारतीय ग्रामीण जनता को दण्ड देने,

उससे कर वसूल करने, वेगार देने के सिवाय कुछ नहीं किया जिससे सरकार और जनता में सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ ।

पाँचवें, हिंदू धर्म की मायता है कि जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वही होता है, इस जन्म का दुखी जीवन पूर्वजन्म का फल है और इस जन्म में कष्ट उठाने से भागे का जन्म सुखी होगा । ऐसी प्रवृत्ति में वे कानून के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं करते ।

छठे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन भारतीय परम्पराओं की पृष्ठभूमि में किया गया अतः स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनतिक दलों को लोकमत का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं हुई ।

सातवें, यहाँ के अधिकांश लोग निरक्षर और अनपढ़ हैं । वे अपना मत ही प्रकट नहीं करते । ऐसी प्रवृत्ति में पश्चात्त्य सभ्यता से प्रभावित अल्पसंख्यक शिक्षित लोग ही कानून निर्माण का कार्य कर रहे हैं और औद्योगिकरण के लिए योजना बना रहे हैं । प्रौढ मत के कारण परम्परागत विचार उनके रास्ते के रोड़े बन रहे हैं एवं उनके बनाए गये कानून का ठीक प्रवर्तन नहीं होता और शासकवर्ग को समय समय पर रियायतें देनी पड़ती हैं ।

जो लोग भारत को छोड़ने ले जाना चाहते हैं, उनके सामने एक विकट समस्या है । एक ओर तो पुरानी सभ्यता अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए दम तोड़ रही है, तो दूसरी ओर नयी सभ्यता अपना उका जमाने का निरन्तर प्रयत्न कर रही है ।

यह तो है अचेतन रूप से उपनिवेशवाद और साम्राज्यशाही से प्रभावित भारतीय लोकमत के बारे में निम्न जो डाईसी की विचारधारा से सीधा प्रभावित दिखाई देता है । फ्रीडमैन की विचारधारा को मानकर यदि हम स्वयं देखें तो हमको लगेगा कि भारत में लोकमत का कभी प्रभाव नहीं रहा है । निश्चित तौर से देखा जाय तो इंग्लैंड और अमेरिका में भी हमेशा नागरिक कानून के बारे में जागरूक नहीं रहते वहाँ भी क्षेत्रीय भावनाएँ और वर्ग भावनाएँ, रणभेद की भावनाएँ सबल हैं । रणभेद के विरुद्ध लोकमत होते हुए भी उसको मिटाने के लिए कानून नहीं बनाये जाते । वास्तव में लोकमत सामाजिक भावना और राष्ट्रीय चेतना का दूसरा नाम है और उसी से बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, चाहे उसमें ज्यादा देर लग जाय पर यह सिद्ध है कि एक समाज या राष्ट्र को अनिम्न तौर से कुचला नहीं जा सकता और वहाँ लोकमत को हमेशा के लिए शांत नहीं किया जा सकता । जब

तक जयजो ने शांति व्यवस्था, रेलमाग निर्माण, शिक्षा संचार प्रादि के कार्यों के भारत में किया तब तक लोकमत उनके साथ था, पर तु जब उ होने माग करने पर स्वतंत्रता देने में आनाकानी की तो लोकमत ने प्रत्यक्ष में आकर उनका विरोध किया और उनको भारत छोड़ने पर मजबूर किया। आज जो भारतीय संसद योजनाय बना रही है ऊच नीच का भेद मिटाने की कोशिश कर रही है। भूमि के बंटवारे के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पूजा के दुरुपयोग को मिटाने के लिए कानून बना रही है तो कौन भारतीय कह सकता है कि लोकमत इनके विरुद्ध है। सरकार सदियों से ठकी हुई प्रगति को बहुत ही जल्दी पूरी करने में कोशिश कर रहा है जिससे भारत दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। जूलियस स्टोन के कटाक्ष का सही उत्तर अभी मिलना जब भारतीय लोकमत पूर्ण रूप से शिक्षित, सबल और सक्रिय हो जाये। हालांकि घटनाओं को देखने से भारतीय लोकमत में आश्चर्यजनक कानून सम्बन्धी चेतना दिखाई देती है।

जनमन मावजनिक मामलों पर जनता का वह मत होता है जो किसी समुदाय अथवा किसी वर्ग विशेष का न होकर जनसाधारण का हो, जो किसी क्षणिक आवेश का परिणाम न होकर स्थायी हो, और जिनमें लोक कल्याण की भावना निहित हो, और जिसकी अर्थव्यक्ति सम्पूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर होती हो। अतः देनीप्रसाद के अनुसार कहा जा सकता है कि "वहो मत वास्तविक जनमत कहा जा सकता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता हो"। जनमत प्रशासन में एक कुशल प्रहरी का कार्य करता है। जनमत ही सरकार के ऊपर एक अकुश की भांति कार्य करता है। उसके भय से किना भी प्रकार का शासन अपने स्वायत्त साधन का मंत्र नहीं बना सक्त। ह्यूमन जनमत की परिभाषा देते हुए लिखा है कि— 'सभी सरकारें च ह वे कितनी ही दूषित क्यों न हों, अपनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निर्भर होती हैं'। जहाँ जनमत जागरूक नहीं होता, वहाँ की सरकार मन च ह कानूनों का निमाण कर सकती है तथा जो सरकार जनमत का विरोध करती है, उसका पतन भी निश्चित होता है। जनमत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। जनमत और कानून दोनों ही सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में माने जाते हैं।

कानून और जनमत में अटूट सम्बन्ध है। कानून का निमाण जनता की विपरीत अवस्था में नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ-वहाँ जनमत की प्रवृत्तना की है वहाँ पर शक्ति का जन्म हुआ है। यदि सरकार का रूप एकतरफ प्रथम

तत्र है, तो भी शासक के लिए जनमत का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जनमत के अभाव में कुशल शासन का संचालन नहीं किया जा सकता। जनमत की अवहेलना अधिनायकवादी शासक भी नहीं कर सकें। शासन के प्रत्येक कार्य पर जनता का नियंत्रण रखने और उन्नतियों एवं व्यवस्थित समाज की स्थापना के लिए प्रभावी जनमत की आवश्यकता रहती है। जनमत द्वारा ही कानून बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जनमत द्वारा सरकार के बनाये कानूनों का इस उद्देश्य से निरीक्षण किया जाता है, जिससे नागरिकों के अधिकाधिक हित के लिए कार्य कर सकें। जनमत ही वास्तविक शक्ति होती है, जो सामाजिक हितों की रक्षा के लिए विरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला करने में सफल हो सकता है। मत जनमत नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है।

यदि कानून और जनमत के बीच घनिष्ठता है तो कानून जनमत का अग्रणी और दास होना चाहिए। डॉ० मुहार् के अनुसार, 'कानून केवल जनमत के आधार पर ही बने बिना कानून जनमत के आगे आगे भी चले'¹। डा मुहार् ने सती प्रथा बन्द करने वाले कानूनों का हवाला देते हुए कहा, "यदि लाड विलियम बटिक जनमत का हल सती प्रथा के बन्द करने के लिए देखते, तो सम्भव है इस सामाजिक सुधार के लिए उन्हें कई वर्ष यत्नीत करने पड़ते और सती प्रथा के निषेध का कानून नहीं बन सकता"। मत कानून का निर्माण जनमत को दबा कर भी किया जा सकता है।



1 Law should not be only firmly rooted in public opinion, but should be a little ahead of it —Dr Mahar

शक ही नहीं है, वरिष्ठ सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे अधिक व्यापक और सबसे अधिक शक्तिशाली भी है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास राज्य के अभाव में नहीं हो सकता। राज्य की उत्पत्ति ही मानव जीवन की अधिक संशुद्ध सुनी बनाने के लिए हुई है।

राज्य की परिभाषा (Definition of the State)

(1) विल्सन (Wilson)—राज्य वास्तव में एक विनिश्चित प्रदेश में संगठित रूप से रहने वाले व्यक्तियों का समुदाय है जिसमें उस समुदाय की सरकार बिना किसी अन्य सरकार के अधीन हुए अपने सदस्यों पर शासन करती है। विल्सन ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'राज्य व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक निश्चित प्रदेश में विधि द्वारा संगठित होकर रहता है।'¹

(2) ऑस्टिन (Austin)—ऑस्टिन ने राज्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 'राज्य राजा (Sovereign) का पर्याय है। यह एक ऐसे व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों के समूह को सूचित करता है जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समाज में सर्वोच्च शक्ति रखते हैं।² यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में तो ऑस्टिन ने राज्य की ओर ही इंगित किया है। उद्योग वास्तव में राज्य के अस्तित्व वाले तत्व पर अधिक जोर दिया है।

(3) यू.एन. उच्चतम न्यायालय (U N Supreme Court)-
Chisholm v Georgia नामक अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र सभ के उच्चतम न्यायालय ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है—'राज्य ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य उद्देश्य को सामने रखकर आपस में संगठित हुए हैं कि वे उन वस्तुओं का जो उनकी स्वयं अपनी ही हैं, शांतिपूर्वक लाभ उठा सकें और दूसरों के साथ व्यवहार कर सकें।'³

- 1 State is people organised for law within a definite territory
—Wilson Element of Modern Politics p 52
- 2 The state is a usually synonymous with the Sovereign It denotes the individual person or the body of individual person which bears the supreme powers in an independent political society
—Austin Jurisprudence, 4th Ed 249
- 3 State is 'a body of free persons united together for common benefit to enjoy peaceably what is their own and to do justice of others (U N Supreme Court held in Chisholm vs Georgia)

(4) हॉलैंड (Holland)—प्रमुख विधिशास्त्री डा. हॉलैंड ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'राज्य ऐसे व्यक्तियों का एक संगठन है जो आंतरिक शान्ति तथा बाह्य सुरक्षा के लिए एक प्रदेश में रहते हैं।'¹ उन्होंने राज्य के तत्त्व व्यक्तियों के समूह, भूमि तथा आंतरिक शान्ति एवं बाह्य सुरक्षा पर जोर दिया है। आंतरिक शान्ति एवं सुरक्षा से तात्पर्य सरकार की स्थापना है।

(5) सामण्ड (Salmond)—राज्य राजनीतिक रूप में एक स्वतंत्र समाज होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉ. सामण्ड ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है "राज्य या राजनीतिक समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कुछ उद्देश्यों को कुछ निश्चित साधनों से प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है।"² यहाँ पर सामण्ड ने व्यक्तियों के समूह पर तथा उन व्यक्तियों द्वारा कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही जोर दिया है। राज्य के अर्थ तत्त्वों पर इतना अधिक जोर नहीं दिया। सामण्ड ने भूमि तत्त्व पर तो किञ्चिन्मत्र ही जोर नहीं दिया।

(6) बेंथम (Bentham)—बेंथम ने राजनीतिक समाज की इस प्रकार परिभाषा दी है—“जब कुछ व्यक्ति (जिन्हें हम प्रजा कहते हैं) किसी ऐसे व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह की आज्ञा का पालन करते हैं जो कि परिचित या कुछ निश्चित विवरण के होते हैं (जिन्हें हम प्रशासक या प्रशासकगण कह सकते हैं) तो ऐसे व्यक्तियों को (जिसमें प्रजा तथा प्रशासक दोनों सम्मिलित हैं) एक राजनीतिक समाज कहा जाता है।”³

(7) ओपेनहीम (Oppenheim)—ओपेनहीम ने अपनी पुस्तक Inter-

- 1 A state is an association of human beings generally occupying a territory for the attainment of internal order and external security —Holland
- 2 A state or political society is an association of human beings established for the attainment of certain ends by certain means —Salmond
- 3 When a number of person (whom we may style subjects) are supposed to be in the habit of paying obedience to a person or an assemblage of person of a known or certain description (whom we may call governed or governors) such person altogether (subjects and governors) are said to be in a state of political society —Bentham A fragment & Government

national Law' से राज्य की परिभाषा दत्त हुए लिखा है कि "राज्य-उपनिवेश तथा अधिराज्या (Dominions) से भिन्न उस समय प्रगित्व प्राप्त करता है जब किसी राज्य में लागू उस राज्य की सर्वसत्ता सम्पन्न सरकार के तत्वावधान में संगठित होकर रहत है।"¹

प्रो० हालड ने दूसरी जगह राज्य की परिभाषा दते हुए लिखा है कि "राज्य ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो एक निश्चित प्रदेश में रहत हैं और जिन पर उस समुदाय के बहुमत का इच्छा या कुछ निश्चित वग की इच्छा उस बहुमत की शक्ति से या उस वग की शक्ति से लागू होती है और कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं कर सकता।"² यह परिभाषा निस देह वर्तमान राज्य के रूप को व्यक्त करती है। इसमें जनसंख्या, प्रदेश, सरकार तथा प्रभुसत्ता चारों बातों पर प्रकाश डाला गया है।

(8) गानर (Garner)—आधुनिक परिभाषाओं में गानर की परिभाषा अधिकाधिक सत्यता से निकट मानी जाती है। उन्होंने लिखा है कि "राज्य राजीति शास्त्र तथा सवैधानिक विधि की धारणाओं के अनुसार 'यूनाधिक ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जो एक निश्चित भू-प्रदेश पर अधिकार किये रहते और बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र रहते हुए अपनी एक संगठित सरकार रखते हैं जिसकी उत्तम से अधिबारा लोग अपना पालन करने के आदो होत है।"³ यह परिभाषा

- 1 A state proper in contradistinction to colonies and dominions — is in existence when a people is settled in a country under its own 'sovereign government' —Oppenheim
- 2 A state is a numerous assemblage of human beings generally occupying a certain territory, among whom the will of the majority or of an ascertainable class of person is by the strength of such a majority or class made to prevail against any of their number who oppose it —Holland
- 3 'The state, as a conception of political science and constitutional law is a community of person, more or less numerous, Permanently occupying a definite portion of territory independent of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience' —Garner

नि स देह सभी परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा सत्य है। इनमें राज्य के सभी तत्वों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।

ग्रीन ने राज्य की परिभाषा देते हुए इस तथ्य पर जोर दिया है कि राज्य ही एक ऐसा समूह है जिसके कल्याण के लिए संगठित समाज जीवित रहता है, अर्थात् राज्य एक समुदाय है। दूसरे स्थान पर ग्रीन ने राज्य का अर्थ समस्त सरकारी व्यवस्था से लगाया है। हीर्न (Hearn) भी राज्य का अर्थ सरकार से लगता है। परंतु वह यह नहीं बताते कि सरकार है क्या। उनकी सरकार का अर्थ मंत्रिमण्डल, कार्यपालिका या या समस्त सरकारी व्यवस्था ही सकती है। एडवर्ड जेम्स भी सरकार को ही राज्य समझते हैं।

राजनीतिशास्त्र के कुछ लेखकों का यह विचार है कि राज्य एक सम्पूर्ण शरीर की भांति है। परंतु जो बाकर इस मत को खण्डित करते हुए कहते हैं कि राज्य शरीर नहीं, वरन् शरीर के समान है क्योंकि राज्य के विभिन्न भागों की अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। जीवशास्त्रीय कार्यों में शरीर के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा सकती क्योंकि शरीर में हाथ की इच्छा मुँह की इच्छा के विपरीत नहीं हो सकती। फिर भी प्रॉस्ट बाकर कहते हैं कि राज्य को एक शरीर के समान मानने से यह समझने में बाधानी होती है कि राज्य का कस स्वभाव है और इसका कस विकास हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य शब्द की विभिन्न विचारकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषा दी है। परंतु सभी परिभाषाओं के अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक संगठन है जिसकी अपनी सरकार होती है और जो बिना किसी सरकार के बाह्य नियमों के अस्तित्व में निश्चित भू-भाग पर स्थित रहता है। राज्य के प्रमुख तत्व होते हैं जिसमें से किसी एक का भी अभाव किसी समुदाय को राज्य की संज्ञा प्रदान करने से रोक सकता है।

राज्य के तत्व (Elements of State)

राज्य के तत्वों के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है परंतु निम्नलिखित चार तत्वों को राज्य का प्रमुख तत्व माना जा सकता है—

जनसंख्या (Population)—प्रत्येक राज्य व्यक्तियों का संगठित समुदाय होता है। बिना व्यक्तियों के राज्य की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती। ओपेनहीम कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या में नर एवं नारी दोनों ही सम्मिलित होते हैं जो

कि मद्यपि विभिन्न जातियो, विचारधाराओ या रंगो ने होते है फिर भी साध-माय एक समुदाय के रूप म रहते है किसी भी राज्य म तीन प्रकार क लोग हो सक्त है—एक तो उस राज्य क नागरिक हात है, दूसर उस राज्य क अधीन राज्यों की प्रजा हाते है और तिसर अ प दशा क नागरिक हात है जो विदेशो बहुलात है । पर तु राज्य की जनसं-या स तात्पर्य इवल प्रथम श्रेणी क व्यक्तियो स अर्थात् राज्य क नागरिको स हाता है ।

प्रदेश (Territory)—राज्य का दूसरा तत्व वह प्रदेश होता है, जिसम उस राज्य क नागरिक रहते है घूमते हुए शक्तिवो क समुद्र को राज्य नहीं कहा जा सकता । यहूदो लाग **Holland** की विजय के पूव चालीस वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे । उस अवस्था म उस समुदाय को राज्य नहीं कहा जा सकता था इसी प्रकार म य एशिया की भी विभिन्न भ्रमणशील जातियो के समुदाय को राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे किसी निश्चित भू भाग म नहीं रहती । राज्य क प्रदेश क लिए यह निश्चित नहीं कि वह बडा हो या छोटा । प्रादिकाल म यूनान मे नगर राज्य थे जो वर्तमान नगरो स अधिक बडे नहीं थे । डॉ सामण्ड राज्य के लिए प्रदेश का होना आवश्यक नहीं मानते । उनका कहना है कि राज्य के प्रदेश से तात्पर्य उस भू भाग से है जो कि किसी राज्य के आधिकार मे हो । इस प्रदेश पर वह राज्य अपनी स्वतंत्र इच्छा लागू कर सकता है और किसी भी प्रकार क विदेशी हस्तक्षेप को रोक सकता है । राज्य के प्रदेश म भूमि तथा तीन मोल तक विस्तृत समुद्र, खाडिया, नदिया तथा भू-भाग के ऊपर का वायुमण्डल भी सम्मिलित है । इस प्रकार के प्रदेश की आवश्यक क सभ्य एवं सामा य राज्य का लक्षण माना जाता है । सरकार के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन हा, इसके लिए यह लक्षण आवश्यक होता है, पर तु सामण्ड का यह भी कहना है कि यह लक्षण राज्य के अस्तित्व क लिए आवश्यक नहीं । राज्य बिना निश्चित प्रदेश का भी पूरा राज्य हो सकता है, जैसे एक भ्रमणशील जाति को भी राज्य कहा जा सकता है । एक प्रदणहीन समाज को भी सरकार क कुछ आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया जा सकता है और इस प्रकार संगठित समुदाय को राज्य कहा जा सकता है । पर तु एसी घटनाएँ बहुत कम होनी हैं । इसी कारण हम राज्य के अस्तित्व क लिए प्रदेश आवश्यक समझते हैं ¹ वर्तमान राज्य अपना प्रदेश,

1 We cannot say that it (territory) is essential to the existence of a state. A state without a fixed territory, a nomadic tribe for example is perfectly possible. A non territorial society may be organised for the fulfilment of the essential functions of government and if so it will be a true state.

अधिकांशतया भौगोलिक एवं प्राकृतिगत सीमाओं के अनुसार निर्धारित करते हैं । किसी राज्य का प्रदेश थोड़ा एक जगह और थोड़ा दूसरी जगह पर भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान के दो भिन्न भिन्न राज्य हैं ।

सरकार (Government) राज्य में सरकार का भी होना आवश्यक है । यह राज्य में विधियों को लागू करती है और आवश्यकतानुसार उनका निर्माण भी करती है । यह तत्त्व ही राज्य में यादपूर्ण व्यवस्था स्थापित करता और राज्य को रहने योग्य बनाता है । सरकार में ही राज्य की सर्वोत्तम शक्ति निहित होती है । सरकार के माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है । सरकार ही राज्य के लोगों को सामूहिक कार्य करने के लिए संगठित करती है । सरकार से तात्पर्य राज्य के मंत्रिमण्डल से नहीं होता । यह एक ऐसी संस्था है जो कि राज्य की आंतरिक एवं बाह्य शक्ति तथा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है । इसके तीन अंग होते हैं—विधायिका, यायपालिका तथा कायपालिका, परंतु सही अर्थों में सरकार का अर्थ केवल कायपालिका से होता है ।

सरकार राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है । गेटल कहते हैं कि 'सरकार राज्य तथा व्यक्तियों के बीच एक कड़ी होती है । यह एक साधन भी है जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं, यह एक मशीन भी है जिसकी मदद से राज्य के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है और समाज के विषयों को संचालित किया जाता है ।' सरकार की रचना राज्य में लागू होने वाले संविधान के अनुसार होती है । संविधान एक स्थायी एवं निश्चित संस्था होती है । संविधान के परिवर्तन इसमें वर्णित नियमों के अनुसार ही होता है । यह राज्य में प्रभुसत्ता का विभाजन बताता है । संविधानों के अनुसार ही राज्य के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं । संघात्मक संविधान की सरकार संघीय होती है, एकात्मक संविधान की सरकार अर्धसंघीय ।

प्रभुसत्ता (Sovereignty)—प्रभुसत्ता राज्य का जीवन होती है । यदि राज्य के तीनो तत्व विद्यमान हों और उस समुदाय में प्रभुसत्ता न हो तो वह समुदाय किसी भी देश में राज्य नहीं कहा जा सकता । यह प्रभुसत्ता ही राज्य के अस्तित्व को निर्धारित करती है । इसका तात्पर्य होता है कि राज्य बहुरूप में किसी भी अन्य देश या व्यक्ति के अधीन नहीं होता और न आंतरिक रूप से ही अपने देश के प्रधान के अनिर्वक्त किसी अन्य व्यक्ति के अधीन होता है । यह राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है ।

इस प्रकार राज्य के चार तत्व श्रांत हैं। इनके प्रतिस्वत कुछ विद्वानों ने राज्य के सविवान को तथा राज्य की प्रा नरि एरुना को भी राज्य क तत्व माना है। पर तु यदि क्रिमी समुदाय मे उपयुक्त चारो तत्व विद्यमान हैं ता य प्रमुण्य राज्य अवश्य होगा।

राज्य के काय एव उसका महत्व

(Functions & importance of the State)

'राज्य का काय केवल पुलिस का काय सम्पन्न करना, प्रपराधियों को पकड़ना और समझौते पर बठारतापूर्वक समल करवाना ही नहीं है, अपितु राज्य को यथा शक्त व्यक्तियों के लिए, उनकी बौद्धिक तथा नतिक प्रवृत्तियों में जो कुछ अवशेष है उसे प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना है।' -टी एच ग्रीन

राज्य के उद्देश्य—राज्य के उद्देश्य पर विचार किये बिना राज्य के अस्तित्व पर विचार किया जाना अधूरा ही रह जाता है। अधिस्तर प्राचीन विचारक राज्य को मानव जीवन के उच्चतम उद्देश्य तथा साध्य के रूप में मानते थे। वे राज्य को एक ईश्वरीय रूप मानते थे, जिसकी प्राप्ति मानव जीवन का परम उद्देश्य था और किसी व्यक्तिगत हित की कल्पना उन्हें मान्य नहीं थी। यूनानी लोग राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भरता मानते थे प्लेटो और अरस्तू के द्वारा राज्य स्वयं साध्य है'। इसी मन का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार धर्म का सर्वोत्कृष्ट जीवन राज्य में ही सम्भव है। जिस प्रकार शरीर के अंगों को शरीर से पृथक कर दिया जाय तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्य से पृथक कर देने से उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।

प्लेटो के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा को सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण करना था। अरस्तू ने राज्य का ध्येय जन साधारण का कल्याण करना माना है। इसके अनुसार—'राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की उच्चतम मानसिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है'। अरस्तू ने प्रायः कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन को बठोर आवश्यकताओं से हुई है और अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व बन रहा है'।

यद ग्रास ने राज्य को साध्य न मानकर साधन माना है। इनके अनुसार (महाभारत में) व्यक्ति राज्य में रहकर ही आत्मा प्राप्ति और अपने व्यक्तित्व को विकासशील बना सकता है, तथा राजधर्म के द्वारा ही धर्म, धन, काम की प्राप्ति कर सकता है'। नीटिले ने राज्य में शांति व सुरक्षा बनाय रखने के लिए दण्ड के महत्व को स्वीकार किया। इस प्रकार प्राचीन भागत में राज्य की महत्ता साध्य

के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुई और उसकी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक साधन के रूप में माना गया। अतः भारतीय विचारको व अनुसार राज्य एक साधन है, साध्य नहीं। उसका एक मात्र उद्देश्य जनता का कल्याण करना है।

हॉब्स के अनुसार—व्यवस्था और सम्पत्ति का अधिकार कायम रखना राज्य का उद्देश्य था। नागरिक समाज कायम होने के पूर्व जो प्राकृतिक अवस्था थी उसके सम्बन्ध में हॉब्स का दृष्टिकोण निराशापूर्ण था कि राज्य न होने की अपेक्षा किसी भी प्रकार का राज्य होना उह अच्छा जान पड़ता था। उनके विचारों में अराजकता की अपेक्षा निरंकुश अत्याचारी शासन उनके विचारों में अच्छा था।

इसी प्रकार नॉक के विचारों से राज्य का उद्देश्य एक निश्चित विधि और सामान्य न्यायाधीश की सहायता से जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की रक्षा करना है।

रूसो के अनुसार—राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन को सुदूर बनाने के लिए है। उसका विश्वास था कि राज्य केवल उपयोगी उद्देश्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि वह मनुष्यों के अच्छे से अच्छे रूप की प्रवृत्ति से अच्छी अभिव्यक्ति है।

आदम स्मिथ के अनुसार—राज्य के महान प्रयोजन होते हैं स्वतन्त्र समाजों के आक्रमणों से समाज की सुरक्षा सावजनिक सस्थाओं का निर्माण। इस प्रकार स्मिथ के मतानुसार राज्य का कार्य रक्षात्मक, यायात्मक और सावजनिक होता है।

वुल्टन के अनुसार—राज्य का प्रत्यक्ष उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना तथा राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता प्राप्त करना और उसका पराक्ष उद्देश्य, व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा बनाय रखना होता है”।

जर्मन लेखक होल्डनर (Holtzendorf)—ने राज्य के मुख्य प्रयोजन इस प्रकार बताये हैं—राष्ट्रीय शक्ति का विकास यत्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा और मनुष्यों की सामूहिक उत्पत्ति ही राज्य के मूल उद्देश्य हैं।

आधुनिक विद्वान बर्गेस ने राज्य के उद्देश्य इस प्रकार बतलाए हैं—‘राज्य का प्रथम उद्देश्य शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा और श्वाय की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। राष्ट्रियता का मुखरूप रूप से विकास एवं राष्ट्रीय प्रतिभा और शक्ति की वृद्धि है, एवं सम्पूर्ण मानव जीवन की सम्यक्ता का विकास आदि। विलोनी और

गानर ने भी राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में बर्गोस के ही दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है, गानर के मत अनुसार—'आ तंत्रिक व्यवस्था एवं सुरक्षा, सावजनिक कल्याण तथा मानव सभ्यता का विकास राज्य के उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार वह राज्य के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार आधुनिक शासन में भी राज्य का उद्देश्य लोक हित या लोक कल्याण कहा जा सकता है।

राज्य के कार्य एवं उसका महत्त्व (Functions & importance of the State)—नामण्ड के अनुसार राज्य के प्रमुख दो कार्य होते हैं—बाह्य प्राप्ति एवं सुरक्षा एवं श्वाय प्रशासन। राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्य।

अनिवार्य कार्य (1) आन्तरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा—राज्य जब तक विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा की क्षमता नहीं रखता और आन्तरिक शांति तथा व्यवस्था स्थापित रखते हुए व्यक्तियों का जीवन की सुरक्षा का प्राश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य सेना और पुलिस रखता है सरकारी कर्मचारियों तथा श्वाय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर लगता है।

(11) व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था— व्यक्तियों को पारस्परिक सम्बन्धों को नियंत्रित करना राज्य का अनिवार्य कार्य कहा जा सकता है। इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है एवं पुलिस और श्वायालयों की सहायता से उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है।

(2) राज्य के ऐच्छिक कार्य—जो कार्य राज्य के अस्तित्व के लिए तो आवश्यक नहीं होते, किन्तु जनता के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए अज्ञको करना आवश्यकता सा होता है।

(1) सावजनिक शिक्षा—आधुनिक युग में सावजनिक शिक्षा का प्रबन्ध करना राज्य का प्रथम कर्तव्य समझा जाता है। उससे यह आशा की जाती है कि वह एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य को केवल सामान्य शिक्षा का ही प्रबन्ध नहीं करना चाहिए बल्कि पत्रसायिक, वज्जा-तथा तकनीकी शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(11) सावजनिक स्वास्थ्य—जनता की रोगों से रक्षा, सक्रामक रोगों की रोग ग्राम हेतु निशुल्क चिकित्सा एवं औषधियों और महामारी से बचने के लिए

टोके आदि का प्रबन्ध राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। अतः राज्य को स्वास्थ्य की रक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य वृद्धि के साधनों का भी उचित प्रबन्ध करना चाहिए।

(iii) उत्पादनमें वृद्धि—जनता तथा राज्य का विकास उत्पादन की क्षमता पर ही आधारित होता है। जनसंख्या के दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने से प्रत्येक राज्य के लिए कृषि और उद्योग दोनों का विकास आवश्यक हो गया है।

(iv) आर्थिक विषमताओं का अन्त—पूँजीव्यवस्था ने समाज को दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक तरफ व्यक्ति श्रमिकों का शोषण करके विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तथा दूसरी ओर जनता को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता। राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी आर्थिक विषमता को समाप्त करके एक ऐसे समाज की रचना करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो सके।

(v) सामाजिक कल्याण—सामाजिक जीवन को सुखी बनाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना राज्य का ही कर्तव्य है। जो व्यक्ति योग्य हैं उन्हें उनकी योग्यतानुसार राज्य की ओर से काम मिलाने चाहिए। इसके प्रतिरिक्त रलित जातियों का उत्थान और सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए राज्य को अनेक कार्य करने पड़ते हैं।

अतः सम्यता के विकास के साथ ही राज्य के उत्तरदायित्व भी बढ़ते जाते हैं। राज्य ही वह इच्छा है जो नागरिकों के उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर प्रदान कर सकता है। राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में डेविस ने लिखा है कि “आधुनिक राज्य कोयला बेचने वाला, मकान मालिक, गेटी बनाने वाला तथा सामाजिक जीवन से सम्बन्धित अथवा वस्तुओं की उचित व्यवस्था किया करता है।”

राज्य के कार्य के द्वारे में विभिन्न विचारधाराएँ—राज्य के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं हैं। कुछ विचारकों के अनुसार व्यक्ति राज्य के लिए है अर्थात् राज्य स्वयं ही साध्य है। परन्तु इसके विपरित मत यह है कि राज्य एक साधन मात्र है। जो विद्वान राज्य को साध्य मानते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति की उन्नति और विकास राज्य में ही हो सकता है। इसी विचारधारा के विद्वान राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। इसके अनुसार मनुष्यों के कार्यों पर राज्य का कम से कम हस्तक्षेप ही उत्तम ही अच्छा है।

(i) व्यक्तिवादी सिद्धान्त (Individualistic Theory)—इस

समाज के समर्थकों के अनुसार व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राज्य को केवल व्यक्तियों के जीवन व सम्पत्ति की रक्षा करना और प्रारम्भियों को दण्ड देना चाहिए। जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता खतरा न पड़े। उग्र व्यक्तिवादी स्पेंसर राज्य के कार्यक्षेत्र में नागरिकों की व्यवस्था स्थापित करना, सम्पत्ति की रक्षा आदि। मिल से राज्य के दो और कार्य सम्मिलित किये हैं—प्रसह्य और असमय व्यक्ति की रक्षा तथा सत्राक रोगों की रोकथाम आदि।

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए फ्रीमैन ने कहा है—“वही सरकार सर्वश्रेष्ठ अच्छी है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को व कार्य करने देती है जो वह करना चाहते हैं”।

हम्बोल्ट के अनुसार—“राज्य को नागरिकों की सन्नति से अलग रहना चाहिए और उन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा और विदेशी शत्रु से रक्षा करने के लिए आवश्यक है”।

अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्य के कार्य—अराजकतावादी विचारकों के अनुसार राज्य का कार्य केवल यह रह गया है कि वह अपने मूल्यों के प्रादक्ष-पत्र पर हस्ताक्षर करके प्रदृश्य हो जाय। राज्य शोषण प्रथाय और प्रत्याचार को जम दूर अनुप्राय को अनतिक्रम बनाता है, राज्य भ्रष्टाचार को जन्म देता है। उनके अनुसार देश की सुरक्षा, प्रातरिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण आदि कार्य राज्य की प्रेषणा स्वतंत्र सध अधिक सफलता के साथ कर सकत है। राज्य समाज में दूषित वातावरण पदा करता है। श्याय और दण्ड की आवश्यकता इसलिए होती है कि राज्य सामाजिक और प्राथिक समानताओं को दूर नहीं कर सकता। राज्य पूजावाद को संरक्षण देता है इसलिए राज्य बुरा है। अतः राज्य का स्थान सामाजिक समस्याओं को लेना चाहिए।

समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य के कार्य—राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी विचारधारा के विपरीत समाजवादी सिद्धांत है। समाजवाद एक नवीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता हो, समानता हो, पाय हा तथा सबको व्यक्तित्व के विकास के उचित अवसर प्राप्त हो। समाजवादी इस प्रकार प्राथिक विषमता का विरोध करता है तथा एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, जिसमें धन के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं हो। समाजवाद के अनुसार राज्य को केवल अत्यंत आवश्यक कार्य ही नहीं करने

चाहिए, बल्कि आर्थिक पहलुओं का भी संचालन करना चाहिए। अतः समाजवादी व्यवस्था ही मनुष्यों को प्रेरित करती है कि वे समाज के हितों को दृष्टि में रखकर कार्य करें। अतः समाजवाद ही आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न करता है।

लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य—अधुनिक युग में किसी भी राज्य की महानता की परीक्षा उसकी शक्ति से नहीं की जाकर सामाजिक हितों की ओर ध्यान देने से की जाती है। आज के युग में लोक कल्याणकारी राज्य को ही उचित माना जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को जनता और समाज की भलाई के लिए वे सब कार्य करना चाहिए जिनसे जनता की उन्नति और समाज का विकास हो सके। इस सिद्धांत में आदर्श बातों को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य मनुष्यों के सर्वांगीण हित का संचालन होता है। राज्य आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के अनिच्छित नैतिक, बौद्धिक और राजनैतिक व्यवस्था पर भी पूर्ण ध्यान रखता है।

राज्य के कार्य क्षेत्र के संवर्धन में गांधीवादी विचारधारा—राज्य के कार्य क्षेत्र के संवर्धन में गांधीवादी विचारधारा भी अग्रगण्य है। उनका समस्त दृष्टिकोण सत्य और अहिंसा के आधार पर स्थापित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जबकि सत्ता का विकेंद्रिकरण हो। अतः यह समाजवादी विचारधारा के निकट सिद्धांत रहा है।

राज्य की उपयोगिता (Importance of the State)—राज्य की उपयोगिता के बारे में भी मतभेद है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उनके अनुसार राज्य तभी उत्पन्न कर सकता है, जब राज्य उसके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे। समाजवादी विचारकों के अनुसार राज्य बिना किसी पक्षपात के यावत्पूरा ढंग से जनता का हित करना है। इसलिए उनका विश्वास है कि राज्य का कार्य क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होगा, जनता का उतना ही अधिक कल्याण होगा।

अराजकतावादी भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और कहते हैं कि राज्य शक्ति का प्रयोग नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन करता है। यह सत्य है कि राज्य शक्तियों की स्वतंत्रता का दमन करके उनकी रक्षा करता है।

अस्तित्व के अनुसार—'राज्य का जन्म आवश्यकताओं के कारण हुआ और यह उत्तम जीवन का निर्माण के लिए सदैव स्थिर रहेगा। राज्य मनुष्य जीवन की रक्षा के साथ-साथ प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए सम्पूर्ण अवसर प्रदान करता

है। अतः मानव जीवन के लिए राज्य उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए अन्न, समाज में रह कर व्यक्ति सामाजिकता को प्राप्त करता है और उसकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है।

राज्य शांति और व्यवस्था बनाये रखता है। आंतरिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य कानून पुलिस और याय स्यापित करता है एवं बाह्य कार्यक्रमों से रक्षा करके प्रगतिशील जीवन का निर्माण करता है। राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संभव होती है। देश की आर्थिक उन्नति में राज्य सहायक होता है। राज्य स्वतंत्रता का हनन न करके उसकी रक्षा करता है। अतः राज्य के अभाव में व्यक्ति न तो उन्नति कर सकता है और न समाज ही।

राज्य की उत्पत्ति (Origin of the State)

राज्य की उत्पत्ति को पता करना बहुत ही कठिन कार्य है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में न तो कोई प्रामाणिक या असंदिग्ध साक्ष्य ही मिलते हैं और न कोई सकेतात्मक विवरण। इसके विषय में केवलमात्र कल्पना का सहारा लिया जा सकता है जो कि तर्क के आधार पर सत्य को खोजने का दम भर सकती है। राजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित पांच सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है—

- (1) शक्ति-सिद्धांत (The Force Theory)
- (2) दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत (The Divine Theory)
- (3) प्रकृतिक उत्पत्ति का सिद्धांत (The Natural Theory)
- (4) सामाजिक समझौते का सिद्धांत (The Social Contract Theory)
- (5) विकासवादी सिद्धांत (The Evolutionary Theory)

ये विभिन्न सिद्धांत समय-समय पर प्रकाश में आते गए और समयानुसार समाज में इन्हें स्वीकृति भी मिली। इन सिद्धांतों को एक-दूसरे का पूरक कहा जा सकता है।

शक्ति सिद्धांत (The Force Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार प्रारम्भ में शक्तिशाली व्यक्तियों ने निर्बलों को दबाने का प्रयत्न किया और इन प्रकार एक शक्तिशाली व्यक्ति की प्रधानता में सबको नियंत्रित व्यक्ति रहने लगे, जिसे प्राधुनिक राज्य की नींव पड़ी। 'Trietschke'

सहस्र विद्वानों ने राज्य तथा शक्ति को एक ही रूप माना है। इनका कहना है कि शक्तिशाली व्यक्ति का प्रत्येक कार्य उचित होता है (Might is right) और राज्य में प्रमुक्तता सम्पन्न प्रधान की इच्छा ही शक्ति के सिद्धांत के अनुसार सर्वोपरि एवं प्रोचित्यपूर्ण होती है। इनका कहना है कि राज्य अधिकारशक्तता ग्रन्थाय ही करता रहता है। इस ग्रन्थाय को दबाने के लिये ही इ होने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में वृद्धि करने की मांग की और राज्य के हस्तक्षेप को यूनाति यून व्यवहार में लाये जाने की याचना की। मध्यकाल में धर्म शास्त्रों ने भी इसी बात पर जोर दिया कि राज्य को देवी शक्ति के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने राज्य की शक्ति का सीमित करने का प्रयत्न किया। यक्तिवादी एवं अराजकतवादी विचारक भी इसी सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि राज्य एक अधिशासक है। समाजवादी तो यहां तक कहने से नहीं चूकते कि मजदूरों का पूंजीगततया द्वारा शोषण एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिया ही राज्य को जन्म देती हैं। ये लोग इस प्रकार राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से आघात नहीं करते वरन् परोक्ष रूप से राज्य को बुरा ही बताते हैं।

आलोचना—यह सिद्धांत की उत्पत्ति के विषय में 'शक्ति' पर अनुचित रूप से जोर देता है। इस दृष्टि के द्वारा ही यह राज्य को अथ मानवीय सत्ताओं से भिन्न बताता है। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है कि हर राज्य अपने नागरिकों से अपने आदेश मनवाने के लिये पूर्णतया सक्षम है, जबकि अथ मानवीय सत्ताएं ऐसा नहीं कर सकती। यह सत्य है कि शक्ति एवं सामर्थ्य (Power) राज्य के दो भिन्न भिन्न गुण हैं और इ होने ही राज्य की उत्पत्ति को सम्भव बनाया है, परन्तु फिर भी इन गुणों पर अनुचित रूप से जोर नहीं दिया जाना चाहिये।

"This theory has been criticised as laying too much emphasis on force. It is true that force and power are two distinct characteristics of a state and it is for these reasons the state came into existence. But we cannot place undue emphasis on force."

देवी-उत्पत्ति का सिद्धांत (The Divine Origin Theory)

इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है कि राज्य की रचना ईश्वर ने की है, इस कारण राज्य की सरकार भी धार्मिक महत्ता की होगी चाहिये। यह विचार बहुत ही पुराना है और बहुत ही दिनों तक समार में माना भी जाता रहा

है। एशियाई शासकों ने इसी सिद्धान्त के आधार पर अपने नागरिकों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। मध्यकाल में इसी सिद्धांत के कारण चर्च तथा राज्य के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। चर्च के पुजारियों ने कहा कि राज्य देवी शक्ति से बना है, अतएव देवी शक्ति के उपासकों को, अर्थात् चर्च के पुजारियों को राज्य पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु राजाओं ने कहा कि हमें ईश्वर ने राज्य पर शासन करने के लिये शक्ति प्रदान की है और इस कारण चर्च को राजनीतिक विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। चर्च केवलमात्र धार्मिक विषयों में ही अपनी सत्ता को प्रदर्शित कर सकता है। राजा को अपनी इच्छानुसार प्रत्येक कार्य करने का अधिकार है। यह आवश्यक नहीं कि राजा के कार्य से चर्च के अधिकारी प्रसन्न ही हों। प्रोटेस्टेण्ट धार्मिक सुधार काल में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को बल प्राप्त हुआ और यह कहा गया कि राज्य के साथ सारा नागरिक शक्ति सम्बद्ध है। इन लोगों ने कहा कि ईश्वर ने राज्य के शासन में ही राज्य से सम्बन्धित सारे अधिकार निहित कर दिए हैं और इस कारण राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहिये कि वह ऐसे राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करे। 16 वीं तथा 17 वीं शताब्दी में इस सघष ने नया रूप धारण किया। अब राज्य तथा चर्च के बीच में सघष नहीं रहा, वरन् राज्य तथा जनता के बीच सघष उठ खड़ा हुआ। राजाओं ने यह कहकर कि मुझे सारे अधिकार ईश्वर से प्राप्त हुए हैं अपनी जनता की बातों को ठुकराना शुरू कर दिया। जनता ने तब चर्चों की शरण लेना शुरू किया। अब प्रश्न यह उठा कि देवी शक्ति का राज्य में कौन व्यक्ति उपयोग कर सकता है। राज्यवादियों ने कहा कि यह शक्ति ईश्वर द्वारा राजा को ही मिली है और उसे ही इसका पूर्ण उपयोग करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना ईश्वर के प्रति पाप करने के समान है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध जो आन्दोलन चले उनसे जनता में एकत्व की भावना ही नहीं फली वरन् आत्मशासन के विचार का भी प्रादुर्भाव हुआ जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातन्त्रात्मक राज्य की नींव पड़ी।

आलोचना यह सिद्धान्त अर्थ में ही चर्च के अधिकारियों एवं प्रशासकों के बीच भेद भाव पैदा करता है। परन्तु इस सिद्धान्त से यह लाभ भी है कि राज्य अपने को ईश्वर का दूत मानकर एक अच्छा प्रशासक बनाने का प्रयत्न करेगा, जिसके परिणामस्वरूप शासन में सुधार और जन-कल्याण होगा। इस सिद्धान्त के आधार पर आदिवासी में राजनीतिक एकता तथा मुसलमान स्थापित करने में बड़ी मदद मिली है। इससे हानियाँ तो कुछ बहुत अवश्य रही हैं जसे राजनीतिक प्रभावों

ने स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करके जनता का शोषण करने का प्रयत्न किया है, परन्तु लाभ भी कम नहीं रहे।

यह सिद्धांत भले ही तक की कसौटी पर खरा न उतरे पर इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है क्योंकि इसी के अनुरूप या इससे मिलती हुई बात मनु ने कही थी कि राजा चूं कि इंद्र आदि सब देवों के नित्य ग्रहण से रचा गया है इस कारण यह तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है या पराजित करता है।

प्राकृतिक उत्पत्ति का सिद्धान्त (The Natural Theory)

यह सिद्धांत अस्तु न प्रतिपादित किया है। इसके अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से पृथक् बंदाचित नहीं रह सकता। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के आधार पर समाज की रचना हुई है। इस सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि राज्य के स्वभाव से हो सकती है। राज्य भी सामाजिकता की धारणा पर भी अवलम्बित है। इस सिद्धांत में प्रथम कुछ सुधार कर लिया गया है। सुधारे गए विचारों के अनुसार राज्य की रचना मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है और इसीलिए व्यक्ति राज्य में रहते हैं। इस प्रवर्धरण के अनुसार राज्य का उद्देश्य 'याय की स्थापना करना एवं सावजनिक कल्याण करना है।

भ्रालोचना—यह सिद्धान्त केवल यही बताता है कि व्यक्ति की सामाजिकता की भावना के कारण राज्य की रचना हुई। परन्तु यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि राज्य की रचना किन प्रभावों के कारण एवं किस प्रकार हुई। फिर भी इस सिद्धान्त में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि एक कृत्रिम रचना नहीं है, वरन् यह व्यक्तियों के स्वभाव एवं उनकी आवश्यकताओं के कारण स्वतः ही विकसित हुआ है।¹

सामाजिक समझौते का सिद्धान्त (The Social Contract Theory)

इस सिद्धांत के प्रमुख रूप में तीन प्रतिपादक हुए हैं—हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों के विचार निम्नलिखित हैं—

(1) हॉब्स (Hobbes, 1588-1679)—इनके ऊपर तत्कालीन इंग्लैंड की सघनमय परिस्थिति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने तत्कालीन स्तुपट वशाय

1 This theory explains that the creation of the state is due to the sense of sociability in individuals. But it does not explain the reasons and the factors responsible for the creation of the state.

निरकुश शासकी के अधिकार को हट करने के लिए उपयुक्त सिद्धांत का अपने पुस्तक 'Leviathan' में प्रतिपादन किया। इनके विचार से राज्य की रचना के पहले प्रकृतिक अवस्था थी। इस अवस्था में लोग सामाजिक बंधनो से तो प्रवश्य बंधे थे, परन्तु उनके ऊपर कोई राजनीतिक सभ्यता नहीं थी। इस समय मनुष्य का जी न पकाया, निधन, कठोर, दयनीय एवं लघु था, क्योंकि न तो कारखाने थे, न कला थी न शिक्षा थी न समाज था और न ही किसी बड़ी सत्ता का भय। यदि उन्हें कोई भय था तो वह यही कि उनकी किसी समय कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति निदयतापूर्वक हत्या कर सकता था। ऐसे समाज में निरंतर सघष चलता था। इस सघषमय अवस्था को दूर करने के लिए लोगो ने मिलकर एक समझौता किया कि वे अपने अस्तित्व को किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंप देंगे जो उनकी ओर से कानून पर नियंत्रण रखेगा। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप राजनीतिक समाज की रचना हुई और यह समाज ही राज्य में परिणत हो गया। यही प्रमुख व्यक्ति उस राज्य का सत्त धरारी राजा बन गया। इस राजा का चुनाव किया गया और चुनाव के पश्चात् सारे अधिकार उसको दे दिये गए अर्थात् राजा को जनता ने बनाया प्रवश्य परन्तु बाद में राजा को सारे अधिकार देकर जनता सदा के लिए अधिकारहीन हो गई। यह सामाजिक समझौता उस राजा पर नहीं लागू होता क्योंकि यह समझौता समाज में रहने वाले लोगो के बीच ही हुआ था, राजा और समाज के बीच नहीं। राजा तो उनके समझौते का परिणाम मात्र था, उसके अधिकार इस समझौते के अन्तर्गत सीमित न थे। उसके अधिकार स्वयं उसमें ही उत्पन्न हुए। उसकी इच्छा ही विधि बनी गई और जनता को उसकी इच्छा का विरोध करने का अधिकार नहीं रहा। यह समझौता स्थायी रूप से हुआ, और राज्य को यह अधिकार नहीं रहा कि इस समझौते को तोड़ सके या राजा को पदच्युत कर सके। इस प्रकार का राज्य हांस के विचार से केवलमात्र राजतंत्र (Monarchy) ही हो सकता है, जहाँ राजा को राज्य में शासित्व प्राप्त तथा व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

(2) जान लॉक (John Locke)—यह पूर्णवाद (Absolutism) के विरोधी था और 1688 के इंग्लैंड के पार्लियामेंट के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। इनके समय में जर्मन द्वितीय वी शासन च्युन करके विलियम तृतीय को सम्राट बनाया गया था। जेम्स द्वितीय फ्रांस भाग गया और इंग्लैंड की सभ्यता के समर्थन से विलियम तृतीय को सारे अधिकार प्राप्त हो गए। इस समय के स्लोरेियस रिवल्यूशन के परिणाम स्वरूप सत्ता को अधिकधिक अधिकार प्राप्त हो गए और राजा को उसकी पराजय से ही बचने का अधिकार रहा। ऐसे ही समय में अर्थात् स्वतंत्रता की भावनाएँ बढ़ाने के विचार से लोक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

इनके विचार से मनुष्य प्रारम्भ में प्राकृतिक अवस्था में रहता था। इनकी प्राकृतिक अवस्था हाथ्य की प्राकृतिक अवस्था के विपरीत बहुत ही शांतिपूर्ण थी और सभी लोग सद्वृद्धि के अनुसार साथ-साथ रहते थे। उस समय उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सवभत्ता-सम्पन्न हो और उनके पारस्परिक विवादों को निपटा सके। ये प्रारम्भिक व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान् एवं सद्वृद्धि वाले थे। ये अपने-सारे काम प्रकृतिक नियम के अनुसार ही करते थे। इन व्यक्तियों के सम्मुख प्रकृति की कुछ असह्य अवस्थाएँ अवश्य आईं परन्तु उनके लिए इन्होंने किसी प्रकार का संगठन तयार करने की आवश्यकता नहीं समझी। बाद में कुछ नई-नई आवश्यकताओं का आभास हुआ और इसके लिए इन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाना चाहा। अब इनके मानने एक ऐसी विधि की आवश्यकता थी जो इनके पारस्परिक विवादों को निपटा सके। परन्तु सर्वोपरि आवश्यकता एक ऐसी शक्ति की थी जो ऐसे यायाधीश हो कि घोषित दण्ड को दे सके। इस प्रकार उ होने इन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर एक समझौता किया और एक सवभत्ता सम्पन्न प्रधान के प्रतगत एक सभ्य समाज का स्थापना की। इसके अतिरिक्त समुदाय तथा एक-व्यक्ति विषय के बीच भी एक समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को राजा के अधिकार प्रदान किए गए। लॉक के अनुसार ऐसा प्रधान अपने समझौते को मानने के लिए बाध्य है और यदि वह उस आदि समझौते के विरुद्ध काम करता है तो जनता को अधिकार है कि वह उसका विरोध करे और आवश्यकतानुसार उसे पदच्युत भी कर दे। लॉक (Locke) के इस विचार से प्रजातन्त्र एवं राजतन्त्र दोनों प्रकार के शासनो का मेल है तथा जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वह निरंकुश तन्त्र का विरोध कर सकती है।

“Participation in government is an essential personal right according to our modern democratic theory. It was Locke's merit to stress that the ruler was under a trust to regard the welfare of his subjects. It is not enough, however, to emphasize that the state exists for the benefit of men and not men for the glory of state. A doctrine of the philosopher kind may easily lead to despotism however benevolent it may be. The dignity of the human personality demands that the individual takes part in the selection of fundamental policies which are to guide the welfare of the State.”

(3) रूसो (Rousseau, 1712-1778)—रूसो एक फ्रांसीसी विचारक थे। इनके विचारों ने फ्रांसीसी विद्रोह को बहुत कुछ प्रभावित किया था। इन्होंने लिखा है कि गुरु म बड़ी प्रसन्नता थी, परन्तु इस घानन्दमय समाज में कुछ कठिनाइयों भी थी जो व्यक्ति के जीवनकाल को बहुत कम कर सकती थीं। इन कठिनाइयों के निवारण का उन लोगों ने निश्चय किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने पारस्परिक समझौते से राज्य की स्थापना की जिसका प्रधान राजा बनाया गया। इस प्रकार राज्य की रचना में प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई परन्तु उसे इसके स्थान पर नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। इन अधिकारों के कारण राज भवनी स्वेच्छाचारी भावनाओं को नहीं लागू कर सकता था। लोगों ने अपने इन सामाजिक अधिकारों को समझौते द्वारा समुदाय का दे दिया। उन्होंने अपने अधिकारों का राजा को कदाचित् समर्पित नहीं किया। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्रमुखता समुदाय में वास करती है। इस समुदाय में ही सरकार की रचना की और इसीलिये यह अधिकार प्राप्त है कि जब चाहे सरकार को पदच्युत कर दे।

आलोचना—इस सिद्धान्त के विभिन्न विचारकों के विचारों एवं उनकी वर्कालोन राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने से पता होता है कि इन लोगों के विचार किसी विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही व्यक्त किये गये थे। ये विचार अधिकतर काल्पनिक आधार पर प्रवृत्त हैं क्योंकि इन विचारकों ने प्रादि मानव में प्राधुनिक प्रकार की राजनीतिक चेतना के उद्भव की कल्पना की है जो असम्भव ही नहीं, पूणतया अट्टिपूर्ण धारणा है। मॉस्टिन ने इसी कारण इन विचारों को ऐतिहासिक रूप से मिथ्या माना है। उनका कहना है कि हमें राजनीतिक समाज की रचना के पहले होने वाले किसी भी समझौते के प्रमाण नहीं मिलते। अतएव यह समझौता पूणतया भ्रामक है। मॉस्टिन ने प्राग कहा है कि इस सिद्धान्त के प्रचारकों ने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि समझौते के अनुसार जनता तथा राजा के बीच किस प्रकार की शर्तें निर्धारित हुईं। यह कहना कि राजा तथा प्रजा के बीच एक समझौता हुआ, इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि राजा ने प्रजा को यह वचन दे दिया कि वह प्रजा की इच्छा के विपरीत कभी भी कोई काम नहीं करेगा।

मेन (Maine) ने भी इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए लिखा है कि इस सिद्धांत के विचारकों ने व्यक्ति को समाज की इकाई माना है, परन्तु विचारक नहीं। पर इतिहास इस बात का साक्ष्य देता है कि प्रारम्भिक समाज की इकाई (unit) परिवार था न कि व्यक्ति। परिवार के सदस्यों के बीच किसी विधि

के अनुसार निर्धारित नहीं होते थे शक्ति जीवन में उनके व्यक्तिगत स्तर के अनुसार उनका स्थान निर्धारित होता था। इसी को उन्होंने status to contract कहा था।

‘One of Maine’s most famous epigram is that the movement of the progressive societies has hitherto been a movement from status to contract,’

गानर ने इस सिद्धांत को तकहीन बताकर खण्डित किया है। फिर भी उनका कहना है कि इस सिद्धान्त में यह सत्यता है कि प्राथमिक अवस्था में व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता पर कुछ नियंत्रण किया गया। जेयो दाउन का भी कहना है कि इस सिद्धान्त से सत्यता यह है कि यह सिद्धान्त राज्य को स्वतंत्र विकसित होने वाली संस्था नहीं बताता। यह सिद्धान्त मनुष्यों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विकसित होने वाली भावना को व्यक्त करता है।

विकासवादी सिद्धान्त (The Evolutionary Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं, बरन् विभिन्न कारणों के सम्मिश्रण से हुई है। उनमें से प्रमुखतम कारण निम्न हैं—

- (1) सामाजिकता की भावना (Social consideration)
- (2) दधिर-सम्बन्ध (Blood relation)
- (3) यौन सम्बन्ध (Sex relation)
- (4) धर्म (Religion)
- (5) युद्ध (War)
- (6) उद्योग व धर्म (Industry and Commerce)

मानव शास्त्रियों का मत है कि प्रारम्भ में मातृसत्तात्मक परिवार थे। इन परिवारों में माता प्रधान होती थी और उसी का परिवार पर नियंत्रण रहता था सारे बच्चे अपनी माँ के ही परिवार के सदस्य होते थे। परन्तु बाद में यौन सम्बन्धों में परिवर्तन आता गया और एक व्यक्ति कई कई पत्नियों से विवाह करने लगा। इसके परिणामस्वरूप पितृसत्तात्मक परिवारों का जन्म हुआ। मैन का विचार है कि व्यक्ति में यौन सम्बन्धों के विषय में बड़ी स्पर्धा की भावना होती है इसी भावना के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवारों की स्थापना हुई है। इन परिवारों में पिता ही प्रधान माना जाता था। वह ही परिवार की सारी सम्पत्ति का स्वामी होता था और परिवार में रहने वाले नर-नारी उसके दास की भाँति होते

थे। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि मानी जाती थी। इस प्रकार के बहुत से परिवार, जो एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित थे, कालान्तर में आपस में संगठित हो गए और उनसे गोत्र (Clan) की रचना हुई। इन गोत्रों में वयोवृद्ध को ही मुखिया माना जाता था। गोत्र का प्रमुखतम कार्य अपने मृत पूर्वजों की उपासना करना था। इसी गोत्रों का विकसित रूप कबीला (Tribe) कहलाने लगा। कबीले का कर्तव्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना एवं उनके विवादों को सुलझाना था। ये कबीले अपने सदस्यों को आक्रमणों से बचाते थे एवं आवश्यकतानुसार य कबीलों पर आक्रमण भी करते थे। परंतु इन कबीलों के रूपों में कुछ कारणों से बहुत परिवर्तन होता गया। लोगों ने पशु-पालन के स्थान पर खेती करना प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार वे उपजाऊ प्रदेश पर सामूहिक रूप से बसने लगे। सब्बा में इस प्रकार वृद्धि हुई और कबीले के घटित सम्बन्ध शिथिल होने लगे। एक कबीले के व्यक्ति दूसरे कबीलों वालों से मिलने लगे और एक-दूसरे पर अपना अधिकार भी जमाने का प्रयत्न करने लगे। परिणामस्वरूप छोटे कबीले बड़े होते चले गये और बाद में ये ही राजनीतिक रूप में संगठित होकर राज्य कहलाने लगे।

राज्य की रचना में धर्म का भी बहुत हाथ रहा है क्योंकि एक ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति साथ साथ रहने का प्रयत्न करते हैं जिसके कारण लोगों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। धर्म के क्षेत्र में पहले योग प्रकृति की पूजा करते थे और बाद में अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे। पूजा की प्रथा इतनी अधिक बढ़ गई कि समाज में पुजारियों का एक नया समुदाय पैदा हो गया। इन लोगों का कार्य केवल धार्मिक मन्त्रारो को पूरा करना था। ये लोग परम्पराओं को मानते थे किमकर परिणामस्वरूप बाद में विधि की उत्पत्ति हुई। कालांतर में धर्म प्रसार के लिए बहुत से युद्ध हुए और इस प्रकार छोटे समुदायों से बड़े समुदायों का विकास हुआ जिसके सुसंगठित रूप का आज का राज्य कहा जाता है।

धर्म के अतिरिक्त उद्योग धर्मों ने भी राज्य की उत्पत्ति में बड़ा सहयोग दिया। मनुष्यों के जीवन में धार्मिक परिवर्तनों के कारण सहयोग की भावना पैदा हुई जिसने परिणामस्वरूप वे संगठित होकर एक ही स्थान पर काम करने लगे। इससे नगरों एवं गांवों की उत्पत्ति हुई। इन व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति भी बढ़ी और इससे निश्चय एक ऐसी स्था की आवश्यकता पड़ी जो उनकी सम्पत्ति की तथा जीवन की रक्षा कर सके, साथ ही उन्हें जीवन की पथ सामग्रियाँ—जैसे भोजन, वस्त्र आदि—दात करने की सुविधा प्रदान कर सके। इस भावना से भी राज्य की उत्पत्ति हुई।

लोगों के आवास प्रवास एव पारस्परिक सन्नाहो के कारण भी राज्य-निर्माण में बड़ी मदद मिली। शक्तिशाली कबीलो ने भी निवल कबीलो को परास्त क के दास बनाना प्रारम्भ किया और इस प्रकार उनकी सत्ता में निरंतर वृद्धि होती चली गई। विजयी कबीलो का सरदार पराजित कबीलो का भी सरदार होने लगा और उमकी इच्छा ही विजयी एव पराजित दोनों कबीलों में सर्वोपरि मानी जाने लगी। इस प्रकार वृहद् कबीलो से राज्य तथा कबीलों के सरदार से राजा की उत्पत्ति हुई।

श्रालोचना—उत्पत्ति का यह सिद्धांत किंसा एक तथ्य पर नहीं वरन् विभिन्न ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो जिस देह सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। इस सिद्धान्त को वास्तव में सभी सिद्धांतों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। यह शक्ति-सिद्धान्त से युद्ध को लेकर कहता है कि इसके कारण छोटे से बड़े समाजों की रचना हुई और मनुष्य में सुरक्षा की भावना के कारण एकता तथा सहयोग की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। ये दोनों भावनाएँ राजनीतिक समाज की रचना के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त से इसने धर्म को लेकर कहा कि धर्म के ही कारण कबीलो में एकता पैदा हुई और अपने धर्म को सर्वोपरि एव अधिक शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बियों में पारस्परिक संधि हुए जिसके परिणामस्वरूप छोटे से बड़े समुदायों की रचना हुई। इन समुदायों को आत्म-रक्षा के लिए अपनी व्यवस्था बनानी पड़ी और इस प्रकार इनसे राज्य की उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक उत्पत्ति के सिद्धान्त से यह मनुष्य की सामाजिकता की भावना को लेकर कहता है कि राज्य व्यक्तियों के साथ-साथ रहने की भावना का ही परिणाम है। यह सामाजिक सविदा के सिद्धान्त से भी बहुत कुछ सहारा लेता है और कहता है कि राजा एव प्रजा का अयो-याहित सम्बन्ध है जो कि समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता रहा है। आजकल उस सिद्धान्त में मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, भौगोलिक एव वंशात्मक तथ्यों को भी जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि राज्य की उत्पत्ति में इन विभिन्न तथ्यों ने भी बहुत-कुछ सहयोग दिया है। यह सिद्धान्त कल्पना पर नहीं वरन् साक्ष्यों एव तथ्यों पर आधारित है। इस सिद्धांत को यदि वैज्ञानिक सिद्धान्त कहा जाय तो इसमें किंचित्मात्र भी नुटि नहीं होगी।

Herbert Spencer has criticised Sir Henry Maine's theory of the evolution of State on the ground that it cannot be accepted as final solution of the originally organised tribes on a matrarchal

not on a patriarchal model. But there is no proof that at any period the maternal system holds any exclusive possession of the human race. He says, "Nor it is correct to say that primitive society was derived from the other. The form of social organisation every where is to some extent moulded by social and economic environment."

इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त हमें राज्य की उत्पत्ति के विषय में बहुत तथ्य प्रदान करता है पर हम इस सिद्धान्त की सूक्ष्म परीक्षा कर नहीं पाते हैं। 'है' अथवा सिद्धान्तों के मिश्रण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसे एक 'है' न सिद्धान्त कहना भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

राज्य के अर्थ सस्थाओं से अन्तर्सम्बन्ध (Inter Relation Ship with other Institutions)

राज्य और राष्ट्र में अंतर—साधारणतया राज्य और राष्ट्र को पर्यायवाची समझा जाता है, पर तु राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से राज्य और राष्ट्र की पर्याय-पर्याय इकाइयाँ होती हैं। राष्ट्र का सम्बन्ध भाव से होता है और राज्य का सम्बन्ध एक राजनीति संगठन के अस्तित्व से। अतः इन दोनों में परस्पर अंतर होता है। कुछ लोग राष्ट्र का अर्थ एक निश्चित, भौगोलिक सीमा में रहने वाली जाति से किया करते हैं, किन्तु यह अर्थ वास्तव में प्रशुद्ध और सकीर्ण विदित होता है। राष्ट्र शब्द में एक विशुद्ध राजनीतिक धारणा छिपी हुई होती है, और राष्ट्र केवल उसी जाति अथवा भौगोलिक सीमा में रहने वाले समूह को कहा जाता है, जिसको पूर्ण रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। गिलक्राइस्ट के शब्दों में— "राज्य तथा और कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। राज्य में जब जनता की एकता का भाव उत्पन्न होता है तब राष्ट्र का रूप धारण करती है।"

जो एक मिल के अनुसार—'राष्ट्र मनुष्य जाति का एक ऐसा अंग होगा है, जो अथवा लोगों की तुलना में एक दूसरे के समान सहानुभूतियों के धारण में विभक्त रहता है तथा एक ही समान सरकार के अधीन रहने की प्रवृत्ति रखते हो।'

याकर के अनुसार—'राज्य का अस्तित्व एक ही महात्वा उद्देश्य के लिए होता है। समाज के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं कुछ बड़े और कुछ छोटे, पर सब मिल कर यापक और गहरे हो जाते हैं।'

गानर के शब्दों में—'राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से संगठित रूप में एक ऐसा सामाजिक समुदाय होता है जो आध्यात्मिक जीवन और उसकी आध्यात्मिकी की

एकता के प्रति सचेत तथा दृढ़ सकलनी होता है।”¹

रैम्जे म्योर (Ramsay Muir) ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार से अभिव्यक्त की है—“राष्ट्र व्यक्तियों के इस समूह को कहा जाता है, जो विशेष सम्बन्धों के कारण स्वाभाविक एकता का अनुभव करते हैं। वे सम्बन्ध 1933 के 190 इतने दृढ़ तथा वास्तविक होते हैं कि जिनके आधार पर व्यक्ति एक साथ रहने पर पसन्द करते हैं। यदि उन्हें समाज से पृथक कर दिया जाय तो उन्हें दुःख और असन्तोष होता है।”

ब्रॉस के अनुसार—“राष्ट्र नस्ल सम्बन्धी एकता युक्त वह जनता कहलाती है, जो भौगोलिक एकता के किन्हीं भू-खण्ड पर निवास करती हो।” इनके अनुसार नस्ल को राष्ट्र का मुख्य आधार माना गया है, जबकि आधुनिक युग में नस्ल का सम्मिश्रण इतना व्यापक हो गया है कि, ‘अमुक राष्ट्र का उदय अमुक नस्ल से हुआ है’, यह बूढ़ा मत सम्भव है।

मार्शल स्टालिन ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार से अभिव्यक्त की है—“राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से निर्मित जनता की वह दृढ़ एकता है, जिसका निर्माण एक सामान्य भाषा, निश्चित भू-खण्ड, आर्थिक जीवन तथा सामाजिक संस्कृति के रूप में व्यक्त सामान्य मनोविचारों के आधार पर होता है।” इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा के अनुसार सामान्य भाषा, सामान्य निवास व भूमि, सामान्य निवास व भूमि, सामान्य आर्थिक जीवन तथा सामान्य संस्कृति ऐसी विशेषताएँ हैं जो राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करती हैं।

(1) राष्ट्र का अर्थ राज्य से विस्तृत व व्यापक होता है। एकता की भावना और राज्य दोनों मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एक राष्ट्र में अनेकों राज्य हो सकते हैं, और अनेकों राज्य मिलकर ही राष्ट्र कहा जाता है। जैसे अरब एक राष्ट्र है और उसमें अनेकों राज्य हैं।

(11) किसी भी राष्ट्र का मूल आधार एकता की भावना होती है, परन्तु राज्य का मूल आधार वास्तविक सत्ता होती है। जिस राज्य में एकता की भावना नहीं होती उसे राष्ट्र की गणना में नहीं ले सकते हैं।

(111) राष्ट्र का स्वरूप प्राथमिक एव चेतनायुक्त होता है। राज्य न तो ऐसा भावनाओं को अपनी महत्ता द्वारा उत्पन्न ही कर सकता है, और न वह उसे समाप्त ही कर सकता है। राज्य पूर्णत एक राजनीतिक व्यवस्था का रूप होता है। यह मानवीय आवश्यकताओं का मूल रूप होता है। राष्ट्र की तरह इसका मन्त्र व प्रावश्यक रूप से मनुष्य के प्राथमिक प्रयत्न उत्पन्न प्रभूत भावनाओं से नहीं होता।

(1V) राष्ट्र के निर्माण में कोई निश्चित तत्व नहीं होते हैं, जसे कि राज्य के निर्माण में जनसंख्या निश्चित भू-भाग सरकार तथा संप्रभुता ही राज्य के मूल तत्व होते हैं उनसे राज्य का निर्माण होता है किंतु राष्ट्र के विषय में कदापि नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र के निष्पत्तिक तत्व (जसे भाषा और धर्म) सदा बदलते रहते हैं कभी भी निश्चित नहीं हो सकते, जबकि राज्य के निर्माण तत्व निश्चित होते हैं।

(V) राष्ट्र और राज्य का सम्बन्ध किसी भू-खण्ड विशेष से होता है किंतु राष्ट्र उस भू-खण्ड विशेष से बाहर भी फल सकता है। मानव के अनुसार—'यदि राज्य को हम नष्ट सम्बन्धी प्रयत्न भाषा सम्बन्धी जनसंख्या के रूप में मान लें, तो राज्य की सीमाएँ उसकी सीमाओं से बाहर फल सकती हैं, तथा इसी प्रकार राष्ट्र की सीमाएँ राज्य की सीमाओं से अधिक विस्तृत हो सकती हैं।

(VI) राष्ट्र की शक्ति नतिक होती है, जबकि राज्य शक्ति पुलिस शक्ति होती है। राष्ट्र प्रपीत करता है, समझता है प्रयत्न बहिष्कार करता है, जबकि राज्य का काय प्राप्ता देना, राज्य करना तथा शब्द देना होता है। प्रत्येक राज्य वह समुदाय होता है, जिसमें मनुष्य एक निश्चित प्रदेश के प्रत्येक विधि के लिए संगठित रहते हैं। किंतु राष्ट्र वह समुदाय होता है, जिसमें मनुष्य मनो-वैज्ञानिक रूप से साथ साथ रहने की इच्छा रखते हैं।

राज्य और समुदाय—समुदाय मानव का वह संगठन होता है, जिसका निर्माण किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति प्रयत्न मानव जीवन के किसी पहलू विशेष की उन्नति के लिए किया जाता है। उसका निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है तथा उसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है।

1) सदस्यता की दृष्टि से—सदस्यता की दृष्टि से राज्य तथा अन्य समुदाय से सबसे बड़ा अंतर यह रहता है कि राज्य को छोड़ कर अन्य सभी समुदायों की सदस्यता मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक न हो कर

अनिवार्य होती है, और मनुष्य ज म से ही किसी न किसी राज्य का सदस्य होता है जहा तक समुदायो की सदस्यता का सम्बन्ध है, इनका सदस्य बनने या न बनने के लिए मनुष्य पूरा त स्वतन्त्र रहता है । इसके अतिरिक्त एक मनुष्य एक ही समय म एक ही राज्य का सदस्य (नागरिक) हो सकता है, जबकि एक ही मनुष्य एक समय म, कई समुदायो की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर सकता है ।

2) सीमा की दृष्टि से सीमा की दृष्टि से राज्य तथा समुदाय मे यह मतभेद रहता है कि राज्य का अपना निश्चित तथा सीमा भू भाग तथा काय क्षेत्र होता है, जबकि समुदाय प्रधिकृत भूमि की दृष्टि से सीमा मे बंधे नहीं रहते हैं । अधुनिक काल मे मनुष्य के एस समुदाय होते हैं, जिनमे विभिन्न राज्यों तथा राष्ट्रों के सदस्य सम्मिलित हैं, तथा जिनका काय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी होता है । रेड क्रॉस सोसायटी इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय माना जाता है ।

3) लक्ष्य की दृष्टि से—लक्ष्य की दृष्टि से यह कहा जाता है कि समुदायों का लक्ष्य विशिष्ट तथा सीमित होता है, जबकि राज्य का लक्ष्य उसकी तुलना मे बहुमुखी एवं व्यापक होता है । राज्य का काय आज शांति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसकी व्यापकता मे मानव जीवन के लगभग सभी पहलू किसी न किसी रूप मे सम्मिलित है इसका विपरीत समुदायो का एक निश्चित लक्ष्य होता है, जो राज्य की तुलना मे अत्यधिक सीमित होता है । उदाहरणार्थ—धार्मिक समुदायो का सम्बन्ध अपने सदस्यों के केवल धार्मिक हित से शक्ति समुदायो का सम्बन्ध अपने सदस्यों के केवल शक्ति हित से, अथवा धार्मिक समुदायो का सम्बन्ध अपने सदस्यों के केवल धार्मिक हित से होता है जबकि राज्य का काय सभी दोनों मे व्यक्तियों के हित के लिए किया जाता है । समुदाय अपने उन छोटे से व्यक्तियों व सदस्यों के लिए ही काय करता है, जो उन समुदाय के नियमित सदस्य होते हैं । राज्य की दृष्टि मे सभी व्यक्ति समान होते हैं और समानता की ही भावना के आधार पर राज्य समाज का विधि द्वारा संचालन करता है ।

4) अबाध की दृष्टि से—राज्य स्थायी होता है और अथ समुदाय अस्थायी । धर्म समुदाय बनते और बिगड़ते रहते हैं, जबकि राज्य का अस्तित्व स्थायी होता है । कुटुम्ब और चर्च को छोड़ कर अथ समुदायो का निर्माण ही सम्भवत स्वयं राज्य के पश्चात् हुआ है । समुदाय बनन तथा उनके बने रहने की सम्भावना स्वयं राज्य के स्थायित्व पर ही निर्भर करती है । राज्य सुव्यवस्था के जिस धातावरण को जन्म देता है उसी मे अथ समुदाय फलीभूत हो सकते हैं । विल्सन के कथनानुसार—
 “समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता राज्य के स्थापित पर ही निर्भर रहती है ।”

प्रकार स्थान और काल दोनों की ही दृष्टि से राज्य प्रायः समुदायों को रक्षा करता है।' अथ समुदायों का जीवन ही राज्यों पर पूरा रूप से निर्भर रहता है, क्योंकि यदि राज्य उन्हें लाकड़ितके विरुद्ध पाता है, तो समुदायों की जीवनलीला को समाप्त भी कर सकता है।

5) प्रजा तथा साधन की दृष्टि से—राज्य सर्वोपरि समुदाय है और प्रायः समुदाय उसके अधीन रहते हैं। राज्य प्रभुत्व सम्पन्न है, जबकि प्रायः समुदायों को राज्य की भांति सम्प्रभुता प्राप्त नहीं होती है। राज्य के कानून तथा प्रादेशों के पीछे राज्य प्रभुत्व की शक्ति होती है। अतः नागरिकों के लिए उनका मानना अनिवार्य हो जाता है। इनकी प्रवहेलना करने वाला दण्ड या भागी होता है। इसके विपरीत प्रायः समुदायों को विधि द्वारा प्राप्त ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। वे केवल सदस्यों से प्राप्ति कर सकते हैं, और अधिक स अधिक उन्हें समुदाय छोड़ने से नहीं करवा सकते। प्राप्ति कर सकते हैं, पर तु बलपूर्वक अपने नियमों का पालन वे व्यक्तियों से नहीं करवा सकते। मानव और समुदाय दोनों ही राज्यों के सम्मिलित रहते हैं, तथा उन दोनों पर ही राज्य की सम्प्रभुता की मायता रहती है, जो कि समुदाय अपने सदस्यों पर लागू नहीं करवा सकता।

राज्य और समाज—समाज ऐसे व्यक्तियों का एक समूह मात्र है जो सामान्य उद्देश्यों, अपने कार्यों तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संगठित हो कर साथ-साथ रहते हैं। मनुष्य के जितने भी सामूहिक उद्देश्य तथा सम्बन्ध होते हैं, उन सबका अर्थ समाज में ही होता है। समाज का उद्देश्य मानव जीवन के शैक्षिक, नैतिक, धार्मिक, मानसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रादि प्रत्येक पहलू को विकसित करके उत्थित बनाता है। लक्ष्य की दृष्टि से समाज इस प्रकार बहुमुखी है। व्यवहारिक दृष्टि से समाज उन विभिन्न समुदायों का समूह है जिसमें से प्रत्येक मानव जीवन के किसी न किसी पहलू की उत्थिति में संलग्न रहता है। बाकर के अनुसार— समाज से हमारा तात्पर्य अनेक उद्देश्यों तथा अनेक समस्याओं वाले उन सब ऐच्छिक समूहों तथा समुदायों से होता है जो किसी राष्ट्र के अंतर्गत होते हैं। सामूहिक रूप से तथा समष्टि में ये ही समुदाय उस सामाजिक ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसे हम समाज के नाम से पुकारते हैं।

राज्य और समाज का अंतर (1) लक्ष्य की दृष्टि से—लक्ष्य की दृष्टि से यदि समाज को देखा जाय तो समाज प्रायः तत्काल तथा राज्य संकुचित होता है। समाज का अंतर मानव की बहुमुखी उत्थिति होता है वह मानव के व्यक्तित्व के पहलू, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रादि से सम्बन्धित

रहता है और उनकी देखरेख और उन्नति के उत्तरदायित्व का वहन करता है जबकि राज्य का एक सीमित उद्देश्य होता है और उसका उत्तरदायित्व मुख्यतः समाज में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है, जिससे समाज में विधि की सत्ता स्थापित हो सके और वह शांतिपूर्वक उन्नति कर सके। इस प्रकार समाज यदि अपने उद्देश्य में बहुमुखी होता है तो राज्य का दृष्टिकोण एकमुखी।

बाकर की दृष्टि में “उद्देश्य की दृष्टि से भी राज्य और समाज में भिन्नता पाई जाती है। राज्य का अस्तित्व एक महान् उद्देश्य के लिए होता है, जबकि समाज का अस्तित्व अनेक उद्देश्यों के लिए होता है, जिनमें कुछ महान् तथा कुछ साधारण होते हैं, किन्तु जो समष्टि रूप से अत्यन्त गम्भीर तथा व्यापक होते हैं।”¹

(II) सगठन की दृष्टि से—राज्य और समाज में सगठन की दृष्टि से भी प्राधारभूत अन्तर पाया जाता है। लक्ष्य की दृष्टि से बहुमुखी होने के कारण समाज अनेक समुदायों का समूह होता है, क्योंकि ये समुदाय ही पृथक्-पृथक् रूप से समाज के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। समाज ऐसे अनेक समुदायों में उभा होता है जिनके सभ्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके विपरीत राज्य सगठन की दृष्टि से एकात्मक होता है यद्यपि काय की सुविधा की दृष्टि से उसके विविध अंग अर्थात् सरकार के विभिन्न भाग अवश्य होते हैं, तथापि लक्ष्य की दृष्टि से उनमें एकरूपता पाई जाती है और ये सब भाग एक ही लक्ष्य को ध्यान में रख कर कार्य करते हैं।

(III) उत्पत्ति तथा आकार की दृष्टि से—उत्पत्ति की दृष्टि से समाज राज्य से प्राचीन है। सामाजिक परम्पराओं का जन्म राज्य के कानूनों से पूर्व हुआ है, और राज्य के कानून स्वयं बहुत सीमा तक इनसे प्रभावित रहे हैं। राज्य समाज से कहीं अधिक सीमित होता है। मानवीय तथा सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे पहलू होते हैं जिनका न तो राज्य से कोई सम्बन्ध होता है, और न इनमें राज्य हस्तक्षेप ही कर सकता है। राज्य का काय केवल मानव के ग्राह्य कार्यों तथा सम्बन्धों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक सुव्यवस्था को स्थापित रखना होता है। सहानुभूति नह्योग और सहानुभूति जैसे सामाजिक बंधन राज्य की सीमा से परे रहते हैं, तथा कुटुम्ब और धर्म

1 In purpose they are different the State exist for one great but single purpose, society for a number of purposes some great and some small but all in their aggregate deep as well as broad

जहा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग होते हैं, वहाँ राजनैतिक जीवन में इनका महत्व नगण्य होता है। महात्मा के शब्दों में—“यदि हम केवल विषय के तथ्यों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि कुटुम्ब चर्च प्रथम कब जसी घनेक ऐसी सामाजिक संस्था होती है जो न तो राज्य द्वारा उत्पन्न की जाती है, और न उसके द्वारा अनुप्ररित की जाती है।”

(iv) तत्वों की दृष्टि से—तत्वों की दृष्टि से भी राज्य और समाज में महत्वपूर्ण अंतर रहता है। राज्य के चार निर्णायक तत्व होते हैं—जनसंख्या, निश्चित भू-भाग सरकार तथा संप्रभुता। जहा तक जनसंख्या का प्रश्न है, यह राज्य तथा समाज दोनों में ही पाई जाती है। भू-भाग भी राज्य तथा समाज दोनों के लिए आवश्यक अंग होते हैं। क्योंकि फिरदरो का गिराव चहा व कितना ही बडा वधो न हो, समाज की श्रेणी में नहीं आ सकता। समाज के लिए भू-भाग होना आवश्यक है, यद्यपि समाज का भू-भाग इतना निश्चित नहीं होता जितना की राज्य का। इस प्रकार जनता तथा भू-भाग ऐसे दो तत्व होते हैं, जो राज्य तथा समाज दोनों में ही समान रूप से पाये जाते हैं। सरकार और संप्रभुता राज्य के दो तत्व ऐसे हैं, जिन का समाज से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार निर्णायक तत्वों की दृष्टि से भी राज्य तथा समाज एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं।

(v) शक्ति की दृष्टि से—राज्य और समाज शक्ति सम्पन्नता की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। राज्य पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संस्था होने के नाते, कानून तथा आदेशों के पीछे राज्य की शक्ति होती है तथा इनकी प्रवहेलना करने वाले दण्ड के भागीदार होते हैं। इसके विपरीत समाज की यह भौतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। समाज का बल केवल नैतिक होता है। आकर की दृष्टि से—‘समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का होता है, सद्भावना का बल उसका होता है, और लचीलापन होता है, उसकी कय पद्धति। जबकि राज्य का काय क्षेत्र यात्रिक कायवाही का काय क्षेत्र होता है, संय शक्ति उसका बल होती है और कठोरता उसकी काय पद्धति होती है।’

अतः राज्य तथा समाज में यद्यपि महत्वपूर्ण अंतर होता है, फिर भी दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। यदि राज्य शान्ति तथा व्यवस्था रखकर उन परिस्थितियों को बनाए रखता है, जिनके बिना समाज के अस्तित्व की ही भय उत्पन्न हो सकता है, तो दूसरी ओर समाज उस पृष्ठ भूमि का निर्माण करता है जिसमें राज्य का निर्वाह सम्भव होता है। यदि समाज राजनैतिक संगठन की आधार मिला है तो सामाजिक बंधनों को स्थिर बनाए रखना, राज्य का मुख्य उत्तर

दायित्व होता है। अतः दोनों का सम्बन्ध अथवा या अथवा का सम्बन्ध है, तथा एक के बिना दूसरे के सफल अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

राज्य और सरकार (State & Government)—सरकार के बिना राज्य का निर्माण पूर्ण नहीं होता। राज्य के संगठन की ही सरकार कहा जाता है। सरकार को स्थापना के साथ-साथ राज्य की स्थापना होती है। यह वह मशीन है, जो राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करती है। यह राज्य का क्रियात्मक रूप है, एवं राज्य की आत्मा का कार्य करती है। सरकार के अभाव में राज्य छिन्न-भिन्न हो सकता है। सरकार का कार्य कानून बनाना, देश की रक्षा करना, तथा मुक्त शांति को कायम रखना होता है। सरकार ही नियम पालन न करने वालों के लिए दण्ड का विधान कायम करती है। सरकार का निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता। यह प्रजातांत्रिक भी हो सकती है, और साम्यवादी तथा एकतन्त्रवादी भी।

राज्य और सरकार में भिन्नता—राज्य और सरकार ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग लिए जाते हैं, मानो कि इन दोनों में कोई अन्तर न हो। इंग्लैण्ड के स्टुअर्ट शासक अपनी निरकुश सत्ता को न्याय सिद्ध करने के लिए दोनों में कोई भेद नहीं मानते थे। फ्रांस का सम्राट लुई चौदहवाँ (Louis XIV) कहा करता था, "मैं ही राज्य हूँ।" हाब्स ने भी राज्य और सरकार का प्रयोग समान अर्थों में किया है। वास्तव में राज्य और सरकार में मौलिक अन्तर है। राज्य एक व्यक्तिगत सम्पन्न सत्ता है, तथा सरकार इसकी ओर से उसके अधीन रहकर उसकी इच्छाओं तथा सकार्यों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने वाला केवल मात्र मान्य है। यदि राज्य राजनीति शास्त्र की एक कल्पना है, तो सरकार इसका जीवित तथा स्थूल रूप है। विलोबी के अनुसार—"राज्य तथा सरकार का अन्तर, उस अन्तर के समान है जो व्यक्ति के नैतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व और उसके नैतिक व्यक्तित्व में होता है।"¹

(1) प्रधान और प्रतिनिधि का भेद—यदि राज्य प्रधान है, तो सरकार उसकी प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता मात्र है। राज्य मुक्त गठित व्यक्तियों का एक प्रभुत्व सम्पन्न समूह है, जिसका उद्देश्य सब साधारण की उत्पत्ति करना होता है।

1 It is analogous to the distinction between a given individual as a moral and intellectual being and as having a physical body

एक परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित सगठन की आवश्यकता होती है, और ऐसे ही सगठन को सरकार कहते हैं। सरकार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक मात्र होता है और सरकार उसका भोग केवल राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व के तौर पर करती है। मैकाइवर के अनुसार—“राज्य एक प्रादुर्भाव्य शक्ति है, जो अरूप, अदृश्य और अमर है। सरकार राज्य की एक प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था मात्र है।

(2) पूण्य और आशक्त का भेद—यदि राज्य एक विशेष तथा पूण्य कल्पना है तो सरकार उसका एक भूत मात्र है। राज्य की उत्पत्ति जनसंख्या, का एक छोटा सा भाग होता है, और उसे राज्य द्वारा उद्देश्य पूण्य करने का कार्य सौंपा गया है जिसके लिए राज्य का अस्तित्व होता है। सरकार प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं हो सकती, यह प्रभुसत्ता शक्ति (Sovereign Power) की केवल प्रतिनिधि मात्र है और उसके पास अधिकार का केवल पट्टा है, जो प्रभुसत्तावाद् (राज्य) द्वारा नष्ट किया जा सकता है।

मैकाइवर के अनुसार—“जब हम राज्य के विषय में बात करते हैं, तब हमारा अर्थ उस सगठन से होता है। जिसका प्रशासकीय अंग सरकार होती है। राज्य का एक समूह होता है जब हम सम्पूर्ण ढांचे के विषय में विचार करते हैं, तब हम राज्य पर विचार करते हैं।”

विधि तथा राज्य में सम्बन्ध (Relations between Law & State)

विधिशास्त्र का सम्बन्ध विधि से होता है जो कि किसी राजनीतिक रूप में सगठित समाज अर्थात् राज्य में लागू की जाती है। अतएव राज्य तथा विधि में पारस्परिक सम्बन्ध होता है। इस विषय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है और उनके विभिन्न विचारों के आधार पर तीन विभिन्न विचारधाराएँ निकली हैं—

(1) राज्य ही विधि का निर्माता (The State as the creator of Law)—डा. सामण्ड कहते हैं कि राज्य के ही कारण तथा राज्य के ही अंदर विधि का अस्तित्व होता है। इस प्रकार राज्य ही विधि का प्रमुख स्रोत होता है। आस्टिन का विचार है कि प्रत्येक सुस्पष्ट विधि जो किसी समुदाय में लागू है या तो सबसेसत्ता सम्पन्न प्रधान द्वारा या राज्य द्वारा बनाई गयी है। हैनिस टेलर (Hannis Taylor) का कहना है कि जब तक राज्य की रचना नहीं हुई तब तक विधि अपने निश्चित अर्थ में नहीं लागू हुई। हाडम का भी यही विचार है कि “राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) ही केवल विधि का निर्माण कर सकता है।” यहाँ राष्ट्रमण्डल से हाडम का तात्पर्य राज्य से ही है।

(2) विधि ही राज्य की निर्मात्री है (Law is the creator of State)—प्रो लॉस्की तथा डा जेनिंग्स उपयुक्त विचारधारा को नहीं मानते। लॉस्की कहते हैं कि 'विधि राज्य के बंधन से मुक्त है और इसकी उत्पत्ति राज्य के पहले हुई है।' मिलर (Miller) ने अपनी पुस्तक "The Data of Jurisprudence" में लिखा है कि 'विधि भाषा की ही भाँति समाज से स्वतः उत्पन्न हुई है और उसका पहला कार्य यही रहा है कि वह राज्य की, जो कि बहुमतम निगम (Corporation) है, विधि के अनुसार अधिकारों एवं कर्तव्यों को लागू करने के लिए रचना करें। राज्य विधि बनाता आवश्यक है परन्तु यह विधि को पैदा नहीं करता, जैसे यह बारूद को बनाता है परन्तु उसके रासायनिक सम्बन्धों को पैदा नहीं करता।' ड्यूग्वी (Duguit) तथा क्रैब (Crabbe) भी इसी विचार से सहमत हैं। उनके विचार से विधि सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम है।

मिलर के शब्दों में—“Law like language springs from society itself and one of its first work is the creation of state, the greatest of corporations—for the enforcement of rights and duties in accordance with law”

(3) विधि तथा राज्य एक ही है (Law and State, the same things)—इस विचारधारा के प्रमुख विचारक केल्सन (Kelsen) हैं। उनका कहना है कि राज्य तथा विधि एक ही हैं क्योंकि दोनों वैधानिक व्यवस्था को ही स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं। परन्तु मिलर महोदय केल्सन के विचार का खण्डन करते हुए कहते हैं कि विधि तथा राज्य को समान बताना पच तथा राज्य को घम तथा राज्य को समान बताना है।

उपयुक्त विचारधाराओं में कोई भी विचारधारा सत्य क्यों न हो, हम विभिन्न राज्यों के निरीक्षण के माध्यम पर कह सकते हैं कि विधि ही राज्य का अस्तित्व होती है। बिना विधि के राज. अपनी व्यवस्था को बनाए नहीं रख सकता। विधि का भी अस्तित्व राज्य पर ही आधारित है। केवल राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय में ही विधि का अस्तित्व हो सकता है, जगत में भ्रमण करने वाले प्रादिवासियों के बीच नहीं। विधिशास्त्र राज्य में कार्य करने वाली ऐसी ही विधि का अध्ययन करता है। राज्य के बिना विधि का कोई अस्तित्व नहीं है और विधि के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सम्प्रभुता (Sovereignty)

4

“एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या सम्बन्ध होता है, यह सभी समझा जा सकता है, जब हम राज्य के उस तत्त्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक् करता है, उसे हम सम्प्रभुता कहते हैं।”
—गैटिल

जनता, प्रदेश, सरकार और सम्प्रभुता राज्य के चारों तत्वों में सम्प्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक् किया जाता है। इसके कारण राज्य का त्रिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से पूरा स्वतन्त्र हो जाता है, इस प्रकार सरकार के कानूनों और आदेशों को सार्थकता तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है और लोग उसका पालन करते हैं। इसके द्वारा राज्य के निवासियों में एकता की भावना का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि वे सब एक ही सर्वोच्च शक्ति की अधीनता में रहकर एकता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार राज्य और शासन के लिए सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है।

सम्प्रभुता का अभिप्राय—सम्प्रभुता अंग्रेजी शब्द (Sovereignty) का हिन्दी रूपान्तर है। Sovereignty शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'Super-
adus' से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति (Supreme Power) से होता है। इस दृष्टि से सम्प्रभुता का तात्पर्य राज्य की सर्वोच्च सत्ता होती है। सर्वोच्च सत्ता जिसके ऊपर अन्य किसी शक्ति का नियन्त्रण न हो। जैलनेक के अनुसार—“सम्प्रभुता राज्य की वह विशेषता कहलाती है जिसके आधार पर इसकी अपनी इच्छा के आतिरिक्त इसको कोई दूसरी शक्ति सीमित नहीं कर सकती।” सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का ही दूसरा नाम है। इसके अधीन राज्य के सभी व्यक्ति, संस्थाएँ तथा समुदाय होते हैं। यह किसी शक्ति के अधीनस्थ नहीं होती, न तो राज्य के सीमा के अन्तर्गत और न सीमा

[विधि और समाज]
 कि बाहर की ऐसी कोई शक्ति है जो उसे नियंत्रित एवं सीमित कर सकती है ।
 सम्प्रभुता राज्य की वह पन्तिम सत्ता होती है जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की
 अपील नहीं की जा सकती ।

राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में विभिन्न
 विचार व्यक्त किये हैं । ग्रास के शब्दों में कहा जा सकता है कि, 'सम्प्रभुता का
 प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक
 है ।' प्राधुनिक युग के राजनीति विज्ञानवेत्ताओं में सम्प्रभुता का व्यापक एवं
 लोकप्रिय परिभाषा देने का श्रेय सबसे प्रथम जोन बोदा (Jean Bodin) को है ।
 उनके अनुसार—'सम्प्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों की वह सर्वोपरि शक्ति होती है
 जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता ।'¹ ग्रेजियस— सम्प्रभुता उन व्यक्तिबोध
 निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति होती है जिसके कार्य प्रत्येक किसी के अधीन नहीं
 होते, तथा जिसकी प्राप्ति का उल्लंघन न किया जा सकता है ।'² ब्लैकस्टोन—
 'सम्प्रभुता वह सर्वोच्च प्रविधाय और अनिर्दिष्ट सत्ता है, जिसके अधीनस्थ बंधु
 से बड़े कानून रहते हैं ।'³ विलोबी—'सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती
 है ।'⁴ सोल्टाऊ—'सम्प्रभुता द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनी शक्ति है ।'⁵
 ब्रैस—'सम्प्रभुता प्रत्येक प्रजाजन तथा उनके समस्त समुदायों के शब्दों पर निरकुश
 तथा असीमित शक्ति होती है ।'⁶ ह्यूम्बो—'सम्प्रभुता राज्य को शासन शक्ति
 या प्राप्ति देने की शक्ति होती है । वह राष्ट्र की इच्छा है, जिसका संगठन राज्य के
 रूप में हुआ है । वह राज्य की सीमा के भीतर सब व्यक्तियों को आदेश देने का

-
- 1 Sovereignty is the Supreme Power of the State over Citizens and Subjects unrestrained by Law —Jean Bodin
 - 2 Sovereignty is the Supreme Power vested in him, whose acts are not subject to any other and whose will can not be over ridden —Grotius
 - 3 It is the Supreme irremistible absolute uncontrolled authority in which the jura Summe imperial reside —Blackstone
 - 4 Sovereignty is the Supreme will of the State —Willoughby
 - 5 Sovereignty is the exercise of final legal coercive power of the state —Soltan
 - 6 Sovereignty is the original absolute and unlimited power over individual subjects and associations of subjects —Burgess

प्रधिकार रखती है।¹ प्रास्टिन—“यदि किसी राजनीतिक संगठन के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे देखा जा सके, जो किसी के अधीन नहीं हो और सारा संगठित समाज जिसकी आनामना का स्वाभाविक रूप से पालन करता हो, तो वह व्यक्ति राजा और संगठित समाज एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है।”²

सम्प्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अतम स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

सम्प्रभुता की विशेषताएँ (Characteristics of Sovereignty)

(1) **निरपेक्षता अथवा निरकुशता (Absoluteness)—**

सम्प्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से होता है। यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरकुश होती है। सम्प्रभुता, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में निरकुश एवं सर्वोच्च होती है। आन्तरिक क्षेत्र में सम्प्रभुता सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाएँ भी मनवा सकती है और किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार बहरी क्षेत्र में राज्य दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। वैधानिक दृष्टि से आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्र में राज्य की सम्प्रभुता पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है। प्रास्टिन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, ‘सम्प्रभु अर्थ सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किन्तु स्वयं किसी के आदेश पालन का आदि नहीं होता।’

1 Sovereignty is the Commanding Power of the State It is the will of the Nation organised in the State it is the right to give unconditional order to all individuals in the territory of the State —Duguit

2 If a determinate human superior not in the habit of obedience to like a Superior receives habitual obedience from the bulk of a given society that determinate superior is Sovereign in that society, and the society including the superior is a society Political and independent —Austin

(2) सर्वव्यापकता (Universality or all comprehensiveness)—सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य यह होता है कि, राज्य के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है, और इनमें से कोई भी सम्प्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व ही राज्य की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता देना अथवा न देना सम्प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः कहा जा सकता है कि राज्य के अन्तर्गत जितनी भी वस्तुएँ होती हैं, उन सब पर सम्प्रभुता का प्राधिपत्य पूर्ण रूप से रहता है।

(3) स्थायित्व (Permanence)—गानर के अनुसार "स्थायित्व से आशय यह है कि, जब तक राज्य कायम रहता है तब तक सम्प्रभुता कायम रहती है, प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालिक पद-युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण सम्प्रभुता का नाश नहीं होता। वह उसी क्षण नये प्रभुत्वधारी के हाथों में पहुँच जाती है।" अतः सम्प्रभुता राज्य के समान ही स्थायी है। सम्प्रभुता और राज्य का एक साथ अस्त होता है। यदि कोई राजा या राष्ट्रपति मरता है या पद त्याग करता है, तो उससे राज्य या सम्प्रभुता का अस्त नहीं होता है।

(4) अर्धदेयता व अपरित्याज्यता (Inalienability)—गानर के अनुसार 'सम्प्रभुता को त्यागना अत्यन्त हत्या के तुल्य माना गया है। राज्य में से सम्प्रभुता को निकाल देने पर उसका वही रूप होगा जो शरीर का प्राण निकाल देने पर होता है। सम्प्रभुता का अर्धदेयत्व है, उमठी प्राणना। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अर्धदेय है और वह किसी को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की सम्प्रभुता भी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती।

(5) अविभाज्यता (Indivisibility)—सम्प्रभुत्व शक्ति का कदापि विभाजन नहीं हो सकता। सम्प्रभुता पूर्ण होती है, उसे विभाजित करने का अर्थ है, उसे नष्ट करना, और एक से अधिक राज्यों की रचना करना। गट्टिल (Gottel) ने कहा है—“विभक्त सम्प्रभुता एक विरोधी पद है।”¹ सम्प्रभुता राज्य की सर्व-

¹ Divided Sovereignty is a Contradiction in terms

थेष्ठ सत्ता होती है, और एक ही राज्य में दो सवश्रेष्ठ सत्ताएँ निवास नहीं कर सकती। जिस प्रकार हम पृथ्वी पर पड़ते हुए सूर्य के प्रकाश को विभाजित नहीं कर सकते, शरीर में भी व्याप्त प्राण वायु को विभाजित नहीं कर सकते, पानी में घ्याप्त उसकी तरलता को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख गुण सम्प्रभुता को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। मैटिल ने भी कहा है कि, "यदि प्रभुसत्ता परिपूर्ण नहीं होती है। तब किसी भी राज्य का कोई अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। यदि प्रभुसत्ता विभाजित रहती है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व कायम हो जाता है।"¹

सम्प्रभुता के प्रकार (Kinds of Sovereignty) —

(1) नाम मात्र या ध्वज मात्र की सम्प्रभुता (Titular Sovereignty) — नाम मात्र की सम्प्रभुता का इतिहास संवैधानिक शासन (Constitutional Government) के इतिहास से जुटा हुआ है। सावधानिक शासन व्यवस्था में नाम मात्र का सम्प्रभु पाया जाता है। सावधानिक शासन में दो प्रकार के शासनाधिकारी होते हैं राजा या राष्ट्रपति और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। संविधान के अनुसार सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति या राजा में निहित रहती हैं, लेकिन वह उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ सिर्फ नाम मात्र के लिए ही होती हैं उनका वास्तविक प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार शासन का सावधानिक प्रधान नाम मात्र के लिए ही होता है। यह एक ऐसा प्रतीक है जिसके नाम पर शासन संचालन किया जाता है लेकिन स्वयं अपनी म्बच्छा से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। उदाहरण स्वरूप— इंग्लैंड का राजा नाम मात्र का सम्प्रभु होता है शासन के सारे कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी शक्तियों का प्रयोग जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार के सम्प्रभु की शक्ति में लिया जा सकता है।

(2) वैध या कानूनी सम्प्रभुता (Legal Sovereignty) — राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है, उसके वैधानिक सम्प्रभुता कहा जाता है। यह वह

1 If sovereignty is not absolute no state exists If sovereignty is divided more than one state exists —Gettell

सम्प्रभु होती है, जिसे यायालय स्वीकार करता है। डायरी के अनुसार—“वैध सम्प्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति होती है, जो प्रत्येक किसी भी कानून या विधि से पर्याप्त नहीं होती। वैध सम्प्रभु राज्य की इच्छा को कानून का रूप देने तथा उसका पालन कराने की प्रतिम शक्ति होती है।” वह स्वयं किसी कानून या शक्ति द्वारा पर्याप्त नहीं होती। इन कानूनी सत्ता के प्रतीक न्यायालय होते हैं। न्यायालय केवल उस ही कानूनों के आधार पर याय विचार करते हैं जिन्हें यह कानूनी सत्ता बनती है। कानूनी सम्प्रभुता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ब्रिटिश संसद में पाया जाता है। ब्रिटिश संसद में कानून निर्मात्री शक्ति प्रसीमित होती है। वह किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। डायरी के शब्दों में—“ब्रिटिश संसद इतनी सवशक्ति सम्पन्न होती है कि, वह प्रिन्स को ब्यस्क तक बना सकती है, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोह के अपराध का भागी तब बना सकती है किसी नाजायज बच्चे को जायज ठहरा सकती है, प्रयत्न उचित समये तो किसी व्यक्ति को स्वयं उसी के मुद्दाम में न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। कोक के शब्दों में—“ब्रिटिश संसद केवल उन कार्यों को ही छोड़ती है, जो कि स्वयं प्रकृति द्वारा असम्भव होते हैं वस्तु सम्पूर्ण काय इसकी कानूनी सर्वोच्चता के अंतर्गत होते हैं। वह केवल मद को शीरत शीरत को मद नहीं बना सकती शेष सभी काम कर सकती है।”

(3) राजनैतिक सम्प्रभुता (Political Sovereignty)—डायरी के

मतानुसार—“जिस सम्प्रभुता को वकील लोग प्रस्वीकार करते हैं, उसके पीछे एक दूसरा सम्प्रभु रहता है, जिसके समक्ष वैधानिक सम्प्रभुता को शिर झुकाना पड़ता है।” राजनीतिक सम्प्रभु की इच्छा में राज्य की प्रतिम शक्ति निहित है। मानर के अनुसार—“वैध सम्प्रभुता के पीछे एक दूसरी सत्ता भी रहती है, जो वैध रूप में प्रजात एवं प्रसंगित होती है, और जिसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि, वह राज्य की इच्छा को वैध प्रादेश के रूप में यत्न कर सके, फिर भी जो इस प्रकार की सत्ता होती है, जिसके समक्ष वैध सम्प्रभुता को नतमस्तक होना पड़ना है, वह है—राजनीतिक सम्प्रभुता।” कानूनी सम्प्रभुता अर्थात् संसद का निर्वाचन यही राजनीतिक सम्प्रभुता अर्थात् निर्वाचक मण्डल किया करता है। यह वह शासन की प्रतिम शक्ति होती है, जिसके समक्ष कानूनी सम्प्रभुता को नुस्ताना पड़ता है। इसकी इच्छा के विरुद्ध कानूनी सम्प्रभुता अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार—“राजनीतिक सम्प्रभु एक राज्य के अंतर्गत उन सभी परिणामों का योग होता है, जो वैधानिक सम्प्रभु के पीछे निहित रहते हैं।”

कानूनी सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में अन्तर—प्रतिनिधि प्रजातंत्र (Representative Democracy) में कानूनी सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता का अन्तर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ऐसी शासन प्रणालियों में प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल या मतदाताओं का समूह होता है, जिसे राजनीतिक सम्प्रभु कहते हैं। मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि समूह अर्थात् सदन को वष सम्प्रभु कहा जाता है। राजनीतिक सम्प्रभुता का यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है जबकि कानूनी सम्प्रभुता को यास्तविक मान्यता प्राप्त होती है। यायालय इसी के द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार धरना निश्चय देते हैं। यायालय के समक्ष राजनीतिक सम्प्रभुता की कोई कीमत नहीं होती। राइस के अनुसार—“वैध तथा राजनीतिक सम्प्रभुता में जो भेद पाये जाते हैं, वे केवल सम्प्रभुता को कानूनी और लौकिक कल्पना के अन्तर के कारण ही होते हैं।”

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct Democracy) तथा अधिनायकतंत्र (Totalitarianism) में सम्प्रभुता के दोनों रूपों में अन्तर देखने को नहीं मिलता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में समस्त व्यक्त नागरिक स्वयं कानून निर्माण में भाग लेते हैं। अतः राजनीतिक सम्प्रभुता तथा कानूनी सम्प्रभुता दोनों ही एक स्थान में निर्वाचक मण्डल में केन्द्रित रहती हैं। अधिनायकतंत्र में राजनीतिक सम्प्रभुता प्रायः तुल्य ही रहती है, क्योंकि वहाँ निर्वाचक मण्डल की अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और निर्वाचन एक डकोसला मात्र होता है। मुसोलिनी तथा हिटलर के शासन में राजनीतिक सम्प्रभुता की केवल छाया मात्र देखने को मिलती थी। इनमें सत्ता-सिद्ध (De facto) प्रभु ही अधिनायक प्रभु है, और राजनीतिक सम्प्रभु भी।

कानूनी सम्प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में सम्बन्ध—सम्प्रभुता के कानूनी तथा राजनीतिक सम्प्रभुता के बीच सम्बन्ध का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहा है। निर्वाचक समूह राजनीतिक सम्प्रभु होता है और वह अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए कानूनी सम्प्रभु का निर्वाचन करता है। कानूनी सम्प्रभु का एक मात्र यह उद्देश्य रहता है कि राजनीतिक सम्प्रभु की इच्छा को कानून का रूप देना। यदि कानून सम्प्रभु राजनीतिक सम्प्रभु के हित के विरुद्ध कार्य करता है या उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो जनहितकारी तथा शान्तिपूर्ण सरकार की स्थापना नहीं हो सकती है। अतः राजनीतिक सम्प्रभु मास्टर है, और वैध सम्प्रभु उसका नौकर। दोनों के बीच मतभेद नहीं हो सकता। यदि उनमें मतभेद

होता है तो अर्द्धी सरकार कायम नहीं हो सकती। वंघ और राजनीतिक सम्प्रभुता दो भिन्न वस्तुएँ नहीं होती हैं वे राज्य की प्रभुता के दो पहलू होते हैं, यद्यपि उनको अभिन्न्यक्ति भिन्न मार्गों से होती है। इन दोनों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। एक श्रेष्ठ व्यवस्था के अन्तगत वैधानिक सम्प्रभु को राजनीतिक सम्प्रभु की इच्छा से दण्ड के रूप में काय करना चाहिये। वंघ प्रभुता या सत्ता राजनैतिक प्रभुता या सत्ता की इच्छा के विरुद्ध पावरण करने का साहस नहीं कर सकती। यदि ऐसा करता है तो वंघतत्त्वता (Legal truth) राजनीतिक प्रभुत्वता में परिणित हो जाती है।

(4) लौकिक या सावजनिक सम्प्रभुता (Popular Sovereignty)—जनसम्प्रभुता का अर्थ होता है कि अन्तिम रूप में राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में रहती है। लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या मार्शीलियो घास पेडुवा तथा विलियम ग्राफ ग्रीकम द्वारा मध्ययुग में हुई। परन्तु इस धारणा के प्रमुख प्रतिपादक रुसो रहे हैं, जिन्होंने सामान्य इच्छा को ही लोक प्रभुता का रूप माना है। रुसो के इस सिद्धांत का प्रभाव अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ा। 19 वीं शदी में रिची (Ritchie) ने भी जनसम्प्रभुता का प्रबल समर्थन किया। उनके अनुसार—'कोई भी सरकार जनता की इच्छा रहने पर ही सत्तास्व होती है, जनता उसकी आज्ञा का पालन स्वेच्छा से करता है।' आज के युग में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस लौकिक प्रभुता पर आधारित है। यह प्रजातंत्र की रीढ़ है। गानर ने इसे 'सच्चे लोकतंत्र का सार माना है। डा. मार्शीवादिम के अनुसार—'शासन का अस्तित्व जनहित के लिए होता है। यदि जानबूझकर जन इच्छाओं की प्रवहेलना की जाती है, तो क्रान्ति की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लौकिक सम्प्रभुता का सिद्धांत यह बतलाता है कि सरकार को सम्प्रभुता का प्रयोग वंघ कानूनों के आधार पर ही करना चाहिए मनचाहे तरीकों से नहीं और निर्वाचन आदि के द्वारा सरकार को अधिकाधिक जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।

(5) वैधानिक और वास्तविक सम्प्रभुता (De-Jure and De-facto Sovereignty)—वैधानिक और वास्तविक सम्प्रभुता का अंतर विधि और तथ्य के अन्तर पर निर्भर करता है। सम्प्रभुता वंघ प्रभुता होती है और इसका आधार कानून ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह सम्प्रभुता व्यवहार में अपनी प्रभुशक्ति का प्रयोग नहीं कर पाती है, बल्कि दूसरी सम्प्रभुता का लोग पालन करते हैं जो वंघ न ही अर्थात् जिसका आधार केवल कानून

न हो। इस सम्प्रभु-शक्ति को ही वास्तविक सम्प्रभुता कहा जाता है। वधानिक सम्प्रभुता का आधार कानून होता है, जबकि वास्तविक सम्प्रभुता का आधार केवल शक्ति। वह अपनी शक्ति के बल पर ही जनता से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाती है, भले ही उसे शासन करने या आज्ञा पालन कराने का अधिकार कानून द्वारा प्राप्त नहीं होता हो ऐसा समय उस समय देखने को मिलता है, जब कोई सैनिक अधिनायक या राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उस अपने अधिकार में कर लेता है या क्रांति द्वारा देश में वधानिक सम्प्रभु को अल्पस्थ कर शासन शक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं और अपनी शक्ति द्वारा जनता का अपनी आज्ञा का पालन करवाते हैं।

वास्तविक सम्प्रभुता के अनेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं। नैपोलियन द्वारा डार्लबटरी को समाप्त कर शासन को अपने हाथों में लिया। रूस में बोल्शेविका द्वारा जार को अल्पस्थ कर शासन प्राप्त किया चीन में च्यांगकाई शेक की सरकार के स्थान पर साम्यवादो शासन की स्थापना की गई, मिश्र में जनरल नजीब, पाकिस्तान में माशल अयूब और बर्मा में जनरल नवीन द्वारा सैनिक क्रांति के द्वारा शासन को हथियाया गया आदि वास्तविक सम्प्रभु के स्पष्ट उदाहरण हैं।

सम्प्रभुता का अधिवास (Location of sovereignty)— सम्प्रभुता के अधिवास का तात्पर्य यह होता है कि सम्प्रभुता राज्य में कहाँ रहती है। 16वीं शताब्दी तक राजतन्त्र शासन व्यवस्थाओं में सम्प्रभुता राजा में निहित रहती थी। फ्रांस का राजा लुई चौदहवाँ प्रायः कहा करता था कि, "मैं ही राजा हूँ मैं ही शासक हूँ। (I am the State, I am the Monarch) लाकतन्त्र की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान समय में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सम्प्रभुता का निवास जनता में होता है इस सिद्धांत का प्रबल समर्थन आधुनिक रूप में उस समय हुआ जब राजतन्त्रों के विरोधियों ने निरंकुश राजाओं की निरंकुश सम्प्रभुता के अत्याचारों के विरोध के सहारे जनता की सम्प्रभुता की आवाज बुलंद की। प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक सन्धि (social contract) के सिद्धांतों के आधार पर राजाओं को जो शक्ति प्राप्त थी, वह उनकी स्वयं की न हाकर जनता की होती थी इसलिए यह प्रतिपादित किया गया कि अंतिम एवं वास्तविक सम्प्रभुता जनता में ही निवास करती है। इस सिद्धांत को

स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जो कि निम्न है—

(i) असंगठित जन-समुदाय को सम्प्रभु नहीं जा सकता, क्योंकि जन-समुदाय असंगठित होता है लेकिन सम्प्रभुता आवश्यक रूप से संगठित होती है।

(ii) निर्वाचकों को भी सम्प्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी सख्या सम्पूर्ण जनता का बहुत छोटा भाग होता है। इसके अतिरिक्त जनमत को राजनीतिक सम्प्रभु माना जा सकता है, बधानिक सम्प्रभु नहीं।

(iii) 19वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली 'यायविशारदों ने सम्प्रभुता सविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है, इस विचार के अनुसार देश का सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली सभा को बधानिक सम्प्रभु कहा जा सकता है राजनीतिक सम्प्रभु नहीं।

(iv) आधुनिक युग के विद्वानों का मत है कि सम्प्रभुता का अधिवास राज्य के विधानमण्डल में होता है, क्योंकि मायपालिका और यायपालिका तो विधानमण्डल की इच्छा का ही पालन करती हैं। व्यवहार में विधानमण्डल की शक्तियाँ सीमित होती हैं तथा सघात्मक राज्यों में शक्ति विभाजन के कारण विधानमण्डल की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं।

गेंटिल के विचारानुसार—राज्य को ही वास्तविक सम्प्रभु कहा जा सकता है, और सरकार के विभिन्न अंग ही सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले अंग होते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोकप्रभुता, बधानिक प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता सभी को उचित स्थान प्रदान कर दिया जाता है अतः यह विचार ही अंतिम रूप से स्वीकार्य है। इस प्रकार सम्प्रभुता राज्य में निवास करनी है, यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति केवल कानूनन माध्यम के द्वारा ही हो सकती है जिसे वह उनकी सरकार बनाती और कार्यान्वित करती है।

ऑस्टिन के सम्प्रभुता संबंधी विचार—आधुनिक काल में ऑस्टिन को सम्प्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। ऑस्टिन, हाब्स और बयम के विचारों से प्रभावित था। कानून के सम्बन्ध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने सम्प्रभुता के सिद्धान्त की धारणा का प्रतिपादन किया। राजनीति शास्त्र में सम्प्रभुता का कानूनी सिद्धान्त उसकी महत्वपूर्ण देन रही है।

ऑस्टिन के विधि संबंधी विचार—जान ऑस्टिन को ब्रिटिश सामान्य विधि (The Common Law) रोमन विधि शास्त्र, और जर्मनी की कानूनी

विचारधारा का गहरा ज्ञान था। उसने कानून को विधायक (Positive) बतलाया और प्राकृतिक विधियों में अविश्वास प्रकट करते हुए राजकीय कानून का क्षेत्र अलग किया। उसने कानून को स्पष्टता और सुनिश्चितता प्रदान करने की चेष्टा की। कानून एक सुनिश्चित सर्वोच्च व्यक्ति (Determinate Superior) की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। जिसके अनुसार एक निश्चित आचरण (A certain course of conduct) किया जाना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे राजदण्ड भोगना पड़ेगा। आस्टिन के अनुसार—

कानून प्रभुसत्ता के आदेश होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। जो नियम न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किये जा सकते उनका कानून की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। कानून तो केवल वही हति है जिनको प्रभुसत्ताधारी सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा दिया गया निश्चित आदेश हो, और जिसका उल्लंघन निश्चित रूप से दण्डनीय हो। अतः न्याय शास्त्र का सम्बन्ध केवल राज्य निर्मित विधियाँ से होता है और इन विधियों को बनाने व पालन कराने का एक मात्र अधिकार सभ्य को ही रहता है।”

आस्टिन का सिद्धान्त (Austin's theory of sovereignty)

प्रभुसत्ता की विवेचना करने वाले विचारकों में आस्टिन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आस्टिन ने प्रभुसत्ता की प्रकृति की व्याख्या करते हुए यह उल्लेख किया है कि यदि कोई निश्चित उच्चतम व्यक्ति किसी समकक्ष उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदेश नहीं दे और किसी सुनिश्चित समाज द्वारा उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है तो ऐसा सुनिश्चित उच्चतम व्यक्ति उस समाज का प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति कहलाएगा और वह समाज (उस उच्च व्यक्ति को मिलाकर) राजनीति एवं स्वतंत्र समाज कहलाएगा।¹ इस प्रकार आस्टिन के प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति में दो प्रमुख लक्षण (Marks) हैं—

- (1) स्वीकारात्मक लक्षण (Positive mark) ।
- (2) नकारात्मक लक्षण (Negative mark) ।

1 If a determinate human superior not in a habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society that determinate superior is sovereign in that society and the society (including the superior) is a society political and independent.

(1) **स्वीकारात्मक लक्षण (Positive mark)**—इसने तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समाज ऐसे निश्चित प्रधान की आना का पालन करे। ऐसा प्रधान एक व्यक्ति ही हो सकता है और कई व्यक्तियों का समूह भी। परन्तु आवश्यकता यह है कि ऐसा प्रधान या प्रधानों का समूह जना द्वारा पूरी तरह से सम्मान प्राप्त करे।

(2) **नकारात्मक लक्षण (Negative mark)**—इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा प्रधान किना अन्य व्यक्ति की, चाहे वह समन्तीय हो या निम्नवक्षीय आजापालन करने का आदी नहीं होता।

आस्टिन के विचार से प्रभुसत्ता के उद्भव के पहले इन दोनों लक्षणों (Marks) का होना आवश्यक है इन दोनों लक्षणों के लिये यह भी आवश्यक है कि ये साथ-साथ ही विद्यमान हों। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी कहलाएगा और शेष सदस्य उसकी प्रजा। स्वीकारात्मक लक्षण के लिये आस्टिन निम्नलिखित बातें आवश्यक बताते हैं—

(I) **सवसत्ताधारी की आना का उसकी प्रजा स्थायी रूप से पालन करे।** यदि प्रजा कभी-कभी ही उसकी आना पालन करती है तो इससे प्रभुसत्ताधारी को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता।

(II) **सवसत्ताधारी की आना को उसके राज्य के अधिकांश लोग मानें।** यदि कुछ लोग एक सत्ताधारी की आना मानें और कुछ लोग दूसरे की।

(III) **समस्त प्रजा एक ही सत्ताधारी की आना मानें और कुछ लोग दूसरे की।** कि कुछ लोग एक सत्ताधारी की आना मानें और कुछ लोग दूसरे की।

(IV) **ऐसा सवसत्ताधारी एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो, क्योंकि अनिश्चित व्यक्ति न तो अपनी आना ही लागू कर सकेगा और न किसी की वृत्तता का ही आभास कर सकता है।**

नकारात्मक लक्षण के विषय में यह ध्यान देना योग्य है कि सत्ताधारी प्रधान किसी दूसरी समन्तीय सत्ता का आदेश का कभी-कभी मान सकता है परन्तु स्थायीरूप से ऐसी सत्ता को वह नहीं मान सकता। कभी कभी समन्तीय सत्ता की आना का पालन करना एक प्रकार का भ्रमवाद होगा, यह नियम नहीं हो सकता।

आस्टिन के सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Austin's Theory)

आस्टिन की इस परिभाषा की विभिन्न विचारणा न बहुत ही घुरी तर्क

आलोचना की है । इस आलोचना में मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

(1) आस्टिन का कहना है कि सवसत्ता सम्पन्न प्रधान की इच्छा ही आना होती है और लोग विधि का पालन इसलिये करते हैं क्योंकि यह सवसत्ता सम्पन्न प्रधान द्वारा लागू की जाती है । परन्तु विधि वास्तव में राज्य के प्रमुखतम उद्देश्य सावजनिक बल्याण को पूरा करने के लिये लागू की जाती है । अतएव आस्टिन का विचार वास्तविक सिद्धांत से अलग है ।

(2) आस्टिन ने प्रभुसत्ताधारी के अधिकारों को पूरा बताया है परन्तु वास्तव में उसके अधिकार पूरे नहीं होते । इनके ऊपर रुढ़ियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण अवश्य रहता है ।

(3) आस्टिन ने कहा है कि प्रभुसत्ताधारी किसी के अधीन नहीं होता । परन्तु डायसी का कहना है कि प्रजातन्त्रात्मक राज्य में वैधानिक प्रधान को राजनीतिक प्रधान के सम्मुख झुकना पड़ता है । वैधानिक प्रधान वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसे विधि निर्माण का अधिकार मिला होता है । राजनीतिक प्रधान राज्य में उन व्यक्तियों का समूह होता है जिनसे चुन करके राज्य की व्यवस्थापिका के सदस्य आते हैं । एमे चुनाव क्षेत्रों का जो राजनीतिक प्रभुसत्ता रहते हैं वैधानिक प्रभुसत्ताधारियों पर नियंत्रण रहता है । कहा जाता है कि समस्त प्रभुसत्ताधारी श्रेष्ठतम सच्चा होती है परन्तु वास्तव में इस पर हर समय जनता का नियंत्रण बना रहता है । ऐसी परिस्थिति में एक ही देश में राजनीतिक तथा वैधानिक दो प्रकार के सवसत्ता-सम्पन्न प्रधान हो सका है ।

(4) सर नरो मेन कहते हैं कि आस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत अतिक्रमण सम्पन्न पर जहाँ प्रजासत्ता एव धर्म का बहुत प्रभाव होता है, लागू नहीं होता ।

(5) लॉस्की तथा कोल्ल सक्षय बहुलतावादी (Pluralists) विचारकों का कहना है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसके अन्तर्गत विभिन्न अन्य संगठन भी होते हैं । इन संगठनों को अपना स्वशासन चलाने का पूरा अधिकार होता है और राज्य इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । अतएव इस दृष्टि से प्रभुसत्ता सीमित होती है । परन्तु इस आलोचना के विरोधियों का कहना है कि राज्य के अन्तर्गत बने विभिन्न संगठन राज्य से अपनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं । यदि राज्य चाहें तो उन्हें किसी भी क्षण समाप्त कर सकता है ।

हार्लैण्ड १ भी प्रभुसत्ताधारी प्रधान को सबसत्ताधारी माना है, और कहते हैं कि यही व्यक्ति विधि का स्रोत हाता है। अतएव ऐसे प्रधान का कोई भी काय अवधानिक नहीं कहा जा सकता।

पटन प्रभुसत्ता का बकीलो के दृष्टिकोण से विवेचन करते हैं। वह कहते हैं कि प्रभुसत्ता का बकीलो के अनुसार व्यावहारिक अर्थ होता है सद्भातिक नहीं। इनके विचार से बकीलो लाग डग्लण्ड व सफ्राट को केवलमान एव ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो प्रत्येक मामले में अंतिम आदेश देता है। वर को के लिए ससार को प्रभुसत्ता का तात्पर्य यह है कि न्यायालय विधि के उन नियमों को मानगे जिन्हें समझ न विधान के रूप में बनाया है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सत्ता का प्रमाणित करती है। यह राज्य का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करती है तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में अधानिक व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता देती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस सत्ता को धारण करने वाला कोई एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो और उस व्यक्ति की सत्ता अविभाज्य तथा स्थायी हो। परंतु विचारका न प्रभुसत्ता के इन लक्षणों की भी आलोचना की है और कहा है कि ये सारे तत्व आवश्यक नहीं।

सामण्ड का सिद्धांत (Salmond's Theory)

सामण्ड के मतानुसार प्रभुसत्ता अनिवाय अविभाज्य और असीमित होती है

(1) प्रभुसत्ता आवश्यक है (Sovereign power is essential in every state)—सामण्ड ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुसत्ता अवश्य होती है। यह प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। सामण्ड ने लिखा है कि यह आवश्यक नहीं कि यह सत्ता किसी सत्ता के अधीन न हो। यह हा सकता है कि राजनीतिक समाज की प्रभुसत्ता किसी बड़े राजनीतिक समाज की प्रभुसत्ता के अधीन हो। केवल पूरुतया स्वतंत्र एव प्रभुसत्ता सत्य

1 The lawyer's view of sovereignty is based on practical consideration rather than on any theory of values—the English sovereign is merely the person who has the last word in a particular connection to an English lawyer the concept of sovereignty of Parliament merely means that the courts will recognise as law rules made by Parliament in the form of legislation”

राज्य में ही पूर्ण आंतरिक प्रभुमत्ता पायी है। वास्तव में सत्ता इस पर धरना निश्चय नहीं रख पायी। परन्तु जब कोई राज्य किसी अथवा राज्य के अंग बन जाता है तो उसकी प्रभुमत्ता उसे राज्य की प्रभुमत्ता के अंग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार एक राज्य स्वतंत्र होना भी यदि अन्तः-प्रभुमत्ता सम्पन्न होता है तो उसमें श्रेष्ठ राज्य की प्रभुमत्ता भी उस पर आ जाती है। अतएव यह स्पष्ट निश्चय है कि प्रत्येक राज्य की प्रभुमत्ता होती है परन्तु यह निश्चित नहीं कि उस राज्य की प्रभुमत्ता पूर्ण रूप से उसी राज्य में होनी है।¹

(2) प्रभुमत्ता अविभाज्य होती है (Sovereign power is indivisible)—प्रत्येक राज्य में प्रभुमत्ता ही नहीं होती बल्कि एक प्रभुमत्ता अपने व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी होता है। इसी व्यक्ति में राज्य की समस्त प्रभुमत्ता निहित रहती है। कहा जाता है कि एनी शक्ति एक ही अधिपति यंत्रणों में या एक ही व्यक्ति में विभाजित नहीं की जा सकती। परन्तु यह स्पष्ट निश्चय है कि सत्ता को सामूहिक रूप से धारण कर सकते हैं परन्तु वे सामूहिक रूप में इसे धारण करते हुए अपनी एक ही सत्ता प्रदर्शित नहीं कर सकते।

यह सिद्धांत कि जब ब्रिटेन के अधिकांश पर लागू किया गया तो कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निरूपित पाया। उगरे तो यही पता चलता है कि यह सत्ता अविभाज्य होती है। इंग्लैंड में विधायकीय प्रभुमत्ता समस्त सत्ता धारण करने वाला सम्राट (Crown) में निहित होती है। वास्तव में प्रभुमत्ता सम्राट में निहित होती है, उससे के दोनो सत्ता को इसमें हिस्सा नहीं मिलना तथा वास्तविकीय प्रभुमत्ता हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही वास्तविकीय सत्ता में निहित होती है। परन्तु व्यावहारिक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वास्तविकीय के जार पूरा निरक्षण प्राप्त होता है। अतएव वास्तविक रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नौकर का भाव होता है और इसी के प्रति वह उत्तरदायी भी रहते हैं। वास्तविक रूप से मंत्रिपरत सम्राट के नौकर होते हैं और सम्राट ने ही वे अपनी प्रभुमत्ता प्राप्त करत हैं।

इस प्रकार वास्तविक अर्थ से सम्राट की वास्तविकीय शक्ति में प्रभुमत्ता होती है। यह सत्ता अपने क्षेत्र में पूर्ण एवं अनिर्वर्तित रहता है। परन्तु फिर भी सम्राट (Crown) को यह सत्ता अनिर्वर्तित रूप में नहीं प्राप्त रहती। वह समस्त

1 Sovereign power is necessarily present somewhere but it is not in all cases to be found in its entirety within the borders of the state

किसी भी देश में सम्पूर्ण सत्ता सम्पन्न प्रधान को इस आधार पर खोजा जा सकता है कि राज्य में विधि निर्माण तथा विधि खण्डन की सर्वश्रेष्ठ शक्ति किसे प्राप्त है। जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में यह शक्ति मिली जाती है वही राज्य का सर्वमत्ता सम्पन्न प्रधान होता है। यह शक्ति अद्विजाततया व्यवस्थापिका को प्राप्त होती है परन्तु व्यवस्थापिका समय समय पर उद्वेगित रहती है और इस कारण किन्हीं एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में इस शक्ति को केन्द्रित नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ एंग्लैंड की संसद कबन उसी समय तक सम्प्रभुता सम्पन्न रहती है जब तक कि वह अपने कार्यकाल का समाप्त नहीं कर लेती। काय काल समाप्त होने ही वह पूर्णतया शक्तिहीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या सर्वमत्ता-सम्पन्न व्यवस्थापिका की शक्ति को विधि के नियमों से सीमित नहीं माना जायगा ?

जब व्यवस्थापिकीय शक्ति कुछ वैधानिक अवस्थाओं से नियंत्रित होती है तो वह अधानि-सीमाओं से भी नियंत्रित हो सकती है। यदि व्यवस्थापिका आज एक विधान बनाती है और उसके साथ यह शर्त लगा देती है कि वह विधान दस वर्षों तक अवश्य लागू रहेगा, तो यादालय इस विधान का (यदि वह प्रबंध नहीं है तो) दस वर्षों तक पूर्णतया पालन करने के लिए बाध्य होगा और उसके ऊपर यह उत्तरदायित्व होगा कि वे किसी भी शक्ति को इस विधान का दस वर्ष तक खण्डन न करने दें। परन्तु हम में दली व्यवस्थापिका उस विधान का निमूल करना चाहे तो यादालय उसे ऐसा करने से रोक देगा और वैधानिक रूप से वह व्यवस्थापिका दस वर्षों तक उस विधान को किये भी पकार निमूल नहीं कर इस प्रकार का सीमा निर्धारण सम्प्रभुता की स्वच्छ दशा को सीमित कर देता है।

आतंक के बहुत-से कारण व्यवस्थापिका की सम्प्रभुता पर स्वतः ही कुछ नियंत्रण लगा दते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में न तो कांग्रेस को और न किसी इन्डियन राज्य की व्यवस्थापिका को ही अनियंत्रित सम्प्रभुता प्राप्त है। वे सन्निधान न किसी भी प्रकार का संप्रभुता नहीं कर सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐन राज्य में सम्प्रभुता कौन निहित होती है। इसका यह उत्तर दिया जा सकता है कि यह सत्ता सन्निधान में संप्रभुता होने वाली शक्ति में निहित होती है यह शक्ति कबल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में छाड़कर सदा विद्युत रहती है अमेरिका में प्रत्येक इकाई राज्य के तीन-चौलाई नरस्य को यह शक्ति प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के

चाहता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीयता के माध्यम से ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के समकक्ष मंच पर खड़ा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से नाम उठा सकता है। इसका अर्थव्यवस्था अजाहल अन्तरराष्ट्रीय पाठि पत्राग 'अन्त' 'निए' यह आवश्यकता पड़ी है कि राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। अपने सदस्य राष्ट्रों की पारस्परिक कलह को दूर करके सबको स्थापित कर सके। इन्हीं मनुष्यतापूर्ण व्यापक उद्देश्यों से वैश्व अजाहल सयुक्त राष्ट्र सभ (UNO) तथा तत्सम्य धी अन्त विभिन्न सभ्यताओं की स्थापना हुई। ये सभ्यताएँ वैश्व राष्ट्रों को ही अपने सदस्य बनाती हैं और राष्ट्रों पर ही अपने नियम लागू करती हैं।

ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठता है कि यदि एक सभ्यता सम्पन्न स्वतंत्र राष्ट्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सभ्यता का सदस्य हो जाता है और इस सभ्यता के आदेशों का पालन करता है तो क्या उसको प्रभुमत्ता पर आच नहीं आती ?

आस्टिन सा कहते हैं कि कोई भी प्रभुमत्ता-सम्पन्न राज्य किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध या राष्ट्र सभ्यता के आदेशों को नहीं मानता और यदि यह मानता है तो अपना तात्पर्य यह होगा कि उसकी प्रभुमत्ता अधुण नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार वे कहते हैं कि बाह्य प्रभुमत्ता का तात्पर्य होता है राज्य के बाह्य की किसी भी सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और आन्तरिक प्रभुमत्ता का तात्पर्य होता है राज्य के अन्दर विद्यमान सभी शक्तियों से अधिक शक्तिमाली होना। इस प्रकार राज्य आन्तरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में प्रभुमत्ता सम्पन्न होता है और वह किसी भी अन्य सत्ता का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होता।

परन्तु अधुनिक काल की परिस्थितियों के अनुसार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ स्वच्छ व्यवहार नहीं कर सकता। राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार तथा राष्ट्रों के बीच होने वाले सम्झौतों के अनुसार समझित होते हैं। राष्ट्र अब सम्झौता करके स्वयं ही अपने प्रभुत्व पर नियंत्रण स्वीकार करते हैं। परन्तु वास्तव में इन प्रकार के सम्झौतों में राष्ट्रों के वास्तविक प्रभुत्व पर किसी भी प्रकार की आच नहीं आती। राज्य तो हम प्रकार की पूर्ण स्वतंत्र स्वीकार करते हैं, वे उनके ऊपर किसी भी शक्ति द्वारा हस्तक्षेप नहीं आती।

यद्यपि सयुक्त राष्ट्र सभ (UNO) या एनो प्रभुत्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मंच है—जिस अंतरराष्ट्रीय श्रम-संस्था (ILO) अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन (WHO) आदि—राज्यों के ऊपर अन्तरराष्ट्रीय रूप से राज्य (Super States) को भी है। परन्तु इनके अन्तर्गत 'अन्त' 'निए' से अन्त' 'निए' से

च्युत नहीं करती। समुक्त राष्ट्र संधि के घोषणा पत्र (Charter) के अनुच्छेद 25 के अनुसार सदस्य राज्य सुरक्षा-परिषद (Security Council) के निर्णय को मानते तथा पालन करने के लिए बाध्य हैं और अनुच्छेद 43 के अनुसार आवश्यकता अनुसार मध्यम राज्य सुरक्षा परिषद की सैनिक मदद तथा सशस्त्र प्रहार की सहायता प्रदान करती हैं। परंतु इसका तात्पर्य नहीं कि इस प्रकार के आदेश उन पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। सदस्य राष्ट्र स्वयं ही इस प्रकार के आदेशों का पालन करने का अधिकार देते हैं। इस कारण एस. अंतर्राष्ट्रीय संधि का सदस्य होने पर भी उस स्वयं राष्ट्रों की प्रभुसत्ता बनी रहती है। अनुच्छेद 2 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संधि के सदस्य राज्यों की प्रभुसत्ता समरक्षता पर आधारित होती है। अपेक्षित समुक्त राष्ट्र संधि का एक मण्डल मानते हैं जो कि विभिन्न स्वतंत्र राज्यों का किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया एक ऐसा मण्डल है जिसका सदस्यता से सदस्य राज्यों की प्रभुसत्ता समाप्त नहीं होती। परंतु अपेक्षित बाद में यह भी कहे गए हैं कि सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए अपनी प्रभुसत्ता प्रभुसत्ता के कुछ अंगों को अंतर्राष्ट्रीय संधि को समर्पित कर देते हैं। यह प्रभुसत्ता मरु समर्पण इसलिए किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थागिरि एव अंतर्राष्ट्रीय ग्यायालय सफलतापूर्वक कार्य कर सकें।

पेनसिल्वेनिया मतानुसार 'यदि प्रभुसत्ता शक्ति को व्यवहार में प्रचलित रहना है तो इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कानून तथा ठावस्था के अनुरूप ढङ्ग से समझा जाना चाहिए। राज्यों को अपने मामलों में निर्णय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उच्च अधिकार प्राप्त रहने चाहिए। राज्यों की प्रभुसत्ता को जब तक इन सीमाओं के अंतर्गत नहीं लाया जाता, समुक्त राष्ट्र संधि चार्टर में प्रस्तुत उद्देश्यों का प्राप्त नहीं कर सकता।'

“नागरिक उम राजनीतिक समाज के सदस्य होते हैं जिनसे उनका सम्बन्ध होता है। यही व मनुष्य है जि होने अपने निजी और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिये मामूहिक रूप में एक सरकार की स्थापना की है या अपने आपको एक सरकार के संरक्षण में सौंप दिया है।”

—संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय न्यायालय के निष्पत्तानुसार नागरिक शब्द का अर्थ—नागरिक शब्द की उत्पत्ति किसी नगर या शहर के निवासी से हुई है। इस शब्द का प्राचीन यूनान में सब प्रथम प्रयोग किया गया। प्राचीन यूनान में राज्य के निवासी तीन श्रेणियों में विभक्त थे। प्रथम वे नागरिक जो शासन के कार्यों में भाग लेने के अधिकारी थे, द्वितीय वे जो राज्य की प्रजा थे, किंतु अधिकार हीन थे एवं तृतीय वे जो विदेशी थे, एवं व्यापार आदि के लिए वहां निवास करते थे। इन तीन श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के ही व्यक्ति 'नागरिक' कहलाने का अधिकार रखते थे। उन्हें राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। मंत्रियों गुलामों और नगर से बाहर रहने वालों को नागरिक नहीं समझा जाता था। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु के शब्दों में “वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के शासन एवं न्याय विभाग के कार्यों में भाग लेता है।”

रोम काल में नागरिक का अर्थ—रोम युग में नागरिक उन व्यक्तियों को कहा जाने लगा, जिनको वहां की सरकार कुछ राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकार प्रदान करती थी चाहे वह नगर राज्य के अन्तर्गत रहते हों, अथवा न रहते हों। इस प्रकार रोम युग में ग्रीस (यूनान) युग की अपेक्षा अधिक लोगों को नागरिक होने का अवसर प्राप्त हुआ।

वर्तमान समय में नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है, जिस राज्य की ओर से सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति हो, और जो राज्य के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा रखते हों, चाहे वह मूलवासी हो या प्रवासी, वनवासी हो

या बस्तीवासी, धनी हो या निर्धन, और स्त्री हो या पुरुष । राजनीति विशेषज्ञ श्रीनिवास शास्त्री ने नागरिक शास्त्र की जा परिभाषा प्रस्तुत की है, वह विशेष उल्लेखनीय है, "एक नागरिक वह व्यक्ति है जो एक ही राज्य का सदस्य हो और समस्त समाज के उच्चतम नैतिक हितों की वृद्धि के साधनों को भलिभाति समझ कर राज्य की सीमा में ही अपने कर्तव्य पालन और अपने उच्चतम विकास का प्रयास करता है ।"¹

वटल ने नागरिकता की परिभाषा इस प्रकार से अभिव्यक्त की है—“नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं, जो कुछ विशेष कर्तव्यों द्वारा समाज से वे जुड़े हुए हों, तथा समाज के नियमों में रहते हों, एवं समाज द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं का समान रूप में उपभोग करते हों ।”²

अरस्तु ने भी नागरिकता का परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की है, “एक नागरिक वह होता है, जिस राज्यों द्वारा शासन के काम में कुछ भाग प्राप्त हो, और राज्य के द्वारा ही प्रदत्त किये गये सम्मान का उपयोग करने का अधिकार हो ।”³

इस प्रकार नागरिकता से अभिप्राय किसी देश का नागरिक होने से होता है पर्याप्त दूसरे शब्दों में नागरिक होने की दशा का नाम ही नागरिकता कहलाती है । नागरिकता उस स्थिति को कहेगी जिसमें किसी व्यक्ति को राज्य की ओर से सामाजिक और राजनैतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हों । परंतु केवल अधिकारों के प्राप्त कर लेने में ही नागरिकता पूर्ण नहीं हो जाती । अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं । बिना कर्तव्यों के तो अधिकारों की रहरना भी नहीं की जा सकती । नागरिकता सम्बंधी अधिकारों के मिताने से व्यक्ति को राज्य तथा समाज के जीवन में भाग लेने तथा अपने जीवन का इच्छित दिशा में विकास

- 1 A citizen may be defined as one who is a member of a State, and tries to fulfil and realise himself fully within it along with an intelligent appreciation of what should conduce to the highest moral welfare of the community —Shri Niwas Shastri
- 2 Citizens are the members of the civil Society bound to this Society by certain duties subjected to its authority and equal participation in its advantages Vatta
- 3 A citizen is one who has a share in the Government of the State and is entitled to enjoy its honours Aristotle

करने का अवसर मिलता है। अधिकारों का सही उपयोग और कतव्यों का उचित प्रकार से पालन करने पर ही आदश नागरिकता प्रवर्धित है।

अमेरिका के संघीय न्यायालय की घोषणा के अनुसार नागरिकता की परिभाषा इस प्रकार से है—

“The citizens are members of the political community to which they belong. They are the people who compose the state and who in their associated capacities have established or subjected themselves to the dominion of Govt for the protection of their individual as well as their collective rights”

—Supreme Court of United States of America

नागरिकता के लिए आवश्यक शर्तें (Essential conditions of citizenship)—(1) समाज की सदस्यता—कोई भी व्यक्ति उस समय तक नागरिकता का प्रभूत अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता, जब तक कि वह किसी भी समाज का सदस्य न हो। नागरिकता अधिकारों और कतव्यों के पालन पर बल देती है। इन दोनों के लिए ही मनुष्य का समाज में रहना अत्यंत आवश्यक है।

(11) राज्य की सदस्यता—नागरिकता के लिए किसी राज्य का सदस्य भी होना आवश्यक है। अधिकारों का अस्तित्व ही राज्य के अंतर्गत सम्भव होता है। राज्य की शक्ति के भय से ही सबल, निबल, अमीर, गरीब सभी अपने अधिकारों का उपयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को राज्य द्वारा सामाजिक और राजनतिक दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, वही व्यक्ति नागरिक कहलाने का वास्तविक अधिकारी होता है।

(111) राज्य के प्रति निष्ठा—राज्य द्वारा नागरिकता सम्बन्धी अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ता है। यदि कोई नागरिक राज्य में रहकर राज्य के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे नागरिकता के अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता है।

नागरिकता की प्राप्ति (Acquisition of citizenship)--किसी देश की नागरिकता दो प्रकार से निश्चित की जा सकती है—

- 1 जन्मजात नागरिकता (Natural born citizen)
- 2 राज्य प्रदत्त नागरिकता (Naturalised citizen)

पहले प्रकार के नागरिक ऐसे व्यक्ति कहलते हैं जो ज म से ही किसी राज्य के सदस्य होते हैं, और जि हे ज म के कारण नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत राज्यदत्त नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जम से उस देश के सदस्य नहीं होते परन्तु व्यस्क होकर अपनी स्वेच्छा से राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देते हैं और आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने पर उस राज्य को सरकार उन्हें नागरिकता का पद प्रदान कर देती है।

1 जमजात नागरिकता—जम द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के भी दो मुख्य सिद्धांत हैं—रक्त प्रथवा वंश का सिद्धांत (Jus Sanguinis) और जम स्थान का सिद्धांत (Jus Soli)। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रक्त प्रथम वंश का सिद्धांत जम स्थान के सिद्धांत से प्राचीन है। प्राचीन काल में यूनान, रोम और ऐशियाई देशों में नागरिकता के निर्धारण के लिए इसी सिद्धांत को प्रयुक्त किया जाता था और इस प्रकार बच्चे जो जम से ही उसके माता पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। प्रथमकाल में सामान्यतया ही विचारधारा के प्रभाव के कारण जम से ही भूमि और व्यक्ति के सम्बन्ध पदा हो जाते थे। इस विचारधारा के परिणामस्वरूप जम स्थान के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत प्रायः चलकर यूरोप के देशों में नागरिकता के निर्धारण का आधार बन गया।

(i) रक्त वंशाधिकार नियम—इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय उसके माता पिता की नागरिकता से किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जम किसी दूसरे देश में हुआ और माता-पिता किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो व्यक्ति चाहे तो वह अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ—यदि पिता फ्रांस का नागरिक है और उनकी सभ्यता का जम यदि किसी दूसरे देश में भी हो जाता है तो वह सतान फ्रांस की नागरिक कहलायेगा।

(ii) जम स्थान के अनुसार इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक की नागरिकता उसके जम स्थान के आधार पर निर्दिष्ट की जाती है। यह नियम अंग्रेजों के देश में प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक का जन्म जिन देश की भूमि पर होता है वह उसी देश का नागरिक समझा जाता है भले ही उसके माता पिता अथवा दश के बच्चे न हों। उदाहरणार्थ यदि फ्रांस के नागरिक के बच्चे का जम ब्रिटेन में होता है या किसी ब्रिटिश जलयान में होता है तो वह बच्चा ब्रिटेन का ही नागरिक होगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति पर किसी

दूसरे देश की नागरिकता जबरन धोपी जाती है। ऐसी थोरी हुई नागरिकता से देश नरक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती।

(iii) दोहरा नियम—दोहरा नियम का यह सिद्धांत इंग्लैंड अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में प्रचलित है। इसके अनुसार विश्व के किसी भी कोने में उत्पन्न सन्तान अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार विदेशी माता पिता से उत्पन्न सन्तान अपने जन्म स्थान के आधार पर जिस देश में पैदा हुई है, उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। इस नियम के अनुसार किसी भी देश में इंग्लैंड के माता-पिता से यदि कोई सन्तान उत्पन्न होती है तो वह भी जन्म स्थान के कारण इंग्लैंड की प्रजा है।

2 राज्यदत्त नागरिकता—राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान करने के भिन्न भिन्न देशों में अलग-अलग नियम हैं। जिनको पूरा करने से किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

(i) विवाह द्वारा—किसी स्त्री के विदेशी पति से विवाह करने पर उसे अपने पति के देश की नागरिकता मिल सकती है और वह अपने पति के देश के सभी नागरिक अधिकारों का उपभोग करने लगती है। उदाहरणार्थ, यदि एक फ्रांसीसी महिला किसी अंग्रेज से विवाह कर लेती है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है।

(ii) निश्चित अवधि तक निवास करने पर—कुछ देशों में नागरिकता निवास की लम्बी अवधि पर आधारित रहती है। इस नियम के अनुसार यदि कोई विदेशी उस देश के नियमानुसार एक निश्चित अवधि तक उन देश में रहता है तो उस वहाँ की नागरिकता मिल सकती है। इंग्लैंड में अमेरिका में यह अवधि 5 वर्ष है। इटली में 4 वर्ष, स्वीडन में 3 वर्ष। अमेरिका में तैनात का पद ग्रहण करने पर विदेशी एक साल रहने के बाद ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

(iii) सम्पत्ति खरीदने पर—कुछ देशों में यह नियम भी प्रचलित है कि उस राज्य में सम्पत्ति खरीदने पर राज्य की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दक्षिणी अमेरिका के मक्सिको राज्य में यह नियम प्रचलित है।

(iv) सरकारी नौकरी द्वारा—यदि कोई व्यक्ति विदेश में किसी लाभ के पद पर काम कर रहा हो तो उस वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

(v) गोद द्वारा—यदि एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य का नागरिक को गोद लेता है तो गोद जाने वाला व्यक्ति गोद लेने वाले राज्य का नागरिक बन जाता है।

पहले प्रकार के नागरिक एक व्यक्ति कहल ते हैं जो जन्म से ही किसी राज्य के सदस्य होते हैं, और जि हे ज म के कारण नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत राज्यदत्त नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म से उस देश के सदस्य नहीं होते परन्तु ब्यस्क होकर अपनी स्वच्छा स राज्य की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देते हैं और आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने पर उस राज्य की सरकार उन्हें नागरिकता का पद प्रदान कर देती है।

1 जन्मजात नागरिकता—जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की दो मुख्य सिद्धांत हैं—रक्त प्रवाह वंश का सिद्धांत (Jus Sanguinis) और ज म स्थान का सिद्धांत (Jus Soli)। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रक्त प्रवाह वंश का सिद्धांत जन्म स्थान के सिद्धांत से प्राचीन है। प्राचीन काल में यूनान, रोम और ऐशियाई देशों में नागरिकता के निर्धारण के लिए इसी सिद्धांत को अपनाया जाता था और इस प्रकार बच्चे जो ज म से ही उसके माता-पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। मध्यकाल में सामन्तशाही विचारधारा के प्रभाव के कारण ज म से ही भूमि और व्यक्ति के सम्बन्ध पैदा हो जाते थे। इस विचारधारा के परिणामस्वरूप ज म स्थान के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। यही सिद्धांत प्राये चलकर यूरोप के देशों में नागरिकता के निर्धारण का आधार बन गया।

(1) रक्त वंशाधिकार नियम—इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्णय उसके माता पिता की नागरिकता से किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ज म किसी दूसरे देश में हुआ और माता-पिता किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो व्यक्ति चाहे तो वह अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ—यदि पिता फ्रांस का नागरिक है और उनकी सन्तान का ज म यदि किसी दूसरे देश में भी हो जाता है तो वह सन्तान फ्रांस की नागरिक कहलायेगी।

(11) जन्म स्थान के अनुसार इस सिद्धांत के मतगत बालक की नागरिकता उसके ज म स्थान के आधार पर निर्दिष्ट की जाती है। यह नियम अजेंटोइना में प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक का जन्म जिस देश की भूमि पर होता है वह उसी देश का नागरिक समझा जाता है भले ही उसके माता पिता अथ दश के ब्यो न हो। उदाहरणार्थ, यदि फ्रांस के नागरिक के बच्चे का ज म ब्रिटेन में होता है या किसी ब्रिटिश जलयान में होता है तो वह बच्चा ब्रिटेन का ही नागरिक होगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति पर किसी

दूसरे देश की नागरिकता जबरन धोपी जाती है। ऐसी थोड़ी हुई नागरिकता स देश भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती।

(iii) दोहरा नियम—दोहरा नियम का यह सिद्धांत इंग्लैंड अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में प्रचलित है। इसके अनुसार विश्व के किसी भी कोने में उत्पन्न सन्तान अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार विदेशी माता पिता से उत्पन्न सन्तान अपने जन्म-स्थान के प्राधार पर जिस देश में पैदा हुई है, उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। इस नियम क अनुसार ससार के किसी भी देश में इंग्लैंड के माता-पिता से यदि कोई सन्तान उत्पन्न होती है तो वह भी जन्म स्थान के कारण इंग्लैंड की प्रजा है।

2 राज्यदत्त नागरिकता—राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान करने के भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग नियम हैं। जिनको पूरा करने से किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

(1) विवाह द्वारा—किसी स्त्री के विदेशी पति से विवाह करने पर उसे अपने पति के देश की नागरिकता मिल सकती है और वह अपने पति के देश के सभी नागरिक अधिकारों का उपभोग करने लगती है। उदाहरणार्थ, यदि एक फ्रांसीसी महिला किसी अंग्रेज से विवाह कर लेती है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है।

(ii) निश्चित अवधि तक निवास करने पर—कुछ देशों में नागरिकता निवास की लम्बी अवधि पर आधारित रहती है। इस नियम के अनुसार यदि कोई विदेशी उस देश के नियमानुसार एक निश्चित अवधि तक उस देश में रहता है तो उस वहाँ की नागरिकता मिल सकती है। इंग्लैंड व अमेरिका में यह अवधि 5 वर्ष है। इटली में 4 वर्ष, स्वीडन में 3 वर्ष। अमेरिका में तनिक का पद ग्रहण करने पर विदेशी एक साल रहने के बाद ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

(iii) सम्पत्ति खरीदने पर—कुछ देशों में यह नियम भी प्रचलित है कि उस राज्य में सम्पत्ति खरीदने पर राज्य की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पश्चिमी अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में यह नियम प्रचलित है।

(iv) सरकारी नौकरी द्वारा यदि कोई व्यक्ति विदेश में किसी लाभ के पद पर काम कर रहा हो तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

(v) गोद द्वारा—यदि एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य में नागरिक को गोद ले लेता गोद जाने वाला व्यक्ति गोद लेने वाले व्यक्ति के राज्य का नागरिक बन जाता है।

(vi) विजय द्वारा—जब कोई राज्य किसी राज्य को या उसके किसी भाग को जीत कर अपने राष्ट्र में शामिल कर लेता है, तो विजयी राष्ट्र की नागरिकता ही पराजित राष्ट्र के नागरिकता को प्राप्त होनी है।

(vii) पुन नागरिकता प्राप्त—राज्यगत नागरिक यदि अपने देश की नागरिकता फिर म प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तों पूरी करने पर उन्हें पुन वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है।

नागरिकता का अपहरण (Loss of Citizenship)—

जिस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसी प्रकार एक देश के नागरिकों की नागरिकता का लोप भी निम्न कारणों से हो सकता है—

(1) देश द्रोह से—जब तक कोई नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करता है और राजभक्त बना रहता है, तब तक उसे नागरिकता का अधिकार प्राप्त रहता है, परंतु यदि वह राजभक्ति छोड़ देना है या अपने देश के हितों के विरुद्ध कार्य करता है तो उससे नागरिकता छीनली जाती है।

(2) भीषण अपराधों से—सेना से भाग सिपाही तथा अन्य प्रकार के गम्भीर अपराधों के कारण भा नागरिकता छीन ली जाती है।

(3) निश्चित अवधि तक विदेशों में रहने पर—अनेक देशों का यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति निश्चित अवधि से अधिक समय तक अपने देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है।

(4) स्वैच्छा से नागरिकता छोड़ देने से—यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो पहले देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो देशों का नागरिक नहीं बन सकता।

(5) नौकरी से निकाल दिए जाने पर—जो व्यक्ति विदेश में नौकरी करके उस देश का नागरिक बन जाते हैं जब वे वहाँ की नौकरी से निकाल दिये जाते हैं तो उस देश की नागरिकता खो देते हैं।

(6) स्त्री द्वारा विदेशी से शादी करने पर—यदि एक स्त्री किसी अन्य विदेशी से विवाह कर लेती है, और अपने पति के देश की नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो उसकी अपनी जन्म की नागरिकता का अन्त हो जाता है। किंतु इस में स्त्रियों के विवाह करने के बाद ही वहाँ भी नागरिकता प्राप्त रहती है।

इस प्रकार प्रत्येक नागरिक के लिए किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करना आवश्यक है। बिना नागरिकता के उसके हितों की सुरक्षा किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। नागरिक का सर्वांगीण विकास राज्य के संरक्षण के बिना सम्भव नहीं होता है।

भारतीय नागरिकता—भारत के नागरिकों के कहलाने का अधिकार रखते हैं जो भारत की भूमि में पैदा हुए हों। वे लोग भी भारत के नागरिक होते हैं, जिनका माता पिता में से कोई एक भारत की भूमि में पैदा हुआ हो तथा वे लोग भी भारत के नागरिक होने का दावा कर सकते हैं जो भारतीय संविधान घोषित होने के 5 वर्ष पूर्व से ही भारत के निवासी रहे हों।

भारतीय नागरिकता का कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया हुआ है। हमारे देश की नागरिकता का कानून उन भारतीयों के प्रति भी उदासीन नहीं है जो विदेशों में रह रहे हैं। वे भारत के नागरिक बन सकते हैं, यदि वे स्वयं प्रथम या उनके माता, बाप या दादा, दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, तथा जिस देश में वे रहते हों, वहां स्थित भारतीय राजदूत के कार्यालय में उद्योग अपनी रजिस्ट्री करवा ली हो, इस प्रकार भारत में नागरिकता प्रदान करने का कानून अत्यंत उदार है। भारत में नागरिकता जाति-भेद, रंगभेद तथा रक्तभेद जैसे आधारों पर आधारित नहीं है।

आदर्श नागरिकता (The Ideal Citizenship)—आदर्श नागरिकता व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय उत्थिति की कुंजी है और यह प्रजातंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार भी है। आदर्श नागरिक ही आदर्श नागरिकता का प्रतीक है। आदर्श नागरिक वह है जो सत्ता से अपने अधिकारों का उपयोग तथा कर्तव्यों का पालन सदृच्छ, उत्साह और लगन से अपनी योग्यतानुसार कर सके। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने और लोकहित के प्रति निष्ठा तथा साधन की प्रवृत्ति से इस उत्तरदायित्व को सम्भालने में ही आदर्श नागरिकता का सार निहित है। आदर्श नागरिकता का आधार लोकहित के प्रति श्रद्धा तथा आदर्श की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना ही नागरिकता का मार है। केवल राज्य के कानूनों का पालन करने और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकारों के प्रयोग में हस्तक्षेप न करने और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के प्रयोग में हस्तक्षेप न करने का नाम ही आदर्श नागरिकता नहीं, बल्कि सम्यता के विकास और सम्पूर्ण समाज के हित की वृद्धि के लिए अपना तन मन धन खोद्य कर देना ही आदर्श नागरिकता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक लास्की

ने आदर्श नागरिकता का बोध कराते हुए लिखा है कि "नागरिकता मानव के शिक्षित नियम का जनवत्वाण म प्रयोग है" ।

आदर्श नागरिक के गुण—कोई भी व्यक्ति आदर्श नागरिक तब ही कहला सकता है जबकि वह समाज के हित से ऊपर कुछ भी न समझे । अपने सभी स्वार्थों का समाज की उन्नति और विकास के लिए त्याग करे । आदर्श नागरिकता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति म अपने राष्ट्र एव समाज की सेवा करने की इतनी क्षमता है । लार्ड ब्राइस ने अच्छे नागरिक के तीन लक्षण बताये हैं— बुद्धिमत्ता, अत्मनिय प्रण और विवेक । डा व्हाइट ने बताया है कि साधारण बुद्धि, ज्ञान और निष्ठा एक नागरिक के बुनियादी लक्षण होने चाहिये । हमारे शास्त्रों म भी आदर्श नागरिक के तीन प्रधान गुण उल्लेख किये हैं— सत्य, शिवम् तथा सुन्दरम् । इन गुणों के अभाव मे कोई भी व्यक्ति आदर्श नागरिक कहलाने की क्षमता नहीं रखता है ।

(1) कर्त्तव्य पालन और व्यवस्था कुशलता एक आदर्श नागरिक के लिए अपने कर्त्तव्यों को समझना और उनका पालन करना अनिवार्य है । कर्त्तव्य पालन और व्यवहार कुशलता ही व्यक्ति को अर्थ साधारण व्यक्तियों की श्रेणी से निकाल कर अच्छे नागरिक की श्रेणी मे लाकर खड़ा करते हैं । अधिकारी तथा कर्त्तव्यों का पालन आदर्श नागरिकता के व्यावहारिक स्वरूप की भूमिका है । आदर्श नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अपने अधिकारी का सदुपयोग करे एव अपने कर्त्तव्यों को ईमानदारी व वफादारी से निभाए । मनुष्य को परिवार के हित के लिए अपना, नगर के लिए परिवार का, देश के लिए नगर का और मानव समाज के लिए राष्ट्र का बलिदान करने के लिए सदा कटिबद्ध रहे । यही आदर्श नागरिकता का सर्वोपरि लक्ष्य है ।

(2) सकीणता, साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता व जातीयता से विरोध—आदर्श नागरिक को सकीणता, साम्प्रदायिकता तथा प्रांतीय व जातीय भावनाओं से दूर रह कर सत्य, शिव, सुन्दरम् की भावना से भोत भोत रहना चाहिए । सत्य आचरण कल्याण भावना एव सुन्दर रम के तीनों गुण आदर्श नागरिकता का ऋद्ध है ।

(3) आत्मनिर्भरता एव आत्म विश्वास—आदर्श नागरिक साहस और निम्निकता से अपने विचारों को प्रकट करता है, और निंदा या अत्याचार के भय से प्रभावित होकर अपने विचारों का परित्याग नहीं करता । आदर्श

नागरिक वही है जो स्वावलम्बी हो। पराश्रित व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक नहीं कहा जा सकता। एक आदश नागरिक अपने चरित्र और अपनी आत्मा पर अनुशासन रखना है, तथा सावजनिक कार्यों के आत्मविश्वास से काय कर लेता है। उसमें विश्वास की दृढ़ता और विचारों की स्थिरता होती है। वह आत्मनिर्भर, याय-रिय, तथा त्यागी होता है। वह कमयोगी होता है। कार्लाइल के शब्दों में "कम ही उसका धर्म होता है"¹

टगोर के शब्दों में कहा जा सकता है कि "उसमें विश्वास होता है कि जीवन का धर्म सत्कार के प्रति कर्तव्य पालन द्वारा और उसका मूल्य स्नेह पर अविनाशक अधिकार द्वारा प्राप्त होता है।"²

(4) विचारशील एवं दूरदर्शिता एक आदश नागरिक को आदेश में आकर भावनाओं में नहीं बहकरना चाहिये बल्कि दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये। भावनाओं के आवेश में आकर कार्य करने से समाज को बड़ी ठेस लगती है। इस प्रकार भारत के विभाजन के पश्चात् आवेश में आकर भारतीय नागरिकों ने जिस ढंग, साम्प्रदायिकता और चरित्रहीनता का परिचय दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। भावनाओं में बह जाने से चाहे व्यक्ति को क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाय, परन्तु अविध्य में वह हानिकारक ही होता है। अच्छे नागरिक में समन, विवेक और दूरदर्शिता होनी चाहिए। इन गुणों के अभाव में एक व्यक्ति आदश नागरिक नहीं बन सकता।

(5) सेवा भावना सहयोग एवं परोपकारिता—लोहहित की भावना से प्रेरित होकर उन्नतिशील समाजसेवा का निर्माण करना ही व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य है। जिस व्यक्ति में समाज सेवा की ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया हो वही समाज की सेवा सच्चे अर्थों में कर सकता है। एक श्रेष्ठ नागरिक मरकरी सम्पत्ति की रक्षा करता है, सावजनिक कार्यों में भाग लेता है पारस्परिक सहयोग तथा सहायता को तत्पर रहता है, निष्पक्षता तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा का उद्यत रहता है और असाहाय तथा अनाथों की तन, मन, धन से सहायता करता है। यह सत्य है कि अच्छे कार्य करने में व्यक्ति के समझ कुछ बाधाएँ होती हैं और

1 Work is worship

—Carlyle

2 Life finds its wealth by the claims of the World and its worth by the claims of love

—Tagore

यदि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और सिद्धांतों में विश्वास के आधार पर उन बाधाओं से नहीं डरता तब उनका सफलता निश्चित ही होती है।

(6) दैनिक जीवन में व्यवहार कुशलता—व्यक्तिगत दैनिक जीवन में अच्छा व्यवहार और अच्छी आदतें भी अच्छे नागरिक जीवन के लिये प्रति आवश्यक है। नित्य प्रतिदिन के उत्तम व्यवहार पर ही मनुष्य का भविष्य और वर्तमान जीवन का सुख निर्भर करता है। इसके प्रतिरिक्त आदर्श व्यक्ति को अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये मित धर्म भी होना चाहिये।

(7) कानून का पालन और मताधिकार का उचित उपयोग—एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों का सदुपयोग कर एवं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी तथा वफादारी से निभाए। वह ईमानदारी से मतदान में भाग लेता है, करों को चुका करे, और अनुचित तथा सविधान विरोधी कार्यों का विरोध करने को तत्पर रहे। अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना ही आदर्श नागरिकता का महत्वपूर्ण गुण है।

जब तक नागरिक में उपरोक्त गुणों का अभाव होगा तब तक कोई भी व्यक्ति आदर्श नागरिक कहलाने का अधिकारी नहीं है। आदर्श नागरिकता ही व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इसके अभाव में जीवन निरर्थक है और नागरिकता निमूलक।

आदर्श नागरिकता के माग में बाधाएँ (Hindrances to ideal Citizenship)—

यद्यपि आदर्श नागरिकता व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए हितकर है, फिर भी आदर्श नागरिक बहुत कम पाये जाते हैं। सामाजिक कुल्यवस्थाएँ तथा मनुष्य की दुर्बलताएँ आदर्श नागरिक बनने में बड़ी बाधाक सिद्ध होती हैं।

(1) नैतिक बाधाएँ—आदर्श नागरिकता के माग में सबसे प्रमुख बाधाएँ नैतिक हैं। जिनमें व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता तथा ईमानदारी का अभाव प्रमुख है। व्यक्तिगत स्वार्थ ही भ्रष्टाचार का आधार होता है। स्वार्थी व्यक्ति सदैव ही अपना हित चाहता है और यदि उसे अपनी भावना को साकार बनाने में राष्ट्र हित का भी बलिदान करना पड़े तो भी वह नहीं हिचकिचाता। वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए समाज और देश को भी बेच सकता है। स्वार्थी मनुष्य का प्रतिफल मर जाता है, उसकी सेवा भावना समाप्त हो जाती है तथा वह नतिकता से वंचित हो जाता है। बेईमान व्यक्ति कर्तव्य के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता और उचित अनुचित का महत्व

नहीं समझता। अतः बेईमान व्यक्ति उस उसर भूमि के समान है जिसमें आदश नागरिकता के बीज कभी फल नहीं सकते।

(2) मानसिक बाधाएँ—आदश नागरिकता की भावना के विकास में सबसे बड़ी बाधाएँ अज्ञानता और प्रशिक्षण का फल है। शिक्षा ही सच्चे अर्थों में मनुष्य को बनाती है। अज्ञानी पुरुष अथवा आदमी के समान होते हैं। जिसको कहीं भी जाने में दूसरे आदमी की सहायता की आवश्यकता होती है। उसकी उपमा उस मूक पशु से दी जाती है, जिसको हाँक कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति आदश नागरिकता के योग्य नहीं हो सकता। ज्ञान, स्फूर्ति और विवेक ही आदश नागरिकता के मूल आधार होते हैं। शिक्षा के बिना नागरिक न तो अपने ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है, और न अपने राष्ट्र की समृद्धि में ही सहायक हो सकता है।

(3) आर्थिक बाधाएँ—आदश नागरिकता के मार्ग में महत्वपूर्ण रुकावट आर्थिक है, जिसका व्यवहारिक रूप गरीबी कहलाता है। दरिद्रता ही समाज के लिए अभिशाप है। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो मानव को मकड़ों की भाँति जाल में फँसा लेती है। गरीब व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्याओं में ऐसा उलझा हुआ रहता है कि वह सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता, और न ही यह सोच पाता कि उन समस्याओं को सुलझाने के प्रति उसका कतव्य क्या है? गरीब की नतिकता रोटी के टुकड़ों में ही निहित होती है। यही नहीं गरीबी अपराधों की भी जननी रही है। गरीबी के कारण ही व्यक्ति चोरी, डकैती, हत्या तथा भ्रमानुषिक काय करने पर विवश हो जाता है। शास्त्रों ने उचित ही कहा गया है कि, "युभुक्षतो, किमन करोति पापम्। गरीबी के कारण ही व्यक्ति के हृदय में जीवन के प्रति अपेक्षा की प्रवृत्ति जाग्रत होती है। वह आत्मविश्वास छोड़ता है, प्रकृतता उसका स्वभाव बन जाती है। इस प्रकार जिस देश में गरीबी का वास रहता है, वहाँ नागरिकता का प्रागमन कदापि नहीं हो सकता।

(4) सामाजिक बाधाएँ—समाज में व्यक्ति के साथ वश, रक्त, जाति तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। योग्यता होते हुए भी उस अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर ही नहीं मिलता। हमारे देश की दूषादूषित, दहज प्रथा आदि सामाजिक बाधाएँ हैं, जिनके कारण व्यक्ति निष्ठापूर्वक कृतव्यपसन नहीं कर पाता है। धार्मिक कट्टरता एवं साम्प्रदायिकता के भयकर परिणाम होते हैं, इससे ईर्ष्या, द्वेष, असहयोग, असहिष्णुता आदि दुर्गुणों का जन्म होता है, जिससे समाज में भ्रमान्ध तथा दुःख फलता है।

(5) राजनैतिक बाधाएँ—राजनैतिक दलों की व्यवस्था करने विद्युत स्वरूप में आदेश नागरिकता के माग में बाधा बन जाती है। यद्यपि प्रजातन्त्र के कुशल संचालन के लिए राजनैतिक दल जनमत का वास्तविक निर्माण क्रिया करते हैं, नागरिकता में राजनैतिक चेतना का उदय तथा प्रसार करते हैं। यदि राजनैतिक दल शुद्धता के साथ कार्य करे तो प्रजातन्त्र राज्य की सफलता अवश्यम्भावी हो जाती है। प्रायः राजनैतिक दलबन्दी, सामाजिक कल्याण का साधन न होकर सदस्यों की स्वाध्याय पूर्ति का साधन बन जाती है। दलबन्दी की सकीर्ण भावना राजनैतिक व सामाजिक वातावरण को स्वाध्याय, भ्रष्ट तथा विषमता बना देती है। दलबन्दी से सघन का जन्म होता है, स्वाध्याय की बल मिलता है, समाज सेवा की भावना नष्ट हो जाती है।

राजनैतिक बाधा उग्र राष्ट्रवाद, पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद को पनपने देती है। साम्राज्यवाद, पूँजीवाद और राष्ट्रवाद तीनों ही आदेश नागरिकता के घोर शत्रु हैं। जब तक तीनों महादानवों से छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक अतिक्रान्त देशों में आदेश नागरिकता का विकास नहीं हो सकता। उग्रराष्ट्रवाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद जो एक ही विषय के प्याले के भिन्न भिन्न घुट हैं स्वयं ही उन देशों में आदेश नागरिकता का नहीं पनपान देते जहाँ ये घपनाये गये हैं। इस प्रकार राष्ट्रियता, साम्राज्यवाद और पूँजीवाद आदेश नागरिकता के माग में भारी रुकावटें हैं।

आदेश नागरिकता की बाधाओं का निवारण—आदेश नागरिकता की बाधाओं को दूर करने के साधनों के विषय में मोचना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आदेश नागरिकता के माग की सब बाधाओं का स्त्रोत शक्ति का कर्तव्यपालन के प्रति निरस्तता है अपने साधियों के प्रति उपेक्षा भाव तथा उनमें सेवा और त्याग के आदेश के अभाव है। बन्दी को दण्ड प्रेम, सेवा, भक्ति, अर्थात् तथा त्याग के गीत सुनाकर जीवन में उठे प्रभु विन क्रिया जा सकता है। अध्यापकों को अपने शिष्यों को कवल विषय वस्तु के अध्ययन के साथ साथ नतिकता का अनुप्रेषण भी करवाना आवश्यक है। जिससे विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता, सहयोग एवं सहोद्धार की भावना जागृत हो सके।

राजनैतिक दलों को दलबन्दी तथा सकीर्ण स्वार्थों से परे रहकर समाज एवं राष्ट्र सेवा की दृष्टि से कार्य करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे नागरिकता को साम्प्रदायिकता तथा प्राथम्यता के सीमित बन्धनों से ऊपर उठाकर उठे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं की ओर प्रेरित करे। चुनाव की व्यवस्था इस प्रकार होनी

रिक्तता के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन नहीं करता। हमी कमी को पूरा करने के लिये बाद में 'भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955' (Indian Citizenship Act, 1955) को पास किया गया।

कौन लोग भारतीय नागरिक होते हैं—वर्तमान विधि के अधीन निम्न लिखित चार प्रकार के नागरिकों का उल्लेख है—

(1) वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होते समय, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है—(i) वह जो भारत का अधिवासी हो और (ii) वह जो भारत में पदा हुआ प्रथवा उसके माता-पिता में से कोई भी एक भारत में पदा हुआ हो प्रथवा वह जो संविधान लागू होने से पूर्ववर्ति (Immediately preceding) पूर्व पाँच वर्षों से सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो। (देखिये अनुच्छेद 5)।

(2) वह व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन (migrate) किया हो और वह प्रथवा उसके माता-पिता प्रथवा पितामह-मातामह में से एक अविभाजित भारत में पदा हुए हो तथा यदि उस व्यक्ति ने 19 जुलाई, 1948 से पूर्व प्रव्रजन किया है तो संविधान के लागू होने पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। किन्तु यह तभी होगा जबकि वह व्यक्ति प्रव्रजन के बाद से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पश्चात् प्रव्रजन करता है तो उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पदाधिकारी के समक्ष प्राथनापत्र देकर नागरिक के रूप में संविधान के लागू होने के पूर्व पञ्जीकृत (Registered) हो गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति पञ्जीकृत न गाररू न हो सकेगा जोकि प्राथनापत्र के पूर्ववर्ति 6 महीने से लगातार भारत में निवास न कर रहा हो। (देखिये अनुच्छेद 6)

(3) 1 मार्च 1947 के पश्चात् कोई पाकिस्तान को उद्व्रजन (Emigrant) करने वाला व्यक्ति जोकि वहाँ से वीच अनुज्ञा (Permit) के साथ पुनः भारत में वास होकर यहाँ स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से आ जाय, उसे 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से उद्व्रजन करने वाले व्यक्ति को समस्त शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। (देखिये अनुच्छेद 7)

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर निवास करता हो और वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता हो—

(1) वह प्रथवा उसके माता पिता में से कोई प्रविभाजित भारत म पत्न
 हुए हो तथा (11) वह उस देश म स्थित भारत के दूतावास म प्राथनापत्र देकर
 अपने प्रापको भारतीय नागरिक के रूप मे पजीकृत करा लिये हो । (मनुच्छेद 8)
 कोई ऐसा नागरिक जिसने स्वेच्छा से किसी दूसर राज्य की नागरिकता
 स्वीकार कर ली हो उपयुक्त उपब धो क लागू होने के बावजूद भी वह भारतीय
 नागरिक नहीं माना जायगा ।
 (देविय मनुच्छेद 9)

सविधान के मनुच्छेद 10 तथा 11 में नागरिकता के बने रहने का उपबन्ध
 तथा नागरिकता सम्बन्धों पर भारतीय मसद के मनुव का बरतन किया
 गया है । वस्तुतः नागरिकता सम्बन्धों मामला म भारतीय ससद् को पूर्ण एका-
 धिकार प्रदान किया गया है । मनुच्छेद 10 इस प्रकार उपबन्धित करना है कि—
 प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जोकि इस भाग के उपयुक्त उपबन्धों में से किसी त्रम क मनु-
 सार भारत का नागरिक माना गया है वह इस प्रकार का नागरिक निरन्तर माना
 जायगा, जब तक कि इस प्रसंग में भारतीय ससद् के किसी विधि द्वारा कोई
 विरोधी नियम उपबन्धित न हो । मनुच्छेद 11 के द्वारा भारतीय ससद् को नाग-
 रिकता के सम्बन्ध में अधिनियम बनाने, पुराने अधिनियमों को निरसित करने,
 नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति, बनी रहने, विलुप्ति प्रादि के सम्बन्ध म प्रबाध शक्तियाँ
 प्रदान की गई है । ससद् से इस अधिकार को उपयुक्त समस्त उपबन्ध चुनौती
 नहीं दे सकेंगे ।

भारतीय नागरिकता अधिनियम—1955—यह अधिनियम सविधान
 के लागू होने के पश्चात्, जम से, वसानुक्रम से, पजीकरण से स्वाभाविकता से
 तथा राज्य क्षेत्र के सम्मिलित होने से, नागरिकता प्राप्त करने के नियमों का
 बनाता है ।

यह अधिनियम कुछ दशाओं में, नागरिकता से निवृत्ति एवं वचित करने के
 सम्बन्ध में भी नियमों को बनाता है ।

यह अधिनियम समघिराज्य (Commonwealth) की नागरिकता
 को स्वीकार करता है तथा केंद्रीय सरकार को पारस्परिक आधार पर भारतीय
 नागरिक को व सभी अधिकार प्रदान करने की छूट देता है जोकि मय समघिराज्य
 के नागरिक को प्राप्त हो ।

व्यवस्थापिका (Legislature)

6

“सरकार से तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है, जिनके द्वारा राज्य की इच्छा को अभिव्यक्ति होती है, तथा उसे क्रियावित किया जाता है।”—सोल्टज़

रज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। शासन के साठन में सरकार के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य तीन अंग होते हैं। व्यवस्थापिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary)। व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहार में लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों के अर्थ की पूर्ण रूप से व्याख्या करती है। यदि इनका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दण्ड दिलवाने का काम भी करती है। प्रथम सरकार के अंगों में (विशेषकर लोकतन्त्रीय देशों में) विधायिका (Legislature) या व्यवस्थापिका का सबसे अधिक गौरव का स्थान दिया गया है।

व्यवस्थापिका आधुनिक प्रजातंत्र में प्रतिनिधि सभा के रूप में—
(Legislature Its role as Representative body in Modern Democracies)—सरकार के तनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका होती है। यह सरकार का वह अंग है जो राज्य की इच्छाओं को कानून का रूप देता है। तुलनात्मक दृष्टि से कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से व्यवस्थापिका का महत्व अधिक है। यह विभाग ही उन कानूनों व विधियों का निर्माण करता है, जिसके अन्वय में कार्यपालिका देश का शासन करती है। यह विभाग कार्य करता है। व्यवस्थापिका का महत्त्व किसी देश में प्रचलित शासन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि कहीं निरंकुश राजा का शासन है तो वहाँ की व्यवस्थापिका शासन के हाथ फँसपुतली मान ली जा सकती है। जिन स्थानों पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित हो वहाँ पर व्यवस्थापिका की शक्तियाँ और उसके काम मर्यादित होते हैं।

समदीय शासन प्रणाली के अतहत व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है और मंत्रिमण्डल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का स्थान सरकार के उन सब विभागों में सर्वोच्च होता है। व्यवस्थापिका का महत्व उसके कार्यों में निहित है। इसका मूलकार्य विधि निर्माण ही है। किंतु विभिन्न देशों में समय, आवश्यकता और परिस्थितियों के कारण उनके अनेक अन्य कार्य भी होते हैं।

व्यवस्थापिका के कार्य (Functions of the Legislature)

(1) विधायी कार्य—व्यवस्थापिका समाज में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार कानून का निर्माण करती है। उनमें सशोधन करती है तथा उन्हें खण्डित भी कर सकती है। विधि निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिका द्वारा संगठित विभिन्न समितियाँ अपनी विशेष जानकारी, योग्यता और दक्षता के कारण उसे सहायता देती रहती हैं, इस प्रकार विधि निर्माण के कार्यभार एवं जटिलता को कम कर देती हैं। प्रत्येक प्रजातान्त्रिक देश में कानून का मूल स्रोत संविधान ही होता है। किंतु व्यवहार में सभी कानून व्यवस्थापिका द्वारा तैयार किये जाते हैं। जिन देशों में संविधान की सर्वोच्चता और कठोरता पाई जाती है वहाँ व्यवस्थापिका संविधान के निर्देशों, नियमों और नियंत्रण में रहकर विधि निर्माण का कार्य करती है। अब कानून निर्माण का प्रत्यक्ष स्रोत व्यवस्थापिका ही होती है।

(2) वित्तीय कार्य—मेडिसिन ने कहा है 'कि बिना धन के वित्तीय शक्ति है उनके पास शासन करने की वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं।' प्रजातान्त्रिक शासन में वित्तीय शक्ति अंतिम रूप में व्यवस्थापिका के निम्न अंग का कार्य है। शासन का यह नियम होता है कि व्यवस्थापिका के निम्न अंग ही वित्त के बिना धन का व्यय नहीं किया जा सकता। प्रारम्भिक व्यवस्थापिका द्वारा राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। व्यवस्थापिका ही नौसेना और लगान का कार्य करती है, और अनायास ही वित्त भी करता है। वित्त के नियंत्रण के माध्यम से व्यवस्थापिका प्रशासन के कार्य पर आर्थिक नियंत्रण और कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका के कार्य में व्यवस्थापिका से निर्भर रहती है। कार्यपालिका के कार्य में व्यवस्थापिका के स्विकृत राजस्व के प्रतिवर्ष के अंश का वित्त है।

(3) प्रशासन सम्बन्धी काय—व्यवस्थापन विभाग यद्यपि किसी भी प्रशासनिक मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं करता है, तथापि देश के प्रशासन पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण रहता है। जहाँ संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है वहाँ पर व्यवस्थापिका कायपालिका के कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है। मंत्रिमण्डल केवल तभी तब अपने पदों पर स्थायी रह सकते हैं, जब तक उन्हें व्यवस्थापिका का पूर्ण रूप से विश्वास प्राप्त हो। व्यवस्थापिका ही कायपालिका के कार्यों का नियंत्रण-प्रश्नो, स्थगन प्रस्तावा, अविश्वास अथवा निर्दोष के प्रस्तावों जसा विधियों से करती है, इस प्रकार व्यवस्थापिका कायपालिका को लोकमत के अनुसार चलने पर बाध्य करती रहती है।

(4) न्यायिक कार्य—विभिन्न देशों में व्यवस्थापिकाएँ न्याय सम्बन्धी काय भी किया करती हैं। उदाहरणार्थ—इंग्लैंड में लाउड सभा, फ्रांस की काउन्सिल ऑफ रिपब्लिक (Council of the Republic) न्यायालय का कार्य करती है, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाया जा रहा हो। इसी प्रकार अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर लगाय गये महाभियोग का निणय सिनेट ही करती है। भारतीय गणराज्य के संविधान में भी यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति पर लगाय गये महाभियोग का निणय संसद द्वारा होना चाहिये। अतः व्यवस्थापिकाएँ प्रशासकीय विभागों के लिए न्यायिक अधिकारों का उपयोग करती हैं।

(5) निर्वाचन सम्बन्धी काय—विभिन्न देशों की व्यवस्थापिकाएँ निर्वाचन सम्बन्धी काय भी किया करती हैं। उदाहरणार्थ फ्रांस के दोनों मदन मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। स्विटजरलैंड में वहाँ की पार्लियामेंट मंत्रपरिषद् न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। भारतीय संसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सत्स्यो द्वारा किया जाता है। अमेरिका में मिनेट और प्रतिनिधि सभा को अपने अपने निर्वाचनों के निर्वाचन सम्बन्धी योग्यताओं का निणय करने का अधिकार दिया है।

(6) सशोधन सम्बन्धी काय—व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संविधान में सशोधन करने का है। सशोधन का यह अधिकार कुछ देशों में प्राथमिक होता है तो कुछ देशों में पूर्ण रूप से। ब्रिटिश संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में मनचाहा परिवर्तन करा सकती है। भारतीय संसद कुछ विषयों में अनेकी सशोधन कर सकती है। स्विटजरलैंड में सशोधन सर्वोच्च

प्रस्तावों के लिए कैंटन की स्वीकृति की आवश्यकता रहती है। भारत में संसद में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन का अधिकार ग्रहण कर लिया है। मोबियत रूस में मुस्लिम नोबियत ने तिहाई बहुमत में कोई भी संशोधन कर सकती है। अतः संविधान में संशोधन करने का अधिकार एक प्रकार से व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता स्थापित कर देता है।

अन्य फाय — व्यवस्थापिका सभा ही जनता की शिकायतों को प्रकाश में लाने का उत्तम साधन सिद्ध हुई है। इसमें सभी प्रकार की विचारधारा के मामलों को सुनवाई हो सकती है तथा वाद विवाद और चर्चा द्वारा लोक महत्व की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसकी सभी कार्यवाहियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। यह लोकमत को प्रकट करने और उसका निमाण करने के साधनों के रूप में कार्य करती है। फ्रेडरिक का विचार है कि आधुनिक समय में एक प्रतिनिधिसभा का मूल कार्य कानून निर्माण उतना नहीं है जितना कि आम जनता की राजनीतिक शिक्षा प्रचार कार्य तथा विभिन्न मतों, विचारों और मतभेदों का एकीकरण। व्यवस्थापिकाओं का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण बनना जा रहा है वास्तव में प्रजातंत्र का भविष्य बहुत कुछ इसी पर निर्भर करना है।

विधान मंडल का संगठन (Organisation of Legislature)

आज के प्रजातान्त्रिक युग में विश्व के कई देशों में केन्द्र की विधायिका में दो सदन होते हैं। एक प्रकार की व्यवस्थापिकाएँ बनी होती हैं, जिनमें केवल एक ही सदन होता है जिसे एक सदनीय (Uni Cameral) कहा जाता है, तथा दूसरे प्रकार की व्यवस्थापिकाएँ वे होती हैं, जिनमें दो सदन होते हैं, जिन्हें द्विसदनीय ((Bi Cameral) कहा जाता है। भारत के केन्द्र में और कुछ राज्यों में दो सदन विद्यमान हैं भारतीय संसद के दो सदनो को लोकसभा (प्रथम सदन) और राज्य सभा (दूसरा सदन) कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद विश्व की प्राचीनतम द्विसदनात्मक संसद का रूप है। संसद के दो सदन हैं—लाइसभा और लोकसभा। लाइसभा का संगठन आनुवांशिक होता है और लोकसभा निम्न सदन। लेकिन महत्व की दृष्टि से यह प्रथम सदन है। इसी प्रकार अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था (Bi-Cameral Pattern) का रूप हम स्पष्ट दिखाई देता है। सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा (The house of the Representatives) सीनेट ही संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय या उच्च सदन कहलाता है यह राज्यों का सदन है। इसमें प्रतिनिधित्व का आधार राज्यों की समानता का

सिद्धांत है। प्रतिनिधि सभा समुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का निम्न अथवा प्रथम सदन है, यह प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार स्विटजरलैंड और आस्ट्रेलिया में भी वा सदा ता संगठन उ ही सिद्धांत पर नुमा है जिन पर अमेरिकी सीनेट का। प्रायः प्रत्येक देश में निम्न सदन जनमाधारण का प्रतिनिधित्व करती है और उच्च सदन जनता के कुछ वर्गों का। जनताधारण का प्रतिनिधित्व करने के कारण निम्न सदन उच्च सदन में प्रायः अधिक शक्तिशाली और अधिकार सम्पन्न होता है। जब लोकतांत्रिक शासन का मूलपात हुआ तब अधिकार देना में एक सत्तीय व्यवस्थापिका थी आज़रत प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनीय व्यवस्था विद्यमान है। सर हनी मैन के अनुसार—जिसी भी प्रकार का द्वितीय सदन बिल्कुल न हान से अछड़ा है तथाकि द्वितीय सदन पहले सदन का शत्रु नहीं बरन अधिन सुरक्षा का साधन होता है।

सदनो की रचना—विश्व के अधिकांश देशों में प्रथम सदन की रचना राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से होती है। द्वितीय सदन की रचना में अथवा ही भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। यदि ब्रिटिश ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना वंशानुगत के आधार पर होती है तो समुक्त राज्य अमेरिका जॉर्जिया और आस्ट्रेलिया आदि राज्यों में द्वितीय सदन पूर्णतः निर्वाचित होते हैं। कुछ राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था पाई जाती है कि द्वितीय सदन के सदस्य सरकार द्वारा आशिक रूप में मनोनीत किये जाते हैं। भारतीय सदन में द्वितीय सदन (राज्य परिषद) की रचना इसी सिद्धांत के आधार पर की जाती है तथा जापान, कनाडा इटली आदि देशों में पूर्ण मनोनीत तथा निर्वाचन के मध्यभाग को ग्रहण की किया गया है।

विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएँ एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। सदन अथवा व्यवस्थापिका इकाई के रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। व्यवस्थापिका चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन से संगठित हो अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चाहे वह वंशानुगत हो अथवा मनोनीत, अन्ततोगत्वा वह अपने लक्ष्य और उत्तरदायित्वों की दृष्टि से एक प्रतिनिधि सदन ही होती है, जो सम्पूर्ण राष्ट्र का समग्र रूप में प्रतिनिधित्व करती है। इतना हान के उपरान्त भी व्यवस्थापिका का रूप एक सदनीय होना चाहिये अथवा द्विसदनाय इसने लिए राजनीति शास्त्रियों में विभिन्न मतभेद रहे हैं।

एक सदनात्मक पद्धति (Unicameral System)

(1) व्यवस्थापिका में एक सदन होने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि

व्यवस्थापन काय में एकता और एक रूपता रहनी है। अठारहवीं शताब्दी में फ्रेंच क्रांतिकारियों तथा राजनतिक विचारकों का यहां तक कहना था कि 'ता तीन सदना के अस्तित्व का अर्थ-नो या तीन प्रमुखा का अस्तित्व होता है।¹ सदन न एक सदनात्मक पद्धति की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार में की है 'कानून जनता की इच्छा होती है। किसी विषय के सम्बन्ध में एक समय में जनता की दो भिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती अतः व्यवस्थापिका सभा जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, आवश्यक रूप से एक होनी चाहिये। जहां कहीं भी नो सदन हाग, मतभेद एवं विरोध अवश्यम्भावी होंगे, तथा जनता की इच्छा अकमण्यता का शिकार बन जायेगी।²

इसी प्रकार लार्ड ब्राइस ने भी एक सदनात्मक पद्धति का समर्थन किया और कहा है कि "यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन का विरोध करता है तो अहितकर है और वह उजक साथ सहयोग करता है ता वह अनावश्यक है" इस प्रकार व्यवस्थापक की एकता में व्यवस्थापिका एक सदनीय हानी चाहिए।

वॉलामिन फ्रॉकलिन भी एक सदनीय व्यवस्था का प्रबल प्रतिपादन था यह कहा करता था कि, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की वह गाड़ी, जिसमें दोना और छोड़े जात दिय गये हा और व अपनी अपनी और गाड़ी को खींचे तथा परिणाम यह हो कि उसकी प्रगति विधर की नी न हो सक। अतः व्यवस्थापन काय के मुचार सचालन हेतु व्यवस्थापिका एक सदनीय हानी चाहिए।

1 Manual Constitutional, de droit P 344

—Duguit

2 The law is the will of the people the people can not at the same time have two different wills on the same subject therefore the legislative body which represents the people ought to be essentially one Where there are two chambers discord and division will be inevitable and the will of the people will be paralysed by inaction
Stuyes—Quoted by Garner Political Science & Govern ment P 603

3 If a second chamber dissents from the first it is mischievous if it agrees with it it is superfluous Bryce Modern Democracies vol II P 399

एक सदनात्मक पद्धति के दोष—एक सदनीय व्यवस्थापिका में उसकी शक्ति असीमित एवं अनियंत्रित होती है। एक सदनीय व्यवस्थापिका उसी प्रकार उद्विग्न तथा भ्रष्ट हो सकती है, जिस प्रकार निरकुश शासक। जसा लेकी (Lecky) ने कहा है किसी निरकुश शासनकर्ता की भाँति वह (एक सदनीय व्यवस्थापिका) भी अनियंत्रित शक्ति की प्राप्ति से उत्पन्न लालचों से भ्रष्ट हो सकती है, और कम दायित्व की भावना और कम विचार सहित कार्य कर सकती है।¹

द्विसदनात्मक पद्धति (Bi Cameral System)

राजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने द्वितीय सदन को शासन कार्य में बाधक न बतलाकर सहायक सिद्ध किया है। लाड एक्टन ने इस पद्धति की प्रशंसा करते हुए लिखा है, 'द्वितीय सदन स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। यह नीति में समतुल्य स्थापित करता है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है तथा प्रथम सदन की त्रुटियों को ठीक करता है।'²

एसी प्रकार लीकार्ड ने भी द्विसदनीय पद्धति का वर्णन करते हुए लिखा है, 'विधायिका का एक ही सदा जल्दबाज तथा अनुत्तरदायी होता है। वह वक्ताओं के भाषणों के भावावश में आकर बहुत से कार्य कर देता है। यह एकदम फिज़ूल खर्च कर सकता है या एकदम नौकरी में कमी कर सकता है।'³ द्विसदनीय व्यवस्थापिका में जल्दबाजी तथा अविचारपूर्ण व्यवस्थापन नहीं होता। द्वितीय सदन

- 1 It is as susceptible as an individual despot to the temptations that grow out of the possession of an uncontrolled power, and it is likely to act with much less sense of responsibility and much less real deliberation

Lecky Democracy and Liberty vol I, P 299

- 2 Second chamber is the essential security for freedom it provides the necessary balance of power in the polity gives protection to the minorities, and a good revising chamber

—Lord Acton

- 3 The necessity of a second chamber to exercise a controlling, modifying and regarding influence has acquired almost the position of an axiom

—Lecky Democracy & Liberty, Vol I, p 300

निम्न सदन द्वारा बनाये गये विधेयकों पर विवेकपूर्ण विचार करता है। लेकी ने ठीक ही कहा है 'नियंत्रण करने, संशोधन करने, रकावटें डालने आदि में जो कार्य द्विसदनीय व्यवस्था कर सकती है, उममें ही द्वितीय सदन स्वयं में सिद्ध है।' यह भी कहा जाता है कि एक राय की अपेक्षा दो रायें सश्रेष्ठ होती हैं। इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था भी श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। इससे द्विसदनीय व्यवस्था की उपादेयता स्वयं ही सिद्ध होती है।

(2) इस पद्धति में प्रत्येक सदन परस्पर एक-दूसरे की स्वच्छाचारिता पर प्रकुण रखता है। जे एस मिल ने लिखा है "दूसरे सदन का अभाव में एक सदन निरंकुश और स्वच्छाचारी हो जाता है। इस प्रकार अविभाजित नत्ता के दूषित प्रभाव को रोकने के लिए दूसरा सदन अति आवश्यक है। व्यवस्थापिका के सदस्य अत्याचारी, भ्रष्ट और स्वच्छाचारी न होने के लिए दो सदनो का होना नितान्त आवश्यक है।' स्टोरी का कथनानुसार व्यवस्थापिका के अत्याचारों से सुरक्षित होने का यही एकमात्र उपाय है कि कार्यों का विभाजन कर दिया जाय जिससे द्विसदनीय व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।"

(3) द्विसदनीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अनुकूल है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा अनिवार्य है। लोकतंत्र की पद्धति में निर्वाचन द्वारा व्यवस्थापिका का निर्माण होने के कारण उही योग्य का स्थान मिल पाता है जो शक्तिशाली दला से सम्बन्धित होते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था प्रतिनिधित्व की उत्तमता की दृष्टि से अच्छी समझी जाती है। इसके प्रतिरक्त अनुपसङ्गको का उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है। इनमें व्यवस्थापिका की वाय कुशलता और सक्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था में राष्ट्रीयता तथा स्थानीय स्वतंत्रता दोनों का सुदृढ़ समन्वय हो जाता है।

(4) व्यवस्थापिका में दो सदन होने में धर्म विभाजन की उचित होती है। उच्च सदन निम्न सदन के अनेको उत्तरदायित्वों को ध्यान ऊपर निभा सकता है। इस प्रकार निम्न सदन महत्वपूर्ण वायों में समय और शक्ति लगा सकता है। द्विसदनीय व्यवस्था में कायपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है। दोनों सदन एक-दूसरे सदन की निरंकुशता पर प्रकुण लगाते हैं इससे कायपालिका को पूरा स्वतंत्रता मिल जाती है।

सघात्मक शासन व्यवस्था के लिए द्विसदनीय प्रणाली अति उत्तम रहता है। इन आधारों पर द्विसदनीय व्यवस्था का समर्थन किया जाता है किन्तु धनक विचारकों की दृष्टि में द्विसदनीय व्यवस्था का बटु धातोचनाएँ भी की जाती है।

कार किया है। वास्तव में लोकतांत्रिक राज्य के लिए द्विसदनीय व्यवस्था ही उपयुक्त सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष (Conclusion)—प्राजकल प्रतिनिधिक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक विधानमण्डल नितांत अवश्य माना गया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि द्वितीय सदन अपना काम वफादारी से करे अर्थात् यदि वह लोकप्रिय सदन द्वारा पारित विधियों की परीक्षा करे और उन पर पुनर्विचार करे तो वह लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और आतुरता को बहुत कुछ सुधार सकता है। दूसरे सदन की आवश्यकता का आधार यह है कि सरकार के निणयो का बहुत अधिक लोगों पर दूर-दूर तक प्रभाव पड़ता है। अतः, उन निणयों के लिए बहुत-से योग्य व्यक्तियों की मंजूना चाहिए। इसलिए, यदि एक सदन की वजाएँ सरकार को मंजूना देने के लिए दो सदनों की व्यवस्था कर दी जाए तो और भी अच्छा है। इससे सरकारी विधियों को और अधिक मात्थता प्राप्त होगी। किन्तु द्वितीय सदनों का लाभ तभी है, जब वे स्वच्छन्द रूप में विचार कर और लोकप्रिय सदनों की हार्दिकता मिलाने वाले न हों। अतः, यदि उनके विचार लोकप्रिय सदनों के विचारों से भिन्न हों तो कोई हानि नहीं। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय सदन केवल पुनर्विचारक सदन है। वह दूर कर सकता है, किन्तु उसे हटाना नहीं करना चाहिए। उच्च सदन विरोध तो कर सकता है पर अडगाना नहीं डाल सकता। निणय करने की अन्तिम शक्ति तो लोकप्रिय सदन के हाथों में ही रहेगी।

उच्च सदन (Upper House)—यह सदन माना जाता है कि उच्च सदन निम्न सदन की जल्दबाजी के विरुद्ध रोक लगाता है। अब उसका यह उपयोगिता अभी मानत हैं। किन्तु उच्च सदन के गठन के प्रश्न पर गम्भीर मतभेद है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ दी जा रही हैं जिनके आधार पर उच्च सदनों के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कई राज्यों ने इन विधियों में से दो या तीन विधियाँ एक साथ अपना रखी हैं।

सबसे प्रथम वंशागत सिद्धांत (Hereditary Principle) है जिसके आधार पर इंग्लैण्ड की लाइ सभा का संगठन हुआ है। लाइ सभा के 90% से अधिक सदस्य वंशानुगत लाइ हैं। यह भी इतिहास की बात है। यह मानना गलत है कि किसी राजा ने कभी वंशानुगत लाइ लोगों की संस्था बनाई हो। किन्तु यह एक रिवाज सा बन गया था कि राजा जब कभी ससद आहूत करता था तो वह उन्हीं पीयरो या लाइों को बुलाता था जो पहले की ससद के सदस्य होते थे। यदि उन दिनों उनमें से कोई पीयर या लाइ मर जाता था तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया

जाता था। बोर्डे समय के गृह तथा अधिकांश यंत्रणें घोर साउथ समाज की सीट पितृ स पुत्र की प्राप्ति गईं।

साउथ समाज में नव स्थान नियुक्तियों के द्वारा भरे जाते हैं त्रिनमें यजमानुगत साउथ नहीं होते। मुख्य रूप से उनमें धर्मोपदेश (Lords Spiritual), जाइ प्राक प्रवीण, धर्मोपदेश घोर स्काटलैण्ड के प्रतिनिधि पीयर घोर ग्राहो घराने के लोग होते हैं। यजमानुगत सदन का विचार लोकतंत्रात्मक नहीं है। कोई भी सभ्य जाति जान बूझ कर दनागत सदन की स्थापना का दुस्साहस नहीं करेगा। यदि प्रपोज लोग कभी प्रपनी दासन ध्यवस्था का पुनर्गठन करेगा तब शायद सबसे पहल दनागत साउथ समाज को समाप्त करे।

दूसरा नाम-निर्देशन का सिद्धांत है। सदस्यों का कार्यपालिका या तो जीवन भर के लिए या तब निर्दिष्ट काल के लिए उनका पद पर नियत करती है। नाम निर्देशन की विधि का एक लाभ है। लोग निर्वाचन की विधि का परिणाम सदैव योग्यतम घोर सशु मनुष्यों का चुनाव नहीं होता। प्रायः प्रत्येक स्थान में एक प्रत्येक योग्य मनुष्य होते हैं, जो प्रपन प्राप उम्मादवार बनाने में सक्ताच करते हैं, क्योंकि वे निर्वाचन के दाय परों का सामना नहीं कर सकत। इसलिए, नाम-निर्देशन की विधि योग्य मनुष्यों को ध्यवस्थापकमण्डल का सदस्य होने के योग्य बनाती है। किंतु मनोनीत सदस्यों का संगठित भवन प्रतिनिधि सदन नहीं होता घोर इसी कारण, उसमें लोक सत्तन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रभाव होता है। इसके प्रतिरिक्त नाम निर्देशन का परिणाम सदैव निपुण एव योग्य मनुष्यों का चुनाव नहीं होता। कभी कभी सत्त रुद्ध दल की सवाएँ घोर भिफारिमें ही नाम निर्देशन का मुख्य मन उण्ड होती है। इस प्रकार नाम निर्देशन की शक्ति के दुस्प्रयोग की सम्भावना हा सकती है। नाम निर्देशित सदन का सर्वोत्तम उदाहरण कनाडा का सीनेट है। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार काय-पालिका प्रपन समयको द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है। जहाँ तक सीनेट की शक्तियाँ का सम्प्र घ है, वह केवल कर्तने भर का है।

उच्च सदन के निर्वाचन में दो विधियों को प्रपनाया जा सकता है—प्रत्यक्ष निर्वाचन घोर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचित विधि द्वारा निर्वाचित उच्च सदन सधीय राज्यों में प्रपना जा सकता है, अमेरिका घोर आस्ट्रेलिया के उच्च सदन प्रत्यक्ष नीति से निर्वाचित हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य हैं। 50 राज्यों में से प्रत्येक 2 सदस्य भेजता है। आस्ट्रेलिया की सीनेट में 36 सदस्य हैं, वहाँ के छहो राज्य सामान्य टिकट प्रणाली के आधार पर 6 6 सदस्य भेजत हैं।

प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित उच्च सदन में मुख्य कठिनाई यह है कि वह निम्न सदन का ही रूप धारण कर लेता है। इस तरह का प्रतिनिधित्व कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता और इससे सर्वधानिक गतिरोध तक हो सकता है।

भारत में राज्य सभा अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है। फ्रांस के चौथे गण-राज्य में वहा की बौंसिल प्राफ रिपब्लिक (Council of Republic) भी परोक्ष राति से निर्वाचित होती थी। अमेरिकी सीनेट या 1913 से पूर्व परोक्ष राति से निर्वाचित सदन था। लास्की का जो एक सदन-तक व्यवस्थापिका-सभा के समथक हैं मत है कि 'अष्टाचार को अधिकारिक प्रोत्साहित करने की सब विधियों में परोक्ष निर्वाचन सबसे खराब है।' वह और प्रागे कहते हैं, 'यदि इन प्रकार का सदन, अपने निर्वाचन के समय, तात्कालिक सरकार का विरोधी है, तो वह कार्य क्षमता के लिए विनाशकारी होता है और यदि वह अनु-कूल है, तो वह सम्भवतः निरर्थक होगा।'

जो भी हो, उच्च सदन के निर्माण की सतोपजनक विधि प्रस्तावित करना प्रासान नहीं है। बलश्लो ने कहा था कि किसी राज्य में कुलीनता-तक और जन-तांत्रिक अगो के भेद की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन अगो में से केवल एक का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना दूसरे के पति अयाय करना है। जान स्टुग्रट मिल ने राजनीतिक अनुभव और शिक्षण के सिद्धांत पर द्वितीय सदन निर्माण करने की तजवीज की थी। यदि एक जनता का सदन हो तो दूसरा नीतिज्ञा का सदन होना चाहिए, एक ऐसी परिपद होनी चाहिए जो सब ऐसे जीवित सावजनिक मनुष्यों द्वारा निर्मित हो, तो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों या नौकरियों पर रह चुके हों। मिल का यह भी कहना था इस प्रकार का सदन न केवल विचारों को नम्र करने वाली या अवरोधक सस्था होगी प्रत्युत शक्ति संचरण करने वाली भी होगी।'

एक अर्थ प्रस्तावित विधि नार्वे में प्रचलित है और ली-स्मिथ (Lees Smith) ने हाल ही में उसका समयन किया है। इन योजना के अनुसार, द्वितीय सदन एक ऐसी छोटी सस्था होगी, जो निम्न सदन द्वारा निर्वाचित होगी। इसका एकमात्र कृत्य स्थापित करना और सशोधन करना होगा। सम्भवतः सर्वोत्तम विधि सिजविक द्वारा प्रस्तावित की गई है। इनका आदेश नाम निर्देशन और अप्रत्यक्ष चुनाव का मिश्रण है। उनका कहना था कि अप्रत्यक्ष चुनाव उस सदन को किसी नोमा तक प्रतिनिधि रूप प्रदान करता है और नाम निर्देशन व्यवस्थापिका सभा में योग्य एवं अनुभवो लोगो को लाने का अवसर प्रदान करता है। भारत में राज्य सभा का संगठन इन दोनों शक्तों को पूरा करता है। भारत की राज्य सभा

(Council of States) में कुल 250 सदस्य हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से लिए जाते हैं और 12 सदस्य नाम निर्देशित किये जाते हैं। जिन लोगों को साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा का विशेष अनुभव होता है, उनमें से 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए नाम निर्देशित करता है।

निम्न सदन (Lower House)--ब्रिटीश द्वि सदनत्मक विधानमण्डल के दोनों सदनों को प्रथम उच्च सदन (Upper House) और निम्न सदन (Lower House) कहते हैं। किन्तु वास्तव में उनको ये नाम देना पसन्द है। जहाँ तक वैधानिक शक्तियाँ का सम्बन्ध है, तथाकथित उच्च सदन, निम्न सदन की अपेक्षा कमजोर है। इसके दृश्य गौण होते हैं और यह सदन निर्वाचित भी नहीं होता। केवल ऐतिहासिक कारणों से इस सदन का नाम उच्च सदन रखा दिया गया है। सभी लोकतन्त्रवादी देशों में निम्न सदन लोकप्रिय सदन है जिसके सदस्य सर्वसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। प्रायः सभी लोकतन्त्रीय देशों में कतिपय योग्यताओं सम्बन्धी शर्तों के अधीन व्यापक मताधिकार है।

निम्न सदन के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों से पाँच वर्षों तक का रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल केवल 2 वर्ष है। प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि निम्न सदन के सदस्यों का कार्यकाल छोटा हो। किन्तु कार्य कुशलता की दृष्टि से सभी यह मानते हैं कि उनका कार्यकाल बड़ा हो। सभी इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि विधानको का कार्यकाल न तो अधिक लम्बा हो, न अधिक छोटा। यदि कार्यकाल अधिक लम्बा होगा तो प्रतिनिधियों का निर्वाचक मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद हो जाएगा, यदि कार्यकाल बहुत ही छोटा होगा तो प्रतिनिधियों को न तो अनुभव होगा और न मन्त्री लोग किसी नीति का विकास कर सकेंगे। अधिकतर राज्य चार पाँच वर्षों का समय उचित समझ रहे हैं। लास्की का मत है— विधानमण्डल का कार्यकाल चार वर्षों से कम नहीं होना चाहिए और पाँच वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। डॉ फाइनर तो विधानमण्डल का कार्यकाल केवल चार वर्ष स्वीकार करते हैं।

दोनों सदनों में सद्भासिक भेद होना चाहिए (The two Chambers should differ in Principle)—जहाँ दोनों सदनों का समान सिद्धांतों के आधार पर गठन किया जाता है, वहाँ पर दो सदनों का रखना, न रखना बराबर सा है। यदि दोनों सदन समान हैं तो फिर द्वितीय सदन व्यर्थ है। लोबर के शब्दों में "यदि दोनों सदन एक ही निर्वाचकों द्वारा एक ही अवधि के लिए

निर्वाचन किए जाते हैं, तो वे दोना सदन मानों एक सदन की दो समितियाँ मात्र होंगे। कि तु हम चाहते हैं कि दोनो सदन अलग अलग वास्तविक शक्तियों से सम्पन्न हो। वे प्रतिनिधिक भी हो और शीघ्र कार्य करने वाले भी हो और निरंतरता लिए हुए भी हो। वे उन्नतिशील होने के साथ-साथ विचारशील और रुढ़िवादी भी हो, उनमें प्रायः बढ़ने का निर्भीक साहस हो कि तु वे पीढ़े भी देख, वे शीघ्रकारी और नवीनतावादी भी हो और विलम्बकारी भी हों, शोध में वे दोनो सब प्रकार की सम्यता के प्रतीक हो। इसलिए एक सदन बड़ा हो, दूसरा अपेक्षाकृत छोटा हो एक सदन निर्वाचित हो, दूसरा निर्वाचित और नाम निर्देशित हो और अपेक्षाकृत दीर्घजीवी हो।'

दोनो सदनों की शक्तियाँ (Powers of the Houses)—विधियों के निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम सिद्धांत यह है कि द्वि-मदनात्मक विधानमण्डल में दोनो सदनों की शक्तियाँ बराबर हो। कोई विधेयक किसी भी सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है, दोनो सदनों की समान वैधानिक प्रक्रिया है और दोनो सदनों की समान वैधानिक प्रक्रिया है, और दोनो सदनों की नमस्त प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कोई विधेयक पास हो सकता है। बिना दोनों सदनों की सम्मति के कोई विधेयक स्वीकृत नहीं हो सकता। कोई भी सदन विधेयक में संशोधन उपस्थित कर सकता है कि तु जब तक दूसरे सदन उसे पुनः स्वीकार न कर लेगा, तब तक वह विधि का रूप धारण नहीं कर सकता। वित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में दोनों सदनों को समान अधिकार है किन्तु दोनों की शक्तियाँ बराबर नहीं हैं। राज्य के वित्त पर निम्न सदन का पूर्ण प्राधिकार है, क्योंकि माना यह जाता है कि कराधान और प्रतिनिधित्व साथ साथ चलते हैं। कहा जाता है, सर्व-साधारण के प्रतिनिधि ही राज्य की आय के स्वामी हैं और वही धन भी अनुमति दे सकते हैं। इसलिए, वित्तीय विधेयक निम्न सदन में ही पुर स्थापित किए जा सकते हैं और वित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में निम्न सदन को ही पूर्ण शक्ति प्राप्त है। ब्रिटिश लाइ सभा में तो वित्तीय विधेयक पुर स्थापित हो सकता है, न वह सदन वित्तीय विधेयक में काट छाँट कर सकता है, न उस रद्द हो सकता है। 1875 के संविधान के अनुसार फ्रांस की सीनेट और राष्ट्रीय सभा (Chamber of Deputies) की शक्तियाँ समान थीं परन्तु अब यह था कि वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रीय सभा (Chamber of Deputies) में ही पुर स्थापित हो सकते थे। सीनेट का अधिकार था कि वह चाह तो वित्तीय विधेयक में संशोधन करे या उस प्रस्वीकृत करे। किन्तु, वस्तुतः सीनेट की स्थिति गौण थी। चतुर्थ

फ्रेंच गणराज्य के सविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रीय सभा (Nation al Assembly) में ही पुर स्थापित हो सकता था और उसके बाद वह विधेयक गणराज्य को परिषद् (Council of the Republic) के समक्ष उसकी सम्मति के लिए भेजा जाता था। किन्तु परिषद् का उत्तर ही समय में अपनी सम्मति देने की होती थी जितना समय कि राष्ट्रीय सभा विधेयक पर विचार करने में लिया था। इसलिए, परिषद् सामान्य विधेयको पर दो महीने का समय लगा सकती थी, पर वित्तीय विधेयको पर नहीं। भारत में वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा (House of the People) में ही पुर स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा (Council of States) के लिए यह आवश्यक है कि वह सम्बन्धित वित्तीय विधेयक पर 14 दिनों में अपनी सम्मति देवे। यदि राज्य सभा किसी वित्तीय विधेयक का 14 दिनों से अधिक रोकती है या यदि वह उक्त विधेयक को ऐसी शिफारिशों के सहित वापिस करती है जो लोक सभा को स्वीकार्य नहीं है, तो लोक सभा का सभा की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। इंग्लैंड में लार्ड सभा (House of Lords) किसी वित्तीय विधेयक को एक महीने तक रोक सकती है किन्तु अंतिम शक्ति कॉमन सभा के पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यद्यपि सीनेट (Senate) में कोई वित्तीय विधेयक पुर स्थापित नहीं हो सकता, किन्तु सीनेट चाहे तो वित्तीय विधेयक को संशोधित भी कर सकता है या उसे अस्वीकृत भी कर सकता है।

सिद्धांत, दोनों सदनों की शक्तियों में स्पष्ट अंतर रहने चाहिए। निम्न उच्च उच्च सदन जिस प्रकार निर्वाचित होगा और उसका गठन जिस प्रकार होगा, उसी प्रकार दोनों सदनों की शक्तियों में अंतर हो सकता है। यदि इंग्लैंड और कनाडा के समान उच्च सदन वंशानुगत (Hereditary), या नाम निर्देशित (Nominated) होगा तो ऐसे उच्च सदन की शक्तियाँ भी अत्यंत क्षीण होंगी। यदि भारत और अमेरिका की तरह उच्च सदन भी निर्वाचित होगा, तो उसकी शक्तियाँ वधानिकतः निम्न सदन के बराबर होंगी, किन्तु लोकतन्त्रीय भावनों ने निम्न सदन को अत्यन्त शक्तिशाली बना दिया है। यदि कभी दोनों सदनों में संघर्ष होगा तो तब निम्न सदन अधिक प्रतिनिधिक स्वरूप का सदन है इसलिए उसकी चलेगी। अमेरिकी सीनेट की बात ही दूसरी है, क्योंकि उसको सविधान के निर्माताओं ने ही अधिक शक्तिशाली बनाना निश्चित किया था। जहाँ वही भी दोनों सदनों के समान अधिकार होंगे वही दो सदनों का रखना न रखना बराबर हो जाएगा। एक ही शक्तियों का अर्थ है एक काम को दो दो बार करना और इस प्रकार के

विधानमंडल के सामे कुछ नहीं है। उच्च सदन समीचीनकारी निरूप है। उच्च सदन पुनर्विचारक सभ्या है उसे निराय करने का अधिकार नहीं है। घत, निम्न सदन क उतावलयन और प्रामुल परिवर्तनवाद के विरुद्ध उच्च सदन एक अक्षुभ है। उच्च सदन का वास्तविक उद्देश्य प्रेरक का काम करना है, किन्तु उसे इतनी कड़ी ब्रेक नहीं लगानी चाहिए कि दोनों सदनों क सम्बन्ध ही टूट जाए। यदि जनमत, उच्च सदन क दृष्टिकोण का समयन करता है, तो निम्न सदन स्वतः ही घरने दृष्टिकोण म सुधार कर लाता। प्रथम उच्च सदन को चाहिए कि वह निम्न सदन की इच्छा क प्राग नतमस्तक हो जाए। स ने म उच्च सदन का काम यह है कि वह निम्न सदन का विरोध तो कर किन्तु उस दृठ नहीं करना चाहिए।

चिरकाल स प्राय सभी देशों मे उच्च सदनों को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दे देने का प्रचलन है जो निम्न सदनों को नहीं दिये जात लगभग प्रत्येक देश म उच्च सदनों को चाय विभाग की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। ब्रिटन म लाड सभा प्रपोल का सबसे बडा न्यायालय है। प्रमारका म सीनेट महाभियोग के पायालय का कार्य करता है। 1875 के फ्रासीसी संविधान ने गणराज्य क प्रधान को अधिकार दिया था कि वह सीनेट का सहमति से राष्ट्रीय सभा (Chamber of Deputies) को भंग कर सकता है। प्रमेरिका मे सीनेट कतिपय क यपालिका दृश्य भी करता है। प्रमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई सब नियुक्तियों पर सीनेट का अनुमोदन प्रावश्यक ठहराया गया है। सब संधियों पर भी सीनेट की स्वीकृति की मुहर प्रावश्यक ह।

अधिकार एवं कर्तव्य (Rights & Duties)

7

न्याय के नियमों द्वारा रक्षित नियमों को अधिकार कहा जाता है। कोई भी हित जिसका भावर करना फर्तव्य हो एव जिसका अतिक्रमण उचित हो, अधिकार कहलाता है।
—सामण्ड

विधि का उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना करना है। न्याय की स्थापना का तात्पर्य यह होता है कि समाज में ऐसा सुरक्षापूर्ण वातावरण स्थापित किया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सक। यह उद्देश्य उसी समय पूरा हो सकता है जब राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग सभी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करे और उनका उल्लंघन करने वाला को दण्डित करे। सामण्ड के मतानुसार अधिकार विधान द्वारा माना जाने वाला तथा सुरक्षित किया जाने वाला हित (Interest) होता है। यदि व्यक्ति के समझ अपना कर्तव्य है, तो उसे अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। अतः दूसरे के हित का सम्मान करना कर्तव्य (Duty) है और उसका उल्लंघन करना अपकार (Wrong) कहा जाता है। अतः अधिकार की व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम विधि का अधिकार तथा कर्तव्य के साथ सम्बन्ध और अपकार (Wrong) के अर्थ को समझना आवश्यक है।

विधि का अधिकार तथा कर्तव्य से सम्बन्ध (Relation of Law to Right and Duties)—वास्तव में विधि का निर्माण राज्य अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए नहीं करता बल्कि अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके कर्तव्यों को लागू करने के लिए करता है। इसीलिए विधानों में अधिकारों का विवेचन किया जाता है और इस प्रकार उन अधिकारों की सुरक्षा के ही लिए नियम बनाये जाते हैं।

लाओ में नव विकास के साथ ही साथ अधिकारों के प्रति जागृति घाती जा रही है। अब यह मानव स्वभाव ही बन गया है कि वह अधिकारों के लिए लड़े। इहरिंग (Ihering) के अनुसार, "जीवन का यही मूल अर्थ होता है कि हम

प्रधिकारों के लिए व्यावहारिक रूप में लड़ाई लड़ते रहे।" जीवन के उस प्रमुख उद्देश्य को राज्य अपने विधाना द्वारा प्रायः स्थापना करके पूरा करता है। न्याय की स्थापना करने का तात्पर्य होता है कि प्रधिकारों का राज्य द्वारा संरक्षण किया जाय अर्थात् प्रधिकारों का उल्लंघन करने वाले को या अपने कर्तव्य को पूरा न करने वाले को दण्डित किया जाय। हालैण्ड लिखते हैं कि विधि का प्रथम उद्देश्य वधानिक प्रधिकारों की रचना तथा संरक्षण करना होता है। वधानिक नियम दो प्रकार के होते हैं। पहले तो प्रादेशात्मक होते हैं जो कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और दूसरे प्रधिकारात्मक होते हैं जो प्रधिकारों को स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार प्रधिकार तथा कर्तव्य विधि के तत्त्व होते हैं। विधि की इसी दृष्टि से यह परिभाषा की जा सकती है कि यह व्यवहार के संचालन के लिए राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले प्रधिकारों तथा कर्तव्यों की अभिव्यक्ति होती है। विधि किसी व्यवस्थित समाज में लोगों के अधिकारों का निर्माण संरक्षण तथा सतुलन करती है। विनोग्रेडाफ के अनुसार, 'वधानिक व्यवस्था का अर्थ सभी अधिकारों का सामंजस्य होता है।' इसी प्रकार सविनी के अनुसार "भाषा में व्यक्त तथा पूर्ण शक्ति से सुसज्जित सुस्पष्ट अधिकार को ही विधि कहते हैं।" 2 प्राधिकार कर्तव्य तथा विधि वास्तव में एक ही समन्विताद्बु त्रिभुज की तीन भुजाएँ होती हैं। किसी भी एक का उल्लंघन दूसरे के उल्लंघन का कारण हो जाता है।

अपकार (Wrongs) - अधिकार के साथ ही अपकार (Wrong) तथा कर्तव्य (Duty) पूर्णतया सम्बद्ध हैं। अतएव उनके विवेचन के बिना अधिकार का विवेचन अधूरा रहेगा। उनके अर्थ समझने के पश्चात् अधिकार का अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

सामण्ड के विचार से "अपकार एक गलत काम होता है जो कि प्रोचित्य तथा न्याय के नियमों के विपरीत होता है।" 3 अपकार के दो भेद होते हैं —

(1) वैधानिक अपकार (Legal Wrong) — यह अपकार वधानिक रूप से ही गलत होता है क्योंकि यह वैधानिक न्याय के विरुद्ध होता है साथ ही यह

- 1 Legal order in a sense the aggregate of all the rights co ordinated by it —Vissogradoff
- 2 Positive right embodied in language and invested and with absolute power is called the law —Savigny
- 3 A wrong is simply a wrong act—an act contrary to the rule of right and justice —Salmond

विधि का उल्लंघन भी करना है। यह विधि के द्वारा ही अपकार प्रमाणित किया जाता है और वाय प्रमासने की दृष्टि से अपकार कहलाता है। विधि द्वारा निर्धारित समय में दण्ड का नुपतान करना इसी प्रकार का अपकार है।

(2) नैतिक अपकार (Moral Wrong)—यह अपकार प्राकृतिक वाय के नियमों के विरुद्ध होने के कारण नैतिक या प्राकृतिक अपकार कहलाता है। अपने माता पिता की आज्ञा न मानना हम प्रकार का अपकार है।

वैधानिक अपकार के लिये यह आवश्यक नहीं कि यह नैतिक अपकार भी हो। ठीक इसी प्रकार नैतिक अपकार के लिये भी यह आवश्यक नहीं कि यह वैधानिक अपकार भी हो। दोनों में यह भेद कुछ तो स्वच्छिन्नरूप से दिया गया है और कुछ अपूर्ण ऐतिहासिक विभाग के कारण। वैधानिक अपकार के लिये यह आवश्यक नहीं कि राज्य की शक्ति भी उसका साथ सम्बद्ध रहे। केवल विधि द्वारा प्राप्त होने वाली मायता ही इसके लिये पर्याप्त है।

वैधानिक अधिकार (Legal Rights)—वैधानिक अधिकार का अर्थ भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से लगाया है। एहरेण्ट (Ahrens) इसे एक माँग या बहाना बताते हैं। लैपिंग (Leiping) तथा सविनी (Savigny) इसे शक्ति कहते हैं। हालड के विचार से यह एक दायता होती है। कान्ट (Kant) के विचार से यह एक विशेषाधिकार है। इहरिंग के अनुसार यह विधि द्वारा सरक्षित हित है, और पॉस्टिन के विचार से एक गुण। अधिकार शब्द का बड़ा ही व्यापक है और इसके अंतर्गत नैतिक या प्राकृतिक अधिकार सभी आ जाते हैं। परन्तु विधिशास्त्र में केवल वैधानिक अधिकारों का ही विवेचन किया जाता है।

वैधानिक अधिकार प्राकृतिक या नैतिक अधिकारों से प्रमुखरूप से इस आधार पर भिन्न होते हैं कि वैधानिक अधिकारों को राज्य द्वारा सरक्षण प्राप्त होता है। इसका उल्लंघन वैधानिक अपकार होता है और राज्य अपकार करने वाले व्यक्ति को दण्डित करता है। प्राकृतिक या नैतिक अधिकार समाज की प्राकृतिक वाय का अर्थना पर आधारित होते हैं। इनका सरक्षण किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं किया जाता। इनका प्रतिश्रमण प्राकृतिक अपकार कहलाता है और इस प्रकार का अपकार करने वाले को दण्डित नहीं किया जा सकता। वैधानिक अधिकार वास्तव में लोगों के बाह्य सम्बन्धि होते हैं और प्राकृतिक अधिकार लोगों की आंतरिक भावनाओं से सम्बन्धित होते हैं। इसी प्रकार वैधानिक अधिकारों का

उत्पन्न करने पर राज्य दण्डित करता है जबकि प्राकृतिक अधिकारों का उत्पन्न करने से केवल सामाजिक भत्तना ही होती है।

य प्रामाणिक अधिकारों को तक या सखे बड़ा प्रानु तथा सरकारो का सबसे अधिक मयानक विध्वंसक मानत हैं। परन्तु हरमट स्पेसर वे म के इस मन को उचित नहीं मानते।

हिबट अधिकार को परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यह एक व्यक्ति की अपनी शक्ति नहीं यन् प्र व्यक्ति की शक्ति स लागू की जान वाली इच्छा है जिससे यह दूसरे व्यक्तिया को कुछ काय करने के लिए विवश कर सकता है। यदि इस प्रकार का प्र य व्यक्ति इसवर है तो यह देवी अधिकार होगा, यदि प्र य व्यक्ति सामान्य जनता है अनिमत से काम करती है तो यह नतिक अधिकार होगा, यदि प्र य व्यक्ति राज्य है तो यह वधानि अधिकार होगा।

दावा, स्वतन्त्रता शक्ति तथा उमुक्ति
(Claim, Liberty, Power & Immunity)

अधिकार एक ऐसा शब्द है जिसको कइ प्र य मिलत जुलते भावो को व्यक्त करने क उद्देश्य से भी प्रयुक्त किया है। उदाहरणाय दावा भी एक प्रकार का अधिकार ही है स्वतन्त्रता (Liberty) भी एक प्रकार का अधिकार है। किसी अधिकारी को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती है तो हम उनके लिय भी अधिकार शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। इन सबो के अतिरिक्त उ मुक्ति (Immunity) को भी अधिकार के घणों मे प्रयोग किया जाता है।

जहाँ तक दावा (Claim) तथा कर्तव्य का रिस्ता है व ऐसे हैं कि एक चीज दूसरे के बिना नहीं रह सकती।
Claim and Duty are correlatives and in the sense that one cannot exist without the other'

अब हम स्वतन्त्रता (Liberty) शब्द को लेते हैं—स्वतन्त्रता (Liberty) हमारा अधिकार अवश्य है पर अनिवायत दूसरे पर कोई सम्बाधत कर्तव्य पारोपित नहीं करता है।

Liberty represents what I can do 'or my self, free of the possibility of legal interference by others I have liberty to breath to walk in my own fields to play golf on my private links Here no precise relationship to others is in question, save that the law will probet my liberty if others interfere with its exercise But it is

more accurate to say that a liberty to play than that I have a claim, for I may exercise my liberty without affecting others, whereas my Claim can be enforced only by coercing another to act or for bear'

अब हम "शक्ति" (Power) पर विचार करेंगे। शक्ति (Power) का अभिप्राय सक्षमता से होता है।

A power is an ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing or not doing a given act'

इसी प्रकार उन्मुक्ति (Immunity) शब्द भी अधिकार (Right) से भिन्न है

"An immunity is a freedom on the part of one person against having a given legal relation altered by a given act or omission on the part of another person. A judge immune from having to pay damages for defamation because of anything he has said in the course of a trial

वैधानिक अधिकार की परिभाषा (Definition of Legal Right)

वैधानिक अधिकार के स्पष्टीकरण के हेतु कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करना आवश्यक है

(1) ऑस्टिन (Austin) ग्राम्टिन के विचार से अधिकार एक क्षमता है जो किसी विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित रहती है और अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह उस क्षमता के लिए कृतव्यक्त करते हैं। ऑस्टिन लिखते हैं कि "एक व्यक्ति उस समय अधिकार रखता है जब दूसरा या व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए विधि के द्वारा कुछ काम करने या कुछ काम करने के लिए बाध्य होते हैं।" यह परिभाषा ऑस्टिन की प्रसुप्ता तथा विधि की परिभाषा से सम्बद्ध है। इसी दृष्टि में ऑस्टिन कृतव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यह एक उत्तरदायित्व है जो आदेश का पालन न करने पर इसके साथ सम्बद्ध

1 A person has a right when another or others are bound or obliged by law to do or forbear towards or in regard of him

—Austin

प्रनुक्ति के कारण दण्ड का नागोदार बनता है। प्रास्टिन के विचार से जित व्याक्त के पक्ष में प्रादेश लागू किया जाता है वह व्यक्त ही अधिकार रखता है।

मिल महोरय प्रास्टिन की परिभाषा को आलोचना करते हुए लिखते हैं कि प्रास्टिन के विचार से अधिकार एक क्षमता है अर्थात् यह विधि द्वारा एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए दी गई शक्ति या सत्ता है। इस दृष्टि में जेलर (Jailor) अपराधी को फाँसी देने के लिए विधि के द्वारा बाध्य है। ठीक इसी प्रकार कहा जा सकता है कि वकील को यह अधिकार है कि उसे फाँसी भी जाय। परंतु यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि वकील को यह अधिकार है कि उसे फाँसी भी जाय। मिन के विचार से इन प्रकार का दोष हटाने के लिए यह आवश्यक है कि परिभाषा में इस प्रकार का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को होना नाल लाभ या हित को भी सम्मिलित कर लिया जाय। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो मिल की आलोचना पूर्णतया निराधार है। जेलर जो विधि के अन्तर्गत वही को फाँसी देने के लिए बाध्य है अपराधी के प्रति कृतव्य नहीं करता, वरन् वह उस व्यक्ति के प्रति कृतव्य करता है जिसके प्रादेश के कारण वह फाँसी दे रहा है। अतएव अपराधी में तदनुकूल अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मिन न वास्तव में प्रास्टिन के विचार को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं है। फिर भी मिल का कहना है कि अधिकार के साथ हित की भावना सम्बद्ध रहे उचित ही है।

(2) हाल्लंड (Holland)—हाल्लंड का अनुसार वैधानिक अधिकार "एक क्षमता है जो किसी व्यक्ति में राज्य की सहमति तथा सहयोग में दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को नियंत्रित करने में निहित होती है।" हाल्लंड प्रागे कहते हैं कि वैधानिक अधिकार को शक्ति से वैधानिकता प्राप्त होती है। यह शक्ति राज्य तत्त्व करता है। हाल्लंड अपनी परिभाषा को शक्ति तथा नैतिक अधिकार से पृथक् बताते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति या अनुनय (Persuasion) के द्वारा चाहे अपने कार्यों से या चाहे दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने से अपनी इच्छा को लागू कर सकता है तो कहा जायगा कि उसे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

Legal right is a capacity residing in one man of controlling with the assent and assistance of the state the action of others

इसी प्रकार यदि वह शक्ति से पृथक् सामाजिक परिमति को अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए पक्ष में प्रोत्साहन इच्छा की पूर्ति में माने वाली बाधाओं के अन्तर्गत न बनता है तो कहा जायगा कि उसे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए

अधिकार' प्राप्त है। पर तु शक्ति तथा नैतिक अधिकार से पृथक् यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए राज्य की ओर से सरक्षण प्राप्त है, साथ ही राज्य उस इच्छा को पूर्ण के लिए अन्य व्यक्तियों को काय करन या कुछ कार्यों को न करने के लिए बाध्य करता तू तो कहा जायगा कि उस वैधानिक अधिकार' प्राप्त है।

इस परिभाषा से ज्ञात होता है कि हालोड ने प्रॉस्टिन की ही परिभाषा को माना है। इ होम् क्षमता के लिए प्रॉस्टिन व 'faculty' शब्द क स्थान पर 'capacity' शब्द रखा है। हालोड की परिभाषा में दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है। पहली तो यह कि वैधानिक अधिकार अधिकारवान् व्यक्ति में निहित क्षमता या शक्ति होती है। दूसरी यह कि यह क्षमता या शक्ति अधिकारवान् व्यक्ति को राज्य द्वारा दी जाती है। अतएव वैधानिक अधिकार की रचना के लिए यह आवश्यक है कि इससे पीछे राज्य की शक्ति सलग्न हो।

ग्रे (Gray)—ग्रे भी हालोड की ही भाँति शक्ति या क्षमता पर जोर देते हैं। यह वैधानिक अधिकार की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि यह 'वह शक्ति है जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी काय या कार्यों को करने या न करने के लिए उन सोमा तक बाध्य कर सकता है जहाँ तक कि समाज से उसे यह शक्ति या शक्ति या व्यक्तियों पर वैधानिक कतब्य लागू करते हुए प्राप्त होती है।'¹ ग्रे भी कहते हैं कि अधिकार स्वयं एक हित नहीं यह एक साधन है जिससे हित (Interest) का उपयोग किया जाता है। अतएव वह शक्ति जिसके प्राधर पर एक व्यक्ति किसी विषय पर अपनी इच्छा को पूर्ण के लिए यायालय की मदद ले सकता है वैधानिक अधिकार होता है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति दूसरे का कुछ ऋण देता है तो ऋणदाता का हित (Interest) है कि वह ऋण लेने वाले से अपने धन को वापस प्राप्त करे। यहाँ पर वैधानिक अधिकार यही नहीं कि वह अपना धन वापस प्राप्त कर वरन् उनकी विधान द्वारा दी गई शक्ति, क्षमता थी, सत्ता। वैधानिक अधिकार है जिससे वह अपना धन वसूल कर सकता है। ऋण लेने वाले से धन वापस पाना हित है जो विधि द्वारा सरक्षित

1 Legal right is 'that power which a man has to make a person or persons do or refrain from doing a certain act or certain acts so far as the power arises from society imposing a legal duty upto a person'

है। परंतु यह हित ही वैधानिक अधिकार नहीं। यह केवल वैधानिक अधिकार का उद्देश्य है। वैधानिक अधिकार तो केवल क्षमता या शक्ति है।

सामण्ड (Salmond)—सामण्ड के विचार से 'अधिकार एक हित है जो कि अधिकार के विधेय द्वारा माना जाता है और सुरक्षित होता है। हित का तात्पर्य उन सभी प्रकार के हितों से है जिनका सम्मान करना कर्तव्य कहलाता है और तिरस्कार करना अपकार कहलाता है।'¹ इस परिभाषा में 'अधिकार के नियमों' से तात्पर्य विधि के नियम से है। किन्तु हित को अधिकार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसको केवल वैधानिक सुरक्षण ही न प्राप्त हो वरन् वैधानिक मायता भी मिली हो। यह कहा जा सकता है कि जानवरों के हित को विधि द्वारा सुरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं कर सकता परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि जानवरों को वैधानिक अधिकार प्राप्त है ऐसे विषयों में विधि जिस अधिकार या हित का सुरक्षण या मायता प्रदान करती है वह समस्त समान का अधिकार या हित होता है, क्योंकि समाज जानवरों के साथ कठोरता का व्यवहार करना उचित नहीं समझता। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ कठोरता का व्यवहार करता है तो वह उस बच्चे के अधिकार के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी कुत्ते के साथ कठोरता का व्यवहार करता है तो वह कुत्ते को प्राप्त किसी अधिकार के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करता वरन् वह किसी समाज या राज्य के प्रति होने वाले अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है। उसने इस कर्तव्य के साथ ही समाज या राज्य में अधिकार निहित होता है।

सामण्ड का यह कहना कि अधिकार को वैधानिक मायता भी प्राप्त होने चाहिए पूर्णतया निरवयव है, क्योंकि वैधानिक सुरक्षण से वैधानिक मायता भी सम्मिलित होती है। विधि किसी भी वस्तु को सुरक्षण नहीं प्रदान करती जब तक कि वह उस वस्तु को मायता नहीं प्रदान करती।

(4) इहरिंग (Ihering)—सामण्ड की तरह इहरिंग भी कहते हैं कि 'अधिकार वैधानिक रूप से सुरक्षित हित होते हैं।'² इसके विचार में विधि किसी

- 1 A right is an interest recognised and protected by a rule of right. It is any interest respect for which is a Duty, and its disregard for which is a wrong. —E
- 2 'Right are legally protected interests.'

उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन होती है। विधि का उद्देश्य मानव हित का संरक्षण करना होता है। परंतु विधि सभी हितों की रक्षा नहीं करती, वरन् यह केवल कुछ हितों का संरक्षण करती है। जिन हितों का यह संरक्षण करती है वे वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। अतएव कोई व्यक्ति उद्योगी समय वैधानिक अधिकार रख सकता है जबकि उसमें कोई ऐसा लाभ विद्यमान हो जो राज्य द्वारा संरक्षित होता है। इहरिग सामण्ड के वैधानिक मायता के सिद्धांत को नहीं मानते। वह वैधानिक संरक्षण ही पर्याप्त समझते हैं।

(5) होम्स (Holmes)—होम्स के अनुसार 'वैधानिक अधिकार केवल-मात्र कुछ प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने तथा कुछ शर्तों पर सार्वजनिक शक्ति की मद से संरक्षण, पुनरावतन या हरजाना प्राप्त करने की आशा होता है।'¹ होम्स के अनुसार अधिकार एक शक्ति है। वैधानिक अधिकार व्यवहार पर लागू होने वाली वैधानिक सीमाओं को हटाने या लागू करने की शक्ति होती है।

(6) विनोग्रेडाफ (Vinogradoff)—इनके अनुसार "विधि के द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक विशिष्ट इच्छा से सम्बन्धित कार्यों के क्रम को वैधानिक अधिकार कहते हैं।'² प्रत्येक व्यक्ति विधि के नियमों के अंतर्गत कार्यों की प्रसीमित स्वतंत्रता को छोड़ देता है परंतु इसके साथ ही अधिकार द्वारा उत्तम कार्य की, प्रसार एवं दिशा की दृष्टि से सीमित स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अतएव अधिकार वस्तुओं तथा व्यक्तियों के विषय में एक दृढ़ शक्ति का उपयोग होता है।

वैधानिक अधिकार सम्बन्धी सिद्धांत (Theories about Legal Rights)

उपरोक्त सारी परिभाषाओं का विवेचन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैधानिक अधिकार के विषय में प्रमुख रूप से पाँच सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं—

1 Legal Right is 'nothing but a permission to exercise certain natural powers and upon certain condition to obtain protection, restitution or compensation by the aid of public force

—Holmes

2 'It (legal right) is the range of action assigned to a particular will within the social order established by law —Vinogradoff

- (1) अधिकार राज्य द्वारा सरक्षित होता है ।
- (2) अधिकार मनुष्य की इच्छा के प्राथमिक गुण पर आधारित होता है ।
- (3) अधिकार एक हित है ।
- (4) दुम्बी का अधिकारहीनता का सिद्धांत ।
- (5) समस्तवाद का सिद्धांत ।

उपयुक्त सिद्धांतों में प्रथम तीन सिद्धांत ही अधिकार सम्बन्धी प्रमुख सिद्धांत हैं । अन्तिम दो सिद्धांत तो अधिकार के अस्तित्व को नहीं मन्ते । पव हम इन सभी सिद्धांतों का क्रमानुसार विवचन करेंगे ।

(1) राज्य के संरक्षण का सिद्धांत (Theory of State Protection)—इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का कहना है कि अधिकार को वैधानिक व्यवस्था द्वारा महत्व मिलने के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य की वैधानिक व्यवस्था द्वारा मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त करे । इन लोगों का कहना है कि राज्य के संरक्षण का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के अधिकार का अतिक्रमण करता है तो राज्य उसके अधिकार की रक्षा करेगा । पटन (Paton) के अनुसार वैधानिक व्यवस्था द्वारा उसे किया जाय । अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वैधानिक व्यवस्था द्वारा उसे किया जाय ।

(क) पहली यह विधि यदा अधिकार को लागू नहीं करती वरन् कभी कभी प्रताड़ित व्यक्ति (Injured party) को केवल हर्जाना ही दिलाती है ।

(ख) दूसरा यह कि कुछ अधिकार प्रयुक्त होते हैं । विधि इनको केवल मान्यता ही प्रदान करती है लागू नहीं करती । जैसे निर्धारित समय में मुगलान न किये जाने वाले ऋण को प्राप्त करने के अधिकार को विधि केवल मान्यता ही प्रदान करती है । यह अधिकार विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता । विधि द्वारा प्रदत्त मान्यता ऐसे अधिकारों में इस प्रकार व्यक्त होती है कि यदि ऋणदाता ऋण मुगलान भी भ्रष्टाचार के पश्चात् भी ऋण लेन वाले से बिना नये प्रतिफल (Consideration) नया सविदा लिखा लेता है तो न्यायालय उस सविदा को मान्यता प्रदान करेगा ।

(ग) तीसरा यह कि न्यायालय अधिकार को लागू करने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं रखते । जब अन्तर्राष्ट्रीय विधि व अन्तर्गत न्यायालय को प्रयुक्त न्याय को लागू करने का अधिकार नहीं ।

अतएव पटन के अनुसार वैधानिक अधिकार के लिए आवश्यक है कि वह राज्य द्वारा मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त करे ।

(2) मानव इच्छा का सिद्धांत (Theory of Human will)—

इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का कहना है कि अधिकार मनुष्य की इच्छा का एक प्राकृतिक गुण है। यायायोस होम्स के अनुसार वैधानिक अधिकार कुछ प्राकृतिक शक्तियों को लागू करने की प्राप्ति प्राप्त करना तथा राज्य की शक्ति से कुछ बातों पर संरक्षण, प्रत्यपण (Restitution), यह हरजाना प्राप्त करना है। यह परिभाषा मनुष्य की इच्छा पर ही जोर देती है। परंतु इसमें अभाव यह है कि यह प्रत्येक अधिकार को पृथक् इच्छा से सम्बद्ध करती है। वास्तव में कुछ अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक शक्तियों के संरक्षण से ही सम्बन्धित नहीं होते वरन् दूसरी शक्ति से भी सम्बन्धित होते हैं जो विधि की शक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों को कुछ कार्य करने के लिये विवश करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने घर में भगडा करता है तो विधि बाह्य हस्तक्षेप से उन व्यक्ति की रक्षा करेगी। परन्तु हम अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात् लागू को देने के लिए वसीयत लिखने की जो शक्ति प्राप्त होती है वह शक्ति हमारी प्राकृतिक शक्ति या हमारे प्राकृतिक कार्य की रक्षा नहीं करती, वरन् यह एक प्रदत्त शक्ति होती है जिसकी मदद से हम अपनी सम्पत्ति का अपनी मृत्यु के पश्चात् विभाजन करा सकते हैं।

हलड भी अपनी परिभाषा में इसी सिद्धांत को पकत करते हैं। वह कहते हैं कि वैधानिक अधिकार किसी व्यक्ति में वास करने वाली क्षमता है जिसे वह व्यक्ति राज्य की मदद से दूसरे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है।

पुखरा का भी यही कहना है कि वैधानिक अधिकार किसी ऐसी चीज पर प्राप्त एक शक्ति है जो उस अधिकार के माध्यम से उस अधिकार को धारण करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अधीन की जा सकती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विधि व्यक्तियों को वैधानिक रूप से एक शक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा वे समाज में पारस्परिक विरोधी कामनाओं में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं।

(3) संरक्षित हित का सिद्धांत (Theory of Protected Interest)—इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रमुख रूप से इहॉरिंग हैं। उनका कहना है कि अधिकार वैधानिक रूप से संरक्षित हित होता है। यह इच्छा के औपचारिक तत्त्व का अपेक्षाकृत 'हित' के भौतिक तत्त्व पर अधिक जोर देते हैं और कहते हैं कि विधि का उद्देश्य इसी हित की रक्षा करना है। सामण्ट का भी यही कहना है कि अधिकार नियमों द्वारा माध्यम से संरक्षित हित है। बकलंड (Buckland) भी इसी

सिद्धान्त के प्रतिपादक रहे हैं। उनका विचार है कि अधिकार "विधि द्वारा सुरक्षित हित या प्रत्याशा होता है।"❧

इंग्लिश मानव इच्छा के सिद्धान्त की प्रालोचना करते हुए कहते हैं कि विधि का उद्देश्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं का संरक्षण करना नहीं वरन् कुछ हितों का ही संरक्षण करना है। ये हित राज्य द्वारा निमित्त नहीं किये जाते, वरन् मनुष्य के स्वभाव में निहित रहते हैं। ये वास्तव में समुदाय के जीवन में व्याप्त रहते हैं और राज्य इनमें से केवल उन्हीं हितों को चुन लेता है जिनको यह संरक्षित चाहता है।

हित-सिद्धान्त को उद्देश्य का सिद्धान्त (Purpose Theory) भी कहा जाता है। जब हम वैधानिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन अधिकारों से होता है जिनकी माप पूर्ण सत्य नहीं होती वरन् उद्देश्य से सम्बंधित रहती है और केवल यही उद्देश्य ऐसा होता है जिसे राज्य अनुमति या सत्ता से विभूषित करता है और इसको लागू करने के लिए राज्य अपना शक्ति का उपयोग करता है जो कि वैधानिक अधिकारों की नींव होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक राज्य के व्यक्तियों के वैधानिक अधिकार दूसरे राज्य के व्यक्तियों के वैधानिक अधिकारों से भिन्न होंगे क्योंकि यह उद्देश्य प्रत्येक राज्य में जनता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है।

उपर्युक्त सिद्धान्तों का सम्मिश्रण—उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों में पहला और तीसरा सिद्धान्त तो लगभग एक ही है। पहले में राज्य का संरक्षण पर जोर दिया गया है और तीसरे में राज्य द्वारा सुरक्षित हित पर। परन्तु ये दोनों एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैं। वास्तव में उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों में दो ही हैं। एक तो पहला और तीसरा मिलाकर और दूसरा केवल दूसरा ही। इन दोनों सिद्धान्तों का एलेन ने सम्मिश्रण कर दिया है। उनका कहना है कि वैधानिक अधिकार का तत्त्व वैधानिक रूप से सुरक्षित शक्ति ही नहीं, और न वैधानिक रूप में सुरक्षित हित ही है वरन् वह हित को प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से सुरक्षित शक्ति है। इसी प्रकार जलिनिक (Jallinek) का कहना है कि अधिकार व्यक्ति की ऐसी इच्छा शक्ति है जो वैधानिक व्यवस्था द्वारा सुरक्षित एवं माय उपयोगिता या हित के लिए लागू की

* 'Legal right is an interest or an expectation guaranteed by Law'

जाती है। मानव इच्छा वास्तव में शून्य में काम नहीं करती बरन् इसके लिए किसी उद्देश्य की प्राप्ति आवश्यक है, और हित भी मानव-इच्छा का उद्देश्य होते हैं।

(4) अधिकार हीनता का सिद्धांत (Absence of Right theory) दुग्गी ने विधि शास्त्र के सभी तत्वों को अपने प्रनोवे ढंग में परिभाषित किया है। अधिकार के विषय में वह कहते हैं कि अधिकार होते ही नहीं, केवल कर्तव्य-कृत्य ही करन पड़ते हैं। दुग्गी का कहना है कि मानव-इच्छा वह स्रोत नहीं जिससे विधि का निम्नगण होता है बरन् विधि का स्रोत सामाजिक प्रयोग धारिता (Social Solidarity) है। इसका कहना है कि मानव इच्छा का मिर्जात प्रामाजिक है क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य मनुष्य में सघष है। वास्तव में सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रयोग धारिता अनुसार कृतव्य ही करने पड़ते हैं अधिकारों का उपभोग नहीं। अतएव समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल कृतव्यो की रचना करना है, अधिकारों की नहीं।

दुग्गी का कहना है कि अधिकार का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति की इच्छा समाज में वार्जानिक सीमाओं के अंतर्गत प्रयोग्य या व्यक्ति की इच्छा पर अपना उद्देश्य लागू करती है। इसका अर्थ यह है कि समाज में प्रामने सामने दो इच्छाओं खड़ी हैं और एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे की इच्छा की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति है। इस प्रकार की काल्पनिक व्यवस्था (Metaphysical System) का विचार वास्तविकतावादी युग में पूर्णतया असम्भव है। प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में केवल अपने कृत्य ही करता है, उस अधिकारों की योजना करने का अधिकार नहीं। दुग्गी महीदय के विचार से अधिकार शब्द को ही विधि शब्दकोश में निकाल दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह अनतिक अराजक तथा प्रामाजिक है।

दुग्गी के इस सिद्धांत की बड़ी प्रालोचना की गई है। एडवर्ड जेन्स (Edward Jenks) का कहना है कि राज्य का यह प्रमुख काय है कि वह अपने शक्ति के प्रयोग से कृतव्यो को पूरा कराये। परंतु कृतव्यो का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई अन्य व्यक्ति उस कृतव्यो से सम्बंधित अनुमति (Sanction) का राज्य के माध्यम से उस व्यक्ति पर ऊपर लागू करता है, अर्थात् दण्डित करता है। तो दण्डित व्यक्ति में कृतव्यो पालन निहित होता है और दण्डित करने वाले व्यक्ति में कृतव्यो पालन कराने की शक्ति। इस शक्ति को ही 'याय-शक्ति' वार्जानिक अधिकार कहते हैं। अतएव दुग्गी का कथन प्राम विरोधी है। उनका मत है कि वे कथन को बड़े ही राक्षक शब्दों में उचित बताया है। उनके

अनुसार दुग्वी का विचार "वास्तविक नहीं वरन् शाब्दिक" है यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सामाजिक अथवा याध्रितता के विकास के लिए भरसक प्रयत्न करे।

(5) **सनस्तवाद का सिद्धांत (Totalitarian Theory)**—इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का कहना है कि व्यक्ति का कर्तव्य राज्य के हित के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। व्यक्ति का राज्य के सम्मुख कोई अस्तित्व नहीं। राज्य की इच्छा के सामने व्यक्ति की इच्छा का कोई भी महत्व नहीं। व्यक्ति केवल मात्र एक मूदमता है और राज्य वास्तविकता। वास्तविक के लिए सूक्ष्म का योद्धा बर हो जाना ही श्रेयस्कर है। अतएव सारी शक्ति राज्य में ही निहित होती है, व्यक्ति में नहीं। व्यक्ति को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता।

वैधानिक अधिकार के तत्व (Elements of Legal Right)

एक वैधानिक अधिकार में सामण्ड के विचार से निम्नलिखित पांच तत्व या लक्षण होते हैं—

(1) **अधिकार का धारणकर्ता (Subject of a legal right or person of inherence)**—यह वह वैधानिक व्यक्ति (Legal person) होता है जिसमें अधिकार निहित होता है अर्थात् जिस अधिकार का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति निश्चित ही नहीं अनिश्चित भी हो सकता है। सनस्त समाज या भविष्य में पदा होन वाला बच्चा भी अधिकार धारणकर्ता हो सकता है। इसके लिये केवल यह आवश्यक है कि अधिकार धारणकर्ता वैधानिक व्यक्ति हो अर्थात् ऐसा व्यक्ति हो जिस विधि मान्यता प्रदान करती हो।

(2) **अधिकार के प्रति कर्तव्य करने वाला व्यक्ति (Person of incidence)**—यह वह व्यक्ति होता है जिस अधिकार के प्रति या तो कुछ कार्य करने पड़ते हैं या कुछ कार्यों को न करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। अधिकार का भार वास्तव में इसे वहन करना पड़ता है।

(3) **अधिकार का परिणाम (Content of right)**—जब किसी एक व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है तो अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को इस अधिकार के लिए या तो कुछ कार्य करने पड़ते हैं या कुछ कार्यों का करने से अपने को रोकना पड़ता है। इस प्रकार के कार्य या कार्य निषेध अधिकार का परिणाम कहलाते हैं।

(4) अधिकार का विषय (Subject or object of right)— यह वह वस्तु या विषय होता है जिसके लिये अधिकार-धारणकर्ता को अधिकार दिया जाता है। अधिकार का विषय निश्चित दोनो हो सकता है। जस किसी की ह्याति भी उपरु अधिकार का विषय हो सकता है।

(5) स्वत्व (Title)—प्रत्येक अधिकार के लिये स्वत्व प्रावश्यक है। स्वत्व से तात्पर्य उन तथ्यो एव घटनाओ से है जिनके कारण इनके स्वामी में अधिकार प्राप्त करता है।

उपयुक्त पांचो तत्वो को एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे मान लें कि मोहन सोहन से कुछ जमीन खरीदता है। यहाँ मोहन प्राधिकार धारणकर्ता है और सारे लोग जो मोहन के इस अधिकार से बा-य हैं, अधिकार के प्रति कत-व करी वाले व्यक्ति है। मोहन के अधिकार में हस्तक्षेप न करने की क्रिया अधिकार का परिणाम है और खरीदी जाने वाली जमीन अधिकार का विषय है। अधिकार का स्वत्व भूमि का हस्तांतर है जिसके द्वारा मोहन ने सोहन से भूमि प्राप्त की है।

हालण्ड उपयुक्त तत्वो में से केवल चार को ही ध्यनत करते हैं, स्वत्व को नहीं। कोटन भी चार ही तत्वो को मानते है। सामण्ड ही केवल स्वत्व को प्राधिकार का तत्व मानते हैं। परन्तु वास्तव में यह तत्व नहीं, वरन् अधिकार का साक्ष्य या स्तोत्र है।

क्या बिना स्वामी के अधिकार सम्भव है ?

(Can there be an Ownerless Right ?)

बिना वस्तु के कोई अधिकार ही नहीं हो सकता। बिना स्वामी के भी कोई अधिकार सम्भव नहीं।

(1) बिना वस्तु के अधिकार (Right without an object)— हालण्ड के विचार से अधिकार की वस्तु या विषय केवल भौतिक वस्तु ही हो सकती है सूक्ष्म नहीं। इसके विचार से अधिकार के लिये वस्तु का होना प्रावश्यक नहीं जस प्रात्म रक्षा के अधिकार में कुछ भी अधिकार का विषय नहीं। परन्तु सामण्ड के विचार से वस्तु या विषय प्रावश्यक है। यह विषय भी तक तथा सूक्ष्म दोनो में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। भौतिक विषयो में तो भूमि इत्यादि प्राथिव वस्तुए सम्मिलित हैं और सूक्ष्म में सेवा ह्याति, समय शक्ति इत्यादि। यदि कोई एक नौकर रखता है तो स्वामी का यह अधिकार है कि वह नौकर को सेवाए प्राप्त

करे। मर्दा नौकर की सेवा ही मालिक के अधिकार की वस्तु है, नौकर स्वयं नहीं, सामण्ड के विचार से वस्तु के बिना अधिकार की कल्पना ही नहीं जा सकती।


(2) बिना स्वामी के अधिकार (Right without owner)—सामण्ड के विचार से अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें वह अधिकार वास्तु करे। विधि इसी अधिकार-धारणकता के हित की रक्षा करता है। प्रत्येक बिना स्वामी के अधिकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह अवश्य सम्भव है कि स्वामी निश्चित न होकर कोई अनिश्चित व्यक्ति ही हो। जैसे परोपकारी न्यास (Charitable Trust) में मारा समाज ही अधिकार धारणकता हो सकता है। इसी प्रकार वसोयत लिखे बिना ही मर जान वाला व्यक्ति की सम्पत्ति पर उन समय तक सरकारी प्रशासकों का ही अधिकार रहता है जब तक कि कोई उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। परंतु सरकारी अधिकारी भावी उत्तराधिकारी की ओर से ही अधिकार धारण करते हैं।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार न तो बिना स्वामी के ही हो सकता है और न बिना वस्तु के ही।

अधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Rights)—वैसे अधिकारों की कोई निश्चित सूची बनाना या उनका वर्गीकरण करना कठिन काम है, परंतु फिर भी कुछ अधिकार ऐसे हात हैं जो प्रायः सभी राज्यों के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अधिकारों में तात्पर्य मनुष्य के सामाजिक जीवन की उन सुविधाओं से होता है, जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक हात हैं। इन अधिकारों के उपयोग से नागरिक अपने जीवन को सुखी ओर समृद्धिशीली बना सकते हैं। साधारणतः अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। (1) नैतिक अधिकार (Moral Rights) और कानूनी अधिकार (Legal Rights)

(१) नैतिक अधिकार (Moral Rights)—नैतिक अधिकार वे होते हैं जिनका सबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। प्रायः इस अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं रह पाते क्योंकि इन्हें मानना या न मानना व्यक्तिगत इच्छा पर ही निर्भर करता है। राज्य के कानून का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता है, अतः इनके उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार का राज्य द्वारा दण्ड भी नहीं मिलता है। यह केवल धर्मशास्त्र, जनमत या जनता की आतिथिक चेतना द्वारा स्वीकार किया जाता है।

Classification of Rights



(2) कानूनी अधिकार (Legal Rights)—कानूनी अधिकार, छा तात्पर्य लीकॉक के शब्दों में यह होता है,— 'उन विशेषाधिकारों को कानूनी अधिकार की संज्ञा दी जा सकती है, जो एक नागरिक को धर्म साथी नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होना है, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं और जिनकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है।' ये अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किये जाते हैं। सामाजिक विकास होने के साथ साथ इन अधिकारों में भी वृद्धि होती रहती है।

राजनीतिक अधिकार (Political Rights)—राजनीतिक अधिकार संविधान की दत्त होते हैं, और राज्य के नियम उनको मायता प्रदान करते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जिन्हें राज्य अपनी प्रभुता की श्रियावित रूपता है। कोई भी राज्य विदेशियों को राजनीतिक अधिकार नहीं देता है। राजनीतिक अधिकारों द्वारा नागरिक पत्यक्ष या अपत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग ले सकता है।

(1) मत देने का अधिकार—मतदान दत्त का अधिकार प्रजातन्त्र की मौलिक उज्ज है। नागरिक चाहे किसी जाति धर्म या वय क हो यदि वयस्क हैं तो मतदान में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुन कर शासन के संचालन के लिए भेजते हैं।

(2) सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार—प्रत्येक शक्ति को बिना भेदभाव तथा पक्षपात क राज्य के अतगत पद प्राप्त करने की सुविधा रहती है। भारतीय संविधान की धारा 16(1) के अतगत धर्म, नस्ल जाति, लिंग, भेद वय जन्मस्थान के आधार पर राज्य में किसी का कोई पद ग्रहण करने में वचित नहीं किया जा सकता है।

(3) आवेदन पत्र देने का अधिकार—लोकतन्त्र में शासन वय जन-साधारण की शिकायतों की उपक्षा नहीं कर सकते, वयकि अतिम प्रभुसत्ता जनता में ही निवास करती है। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह जनसाधारण की शिकायतों के प्रति जागरूक रहे और उनको दूर करने का प्रयत्न करे।

(4) निर्वाचित होने का अधिकार—प्रजातन्त्र में सरकार जनता की, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हाती है। अत निर्वाचित होने का अधिकार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार हाता है। प्रतिनिधियों क उत्तरदायित्व बहुत विशाल और व्यापक होते हैं। अत उनके निर्वाचन में सावधानी परतनी चाहिए।

(5) सरकार की आलोचना करने का अधिकार—जा सरकार प्रशासन और नीतियों की आलोचना का जितना अधिक अवसर प्रदान करती है, वह सरकार उतना ही अधिक लोकतन्त्रवादी होती है।

(2) असेनिक अधिकार (Civil Rights)—

1) समानता का असेनिक अधिकार—इस अधिकार से असेनिक यह है कि एक मनुष्य होने के नाते उसका एक दूसरे मनुष्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जायगा। सभी मनुष्यों का उन्नति के समान अवसर प्रदान किया जावेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, रंग व आधार पर भेदभाव नहीं रखा जायगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में घोषणा की गई है कि— 'भारत के राज्य में सभी व्यक्ति को कानून के समान समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह धारा समस्त व्यक्तियों को चाहे वे नागरिक हैं या नहीं, कानून के समान समानता की गारंटी देती है। समानता का अधिकार न केवल विधान मण्डल द्वारा पारित भेदभावपूर्ण कानूनों से रक्षा करता है बल्कि कार्यपालिका की निरपेक्षता पर भी यह एक प्रबल है। समानता के मुख्य चार आधार हैं (1) सामाजिक समानता, (2) राजनतिक समानता, (3) आर्थिक समानता और (4) अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में अनुपात— प्रत्येक नागरिक को राज्य में नौकरी करने का समान अवसर तथा पद ग्रहण करने का समान अधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलभूत, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान आदि इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य पद के लिए अपात्र (Ineligible) नहीं ठहराया जा सकता।

(2) स्वतंत्रता का अधिकार—स्वतंत्रता के अधिकार के बिना मनुष्य के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्रता ही जीवन की आवश्यक तत्व बन गई है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी को किसी अन्य व्यक्ति पर आघात करने, अपने स्वाध की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति का उपयोग करने तथा किसी के रहने पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।

जब तक किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति के अधिकारों से क्षति नहीं पहुँचती, तब तक उसे इच्छानुसार कार्य करने और पुनः फिरन की स्वतंत्रता प्राप्त होना उचित है। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे भाषण दे तब तक कोई प्रतिबंध नहीं

लगाया जा सकता, जब तब उसके द्वारा औरों के समान अधिकारों में हस्तक्षेप न हो। मानव को किसी धर्म के मानन तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता हावी है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर कोई धर्म नहीं लादा जा सकता। इसके अतिरिक्त मानव को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ संगठन बना कर उन्नति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने तथा राजनीति में भाग लेने के लिए समुदाय बना सकता है। मानव को यह अधिकार है कि समाज विरोधी तथा अनतिक्रम समुदायों को छोड़ कर कोई भी अन्य समुदाय बना सके। व्यक्ति के इस स्वतंत्रता का आधार भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, सामुदायिक संगठनों द्वारा ही व्यक्ति अपनी सवमुखी उन्नति कर सकता है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान करने की सुनिश्चित व्यवस्था संविधान की 19 से 22 तक धाराओं में रखी गई है। संविधान की धारा 19 के अनुसार— प्रत्येक नागरिक को वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्त स्वतंत्र धारिपूर्ण ढंग से अथवा अस्त्रादि लिए बिना एक स्थान पर एकत्र होने, संस्थाएँ व संगठन स्थापित करने भारत की सीमा में अवाधरूप से संचरण करने भारत के किसी भी भाग में रहने अथवा बसने, सम्पत्ति रखने तथा बेचने और कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है।”

(3) सम्पत्ति का अधिकार—सम्पत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी सम्पत्ति के स्वतंत्रता पूर्वक भोग करने का अधिकार प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को किसी भी रूप में रख सकता है। किसी का दान दे सकता है अथवा व्यय कर सकता है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति को यह आश्वासन प्रदान किया जाता है कि जमीन, जायदाद, या धन बिना मुद्रावजा दिये उसमें नहीं छीना जा सकता। भारतीय संविधान भी नागरिकों को अनुच्छेद 31 में व्यक्तियों को सम्पत्ति का अधिकार देता है। ‘कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार व बिना निजी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।’

(4) रोजगार का अधिकार—आधुनिक युग में व्यक्ति का काम करने तथा जीविका कमाने का अधिकार बहुत महत्व रखता है। अपनी इच्छानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को काम करना चाहिए। प्रो. लास्की के अनुसार— अपना सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त करने व लिए व्यक्ति का काम करना चाहिए और काम के अभाव में उसे तब तक सुविधा मिलनी चाहिए जब तक किसी व्यवसाय में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो। इसका अतिरिक्त व्यक्ति को केवल काम करने का ही अधिकार नहीं है, अपितु उस यह भी अधिकार

है कि उस अपने काम के लिए उपयुक्त मजदूरी मिले।¹ समाजवादी दंगाने जिसमें रूस तथा चीन आदि सम्मिलित हैं, इस अधिकार को विशेष महत्व दिया है। प्रथम संविधान (1918) में यह कहा गया था कि—“श्रम मभी नागरिका का अनिवार्य कर्तव्य है।” नव संविधान की धारा 118 के द्वारा USSR के समस्त नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया है। काम बदल अनिवार्य कर्तव्य ही नहीं बल्कि आदर का विषय होता है। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उस घाना भी नहीं मिलेगा। इसी तरह भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह काम सौंपा गया है कि यह नागरिकों के लिये रोजगार की उचित व्यवस्था करे।

(5) शिक्षा का अधिकार—आधुनिक समय के प्रत्येक उन्नत राष्ट्र अपने नागरिकों को उत्तम शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा के अभाव में नागरिकता में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सांस्कृतिक जागृति नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तास्का के अनुसार—‘व्यक्ति उन लोगों के हाथों में आती है जो विचारों का निर्माण कर सकते हैं, और उसके मार को ग्रहण कर सकते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति न तो राष्ट्र नीति का समझ सकता है न ही वह अपने हितों को ही समझ सकता है।’ भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि चौदह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा।

(6) जीवन सुरक्षा का अधिकार—यह अधिकार मौलिक और आधारभूत है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार असंभव हैं। यह अधिकाधिक व्यक्ति के जीवन के मूल्य को और संकेत करता है। इसके अंतर्गत मानव जीवन को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। भारतीय संविधान की धारा 21 में जीवन तथा स्वातंत्र्य का संरक्षण की धारा 22 में बंदीकरण तथा नजरबंदी से बचाव का उल्लेख किया गया है।

(7) परिवार का अधिकार—जीवन के अधिकार से बहुत अधिक संबंधित स्वतंत्रता पूर्वक पारिवारिक जीवन पतित करने का अधिकार है। राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करके परिवार बनाने और बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार दिया है। यौन सम्बंध की भावना मानव में प्रारम्भ से ही पाई

जाती है, और इसी भावना को पूरा करने के लिए परिवार जैसी पवित्र भावना का जन्म होता है।

(8) शोषण से मुक्ति पाने का अधिकार—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 का सम्बन्ध शोषण से मुक्ति पाने के अधिकार से है। इसका अन्तर्गत मानव के त्रय विक्रय और बेगार तथा जबरदस्ती काम करवाने की मनाही कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या किसी खतरनाक काम में लगाने का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त वैश्यावृत्ति आदि के सुधार की बात भी इस अधिकार में सम्मिलित है।

(9) सांविधानिक उपचारों का अधिकार—भारतीय संविधान की धारा 32 में सांविधानिक उपचारों के अधिकारों का भी उपबन्ध करती है, जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में कोई भी नागरिक जा सकता है। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रकार कहा था— यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य हो जायगा। तो इस अनुच्छेद को छाड़ कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है।”

सांविधानिक उपचारों का अधिकार किसी घोषित सकट काल को छाड़ कर कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा 32 के अनुसार— अमेरिका की भांति वही प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus) जारी करने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेक्षण लेख (Writ of Certiorari) प्रतिबन्ध लेख, (Writ of Prohibition) परमादेश लेख (Writ of Mandamus) तथा अधिकार पृच्छालेख (Writ of Quo-warranto) आदि सम्मिलित किये गये हैं। इनके द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उनके मौलिक अधिकारों को पूरा रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

अधिकारों का सिद्धान्त (Theories of Rights)—

(1) प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त (Theory of the Natural Rights)—मनुष्य जीवन ही प्रकृति की देन है। मानव का विकसित मस्तिष्क जिसके द्वारा सारा सोच विचार हाता है, वह भी प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रारम्भ से ही मनुष्य मूल भूत सिद्धान्तों के लिए प्रकृति की ओर देख रहा

है। यही कारण है कि उसके प्रत्येक विचारा में प्राकृतिक विचारा का पक्ष विद्यमान है। मनुष्य के जीवन में अधिकारों का इतना अधिक महत्व है कि कुछ अधिकार तो उसके जीवन में नितान्त आवश्यक हैं। इसी कारण कुछ व्यक्तियों ने तो उन्हें प्राकृतिक अधिकार कह कर पुकारा, और ऐसा मत प्रतिपादित किया कि ये अधिकार उन्हें जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। इस सिद्धांत का उदय इस विचारधारा से हुआ कि प्रकृति के समक्ष सभी एक हैं और अगर कुछ प्राकृतिक अधिकार सभी का समान रूप से प्राप्त हो जाय तो सभी लोग आनन्दपूर्वक जीवन-यत्नीत करेंगे। लॉक के शब्दों में—“सब मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पदा हाते हैं और समाज में आने से पूर्व ही ये अधिकार मनुष्य को प्राप्त होते हैं।”

प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा सब प्रथम प्राचीन रोम में चली थी। रोमन साम्राज्य की सारी विधियाँ प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही बनाई गईं। यूनान की प्राचीन सभ्यता में ही विचारकों ने प्रकृति में सुनियमित व्यवस्था को देख कर उसे मानव के राजनीतिक सामाजिक और नैतिक जीवन में डालने की दिशा में अपने विचार प्रस्तुत किये। स्टोइक विचारकों ने यहाँ तक कहा है कि शुभ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। सत्रहवीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रीटियस (1583-1645) जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का शिला यास युद्ध और शांति के कानून पर नामक पुस्तक लिख कर किया तो भी उन्होंने उसका आधार प्राकृतिक कानून ही बनाया। इस सिद्धांत का विकास हाब्स लाक और रूसो के समय में बहुत अधिक हुआ। हास के विचारों में प्राकृतिक अधिकार एक व्यक्ति का व्यक्तिगत शारीरिक बल था जिसकी सहायता से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के मानने वाला ने इसे व्यक्ति के अधिकारों की उत्पत्ति का मूल माना है। वर्जिनिया के विधान की घोषणा अनुसार—‘सब मनुष्य स्वभाव से ही समान रूप में स्वतंत्र और बंधनहीन होते हैं। उनके कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं।’¹

इसी तरह से फ्रांस भी अपने घोषणा पत्र में स्वतंत्रता, समानता, सम्पत्ति और सुरक्षा को मानव के मुख्य प्राकृतिक अधिकारों स्वीकार करता है।

हाल ही में समाज शास्त्र के विद्वानों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को एक नया अर्थ दिया है। वे पूरातया इस भावना को अस्वीकार करते हैं कि प्राकृ-

1 All men one by nature equally free and independent and have certain inherent rights
—The Constitution of Virginia

तिक अधिकार व हैं जो मनुष्य के प्रारम्भिक समाज में थे जब राज्य की स्थापना हुई थी। उनका मत है कि प्राकृतिक अधिकार मनुष्य की व सुविधाएँ और स्वतन्त्रताएँ हैं जो सामाजिक शरीर रचना व पीछे विकास और सुचारु रूप से चलाने के लिए नितान्त आवश्यक हैं। जो कुछ प्राकृतिक है उसे मनुष्य व विकास और अस्तित्व की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सामाजिक रूप में अधिकार के अवश्य रूप हैं जिन्हें सामाजिक सम्बन्धों के धर्म में प्राकृतिक अधिकारों को प्रतिबिम्बित किया जाता है। तब ही अधिकारों को लागू करके देना ही नहीं संभव है जो इन प्रकार परिभाषित रूप में प्राकृतिक अधिकारों में समाविष्ट नहीं होते।

(2) कानूनी अधिकारों का सिद्धान्त (The legal Theory of Rights)—अधिकारों व कानूनी सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का अर्थ ही राज्य और कानून का दान है। अधिकारों का अर्थ ही इच्छा अथवा कानून का ही परिणाम है। कानून व ही अधिकार वास्तव में अधिकार माने जाते हैं, जिन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जिन्हें कानून स्वीकृत नहीं करता व अधिकार नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार कृत्रिम है प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं। अधिकारों का अर्थ ही राज्य की इच्छा पर निर्भर रहता है। राज्य पुराने अधिकारों का अन्त कर सकता है और नये अधिकारों को तब भी दे सकता है।

इस सिद्धान्त के समर्थकों में विलियम फोर्ब्स होब्स और जॉर्ज फोर्ब्स प्रमुख हैं। इन विद्वानों के अनुसार कानूनी अधिकारों का अर्थ ही राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है—(1) अधिकारों का परिभाषा करना (2) उनको मान्यता निर्धारित करना, (3) उनका उपयोग व प्रशासन को व्यवस्था करना। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति राज्य के विरुद्ध उत्तरी आवाज नहीं दे सकता व अधिकार नहीं रखता। आधुनिक काल में इस सिद्धान्त का अर्थ ही मान्यता प्राप्त होता है।

(3) अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त (The Historical Theory of the Rights)—अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि अधिकारों का अर्थ ही इच्छा है। इसका अर्थ ही राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह समाज में व्यवहार रूप में लागू करेगा। ऐतिहासिक सिद्धान्तों का अर्थ ही यह है कि अधिकारों का अर्थ ही इच्छा पर निर्भर करता है व ही अधिकारों का अर्थ ही इच्छा पर निर्भर करता है।

(4) अधिकारो का समाज कल्याणकारी सिद्धांत (The Social Welfare theory of rights) — इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार समाज द्वारा प्रदान किये जाते हैं और वे सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं। कानून, प्राकृतिक अधिकार, रीति-रिवाज आदि सभी को सामाजिक कल्याण के समक्ष कुरुना पड़ता है। इस सिद्धांत के समर्थको के अनुसार समाज केवल अधिकार व्यक्तियों को समाज के कल्याण के लिए प्रदान करता है। धर्म तथा मूल्य आदि उपयोगितावादियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है उनके अनुसार 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' यही ध्येय यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति के अधिकार क्या होने चाहिये। लास्की ने उपयोगिता को अधिकारो का आधार कहा है।

(5) अधिकारो का आदर्शवादी सिद्धांत (Idealistic Theory of the Rights) — आदर्शवादी सिद्धांत को व्यक्तिवादी सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसके अनुसार अधिकार मनुष्य के आंतरिक और वास्तविक उत्थान के लिए आवश्यक वास्तविक अवस्था है। आदर्शवादी सिद्धांत उन अवस्थाओं की उत्पत्ति पर बल देता है जो मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक होती है। इस प्रकार मानव व्यक्तित्व की परिपूर्णता वह लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सारे अधिकारों का प्रयोग होता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य की नैतिक एवं लौकिक भावना को उभाड़ता है, तथा यह अधिकारों को वैधता की अपेक्षा नैतिकता से सम्बंधित करता है। यह मानव आत्म विकास को समाज के अधीन नहीं करता।

अधिकारों के स्वरूप की व्याख्या के लिए आदर्शवादी सिद्धांत और सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों का सम्बंध सर्वोत्तम हल हो सकता है।

प्रजातंत्रिक राज्य में व्यक्ति के अधिकार—

(The Rights of an individual in a Democratic State)

'प्रजातंत्र सभी सफलता पूर्वक कार्य कर सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सतक व अधिकारों के प्रति सतक जागरूक हो।' यही प्रजातंत्र की आधारशिला है। प्रजातंत्र शासन में जनता का जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन होता है। अतः अधिकारों के प्रति जागरूकता ही प्रजातंत्र का सफल बनाती है, इनके अतिरिक्त नागरिकों को कर्तव्य के प्रति भी सतक रहना चाहिए। यद्यपि ब्रिटेन और अमेरिका में नागरिकों को भारतीयों से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी वहाँ पर प्रजातंत्र अधिक सफलता पूर्वक कार्य

कानून का प्रभाव जरूरत से ज्यादा बढ़ाने से उसमें निरकुशता प्रादि भाव जाग्रत हो जाते हैं ।

अतः प्रजातांत्रिक शासन में अधिकारों का होना नितान्त आवश्यक है । ये नागरिकों के लिए एक ढाल के समान है जो कि राज्य की निरकुशता से व्यक्ति की रक्षा करते हैं । अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए इसी प्रकार आवश्यक होते हैं जिस प्रकार कृषि के उपजत व उपजाऊ होने के लिए खाद की आवश्यकता होती है ।

कर्त्तव्य (Duty)

सामण्ड के विचारों से "कर्त्तव्य एक सामारात्मक काय है, प्रपत्ति यह ऐसा काय है जिसका विरोध काय अपकार कहलाता है ।" कर्त्तव्य भी दो प्रकार के होते हैं —

(1) वैधानिक कर्त्तव्य (Legal Duty)—वैधानिक कर्त्तव्य वे होते हैं जिनके पालन करने पर राज्य द्वारा दण्ड मिलता है । तथा ऐसे कर्त्तव्यों के पीछे राज्य का कानून की शक्ति होता है । इस प्रकार के कर्त्तव्य का विरोधी वैधानिक अपकार होता है । जैसे उत्तरप्रदेश में प्रत्येक नारी का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि वह वध्यावृत्ति न करे । यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो वह वैधानिक अपकार करती है और उसे राज्य द्वारा दण्डित किया जा सकता है ।

(2) नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duty)—नैतिक कर्त्तव्यों का सम्बन्ध मनुष्य की नैतिक भावना, अतःकरण तथा उचित काय करने की प्रवृत्ति से होता है । इस प्रकार के कर्त्तव्यों का संरक्षण राज्य द्वारा नहीं होता । इस प्रकार के कर्त्तव्य का विरोधी नैतिक अपकार होता है । जैसे इंग्लैंड में यह वैधानिक कर्त्तव्य नहीं कि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसों की अपराधिक इच्छा के प्रति जिज्ञासा रखे अतएव यह कर्त्तव्य केवल मात्र नैतिक कर्त्तव्य है । इसका उल्लंघन करने पर राज्य दण्डित नहीं कर सकता, परन्तु यह एक नैतिक अपकार (Moral wrong) माना जाता है ।

परन्तु कुछ कर्त्तव्य ऐसे होते हैं जो एक ही साथ वैधानिक तथा नैतिक दोनों होते हैं । जैसे चोरी न करने का कर्त्तव्य एक ही साथ दोनों है ।

कोटन के विचारों से किसी व्यक्ति में निहित अधिकार के हित में राज्य द्वारा कराना जान वाला या विरोधी कार्यों को रोका जाने वाला काय कर्त्तव्य कहलाता है और उनका उल्लंघन अपकार कहलाता है ।"

हिबट (Hibbert) के विचार से कर्तव्य लोगों पर लागू किये जाते हैं, ये अपने उद्देश्य के रूप में चाहते हैं कि कुछ कार्य किये जायें और कुछ कार्यों को न किया जाय, ये व्यक्तियों या वस्तुओं से, जो कि अस्तित्व के विचार से इनकी प्रजा होते हैं ये सामान्य रूप में सम्बन्धित होते हैं और अनुज्ञप्तियों द्वारा इन्हें बंधनकारी शक्ति प्राप्त होती है।

हिबट के विचार से कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं—

(1) पूर्ण कर्तव्य (Absolute duty)—ये कर्तव्य उमी शक्ति के प्रति करने पड़ते हैं जो इन्हें लागू करता है अर्थात् राज्य के प्रति करने पड़ते हैं। इस प्रकार से कर्तव्यों का उल्लंघन सामान्य रूप से अपराध होता है और इसके उपचार रूप में अपराधी को दण्डित किया जाता है।

(2) सम्बन्धित कर्तव्य (Relative duty)—ये कर्तव्य इनको लागू करने वाले व्यक्ति के प्रतिरिक्त अन्य व्यक्ति के प्रति करने पड़ते हैं। ये दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार के कर्तव्य के उल्लंघन को दीवानी का अपराध (Civil injury) कहते हैं और इसका उपचार अर्थात् व्यक्ति को हर्जाना या प्रतिवत्तन (Restitution) देने से होता है।

अधिकार एवं कर्तव्यों का पारस्परिक सम्बन्ध— (Correlation of Rights and Duties)

अधिकार एवं कर्तव्य के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दो भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गये हैं—

(1) पहले मत के प्रतिपादकों का कहना है कि अधिकार एवं कर्तव्य अस्वीकार्य होते हैं। दोनों में से किसी एक का भी दूसरे के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिये किया जाता है अतएव इस व्यक्ति में अधिकार अन्विष्ट होता है। इसी प्रकार अधिकार भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है अतएव उसमें कर्तव्य वास करता है। प्रत्येक अधिकार या कर्तव्य के साथ वैधानिक आभार का बंधन (Vinculum juris) रहता है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति आपस में सम्बन्धित रहते हैं। सामण्ड लिखते हैं कि उस समय तक कर्तव्य ही नहीं सकता जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसके लिए यह किया जाता है इसी प्रकार कोई अधिकार भी नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे इसकी प्राप्ति की जाय। इस मत के सामण्ड, कोटन तथा पटन ही प्रमुख प्रतिपादित हैं।

कहत हैं कि अधिकार तथा कर्तव्य इतने अनिष्टतापूर्वक सम्बन्ध है कि इनमें से किसी एक को ही कल्पना करना पिता के बिना पुत्र की कल्पना करना है ।

(2) दूसरे मत के प्रतिपादकों में प्रमुख है ऑस्टिन । वह दो प्रकार के कर्तव्य बनाते हैं—पूरा एवं सापेक्षिक, और उनमें भेद करते हैं । पूरा कर्तव्य (Absolute Duty) वह होता है जिसका कोई सम्बन्ध अधिकार नहीं होता । सापेक्षिक कर्तव्य (Relative Duty) वह होता है जिससे अधिकार सम्बन्धित रहता है । सम्बन्धित कर्तव्य प्राभास प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति तथा प्रमुखता सम्पन्न प्रधान के प्रतिरिक्त अथवा किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया जाता है । पूरा कर्तव्य का किसी प्रकार के अधिकार से सम्बन्ध नहीं होता । एक कर्तव्य निम्न अवस्थाओं में पूरा हो सकता है —

(क) जब यह आदेश दिया जाय कि जिस व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है वह अपने ही प्रति कुछ काय करेया या कुछ काय करने से अपने को रोकेगा, जैसे आत हत्या न करने का आदेश ।

(ख) जब यह आदेश दिया जाय कि प्राभासी व्यक्ति के प्रतिरिक्त अथवा किसी व्यक्ति के प्रति जो भौतिक या काल्पनिक रूप से निश्चित न हो कर्तव्य किया जाय । उदाहरणार्थ समस्त मानव-जाति या समाज के प्रति काय करने का आदेश ।

(ग) जब यह आदेश किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति काय करने के लिए न हो, जैसे ईश्वर या जानवरों के प्रति काय करने का आदेश ।

(घ) जब यह आदेश देने वाले प्रधान के प्रति ही काय करने के लिये हो जैसे राज्य के प्रमुखता सम्पन्न प्रधान के प्रति काय करने का आदेश ।

उपयुक्त चारों परिस्थितियों में कर्तव्य पूरा होता है । इसका कोई सम्बन्धी अधिकार नहीं होता । ऐसन आस्टिन के इस विचार का अनुमोदन करते हैं । वह कहते हैं कि फौजदारी को विधि द्वारा लागू किये जाने वाले कर्तव्य पूरे होते हैं, उनका कोई सम्बन्धी कर्तव्य नहीं होता ।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार एवं कर्तव्य के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दो विचारधाराएँ हैं । एक विचारधारा के अनुसार अधिकार एक कर्तव्य का अन्वय या श्रितता का सम्बन्ध होता है और दूसरी विचारधारा के अनुसार कुछ कर्तव्य तो अधिकार से सम्बन्धित होते हैं परन्तु कुछ किसी भी प्रकार के अधिकार से सम्बन्धित नहीं होते ।

व्यक्ति का राज्य तथा समाज के प्रति कर्तव्य

(Duties of an individual towards the State and Society)

कर्तव्य पालन से अधिकारो का ज म होता है और अपने विभिन्न अधिकारो के उचित उपयोग से व्यक्ति मे कर्तव्य भावना का विकास होता है। कर्तव्य समाज क विकास की रोड की हड्डी है। मनुष्य को अपने उत्तरदायित्वो को पूरा करने का नाम ही कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य मानव जीवन रूपी गाडी के दो पहिये हैं, जिनमें से एक के अभाव म गाडी नहीं चल सकती। यदि हम यह समझते हैं कि समाज और राज्य मे रह कर नागरिको के कुछ अधिकार होते हैं, तब नागरिकों को चाहिए कि राज्य और समाज मे रह कर उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इन कर्तव्यो को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है, राज्य के प्रति कर्तव्य तथा समाज के प्रति कर्तव्य।

(I) राज्य के प्रति कर्तव्य—(1) राज्य भक्ति कोई भी व्यक्ति राज्य की भक्ति तभी कर सकता है, जबकि उसम राज्य भक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हो क्योंकि 'जननी जम भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात् जम भूमि की महता व्यक्ति के लिए स्वयं स भी बढ कर होती है, इसलिए नागरिक को देशद्रोहो कद पि नहीं होना चाहिये। राज्य के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य हो जाता है। नागरिक का कर्तव्य है कि वह शत्रुओं और खतो के विरुद्ध राज्य की रक्षा करें और भक्ति व्यवस्था को बनाये रखन म सहायता करें।

(II) राज्य नियम का पालन—राज्य की आताओ का पालन करना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। राजाज्ञा का अचना और अचेना प्रगति को रोकगी तथा राज्य के लक्ष्य का प्राप्ति मे बाधक होगी। अतः राज्य क नियमों की अवहेलना करना अराजकता को निमित्तित करना है अर्थात् राज्य नियमो का उल्लंघन करके अधिकारो को चुनौती देना है।

(III) राज्य कमचारियो के साथ सहयोग—नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राज्य कमचारियो को उनके कार्यों म सहयोग दे न कि उनक विरुद्ध विद्रोह खडा करें।

(IV) राज्य के करो का भुगतान—प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय और स्थानीय करो का भुगतान करें। क्योंकि राज्य के संचालन के

लिए घन की आवश्यकता होती है। राज्य द्वारा लगाये गये करा का उचित रूप में जुगतान करना एक प्रादम नागरिक का परम कर्तव्य है।

(v) सैनिक सेवा—नागरिकों का कर्तव्य है कि देश की सेना में भर्ती होकर बंधे स कंधा मिला कर लड़े और देश की सुरक्षा में आवश्यकता पडने पर अपने प्राणों की बाजी भी लगा दे। देश की स्वाधीनता के लिए नागरिकों को बंधे से बंधे त्याग और बलिदान के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि स्वाधीनता स्वयं का वरदान और दासता नरक का अभिशाप होता है। रूस के संविधान में सावभौम सैनिक सेवा का प्रादेश है और वह उस नागरिकों का सम्मानित कर्तव्य मानते हैं।

(2) समाज के प्रति कर्तव्य—(1) राजनीतिक अधिकारों का सदुपयोग करना—प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के द्वारा दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग न करे। मतदान के समय वर्ण, जाति, धर्म, मूलवश आदि के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को अपना मत न देकर योग्य व्यक्तियों का ही निर्वाचन करे। अच्छी सरकार तब तक नहीं हो सकती, जब तक निर्वाचन कर्ता मतदान को एक पुनोत् कर्तव्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार, जो लोग चुने जाते हैं उन्हें सावजनिक पदों (Public Offices) की सेवा भाव के साथ ग्रहण करना चाहिये।

(ii) सामूहिक कल्याण—समाज प्रत्येक नागरिक से यह आशा करता है कि वह स्वहित संपादन के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचायेगा, और सावजनिक हित की रक्षा करेगा। प्रत्येक भाव का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोस घर आदि के स्वास्थ्य के विषय में सचेत एवं जागरूक रहे, निबल और निधनों की सहायता करे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग अधिकृत करे। इनके प्रतिरक्त प्रत्येक नागरिक को सामाजिक चेतना (Social Conscience) और सावजनिक भावना (Public Spirit) का विकास करना चाहिये। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक हितों को सदैव अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिये। वास्तव में किसी भी राज्य की वास्तविक पहचान उसमें नागरिकों को दिये गये मूल या मौलिक अधिकारों में Fundamental Rights ही होती है। भरतृ ने यह ठीक कहा था कि, 'श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करते हैं।'

नागरिकों के मूल कर्तव्य (Fundamental duties of Citizens)

नागरिक कर्तव्यों की आवश्यकता—अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। घना कर्तव्यों के अभाव में नागरिक अधिकारों

की कल्पना विद्यमान है। भारतीय सविधान के निर्माता भी प्रधिकारों और कर्त्तव्यों की सम्बन्धिता के से परिचित थे। परन्तु उनकी भावना थी कि नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से नागरिकों में स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न करेगी। जब हमारी शिक्षा प्रणाली सामाजिक परम्पराओं तथा प्रजातान्त्रिक ढांचे की राजनीतिक समस्याओं कर्त्तव्यों की भावना उत्पन्न न कर सके तो सविधान में उनकी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया। घत भारतीय नागरिकों के कर्त्तव्यों के चाटर का उद्देश्य 'लोगों की मनोवृत्ति' का ध्यान ध्यानद्वारा और विचारों को परिवर्तित कर जाति को जातिपूण ढंग से निष्पत्ति करना है।

भारतीय नागरिकों के कर्त्तव्यों के चाटर में जिन दस मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है वे निम्न हैं —

1 सविधान का पालन तथा उसके प्रादशों सत्याग्रह, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का आदर।

2 राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम को जिन ऊँचे प्रादशों से प्रेरणा मिलती उन्हें हृदयगम करना तथा उनका अनुसरण करना।

3 भारत को प्रभुता, एकता और अखण्डता को परिपुष्ट करना और उसकी रक्षा करना।

4 देश की रक्षा करना और प्रज्ञान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भावुत्व की ऐसी भावना का निमाण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों, ऐसी प्रयासों का त्याग करना जो स्थितियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

6 हमारी मिश्रित संस्कृति को गौरवशाली परम्परा के महत्त्व को समझना और उसका परिष्कार करना।

7 वन नील, नदी और वय जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा एवं उत्पत्ति करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना।

8 बचानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अवेक्षण (गानाजन) तथा सुधार की भावना का विकास करना।

9 सावजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना।

10 व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्थान का द्वार बढ़ने का सतत प्रयास करना, ताकि निरन्तर बढ़ते हुए अर्थ और उपलब्धि नवीन ऊँचाइयों तक पहुँच सकें।

समाज (The Society)

8

“मानव समाज केवल राज्य द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं है अपितु वह व्यक्तियों का उन्नतिशील देव-समूह है।”

—फिगिस

समाज वह है जिसमें लोग मिल कर रहते हैं। समाज ऐसे मनुष्यों का विक्रमशील समूह है जिसमें प्रत्येक प्रकार के सम्बन्धों और संगठनों का समावेश होता है, जिसमें व्यक्ति, समान उद्देश्य, काय और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं। समाज मानव के साथ साथ रहने, सहयोगी जीवन व्यतीत करने तथा एक दूसरे की उन्नति में योग देने की स्थिति की ओर सकल करता है। जब मनुष्य संगठित रूप से व्यक्तियों के साथ रहता है, तो इस प्रकार के जीवन को सामाजिक जीवन कहा जाता है। धरस्तू के अनुसार “मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से ही एक सामाजिक प्राण है। वह अकेला अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मनुष्य भले ही कुछ समय तक समाज से अलग रहे उसके जीवन का विकास तो समाज में रह कर प्राप्त हो सकेगा पर ही निरर करता है”। धरस्तू ने तो आगे यहाँ तक कह दिया कि समाज से पृथक् रहने वाला व्यक्ति या तो देव तुल्य है या पशु। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए समाज में रहना अनिवार्य सा है साथ ही समाज को भी व्यक्ति की आवश्यकता रहनी है। प्रकृति भी मनुष्य को सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है तथा विभिन्न आवश्यकत ए उस समाज में सहयोग द्वारा वैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश करती है। सामाजिक जीवन के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है, तथा आज जो हम सम्य सुसंस्कृत अवस्था देख रहे हैं वह सामाजिक जीवन के बिना असंभव ही।

समाज का अर्थ—समाज का सम्बन्ध मनुष्य से होता है तथा मनुष्य के जीवन का पूर्ण विकास भी समाज पर निरर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से किसी न किसी समाज का सदस्य अवश्य ही होता है। समाज की सदस्यता

समाज का विकास (Development of the Society)—

(1) **शिकार युग (Hunting stage)**—इस युग में समाज घसगठित था तथा मनुष्य घसम्य, घसस्कृत और जंगली था, मनुष्य का रहन सहन, आचरण और व्यवहार सभी कुछ पशुओं जसा ही था। उस युग में मनुष्य भी प्रयत्न हिंसक जानवरों की भाँति दूसरे पशुओं को मारकर अपना पेट भरता था। इस समय मनुष्य नुहिले पशुओं की सहायता से पशुओं का शिकार किया करता था। वनों की छाया में और कदवालों में उनका वास था। लोग छोटे छोटे झुंड बना कर रहने लगे। उस समय न कोई परिवार था और न राज्य। इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार का कानून भी नहीं था। उस समय सच्य करने की प्रवृत्ति नहीं थी। काफी समय के पश्चात् उनमें आपसी सहयोग की भावना का जन्म हुआ। दिन में लोग जितना शिकार करके लाते थे उस शाम को सब मिलकर खाने लगे।

(ii) **पशुपालन या चारागाह युग (Pastoral Stage)**—शिकार युग में तो मनुष्य पशुओं को मारकर अपना पेट भरता था। शर्त शर्त पशुपक्षियों के महत्व और उनकी उपयोगिता के विषय में मानव ज्ञान में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप मनुष्य पशुओं को मारने के स्थान पर उनका पालन और रक्षण करना सीख गया। मनुष्य का जीवन स्थिर हुआ और उसके भोजन की समस्या आसान हो गई। समूहों का आकार बढ़ने लगा। अब पशुपालन अपने जावन निर्वाह का साधन बन गया तथा पशुओं के रूप में सम्पत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही मनुष्य में सभ्य प्रवृत्ति का जन्म हुआ। मानव जीवन में स्थिरता आने से अब पशुपालन द्वारा भोजन की सुविधा हो जाने से समूहों का आकार बढ़ने लगा। शर्त शर्त वैवाहिक सब प्रस्थायी होने लगे और कुटुम्बों का भी जन्म हो गया। परिवार में स्त्री, पुरुष, बच्चे रहने लग, परिवार के मुखिया को प्रधानता प्रदान की गई।

यद्यपि शिकार युग की अपेक्षा इस युग में शांत मन वातावरण था। इस समय पशुपालन के कारण पशुओं के चरने के लिए स्थान की तलाश होने लगी, जहाँ कहीं भी पशुओं के चरने के लिए अच्छी जगह मिल जाती वही पर रहने लगते। इस प्रकार उनका जीवन भ्रमणशील हो गया।

(iii) **कृषि युग (Agricultural stage)**—चारागाह युग के पश्चात् कृषि युग का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य ने एक स्थान पर खेती करना प्रारम्भ किया और सामाजिक विकास में प्रातिकारी उन्नति हुई। कृषि द्वारा लोगों को कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होने लगे। मनुष्य ने कपास की खेती करके वस्त्रों की समस्या

का भी समाधान कर लिया । घब भोजन निश्चित और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगा । अतः मनुष्य को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अवकाश मिलने लगा । भ्रमणशील जीवन से उकता कर घब स्थायी रूप से रहने लगा । उसने मिट्टी और लकड़ी के मकान बनाने शुरू किये साथ ही सगड़न और सहयोग से रहना सीखा । धीरे धीरे कई कृषक परिवारों के साथ रहने के कारण गाँवों का जन्म हुआ । लोग प्राप्त में मिल जुलकर काम करने लग, इससे सामाजिक भावना का विकास हुआ । बदला वाली (Exchange System) पद्धति का जन्म हुआ और मनुष्य के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आने लगा ।

सामाजिक और धार्मिक उन्नति के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने लगी । इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीजें बनने लगीं इससे अलग अलग परिवारों में पक्क पक्क कलाओं का विकास होने लगा । समस्त वस्तुएँ हाथों द्वारा बनाई जाती थीं इस कारण इस युग को हस्तकला घबवा शिल्प कला का युग कहकर भी पुकारा जाता था ।

कृषि की उन्नति से कुटीर उद्योग घ घों की उन्नति हुई और व्यापार प्रारम्भ होने लगा । मुद्रा के माध्यम से विनिमय (Exchange) की प्रिया की जाने लगी । नगरों का निर्माण होने लगा, और सामाजिक जीवन अधिक जटिल होता गया । समानता समाप्त होकर धनी, निधन, व्यापारिक पुरोहित आदि पक्क पक्क वर्ग बन गये । जीवन में विसृष्टता आती गई और प्राथमिक युग का प्रारम्भ हुआ ।

(iv) औद्योगिक युग (Industrial Stage)—धीरे धीरे वैज्ञानिक उन्नति होने से पत्तार के साधनों में आवश्यकतानुसार उन्नति की । औद्योगिक क्रांति के कारण अनेक देशों में उद्योगों का विकास होने लगा । इस क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की वृद्धि होने लगी । यातायात के साधनों के कारण विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे के प्रति निकट होने लगे । अनेक कारखानों का निर्माण हुआ । जीवन में सुख बढ़ने लगे और जीवन में जटिलता आने लगी । औद्योगिक विकास होने पर पूँजीपति और मजदूर वर्ग का प्राधान्य हुआ, तथा सामंजस्यहीन विचारधारा की धपका पूँजीवाद का अधिक जोर हुआ । इस प्रकार औद्योगिक दौड़ के कारण अनेक विकसित देशों ने पिछड़े हुए देशों का शोषण करना प्रारम्भ किया । विकसित देशों की दम प्रचार की प्रवृत्ति के कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास होने लगा ।

इस प्रकार समाज पहले छोटा तथा सरल समूह था, जो प्राज इतना विशाल एवं जटिल बन गया है। समाज के विकास के साथ साथ मनुष्यों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। समाज का विकास प्रमग सरलता के माध्यम से जटिलता की ओर गुजर रहा है। यह समाज के विकास का ही परिणाम है। घट कहा जा सकता है कि समाज की उत्पत्ति न होकर उसका क्रमिक विकास हुआ है। इस प्रकार मनुष्य की विरसित बुद्धि और मनुष्य ने प्राज उसे इतना शक्तिशाली और महान् बना दिया है।

सामाजिक संगठन (Social Organization) —

समाज एक सामुहिक व्यक्तियों की विशाल व्यवस्था है। इसे संगठित तभी माना जा सकता है जब कि उनक भिन्न भिन्न अंग भली भाँति उसी प्रकार अपना काम करते रहें, जिस प्रकार एक मशीन के पुर्जों एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हुए बराबर काम करते रहते हैं। इसी प्रकार संगठित समाज में विभिन्न इकाईयाँ सुसंगठित रूप से काम करती हैं। सामाजिक संगठन प्रस्त व्यस्त हो जाने से यह समय विचर जाता है। सामाजिक संगठन में व्यक्ति और समूहों के साथ साथ समीक्षा और सस्थाएँ भी होती हैं। इस प्रकार सामाजिक संगठन जटिल (Complex) होते हैं। सामाजिक संगठन ही वह व्यवस्था है जो समाज की व्यवस्था पर नियंत्रण एवं समय रख कर काम को सुचारु रूप से बनाये रखती है। लम्ले के अनुसार — “सामाजिक संगठन सहयोग करने वाले विशेषीकृत भागों से बना हुआ भाग है”¹

अर्नेस्ट जोन्स के शब्दों में — ‘सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिससे कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से तथा पूरे समाज के साथ सायक ढग से सम्बन्धित रहते हैं’²

“सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है, जिससे कि समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से तथा पूरे समाज के साथ सायक ढग से सम्बन्धित रहते हैं”¹

—इलियट और मैरल

1 Social organization is a whole composed of co-operative specializing parts'

—Lumley

2 Social organization is the system by which the parts of society are related to each other and to the whole society in a meaningful way

—E Jones

स्ट्रुट्टर और हार्ट ने सामाजिक संगठन के लिए व्यक्ति और समूहों के साथ साथ समितियाँ और संस्थाओं को भी सम्मिलित करते हुए इस प्रकार सामाजिक संगठन की परिभाषा भी दी है—“सामाजिक संगठन से अभिप्राय सांस्कृतिक समितियों की पूर्णता और समूह की विशेषता प्रसंगित क्रियाओं के समूह सहित उनके परस्पर सम्बन्धों से है” ।¹

इस प्रकार समाज को संगठित करने के लिए उसके अंग प्रत्येक एक दूसरे से पूर्ण रूप से सम्बन्ध रखते हुए कार्य करते हैं जिससे उनमें एकता की भावना रहती है। इसी प्रकार मानवीय शरीर भी एक उत्तम संगठन का उदाहरण कहा जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग अपने निश्चित एवं योजनाबद्ध कार्य करते हैं, जब तक उनमें सन्तुलन बना रहता है, तब तक शारीरिक संगठन सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, जब तक स्वस्थ रहता है। वह शारीरिक संगठन की ही देन है। यदि शरीर का जीवन पूर्ण रूप से संगठित होता है, जब समाज की संस्थाएँ अपने अपने नियमित कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग रखती हुई निराला रहती हैं तब ऐसे समाज को संगठित समाज की श्रेणी में रखा जा सकता है। जब समाज के अंग अपने कार्यों में असफल हो जाते हैं उनमें परस्पर सम्बन्ध बिच्छू होने लगते हैं, उनके आपसी सहयोग समाप्त हो जाते हैं, जिससे समाज का सन्तुलन बिगड़ जाता है, तब सामाजिक जीवन में उल्लास की अपेक्षा निराशा छा जाती है, सामाजिक जीवन विशृङ्खलित होने लगता है, जिसके कारण सामाजिक बीमारियाँ (उपद्रव, दंगे) आदि विकसित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए उनके आपसी सम्बन्धों को मजबूत करना नितांत आवश्यक होता है।

समाज में एकीकरण (Integration) और विभेदीकरण (Differentiation) की प्रक्रियाएँ बराबर होती रहती हैं। जिनके फलस्वरूप बड़े बड़े समूह छोटे समूहों में विभाजित होते रहते हैं और छोटे समूह बड़े समूहों में संगठित होते रहते हैं। ये सब सामाजिक संगठन की ही प्रक्रियाएँ (Processes of social organization) हैं। सामाजिक संगठन सामाजिक समूह में इन दोनों प्रक्रियाओं से होने वाली अन्त क्रियाओं का शुद्ध परिणाम है। वास्तव में सामाजिक संगठन

1 By social organization is meant the totality of cultural institutions and their inter relationship together with the body of the unorganized activities

के प्रभाव में किसी व्यक्ति का जीवन सभव प्रतीत नहीं होता। अतः साधारण बोलचाल की भाषा में समाज को व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। मैकाइवर ने तो 'समाज को सामाजिक सम्बन्धों का जाल' कहकर सम्बोधित किया है। समाज उस जन समूह को कहा जा सकता है, जिसके उद्देश्यों में एकता हो तथा भक्ति, सहयोग और कर्तव्य भावना के अतः वे पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धों के कारण बंधे हुए हों। ग्रीन ने समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है—'एक समाज किसी भी व्यक्ति के रहने का दीर्घतम समूह होता है'। मैकेजी ने समाज की परिभाषा इस प्रकार से की है—“समाज व्यक्तियों की एकता की सामान्य विधि है” मैकाइवर और पेज ने समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है—“समाज व्यवहारों एवं प्रति क्रियाओं की, अधिकारों एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समुहों और भागों की मानव व्यवहारों नियन्त्रणों एवं स्वाधीनताओं की व्याख्या है। इस हमेशा परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को समाज की सना दी जाती है।” जेम्सवर्ग ने समाज की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त की है—“समाज का अर्थ केवल राजनैतिक संबंधों से नहीं होता है, बल्कि मानवीय सम्बन्धों और सामूहिक सम्बन्धों एवं उनके कार्यों से होता है”। क्यूवर के अनुसार—'एक समाज की परिभाषा लम्बे समय से एक साथ निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह जो कि संगठित होने के लिए उनको एक इकाई के रूप में मानकर ही की जा सकती है”।

गिडिंग्स के अनुसार—“समाज स्वयं एक सघ है, एक संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर सम्बन्धित रहते हैं”। सबसे सुन्दर एवं सघ पूरा ढंग से समाज की व्याख्या टेल कोट पारसन ने इस प्रकार प्रस्तुत की है—“समाज शब्द का प्रयोग एक अत्यन्त सामान्य अर्थ में होता है। मनुष्य के जो विभिन्न प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध होते हैं वे सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। समाज उन सम्पूर्ण मानव सम्बन्धों का नाम है जो मनुष्य के उन कार्यों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें वह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। वे उद्देश्य तथा उनकी प्राप्ति के साधन चाहे वास्तविक हों अथवा सांकेतिक।” इस प्रकार मानव जाति के जीवन तथा विस्तार के लिए समाज का होना अनिवार्य है। यदि मनुष्य एक दूसरे के साथ समाज में नहीं रह सकते तो उनका अस्तित्व शीघ्र ही मिट सकता है। अतः समाज ही व्यक्ति को जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रवर्धक देता है। मनुष्य का जीवन उसकी समृद्धि और उसकी उन्नति समाज में और समाज द्वारा ही सम्भव होती है। मनुष्य और समाज का सम्बन्ध जन्म से प्रारम्भ होता है, और उसके जीवन काल के अन्त तक चलता रहता है। व्यक्ति के

सहायक व बिना समाज का पूरा विकास नहीं हो सकता, और समाज के अभाव में भी व्यक्ति स्वयं का पूरा विकास नहीं कर पाता। वास्तव में व्यक्ति और समाज उसी प्रकार अ-योध्यायित है जिस प्रकार कि शरीर के अंग होते हैं। समाज व्यक्ति के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना कि प्राणी के लिए वायु और भोजन। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण में उत्पत्ति सामाजिक सहयोग पर ही निर्भर है। समाज संस्कृति का रक्षक है, राजनतिक व्यवस्था का सार है, और व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को सहायता प्रदान कर रहा है।

समाज की उत्पत्ति (Origin of the Society)—समाज की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? यह विवादास्पद प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया है। कुछ लेखकों का मत है कि समाज की उत्पत्ति देवी विद्या के आधार पर हुई जिसका तात्पर्य होता है कि समाज ईश्वर द्वारा बनाया गया है। दूसरी विचार धारा में समाज की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर हुई मानते हैं। हॉमस, लॉक, रूसो ने इस सिद्धांत के विषय में अपने विभिन्न दृष्टिकोण से मत प्रस्तुत किये हैं। इसके अतिरिक्त मातृक और पितृक सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत भी समाज की उत्पत्ति में अपना विशेष महत्व रखते हैं।

(1) दैविक सिद्धांत (Divine Theory)—समाज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन दैविक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की उत्पत्ति एवं रचना ईश्वर के द्वारा हुई अर्थात् ईश्वर ने ही मनुष्य का निर्माण किया और मनुष्य की सुख सुविधा के लिए उसने सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया। इस सिद्धांत के अनुसार—समाज के निर्माण एवं विकास आदि में मनुष्य का कुछ भी हाथ नहीं है। ईश्वरीय शक्ति सम्पूर्ण समाज पर नियंत्रण रखती है। चूंकि इन सिद्धांतों के अनुसार समाज की उत्पत्ति दैविक शक्ति द्वारा हुई इस कारण ऐसे सिद्धांतों को 'दैविक सिद्धांत' कहा जाता जाता है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज का संगठन और समाज की विभिन्न समस्याएँ जैसे—प्राथमिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सब ईश्वर द्वारा हुई हैं। अतः ऐसी सामाजिक संस्थाओं पर मनुष्य का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अतः व्यक्ति (मनुष्य) ईश्वर के हाथ का खिलौना मात्र है। समाज एक ईश्वरीय वस्तु है, और संगठन तथा संस्थाओं में परिवर्तन आदि का अधिकार भी ईश्वर एवं उसके प्रतिनिधियों को ही प्राप्त है। दैविक सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार—यह सिद्धांत पूर्णतः गलत और अयथार्थिक है कि समाज की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई। वास्तव में

यह मानवीय सस्या है और इसका विकास भी मनुष्यों द्वारा हुआ है। इस सिद्धांत से समाज की उत्पत्ति में बाधा पहुँचती है। यह सिद्धांत मनुष्य को निष्प्रिय और शक्तिहीन बना देता है और उसकी मौलिकता को नष्ट करके उसकी उत्पत्ति एवं समृद्धि में बाधा डालता है और मनुष्यों को उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये अधिकार नहीं देता। इस प्रकार यह सिद्धांत रूढ़िवादियों के कवच के समान है। वास्तव में विवेकशील मनुष्य इस सिद्धांत को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता और यह नत शिर मृत सा हो चुका है।

(2) सामाजिक समझौते का सिद्धांत (Social Contract Theory)—समज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत के अनुसार समाज की उत्पत्ति लोगों के आपसी समझौते के आधार पर हुई है। सभी व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपस में समझौता करके अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामाजिक समझौते का निर्माण किया। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये विचारक एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो राज्य के पहले था, और जिसे वे प्राकृतिक अवस्था के नाम से सम्बोधित किया करते थे। इस अवस्था की कल्पना तीनों विचारकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है—

हॉब्स के अनुसार—समाज और राज्य के पूर्व की अवस्था घराजक अवस्था थी। मनुष्य का जीवन क्षणिक, बबर और निलज्ज था। 'जिसको मार सको मारो, जो करना चाहो करो' वाली कहावत प्रचलित थी। निरंतर कलह, युद्ध प्रशान्ति, अनुरक्षा और बबर जीवन से दुःखी होकर मनुष्यों ने समझौता किया और अपने प्राकृतिक अधिकार तथा शक्ति एक व्यक्ति को सौंप दिये।

लॉक के अनुसार—प्राकृतिक अवस्था असुविधाजनक थी। मानव जीवन अनिश्चय और अनुरक्षा के तीव्र वातावरण द्वारा पूर्ण रूप से ग्रस्त था। उस समय किसी भी प्रकार का कानून नहीं था। ऐसी दशा में सुखी जीवन व्यतीत करना असंभव था। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्यों ने नागरिक समाज की स्थापना करने का निणय किया। लॉक ने दो प्रकार से समझौते किये—सामाजिक और राजनैतिक। प्रथम समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके एक सत्ता पूर्ण समाज की स्थापना की। द्वितीय समझौते द्वारा सरकार की स्थापना की गई, जिसमें शासक के साथ समझौता हुआ।

रूसो के अनुसार—समाज और राज्य के पूर्व की अवस्था इस पृथ्वी स्वर्ग के समान थी। समस्त भावनी समान थे। उस समय न कोई

और न किसी का शासन । स्वतंत्र समान और आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिये तथा जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए समझौते द्वारा समाज और राज्य की स्थापना हुई ।

इस सिद्धान्त की ग्रालोचना यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या कानूनी दृष्टिकोण से की जाय तो यह सिद्धान्त उपयुक्त नहीं माना जा सकता । क्योंकि समाज आदिमकाल से आज तक धारावाहिक रूप से विकसित होता चला आ रहा है । यह सिद्धान्त बतलाता है कि समाज का प्रारम्भ सविदा से होता है । इसके लिए हनरीमेन ने यह सिद्ध किया कि सविदा (Contract) से समाज का प्रारम्भ नहीं आता होता है । आदिमकाल में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं थे, वे समाज के नियमों से प्रभे हुए थे । समाज का विकास स्थिति से सविदा की ओर हुआ, सविदा से स्थिति की ओर नहीं । इस सिद्धान्त के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रचानक मनुष्यों में प्राप्त समझौता क्रिया इससे समाज की उत्पत्ति हुई । प्रारम्भिक काल में मनुष्य जबली अवस्था में था, प्रचानक इतना परिवर्तन सम्भव नहीं था कि जगली मनुष्य समझौते जैसी महान् बात के बारे में सोचने लगे । कहावत है कि 'बीता एक रात में अपना रंग नहीं बदल सकता' । इस कारण यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध नहीं होता है ।

(3) विकासवादी और ऐतिहासिक सिद्धान्त (Evolutionary or Historical Theory)—समाज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वर्तमान युग में विकासवादी सिद्धान्त सबसे उचित माना जाता है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसका प्रारम्भ से ही समाज से अटूट सम्बन्ध रहा है । समाज की उत्पत्ति किसी निश्चित समय की कृति नहीं है और न ही प्रारम्भिक समझौते के फलस्वरूप उसकी उत्पत्ति हुई है । समाज की उत्पत्ति मानव प्रवृत्तियों एवं मानव की शारीरिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं का ही परिणाम है । रक्त, घम, सुखदशा तथा नियमों की आवश्यकता, आर्थिक परिस्थितियाँ एवं सामाजिक स्वभाव इन बातों से समाज के विकास में योग मिला है । पहले मनुष्य का जीवन आज के समान जटिल नहीं था, परन्तु जीवन की उलझनों के कारण यह धीरे धीरे जटिल होता गया । भिन्न भिन्न देशों में इस विकास का क्रम भिन्न भिन्न रहा है । परिस्थितियों के अनुसार इस विकास की गति तीव्र एवं धीमी रही है । प्रत्येक समाज की उत्पत्ति और विकास के बारे में आज जिस सर्वाधिक सतोपजनक, माया एवं उचित सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है वह विकासवादी सिद्धान्त ही है ।

को ही समूहों के सम्बन्धों (Intergroup relationships) का प्रतिमान (Pattern) कहा जा सकता है। किसी समाज में विभिन्न समूहों के परस्पर सम्बन्ध क्या होते हैं? यह उसके सामाजिक संगठन पर ही पूर्ण रूप से निर्भर करता है। इस प्रकार सामाजिक संगठन और सामाजिक समूहों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है।

सामाजिक संगठन के लक्षण (Features of the Social organization)—किसी समूह या समाज में संगठन का ज्ञान कैसे होता है? इसे समझने के लिए उसके आवश्यक तत्वों (Essential elements) या उनके लक्षणों (Features) पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक संगठन के निम्नलिखित लक्षण बतलाये जा सकते हैं—

(1) **समाज के सदस्यों में एकमत का होना**—समाज के सदस्यों में एकमत का होना सामाजिक संगठन का मूल लक्ष्य होना है। इसके न होने पर उनमें घापस में विरोध तनाव और सघप आदि होन लगते हैं और सामाजिक विघटन (Social disorganization) का श्रेय गणना होने लगता है। जिस प्रकार प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था में बड़ा घतर था, उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यों की स्थिति में शूद्रों की स्थिति संबडा घस्तर था। इन सबके काम भी घलग-घलग थे। जब तक वश व्यवस्था का सभी जातियों ने स्वागत किया, तब तक हिंदू सामाजिक संगठन मुटुड रहा। जब से ब्राह्मणों ने घपनी स्थिति का दुषुपयोग करना घारम्भ किया, तब से हिंदू समाज में घव्यवस्था फलने लग गई और समाज घिघ्न भिन्न और घसंगठित हान लगा। आज भी देश में जाति व्यवस्था की घ्यापकता के कारण समाज संगठित नहीं हो सका है। लोगों की भावना में घभी तक एक मत का कमी नजर घा रही है।

(2) **स्थिति और कार्यों को स्वीकार करने की तत्परता**—समाज के सदस्यों में एकमत तभी रह सकता है जबकि लोगों में सामाजिक संगठन में घपनी घपना स्थिति (Status) और कार्यों (Roles) की स्वीकार करने की तत्परता है। यद्यपि समाज की स्थिति एक समान नहीं हो सकती और न ही सभी के साथ सम न हो सकते हैं। जिम प्रकार एक मशीन में प्रत्येक पुर्जों की घलग घलग स्थिति और बाध होते हैं। उसी प्रकार समाज में भी सभी सदस्यों के काम बट रहन घरीर की भी यही स्थिति है, जब तक घरार में विभिन्न घग घरना घपना काम करते रहते हैं, तब तक घरीर स्वस्थ और संगठित रूप में रहता है।

प्रकार समाज में भी लिंग, आयु, विवाह, शारीरिक क्षमता, और कुशलता के आधार पर सामाजिक स्थिति में अंतर पाया जाता है। इसी स्थिति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के काय निर्धारित होते हैं। समाज के सदस्यों में अपनी-अपनी स्थिति और काय का स्वीकार करने की तत्परता ही सामाजिक संगठन का लक्षण माना जाता है।

(3) समाज का नियंत्रण—समाज का नियंत्रण आदतों, जननीयता, प्रथाओं रीतियों विधियों तथा सभ्यताओं के द्वारा होता है। नियंत्रण से ही समाज में एक रूपता कायम हो सकती है। समाज के सदस्यों पर समाज का अकुश या निन्दन प्रभाव डालते ही सामाजिक विघटन प्रारम्भ होने लगता है। सामाजिक संगठन में सामाजिक स्थिति का बड़ा महत्व रहता है।

मैकाइवर और पेज ने सामाजिक स्थिति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'स्थिति वह सामाजिक पद है जो कि अपने रखने वाले के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों अथवा सामाजिक सेवा के प्रतिरिक्त आधार प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की कुछ मात्रा निश्चित करती है।' इस प्रकार स्थिति का सामाजिक सम्बन्धों में एक विशिष्ट स्थान है जिसके कारण व्यक्ति को आधार और प्रतिष्ठा मिलती है तथा उसका प्रभाव होता है। सामाजिक स्थिति से व्यक्ति के काय भी बदलते रहते हैं। वही कही सामाजिक स्थिति से व्यक्ति कानून के सामने भी विशेषाधिकार रखते हैं। जिस प्रकार इंग्लैंड में राजपरिवार पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और राजपरिवार का व्यक्ति अपने व्यक्तियों से सब ऊपर रहता है। प्राचीन भारत में भी ब्राह्मण तथा शुद्रा को उनकी स्थिति के अनुसार समान अपराधों के लिए दण्ड देने की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अरवि = महात्मागांधी आदि का सम्मान भी उनकी सामाजिक स्थिति के कारण था। ऐसे लोभ के प्रभाव के कारण ही वे समाज को संगठित करने में सफल हुए।

समाज का वर्गीकरण (Classification of Society)—

जैसे 'समाज' एक ऐसा विस्तृत अर्थ वाला शब्द है जिसमें मनुष्य के उन सार सन्दर्भों के अर्थ में शक्ति प्राप्त निहित करता है जो मनुष्य के किसी अर्थ में होते हैं। अपने मकील अर्थ में समाज का अस्तित्व तब माना जाता है जब समाज में रहने वाले अपने परस्पर संबंधों की चेतना रखते हैं? समाज अपने विस्तृत अर्थ में सर सामाजिक संबंधों का रचनात्मक है। यह है समाज का समग्ररूप। पर जब हम समाज के किसी भाग का भी समाज कहते हैं, ऐसी अवस्था में कोई भी

सघ, समूह, ममिति, सगठन, सम्मेलन, सभा जो समाज में पाई जाती है उसे समाज कहा जा सकता है। इस तरह समाज में अनेक समाज हो सकते हैं। इस प्रयत्न में हम समाज के कई रूप देखने को मिलते हैं जिसे हम समाज कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक व्यवहार की सम्पूर्ण जटिल व्यवस्था और सामाजिक संबंधों का जाल है। अतः इसके वर्गीकरण से दो सब तत्व सम्बन्धित है जिनसे मिल कर समाज रूपी जाल बना है वो तत्व व्यक्ति, समूह, ममिति, सगठन, सस्थायें आदि कई हैं तथा ये सब समाज के ही रूप हैं अतः समाज का वर्गीकरण भी कई प्रकार से किया जा सकता है। समाज शास्त्रीयों ने समाज का वर्गीकरण मुख्य दो आधारों पर किया है—समूह व सस्थायें या सघ।

समाज का वर्गीकरण निम्न तरह से किया जा सकता है—

- (1) जाति के अनुसार सारी मानव जाति मानव समाज है,
- (2) समान संस्कृति, परम्परा साहित्य आदि के अनुसार जहाँ हम व्यक्तिगत भेद की ओर ध्यान नहीं देते तो उस हम राष्ट्र कहते हैं
- (3) उद्देश्य और क्रिया के अनुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता है जैसे—
घम समाज राजनैतिक समाज, आर्थिक समाज, सांस्कृतिक समाज आदि इनको सामान्यतया जब उद्देश्य पर बल दिया जाता है तो सघ कहते हैं। मनोरजन के उद्देश्य से सुधार के उद्देश्य से सघ बनाये जा सकते हैं।

समाज के अन्विष्ट सघ हैं—(1) कुटुम्ब (2) राज्य

व्यक्तिगत सघ हैं—

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1 धार्मिक सघ | 2 श्रमिक सघ |
| 3 सांस्कृतिक सघ | 4 व्यवसायिक सघ |
| 5 परमाथ सघ | 6 राजनैतिक सस्थायें |
| 7 समाज कल्याण—सघ | 8 मनोरजन की सस्था—जैसे-बनव आदि। |

गतिन और गतिन ने समूहों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है—

- 1 नातेदारी या रुधिर सम्बन्धी समूह इनमें समाज।
- 2 जनसंख्या की शारीरिक बनावट और विशेषताओं पर आधारित समूह।
- 3 स्थान या भूमिखण्ड पर आधारित समूह।
- 4 अस्थिर समूह।
- 5 स्थायी समूह।
- 6 सांस्कृतिक समूह।

उपरोक्त सब समूह के आधार पर समाज का वर्गीकरण भी दिया जाता है नातदारी या रुधिर सम्बन्धी समूह से समस्त मानव समाज, जनसंख्या की शारीरिक बनावट से समस्त स्त्री समाज, हिन्दू समाज, स्थान या भूमिखण्ड के आधार पर राज्य, राष्ट्र आदि अस्थिर समूह से भीड़, श्रोता, स्थायी समूह से विशाल नगर, शहर, कस्बे आदि का वर्गीकरण होता है। सामूहिक, जीवन में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संगठित और स्थापित तरीकों को सभ्यताएँ या सभ्य कहते हैं इनके आधार पर समाज का वर्गीकरण पारिवारिक, ग्रामिक, राजनतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समाज आदि से किया जाता है। मत यह सब समाज के ही भिन्न भिन्न रूप हैं।



घाराओ की रचना में परिवर्तन से हुए हो या समूह के अन्दर ही प्रसार अथवा आविष्कार से लाये गये हों"।¹

सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत (Theories of Social Change) सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार चलता है? उसमें पुनरावृत्ति हानो है अथवा नहीं? इन प्रश्नों को लेकर विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन के भिन्न-भिन्न सिद्धांत उपस्थित किये हैं। सामाजिक परिवर्तन का व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में विशेष तीन सिद्धांत प्रचलित हैं।

- (1) सामाजिक परिवर्तन का समरत्निक (Unilinear) सिद्धांत।
- (2) सामाजिक परिवर्तन का चक्रिक (Cyclic) सिद्धांत।
- (3) सामाजिक परिवर्तन का विकासवादी (Evolutionary) सिद्धांत।

(1) समरत्निक सिद्धांत—सामाजिक परिवर्तन के समरत्निक सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन एक सीधा रेखा में होता है। सामाजिक परिवर्तन के द्वारा समाज कुछ निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर भाग बढ़ता है। सामाजिक परिवर्तन के ये लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं उनको प्रकृति द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। भूमण्डल में परिवर्तन होने से ही यथा जीव का हाना और रहना सम्भव हुआ है। वास्तव में यह सिद्धांत विश्व के स्तर पर परिवर्तन की व्याख्या प्रबल ही कर सकता है, परन्तु मानव समाज में परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि लक्ष्यो को पूर्व निश्चित मान लेना है यदि समाज कुछ निश्चित लक्ष्यो की ओर बढ़ भी रहा है तो भी उन लक्ष्यो का निश्चित करना असम्भव होगा, जब तक कि समाज के भावा विकास को रूपांश्या जात न हो। अतः यह सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है।

(2) चक्रिक सिद्धांत—इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में पुनरावृत्ति होती रहती है। दार्शनिक और विचारक मानते हैं कि भवचक्र में नृष्ट और प्रलय एक के बाद एक आते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में घड़ी के पङ्कलम के समान गति होती है और भिन्न भिन्न अवस्थाएँ

1 Social changes are variations from the accepted modes of life, whether due to alteration in geographic conditions in cultural equipment, composition of the population or ideologies or whether brought by diffusion or invention with in the group (Cultural Sociology), P P 561-62) —Gillin & Gillin

बार बार लोहर घाती हैं। इस मत को घनेक प्राचीन और प्रागुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने माना है। प्रागुनिक काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दार्शनिक प्रोसपेरस स्पेन्सर ने इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। स्पेन्सर के अनुसार—“जिस तरह भौतिक जगत में एक के बाद एक श्रुतियाँ घाती रहती हैं उसी तरह समाज की सभी बड़ी बड़ी सभ्यताएँ अपने विकास में बतानू, प्रोथ, मध्य और नौवें श्रुतियों से क्रमशः गुजरी हैं”।

सामाजिक परिवर्तन का चक्रिक सिद्धांत श्रुति और मानव समाज के परिवर्तनों में एक क्रम मानता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन घाते हैं, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद जाड़े की श्रुतियाँ घाती हैं जिस तरह फूल उगता है, फलता है, और मुरझा जाता है, तथा जिस तरह मनुष्य बचपन किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की अवस्थाओं में गुजरता है, उसी तरह मिश्र मिश्र मानव समाज और सभ्यताएँ कुछ निश्चित दशाओं से गुजरती हैं। केवल समाज और सभ्यता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि परिवर्तन के चक्रिक सिद्धांत का राजनीति, कला तथा धर्म क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। दशन के क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हेगल (Hegel) ने मानव इतिहास में कुछ निश्चित अवस्थाएँ मानी हैं। हेगल के अनुसार—‘मानव इतिहास के हर क्षेत्र में प्रत्येक वाद का प्रतिवाद होता है और प्रतिवाद के बाद सवाद होता है। यह सवाद पुनः एक वाद के रूप में प्रतिवाद को जन्म देता है’। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और सवाद की अवस्थाएँ मानव इतिहास के सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। इसी तरह कला के क्षेत्र में प्रायः परम्परावाद से रोमांचवाद की ओर तथा रोमांचवाद से फिर परम्परावाद की ओर परिवर्तन होता देखा जा सकता है। इसी तरह सांस्कृतिक परिवर्तन किसी चुनौती के उत्तर में उदय होता है। बढ़ते बढ़ते वह सकट अवस्था में घाती है, जिसके बाद से उसका पतन शुरू हो जाता है। सभ्यताओं के उत्थान और पतन के इस क्रम में एक पूर्व निश्चित मगति है। प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी के अनुसार— विश्व की महान-न-पताओं के इतिहास में ही देखने से पता होता है कि सभी सभ्यताएँ उत्थान और पतन में कुछ निश्चित अवस्थाओं में से गुजरी हुई हैं।

(3) विकासवादी सिद्धांत—विकासवाद के अनुसार परिवर्तन सीधी रेखा में न हो कर एक पीढ़े की वृद्धि की तरह से होता है। जीवन मात्र के क्षेत्र में डार्विन की विकासवादी धारणा के पान होने से ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में एक शक्ति सी मच गई है। विकासवाद के सिद्धांत की हवट स्पेंसर तथा हाथ हाउस ने बड़ी विस्तृतता से इस सिद्धांत की पुष्टि की है। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक ‘समाज-

शास्त्र के सिद्धांत' के पण्ड 5 में लिखा है कि "उद्विकास पदार्थ तथा सहाकारी गति के निप्रवण (Dissipation) का मन्तन है, जिसमें पदार्थ एक प्रापक्षिक, अनिश्चित और जेमेल सजातीयता से एक प्रापक्षिक रूप से निश्चित तथा समवित विजातीयता में बदल जाता है, जिसमें कि स्थापित गति में भी समानांतर रूपान्तरण हो जाता है।"¹

मॉर्गन, हैडन और इरोल्स के अनुसार—समाज का विकास तीन अवस्थाओं से होकर होता है (1) व पावस्था (Savagery) (2) दब्रता (Barbarism) और (3) सभ्यता (Civilization) इसी प्रकार अथ विद्वाना ने प्रत्येक समाज के धार्मिक विकास की चार अवस्थाएँ मानी हैं— (1) श्रावेट (Hunting) (2) पशुपालन (Pastrol) (3) कृषि (Agricultural) तथा (4) औद्योगिक (Industrial) अवस्था। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार प्रौद्योगिकी (Technology) के विकास में तीन स्तर माने गये हैं (1) प्रस्तर युग (Stone Age), कासा युग (Bronze Age) तथा लोह युग (Iron Age)

सामाजिक विकास की अवस्थाएँ (Stages of Social Evolution)—सकाइवर ने अपनी पुस्तक 'Society' में सामाजिक विकास के सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने विकास की निम्न अवस्थाएँ का वर्णन किया है— (1) सामुदायिक प्रथाएँ (Communal Customs) (2) विभेदीकृत सामूहिक संस्थाएँ (Differenated Communal Institutions) तथा (3) विभेदीकृत संवितिया (Differenated Associations)

प्रादिम समाजों में बहुत सी सामूहिक प्रथाएँ होती थीं जिनका समाज के सभी व्यक्ति मानते थे। ये सामूहिक प्रथाएँ ही प्रादि समाजों पर शासन करती थीं। इस प्रकार धार्मिक, धार्मिक, राजनतिक सभी काय सामूहिक रीति-रिवाजों से ही किये जाते थे। कालान्तर में धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी, नई नई समस्याएँ उत्पन्न होने लगी, अतः भिन्न भिन्न काम अलग अलग मन्तियों को सौंप दिये जाने लगे। समाज का अन्तः उपरोक्त सामाजिक

1 Evolution is an intergration of matter and concomitant dissipation of motion, during which the matter passes from a relatively indefinite, incoherent homogeneity to a relatively definite, coherent heterogeneity and during which the retained motion undergoes a parallel transformation (Principles of Sociology, vol V) —Herbert Spencer

विकास की परम्पराओं को नहीं मानते हैं। कुछ समाज शास्त्रियों ने सामाजिक विकास की जैवकीय विकास (Biological Evolution) के आधार पर व्याख्या की है। आगबन (ogburn) ने सामाजिक विकास के चार कारक बताये हैं—प्राविष्कार (invention), संचय (Accumulation), प्रसार (Diffusion) तथा सामंजस्य (Adjustment)—

सामाजिक परिवर्तन के कारक (Factors of Social Change)—
 मक्सवेबर (Maxweber) ने सांस्कृतिक कारक को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक बनवाया है। उनका अनुसार सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति में परिवर्तन होने का साथ होता है। मक्सवेबर ने अपने इस मत को घनों और प्राथमिक व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन से सिद्ध किया। डॉसन और नेप्स का अनुसार "संस्कृति सामाजिक परिवर्तन की गति और निर्देश देती है और वे सीमाएँ निश्चित करती हैं जिनमें परे सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता"।

सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिक कारक (Technological Factors) का बड़ा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान के नित नये प्राविष्कारों से, नये नये यंत्रों तथा प्रणालियों के निरन्तर बढ़ते जाने से सामाजिक सम्बन्धों पर भारी प्रभाव पड़ा है। बिजली भाप तथा पेट्रोल से चलने वाले उत्पादन के यंत्रों, यातायात, परिवहन और संचारवाहन के साधनों तथा दैनिक जीवन के सफ़ेद कार्यों के लिए नई नई मशीनों के प्राविष्कार से समाज का रूप बदलता जा रहा है। अतः प्राधुनिक युग में प्रौद्योगिक कारक सामाजिक परिवर्तन के सबसे मुख्य कारकों में से एक है।

जैवकीय कारक (Biological Factors) का भी सामाजिक परिवर्तन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैवकीय कारकों में जनसंख्या से जनसंख्या का गुणात्मक पक्ष होता है। जनसंख्या से अनेक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जनसंख्या के प्राकार के अधिक वृद्धि होने से समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरता है, और निधनता बढ़ती है। जनसंख्या की वृद्धि से सामुदायिक भावना का ह्रास होता है। सामाजिक नियंत्रण और पारिवारिक नियंत्रण कम होते हैं, स्त्रियों की दशा तथा विवाह और परिवार की संस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। जनसंख्या की वृद्धि से सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। नगरीय प्रत्यक्ष भीड़ भाड़ से गरीब बस्तियाँ विकसित होती हैं। जिनका लोगो का चरित्र और स्वास्थ्य पर दुःख प्रभाव पड़ता है।

फाल्साफा तथा उसके अनुयायी विचारकों के अनुसार—सामाजिक परिवर्तन पूरी तरह से प्राथमिक परिवर्तनों से ही निश्चित होते हैं। प्राथमिक दशाओं में

परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को प्रवर्धित करते हैं। नितो भी व्यक्ति व्यवस्था समूह का प्राथमिक स्थिति गिरने तथा उठने से उभरके सामाजिक सम्बन्धों में भी परिवर्तन होता है। अतः प्राथमिक दशाओं का सामाजिक परिवर्तन पर काफी प्रभाव पड़ता है।

प्रत्येक मानव समाज पर भौतिक दशाओं का समाज के जीवन पर प्रवर्धित प्रभाव पड़ता है। ह्यूटिंगटन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जलवायु का परिवर्तन ही सम्प्रदायों और संस्कृतियों के उत्थान पतन का एक मात्र कारण रहा है। बाढ़ भूवात प्रकाश प्रतिवृत्ति घनावृष्टि जलु परिवर्तन मृदि प्राकृतिक दशाओं का सामाजिक सम्बन्धों पर भारी प्रभाव पड़ता है और वे इनमें परिवर्तित होते हैं।

सामाजिक परिवर्तनों का कारण भ्रम्य मनुष्य वा मनोविज्ञान (Psychological Factor) है। मनुष्य स्वभाव से ही परिवर्तन प्रिय है। जीवन के प्रत्येक पक्ष में वह सदैव नई नई चीजें किया करता है, और नये नये प्रयुक्तों का इन्धुन रहता है। इस प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक मानव समाज में रूढ़ियों परम्पराओं, रीति रिवाज आदि में बराबर परिवर्तन हुआ करता है। नई नई रीतियाँ और प्रथाएँ बनती रहती हैं और पुरानी परम्पराओं का स्वाद लेना जाता है। पुरानी परम्पराओं का सम्मान किया जाता है परन्तु समय का माँग व माप साथ उनमें परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, वास्तव में परिवर्तन ही जीवन के और स्थिरता जीवन के स्वभाव के उद्देश्य है। जब समय भ्रान पर भी परिवर्तन नहीं होता तो क्रान्तियाँ होती हैं, युद्ध होते हैं महामारियाँ फैलती हैं और परिवर्तन नियत होते हैं।

उपरोक्त कारणों के प्रतिरक्त नवीन विचारधाराओं की उत्पत्ति भी परिवर्तन का मूल कारण रहा है। उदाहरण के लिए दृश्य जातिप्रथा तथा मिला आदि की और विचारों के परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वास्तव में अधिकांश सामाजिक क्रान्तियाँ नवीन विचार धाराओं के उत्पन्न होने के कारण होती हैं। महान् व्यक्तियों के समाज में प्रादुर्भाव से ही सामाजिक परिवर्तन हुआ करते हैं। जैसे भारत के विषय में अंगरेजों के कारण क्रम में जो सामाजिक परिवर्तन हुए वह एक विश्व में ज्वलंत उदाहरण हैं। उनमें प्रकार भारत में महात्मा गांधी के विचारों द्वारा, जिन धार्मिक धर्मिता परभाव, धर्म-संशोधन के कारण विश्व में अंगरेजों के उत्पन्न होने की माँग तथा राजनैतिक उद्यमों के तरीकों में विचार रूप से परिवर्तन हुए हैं।

को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई ।

सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में भेद— समाज सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है । इस व्यवस्था में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के रूप में होते हैं । यह व्यवस्था जननीयों, रूढ़ियों, परम्पराओं प्रथाओं तथा फैशन आदि में चरती है । इनके परिवर्तन से सामाजिक सम्बन्धों उनके स्वरूप और व्यवहार प्रभावित होते हैं । दूगरी और सस्टूति कला, विज्ञान साहित्य, ब्रह्मण तथा विचारों और मूल्यों आदि से सम्बन्धित परिवर्तन का समाज पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है और सामाजिक परिवर्तन से इनमें भी परिवर्तन हो सकता है । परन्तु एक में परिवर्तन होने से दूसरे में परिवर्तन होना मानना नहीं है । जैसे—संगीत कला के क्षेत्र में नई नई रागों नृत्यों आदि के निकालने से सामाजिक परिवर्तन में कोई विशेष प्रभुत्व नहीं पड़ता । अतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन परस्पर सम्बन्धित होते हुए भी अभिन्न नहीं हैं । सामाजिक सम्बन्धों समाज के जीवन से पर्यक्त नहीं किये जा सकते । इस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में एक अन्तर उनके तत्वों को लेकर होता है । सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं कि समय के परिवर्तन के बाद भी उनका किसी रूप में जीवित रखा जा सकता है । उदाहरणार्थ—सभ्य समाजों में प्राचीन सस्टूतियों के अवशेषों को संग्रहालयों और अभयारण्यों में सजाकर रखा जाता है । इस प्रकार हजारों वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी ये सांस्कृतिक उपकरण ज्यों के त्यों देखे जा सकते हैं । परन्तु सामाजिक परिवर्तनों के तत्वों के विषय में ऐसा नहीं होता । सामाजिक परिवर्तन से केवल सामाजिक सम्बन्धों बदल जाते हैं, नये अवशेष होने के पश्चात् पुराने सम्बन्धों को किसी संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता । जिस प्रकार एक मशीन का दर तयार होता है, तो पुरानी मशीन सुरक्षित रखी जा सकती है परन्तु नये मशीन में नई प्रथा या संस्था विकसित होती है, तब पुरानी प्रथा या संस्था का नामोनिशान नहीं रहता ।

अतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से अधिक व्यापक है । सामाजिक परिवर्तन में केवल सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन आते हैं जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन में कला, विज्ञान तथा भौतिक और विचार आदि क्षेत्रों में भी परिवर्तन आते हैं । इन सब के परिवर्तन में उच्च नीचा तन्त्र महत्व होता है जिस नीचा तक यह सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करता है । मैकिन्टॉश ही लिखा है कि—'सांस्कृतिक का कोई भी भाग सामाजिक व्यवस्था से असम्बन्धित नहीं रहता, परन्तु यह सत्य है कि इन शाखाओं में सामाजिक

व्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव डाले बिना परिवर्तन हो सकते हैं। अतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम सांस्कृतिक परिवर्तन में उसी सीमा तक रुचि लेते हैं, जिस सीमा तक वह सामाजिक संगठन में निकलता है या उस पर प्रभाव डालता है। सामाजिक परिवर्तन से प्रलय हम उसमें उसी के लिए रुचि नहीं लेते¹।

सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरोध (Resistances or Restraints to Social Change)—Encyclopaedia Americana के अनुसार—“आविष्कार काई भी नवीन अथवा उपयोगी यांत्रिक उपकरण अथवा वस्तु, प्रणाली, खोज या जड़ पदार्थ की रचना अथवा व्यवस्था है जो कि पहले पात अथवा प्रयुक्त नहीं होती है, अथवा वह किसी भी बात यत्र कला, पदार्थ या व्यवस्था में आई भी उत्पत्ति है। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक आविष्कार किसी न किसी रूप में उपयोगी अवश्य ही होता है। आविष्कार का मानव समाज के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य का समस्त सांस्कृतिक विकास आविष्कारों पर आधारित है। यदि सम आविष्कार करने की सामर्थ्यता न होती तो मानव आदि समाज से सभ्य समाज की स्थिति तक न पहुँच सकना आविष्कारों ने मानव जीवन के भौतिक पक्ष को ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रभावित किया है। मनुष्य के रहन सहन में ही नहीं बल्कि उसकी कला, साहित्य अथवा मनोरंजन आदि के क्षेत्र में भी नये नये आविष्कार होते रहते हैं, जिनसे महत्-पूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वास्तव में आविष्कार स्वयं परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। जगत्-मानव में आविष्कार बहुत कम होते हैं, उसमें परिवर्तन भी बहुत कम दिखाई पड़ता है।

कुछ समाजों में आविष्कार बहुत कम होते हैं उनके मूल कारण निम्न हैं

(1) आविष्कार के लिए परिश्रम के साथ साथ मात्तक योग्यता और दौढ़र स्तर की उच्चता भी आवश्यक है। (2) आविष्कार तब होते हैं, जबकि उनकी मांग होती है। (3) यदि किसी समूह के सदस्य नये आविष्कारों को स्वीकार करने

1 Of course no part of culture is totally unrelated to the social order but it remains true that change may occur in these branches without noticeably affecting the social system sociologically therefore, we are interested in culture change only to the extent that it arises from or has an effect on social organization we are not interested in it for itself apart from social change (Human Society P 623) —Davis

के लिए तत्पर नहीं होते। आवश्यकता इस बात की है कि समूह के सदस्य इन प्राविष्कारों को स्वीकार करें। उदाहरण के लिए भारत वष में जब शुरू शुरू में रेल चली तब भारतीय जनता ने उसका बड़ा भारी विरोध किया। उस समय लोगों का विचार था कि इससे दूषित वायु उत्पन्न होगी। इसी प्रकार ए प प्राविष्कारों का भी विरोध किया गया। प्राविष्कार केवल भौतिक क्षेत्र में ही नहीं होते, बल्कि जीवन के सर्वांगीण क्षेत्रों में भी उनका उतना ही महत्त्व होता है। उदाहरण के लिए भारत में वध्यावृत्ति के विरुद्ध कानून का एक वैधानिक प्राविष्कार था, परंतु जनता ने इसको अभी तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार जब समाज के सदस्य ही नये नये सामाजिक विचारों, अनुसंधानों और प्राविष्कारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक सामाजिक परिवर्तन में बाधा पत्ती ही रहेगी।

कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ भी सामाजिक परिवर्तन में प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए—भारत में जाति प्रथा अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को रोकती है। रूढ़ियाँ सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करती हैं। सामाजिक परिवर्तन में कुछ राजनतिक परिस्थितियाँ भी परिवर्तन का प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। उदाहरणार्थ निरकुश राजतन्त्र में राजा लोग परिवर्तन नहीं होने देना चाहते थे। भारत में भी राजाओं और जमींदारों ने जनता में समानता लाने वाले अनेक परिवर्तनों का घोर विरोध किया था। इनके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा धार्मिक परिस्थितियाँ भी अपनी विशेष महत्त्व रखती हैं। निधनता भी सामाजिक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुई है।

सामाजिक परिवर्तन के परिणाम—सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का रूप परिवर्तित होता रहता है। सामाजिक, धार्मिक, राजनतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में नई नई संस्थाएँ और समितियाँ बनती विगडती रहती हैं। परिवार विवाह राज्य धर्म सम्प्रदाय, संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था तथा सामाजिक ढांचे का रूप बदलता रहता है। उदाहरण के लिए आदि काल से लेकर आज तक जा भी अन्तर दिखाई पड़ता है, वह सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। वेनबम और शेवत ने उचित ही लिखा है कि 'सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जगत के हृदय में निवास करता है'।²

औद्योगिकरण से नगरीकरण बढ़ रहा है और नागरीकरण से परिवार, जाति व्यवस्था, सामाजिक मण्डल, धर्म विवाह आदि में बराबर परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जहाँ औद्योगिक और जनसंख्या के कारणों से देश में बराबर परिवर्तन हो रहा

है, वही साम्यवाद और समाजवाद प्रादि नवीन विचारधाराओं तथा पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव से मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है और संस्कृति का रूप बदल रहा है। इस सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक संस्थाओं और समितियों पर भी पड़ रहा है। पारिवारिक विघटन इसका एक ज्वलंत उदाहरण रहा है।

(1) कारखाना पद्धति का उदय—उद्योगों में मशीनों के प्रयोग का सबसे मुख्य प्रभाव व्यक्तिगत उत्पन्न के स्थान पर कारखाना पद्धति (Factory System) का उदय है। मशीनों के आविष्कार से ही आज इतने बड़े बड़े विशाल कारखानों बन गये हैं, जिनमें हजारों लोग काम करते हैं।

(2) नागरीकरण—औद्योगिकरण तथा कारखानों के उदय से नागरीकरण हुआ और बड़े बड़े नगर बन गये। प्रारम्भ में गांवों से आने वाले हजारों श्रमिक कारखानों के आस पास रहने लगे फिर उनके लिए दुकानें खुली, बाजार बन स्कूल खुले फिर होटल कालेज, दफ्तर, और व्यापारिक कंपनियां बनी और इस प्रकार जहाँ जहाँ कारखानों के बहाँ पर बड़े बड़े नगर बस गये। भारत में जमशेदपुर, कानपुर, मोदीनगर, अहमदाबाद प्रादि नगरों का उदय कारखानों से ही हुआ है।

(3) नये वर्गों की उत्पत्ति—औद्योगिकरण और नागरीकरण से समाज का ढांचा बदल गया। सामाजिक संगठन वर्गों में विभक्त हो गया जिनमें परस्पर द्वेष प्रतिद्वंद्विता दिखलाई पड़ने लगी। पूँजीपति और श्रमिक वर्ग में तित नये ऋषट्टे बढ़ने लगे।

(4) नई विचारधाराओं का प्राबुंभाव—साम्यवाद और समाजवाद की विचारधाराओं के प्रचार के साथ साथ व्यापारिक संघ आन्दोलनों (Industrial union movements) की भी शुरुआत मानी। विभिन्न प्रतिद्वंद्व शक्तियों को मंग को लेकर तातेब दो, हड़तालें प्रादि हो। लगी।

(5) मूल्यों में परिवर्तन—धार्मिक साम्राज्यों के विनाश, राज्यों के शक्ति के विस्तार, नये वर्गों के निर्माण, लोकतंत्र के विचार, देशों के प्रचार, नागरीकरण, नई विचार धाराओं के प्रसार द्वारा मानव जीवन की मूल्यों में अत्यन्त परिवर्तन हुआ है। गुणों के स्थान पर लक्ष्य प्रवृत्ति मानव को अत्यन्त विभक्त करने लगा है। विचारों के स्थान पर बाह्य लक्ष्यमूलक को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा दिवायट और बनावट के सामने संस्कृति की मौलिक तत्त्वों को मानते हैं।

है। प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक 'समाजशास्त्र' में भी कहा है।

व है'।²

सामाजिक संगठन ही वह व्यवस्था है जो कार्य को सुचारु रूप से बनाये जाता है। हल्लियट और मैरिल के अनुसार — "सामाजिक संगठन अस्तित्व की एक वस्था है एक ऐसी दशा जिसमें कि एक समाज में विभिन्न सस्थायों अपने स्वाकृत दृश्या के अनुसार कार्य कर रही हैं"।³

सामाजिक संगठन के विपरीत दशा का नाम ही सामाजिक विघटन (Social disorganization) उस सामाजिक अवस्था का नाम है, जब समाज के विभिन्न घन अपने निश्चित कार्यों में असफल हो जाते हैं। उनके परस्पर सम्बन्ध बिन्दुद हो जाते हैं उनमें सहयोग समाप्त हो जाता है, सतुलन बिगड़ जाता है, जिससे समाज के निष्पन्नण के अर्थन ढाले पड़ जाय, या अानयत्रित हो जाय, तब सामाजिक विघटन की अवस्था का प्रदुभव होता है। तब सामाजिक जीवन में अस्वस्थ की अवस्था निराशा उदासीनता आदि के लत्व दिव्वाई देने से जीवन बिगु घलित हो जाता है। जिसके कारण सामाजिक बीमारिया उग्र रूप धारण कर लती है। समाज के संगठन में समय समय पर सुधार और नवीनता की आवश्यकता होती रहती है, जिसके अभाव में विघटन होने लगता है और जनता उपद्रव, दंगे घानि करन को तयार हो जाती है। वैरोजगारी, परिवारो का विघटन, निवन्ता, जातीय सपय, अवराय, एव अ्रामक समस्याए आदि सामाजिक विघटन के अनुभव उदाहरण देवन को मिलते हैं।

पारिवारिक विघटन (Family disorganization)—हल्लियट और मैरिल के अनुसार—'सर्वाधिक बिभृत अर्थों में पारिवारिक विघटन अनेक प्रकार के परिवारों में से किसी में भी किसी प्रकार का असामजस्य पूण काय अम्मिनिड करता हुआ समझा जा सकता है'।⁴

1 Social organization is the system by which the parts of society are related to each other and to the whole society in a meaningful way (Basic Sociological Principles P 195)

—E Jones

2 Social organization is a state of being a condition in which the various institution in a society are functioning in accordance with their recognized or implied purposes (Social Disorganization P 4)

—Elliott & Merrill

3 In the broadest sense family disorganization may be thought to include any sort of non harmonious functions within any of several types of family (Social organization P 302)

—Elliott & Merrill

पारिवारिक विघटन परिवार का विघटन है। जिसके कारण परिवार के सदस्यों में सामंजस्य का टूट न होता है। (Family disorganization is the disturbance of the harmony among family members)

फोलमन ने पारिवारिक विघटन के मुख्य चार कारक बताये हैं—

(i) परिस्थिति सम्बन्धी या गर व्यक्तित्व कारक (Circumstantial or nonpersonality factors)—जैसे बुरा स्वास्थ्य, बुरी आर्थिक परिस्थितियाँ सम्बन्धियों का हस्तक्षेप अशिक्षित सतान आदि।

(ii) व्यक्तित्व के दोष (Personality defects)—पति पत्नी में किसी प्रकार का मानसिक विकार नपु सकता, बाभपन, अस्वाभाविक यौन प्रवृत्तियाँ या व्यक्तित्व की विकृतियों का होना आदि।

(iii) व्यक्ति व विभिन्नतायें (Personality Differentials)—पति-पत्नी में शैक्षिक सामाजिक आर्थिक कलात्मक पृष्ठभूमि, धार्मिक तथा वेदना शक्ति सम्बन्धी अंतर का होना।

(iv) असंगत काय (Incompatible roles) नराशय (Frustration) आदि का होना। रूगन ने पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण तनाव (Tensions) बतलाया है। इलियट और मरिल ने लिखा है— 'पारिवारिक तनाव से हमारा तात्पर्य किसी भी सघष की परिस्थिति से है जो कि दो सदस्यों, विशेषतः पति पत्नी में विरोधी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करता है।'¹

समाज और सामंजस्य (Society and Adjustment)—

यक्ति की प्रवृत्तियाँ कुछ समाज के लिए लाभदायक होती हैं और कुछ हानिकारक अथवा सामाजिक नियंत्रण यक्ति की अशुभ प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है जिससे समाज विराधो काय न कर सके। पॉल एच लेण्डिस के अनुसार—“सामाजिक नियंत्रण सामाजिक प्रतिष्ठाओं का एक क्रम है जिनसे व्यक्ति मनुष्य के प्रति जिम्मेदार बनाया जाता है जिससे सामाजिक संगठन बनाया जाता है और स्थिर रखा जाता है, जिससे सामाजिककरण द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है”। अतः उन व्यवस्थाओं साधनों तथा प्रक्रियाओं को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है, जिनसे समाज में उचित व्यवस्था बनी रहती है और सामाजिक जीवन सुचारु रूप से चलता है। इनमें शिक्षा परम्परा विधि कानून तथा कला जनमत आदि

1 By a family tension we mean any conflict situation which generates opposing attitudes between two members particularly between husband and wife (Social Disorganization P 385)

शामिल किये जाते हैं। सामाजिक नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समाजीकरण करना है। प्रामाण्यपूर्ण मनुष्य पशु के समान होता है। उसको मनुष्य बनाने के लिए समाजीकरण की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज में प्राचीन रूढ़ियों परम्पराओं, प्रथाओं और व्यवहार के तौर तरीकों को बनाये रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज की प्राचीन व्यवस्था को बनाय रखना है। सामाजिक नियंत्रण टूटने से सामाजिक व्यवस्था भी टूटने लगती है। समाज के हर समूह में दृढ़ता बनाये रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण होना अति आवश्यक है।

सामाजिक नियन्त्रण और योजना—

यहाँ प्रश्न यह है कि मनुष्य कौन से अदृश को पूरा कर सकता है? क्या वह अपराध को मिटा सकता है। यह बहुत कुछ हमारे नेताओं पर और सामाजिक नियंत्रण पर निर्भर करता है।

नियंत्रण के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण को अपनाते की आवश्यकता—

हमको काल्पनिक और अदृश महत्त्वकांक्षा का शिकार होने की आवश्यकता नहीं। समाज की वास्तविक परिस्थितियों में जितना नियंत्रण किया जा सकता है उमक लिय हमको प्रयत्नशील रहना चाहिये। जैसे हम युद्ध का अंत नहीं कर सकते हमको केवल उसके खतरे को कम करना चाहिये।

सामूहिक जीवन के प्राथमिक तथ्य सामाजिक जीवन के ऐसे तथ्यों में है—मनुष्य का प्राकृति में प्रवृत्तियों पर नियंत्रण—वृत्तियों की धारणों को बदलना, बाध बनाना, जगलों को मिटाना और बनाना आदि कार्यों के करने में मनुष्य ने बहुत कुछ मात्रा में प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया है।

मनुष्य की वशानुगत प्रकृति में बहुत ही नद गति से परिवर्तन हो रहा है न मालूम उच्चतम व्यक्ति का कब विकास है। परन्तु हमारे वशानुगत विकास के पान में बहुत प्रगति हुई है। मनुष्य का विकास वशानुगत पान के कारण करना अभी सम्भव नहीं है अभी परिवार निर्माण भी ज्यादा मात्रा में सफल नहीं हुआ है और लोग इसे स्वेच्छा से न अपना रहे हैं।

आज हमारे लय अपनी संस्कृति का भी नियंत्रण करना मुश्किल हो गया है। हम अभी आविष्कारों को भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि एक अगली क हाथ में हथियार है तो हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। जो उसी तरह से एक सभ्य मनुष्य के पास या एक राष्ट्र के पास प्रणु बम्ब हो हम विश्वास नहीं कर सकते।

इन सब बातों पर विचार करने से ऐसे लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसे हमारा भविष्य ठीक हो इसमें संदेह हो सकता है। फिर भी हम हत शक्ति की आवश्यकता नहीं। हम अपने ज्ञान का ठीक उपयोग यदि करें तो सफल हो सकते हैं। इसके लिये मनुष्य, संस्कृति और समूह के परिवर्तन में एक समायोजन पतित करना आवश्यक है। यह हमको जान लेना चाहिये कि मनुष्य ऐसा करता है क्योंकि हजारों वर्षों से यह बातोंवरण के साथ समायोजन करता आया है। समायोजन को करने के लिये हमको विभिन्न स्तर पर सुधार कार्य करना पड़ेगा।

सामाजिक योजना—

सबसे सामाजिक योजनाओं पर अधिक बल दिया जाता है परन्तु सामाजिक सुधारों में मदद है, जहाँ सुधार में उपचार और दीर्घकाल पर बल दिया जाता है जब कि योजना एक निश्चित समय में कोई उद्देश्य करने की योजना है जैसे—5 साल में देश छोड़ भ्रष्टाचार मिटाया जाय इसके योजना बनाई जा सकती है। जबकि सुधार खेती बाड़ी के तौर तरीकों को कर किया जा सकता है।

सामाजिक योजनाओं की आवश्यक अवस्थायें हैं—

- (1) आधुनिक समाज, जिसमें आर्थिक व्यवस्था मुद्रा के ऊपर आधारित हो, शहरी व्यवस्था हो, जिसमें धार्मिक चरित्र हो और प्रशासन ठीक हो।
- (2) सूचना ग्रहण करने व उसके विश्लेषण की व्यवस्था हो।
- (3) जनता योजना बद्ध विकास के पक्ष में हो।
- (4) धार्मिक और राजनतिक दृष्टि से प्रगतिशील नेतृत्व हो।

बहुत से लोग योजनाओं के विरुद्ध हैं ऐसा समझा जाता है कि प्रजातन्त्र योजनाबद्ध कार्य कर हो नहीं सकता फिर भी लोगों में योजनायें बनाई जायें। यदि तरह-तरह की योजनायें एक साथ चल रही हों तो उसमें समायोजन करना आवश्यक है।

9640

